राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या : 9

बुधवार;
7 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री कय्यूम खान।

नजूल सम्पत्तियों का नीलामी प्रकरण

197. **श्री कय्यूम खान** (मसूदा) एवं **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या सम्पदा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 1994 को किन्हीं नजूल सम्पत्तियों की नीलामी की गई थी? यदि हां, तो किन-किन सम्पत्तियों की और किन-किन शर्तों पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त नीलामी हेतु विज्ञापन में हैलिंग्स बंगलो, सर्किट हाउस के पास, जयपुर फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, एम.आई. रोड, जयपुर को सीलिंग फ्री प्रोपर्टी बताया गया था? यदि हां, तो नगर निगम जयपुर द्वारा नक्शा स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र देने पर उक्त सम्पत्तियों को सीलिंग में अधिग्रहित करने का नोटिस क्यों दिया गया?

(3) क्या उक्त सम्पत्तियों के नीलामी हेतु जारी विज्ञापन में पुन: बेचान की पाबन्दी दर्शाई गई थी? यदि नहीं, तो पुनर्बेचान पर पाबन्दी क्यों लगाई गई?

(4) क्या सरकार ने नये भवन बाई-लाज सितम्बर, 1996 के एफ.ए.आर. (फ्लोर एरिया रेशो) को जो कि 2.00 होता था, परिवर्तित करके 1.75 कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

सम्पदा मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) जी हां। विभाग द्वारा दिनांक 21-12-94 को डा. हैलिंग्स बंगलो नामक सम्पत्ति को ओपन ऑक्सन से नीलाम किया गया था। (नीलामी शर्तों की प्रति संलग्न है)

(2) जी हां। डा. हैलिंग्स बंगलो, सर्किट हाउस के पास, जयपुर व फूड क्राफ्ट्स इंस्टीट्यूट, एम.आई. रोड, जयपुर नामक भूमि राज्य सरकार के आधिपत्य में होने से सीलिंग मुक्त थी। उक्त सम्पत्तियों के बेचान पश्चात् सीलिंग प्रावधान प्रभावी होने के कारण सम्बन्धित विभाग द्वारा नोटिस दिया गया।

(3) जी नहीं। नीलामी विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त अंकित नहीं की गई थी। उक्त सम्पत्ति के नीलामी पश्चात् स्वामित्व हस्तान्तरण के कारण अल्सर अधिनियम प्रभावी हो गया था, जिसके लिये क्रेतागण द्वारा अनुरोध करने पर नगरीय विभाग ने अल्सर अधिनियम, 1976 की धारा 20(1) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है। राज्य सरकार धारा 20(1) के तहत छूट देते समय उचित शर्तें लगा सकती है। इसी क्रम में भूखण्ड का बेचान उपहार व अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण राज्य

(सम्पदा मंत्री)

सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करने की शर्त संख्या 5 लगाई गई।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण के बाई-लाज सितम्बर, 1996 के न होकर जून, 96 के भवन विनियम हैं जिसके तहत बहुमंजिलें व्यवसायी भवनों के लिए एफ.ए.आर. 1.75 का उल्लेख है। इन्हीं के अनुरूप ही नगर निगम, जयपुर द्वारा वाणिज्य भू-खण्ड का नक्शा पारित किया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय महोदय, मंत्रीजी ने स्वयं अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त नजूल सम्पत्तियों को नीलाम करने के लिए आपने जो विज्ञापन दिया था उस विज्ञापन में आपने इन दोनों सम्पत्तियों को सीलिंग फ्री दर्शाया था। आपने इनको सीलिंग फ्री दर्शा करके अधिक रकम वसूल की। अगर आप इनको सीलिंग फ्री नहीं दिखाते तो आपको आधी रकम भी नहीं मिल पाती, इसलिए आपने गलत विज्ञापन प्रदर्शित किया अधिक रकम वसूलने के लिए। क्या आपने धोखाधड़ी से और गलत शर्तें लगाकर ज्यादा पैसे वसूलने के लिए यह गलत काम नहीं किया है?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि आपका ऐसा करने से दूसरे बिल्डर्स या दूसरे लोग जो जयपुर में आकर इस तरह के व्यावसायिक भू-खण्ड बनाते, यहां के लोगों को रोजगार मिलता और जयपुर की तरक्की होती, इन पर रोक लग गयी, अंकुश लग गया। वे लोग यह सोचने पर मजबूर हो गये कि इन्होंने पहले जो शर्तें दिखाई उन शर्तों को तुरन्त इन्होंने बदल दिया, धोखाधड़ी की जा रही है तो क्यों अपना इंवेस्टमैंट करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सीलिंग कानून प्रभाव में आया तो आपने सीलिंग का नोटिस दिया? पहले से ही था तो आपने इसको सीलिंग फ्री क्यों दर्शाया? इन दोनों चीजों के अन्दर यह अन्तर है, आखिर इस अन्तर का कारण क्या है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** एक मिनट, यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है क्या न्यायालय में विचाराधीन है क्या?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) **:** आप क्यों इनको बचाने के लिए यह कर रहे हैं? सारा किया कराया तो आपका ही है। आप इस वक्त बीच में आ कहां से गये? (व्यवधान) इससे साफ जाहिर होता है कि...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) **:** आप नगर निगम के अध्यक्ष को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी का नगर निगम का हैड है इसलिए आप बचाना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकरके पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप आपके +++ को प्रोटैक्ट करना चाहते हैं। (व्यवधान) +++ जो सामने आने वाले हैं उनको बचाने के लिए... (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप अपने +++ को जो आपने किये....(व्यवधान) आप उस पर पर्दा डालना चाहते हैं । उसको बचाने के लिए आप सबजुडिस का बहाना लेना चाहते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : बदनीयति से काम हुआ है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह से सब-जुडिस होने से कोई नहीं है। मैटर क्या सब-जुडिस है, आपको पता है?

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : +++ तो भंवरलालजी ने पहले से ही... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : बी.जे.पी. की सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। (व्यवधान) उनकी बात का जबाव आने दो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके जनता पार्टी के शासन में नगर निगम द्वारा... (व्यवधान) पहले तो सरकारी सम्पत्ति दे दी उसके बाद आपने लाखों रुपये के इम्पोजिशन कर दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका क्वेश्चन है पहले श्री माहिर आजाद ने जो सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछा है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : नहीं, आपने अलाउ किया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने अलाउ नहीं किया है। आप अपने आप खड़े हो गये, मेरी अनुमति नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, यह बात सही है कि विज्ञापन जो किया गया था उसमें जमीन को सीलिंग मुक्त बताया गया था। परन्तु जब किसी ने खरीद ली, 1974 में यह जमीन खरीदी गयी, दो साल तक यह जमीन क्रेता के पास में रही, इस बीच में नगर निगम ने कुछ नियम बना दिये उसके कारण यह सीलिंग में आ गयी।

दूसरी बात, शुरू में एफ.ए.आर. फ्लोर एरिया रेशो 2 करने का विज्ञापन था, उसकी जगह नगर निगम ने 1.75 एफ.ए.आर. का निर्माण करने की उनको इजाजत दी। मैं समझता हूं कि जो प्रश्न आपने किया उसका उत्तर मैंने दे दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सैकण्ड सप्लीमैंट्री है। पहली चीज तो यह कि जब सीलिंग फ्री थी तो नजूल सम्पत्तियों को आप सीलिंग में एक्वायर करने का नोटिस कैसे दे सकते हैं? आपने इतनी महंगी जमीन बेची, आपका यह सीलिंग प्रावधान पहले भी था, बाद में थोड़े ही आया आपका सीलिंग कानून । इसलिये यह सीलिंग के एक्वायर का नोटिस दिया गया, यह बिलकुल गलत दिया गया। दूसरी चीज जो फ्लोर एरिया रेशो का आप कह रहे हैं, आपने इस विज्ञापन में एफ.ए.आर. 2 दर्शाया कि नहीं दर्शाया ? बाद में आप कहते हैं कि नगर निगम ने और जे.डी.ए. ने अपने बाई लॉज में चेन्ज करके इसको 1.75 कर दिया। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं माननीय

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मंत्रीजी से कि ऐसे कितने प्रकरण थे, ऐसे कितने मामले थे जिनमें आपने इन बाई लॉज को लागू किया है? आपने केवल इसी मामले के अन्दर इस कानून को लागू किया है? दूसरों के अन्दर आपने इसकी छूट दे दी। कितने ऐसे मामले हैं जिनमें आपने छूट दी है, मैं यह भी आपसे जानना चाहता हूं?

श्री जनार्दन गहलोत : मेरा सप्लीमैंट्री प्रश्न है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह प्रश्न केवल हैलिंग्स बंगलो, सर्किट हाउस के सम्बन्ध में है, इसका विस्तृत उत्तर तो स्वायत्त शासन मंत्री जब अलग से यह प्रश्न करेंगे तब दे पाएंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि यह बात सही है कि 2 एफ.ए.आर. का विज्ञापन जारी किया गया। उसके बाद नगर निगम चूंकि एक आटोनोमस बाडी है, उसने 1.75 एफ. ए. आर. की परमिशन दी। उसके सम्बन्ध में ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, परमिशन दी या रूल्स में अमैंडमैंट कर दिया?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, कोई अमैंडमैंट नहीं किया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रूल्स में अमैंडमैंट्स वगैरह किये तो नगर निगम ने किये।

मोहम्मद माहिर आजाद : गलत। अमैंडमैंट किया तो अमैंडमैंट की कॉपी सदन के पटल पर रखें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसके सम्बन्ध में राज्य के मुख्य सचिव ने नगर निगम को लिखा हाई पावर कमेटी बैठी, उन्होंने भी उनको डायरेक्टिव्ज दिये। नगर निगम चूंकि आटोनोमस बाडी है और यह मामला अब माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, मैं समझता हूं कि इस पर शीघ्र जजमैंट आने वाला है...

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, यह मामला नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसलिए मैं समझता हूं कि जी.ए.डी. का या... (व्यवधान) सम्पदा विभाग की कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पहले मैंने आपको...

श्री अध्यक्ष : ये पहले हैं, आप बाद में हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि जून, 1996 में भवन नियमों में संशोधन हुआ तो इस सारी सम्पत्ति का क्रय हुआ है 1994 में जिसमें आपने स्वीकार किया कि एफ.ए.आर. 2.00 माना गया, सीलिंग फ्री मानी गयी। इस सम्पत्ति को जिसने खरीदा, क्रेता इस पर बहुमंजिली इमारत बनाना चाहता था। आपने बाद में आदेश जारी करके कह दिया कि यह सम्पत्ति हस्तान्तरित ही नहीं हो सकती है, यह सम्पत्ति बेची नहीं जा सकती। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो बाई लॉज में संशोधन 1996 में हुआ, यह 1994 की सम्पत्ति पर लागू है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : समय-समय पर, अध्यक्ष महोदय, स्वायत्तशासी संस्थाएं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अपने नियम और कानून कायदों में परिवर्तन करती रहती हैं। 1974 में जिस समय यह सम्पत्ति बेची गयी थी उस समय सम्पदा विभाग ने सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं की राय लेकर जो विज्ञापन जारी किया था उसके दो साल बाद नगर निगम ने अपने बाई लॉज में संशोधन किये उसके कारण से यह सम्पत्ति इफैक्ट हुई है। इसमें सम्पदा विभाग की कहीं कोई मिस्टेक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, लागू है क्या ? (व्यवधान) रिट्रोस्पैक्टिव डेट से बाई लॉज लागू हो सकते हैं क्या, मंत्री महोदय, यह भी बता दें आप?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह रावत। ये पहले खड़े हुए हैं ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक-दो बातें जानना चाहता हूं।

पहली चीज तो स्पेसिफिकली कृपया यह बताएं कि आक्शन के समय में एफ.ए.आर. 2 की कंडीशन थी, क्या आक्शन के पश्चात् जयपुर नगर निगम इस प्रकार शर्तों में परिवर्तन कर सकता है?

दूसरा मुझे बताने का कष्ट कीजिये कि नीलामी के विज्ञापन में बेचान की पाबंदी नहीं थी लेकिन बाद में यह बेचान की पाबंदी नगर निगम ने लगायी, क्या इस प्रकार की शर्त लगाना भी उचित है ?

मुझे यह भी बताने का कष्ट करें कि अक्टूबर, 1997 में चीफ सैक्रेटरी, राजस्थान, श्री एम.एल. मेहता ने एक पत्र लिखा था आइ कोट, "अत: इन सम्पत्तियों की नीलामी शर्तों के अनुसार एफ.ए.आर. 2 ही रखी जानी चाहिये, न कि 1.75, क्योंकि नीलामी एफ.ए.आर. 2 मान कर ही इसे प्रचारित किया गया था यदि अब एफ.ए.आर. 1.75 रखा जाता है तो इससे क्रेतागण व्यर्थ ही परेशान होंगे और लिटिगेशन बढ़ेगा तथा लिटिगेशन को बढ़ावा मिलेगा। आपके विचार में क्या चीफ सैक्रेटरी, राजस्थान इन विचारों से परिचित नहीं थे ? क्या उनको नियमों की जानकारी नहीं थी ? क्या उन्होंने पत्र में यह जो भाषा लिखी है इससे आपके जयपुर नगर निगम ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह चीफ सैक्रेटरी ने लैटर किसको लिखा है?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : चीफ सैक्रेटरी ने लिखा है लैटर यू.डी.एच. सैक्रेटरी को और फाइनेंस सैक्रेटरी को। इसी प्रकार का फाइनेंस सैक्रेटरी ने भी पत्र लिखा है जो 6 मार्च, 1998 का है...

श्री अध्यक्ष : नहीं, उसका उल्लेख आपने नहीं किया, इसका उल्लेख किया है, यह सदन की मेज पर रखिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ठीक है ।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से...

श्री अध्यक्ष : उनका रिप्लाई आने दीजिये ना पहले।

श्री बुलाकीदास कल्ला : भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एफ.ए.आर. की

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बात कही वह मैं पहले ही कह चुका हूं कि 2 एफ.ए.आर. का विज्ञापन जारी किया गया था। यह सम्पत्ति जिस समय खरीदी गयी 1994 में, उसके दो वर्ष बाद नगर निगम द्वारा जो नक्शे अनुमोदित किये गये उस समय उनको 1.75 एफ.ए.आर. की स्वीकृति दी गयी। सीलिंग से संबंधित भी जो शर्त लगी है कि आप किसी को हस्तान्तरित नहीं कर सकते, ये सभी बातें बाद की हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : क्यों हुई? बाद में क्या हो सकता है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्यों हुआ, यह तो मैं समझता हूं कि...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : Right or Wrong?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई ईस्ट इंडिया कम्पनी का कानून है क्या कि आप जब इच्छा हो तब बदल दो कानून ? पहले दूसरे और बाद में कानून दूसरे बना दो? यह टोटल हैरेसमैंट है...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अब मैं एक ही बात कहता हूं कि क्या वह कदम सही था ? गलत था, या सही था? जयपुर नगर निगम के महापौर ने...(व्यवधान) यू.डी.एच. सैक्रेटरी और तत्कालीन यू.डी.एच. मिनिस्टर ने मिलकर एक क्रेता को, व्यापारी को परेशान करने के लिये यह कदम उठाया, यह सही था या गलत था ? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : नीलामी के बाद ये शर्तें जोड़ना कानूनी...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह धोखाधड़ी कर रहे हैं...(व्यवधान) यह 94 से कैसे लागू हुआ ? यह बाद में लागू होगा, पहले कैसे लागू होगा ? (व्यवधान) गलत नीति के कारण की गयी है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह ईस्ट इंडिया कम्पनी का कानून नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, आप लड़की तो दूसरी दिखा रहे हो और बाद में शादी दूसरी लड़की से कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : मंत्री महोदय तथ्यों को छिपा रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान सरकार को सवा दो लाख रुपये पर डे का नुकसान हो रहा है जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने से।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को....

श्री शैलेन्द्र जोशी : सवा दो लाख रुपये पर डे का नुकसान हो रहा है। राजस्थान को 14 करोड़ का नुकसान हो गया है अभी तक।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सम्पत्ति जिस प्रकार से नजूल सम्पत्ति थी, मंत्रीजी ने बड़ा स्पष्ट जवाब यहां पर सदन को दे दिया कि पहले विज्ञापन के अन्दर कोई शर्तें नहीं थी। अगर ये शर्तें पहले होती तो राजस्थान के अन्दर ऐसा कोई क्रेता इनको उपलब्ध नहीं होता जो 23 करोड़

(श्री जनार्दन गहलोत)

रुपये इस जमीन के देता। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, यह एक पूरा षड्यंत्र है यह एक राजनीतिक साजिश है। कुछ बिल्डर्स को मदद देने के उद्देश्य से पिछली सरकार में बैठे हुए लोगों ने जानबूझकर पहले विज्ञापन दिया और बाद में अमैंडमैंट करके नगर निगम और जे.डी.ए. को बीच में डाल दिया। मुख्य सचिव इनके समर्थन की बात करते रहे, जो चिट्ठियां मेरे पास भी हैं। वित्त सचिव ने और मुख्य सचिव ने दोनों ने इस जमीन के फेवर में लिखा है। लेकिन नगर निगम में बैठे हुए, जे.डी.ए. में बैठे हुए लोगों ने उधर की बैंचेज में जो पिछली सरकार में सत्ता में बैठे थे, उनके इशारे से ये रूल्स बनाये। ये रूल्स बना दिये गये उसके बाद भी ऐसे करीब 25 से 27 मामले हैं जिसमें पिछली सरकार के मुख्य मंत्री और लोकल सैल्फ मिनिस्टर ने इन बिंदुओं को न मानते हुए उनको स्वीकृतियां दी हैं।

श्री अध्यक्ष : 20–25 मामलों की आपने...

श्री जनार्दन गहलोत : बनीपार्क में स्थित भू–खण्ड संख्या डी–105 पर इन नियमों को न मानते हुए लोकल बाडीज डिपार्टमेंट ने उसकी स्वीकृति दी है।

श्री अध्यक्ष : 20–25 मामले अभी यहां डिस्कस नहीं हो सकते हैं, आप इस पर्टीकुलर विषय के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें।

श्री जनार्दन गहलोत : जिस रूल का इसमें हवाला दिया गया है उसी रूल के आधार पर पिछली सरकार ने 27 भू–खण्डों की स्वीकृति जारी की इसी केस में क्यों रोका गया? इसी केस के लिये यह बंदिश क्यों आयी? 27 केसेज में क्यों कर दी? इसका मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह सब आपकी बदनीयती...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ठीक करेंगे आपसे वसूली करके...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : यह सब इनकी मिलीजुली है। अंत में एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय जी. ए. डी. मंत्री से... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई है तो आप करो ना ठीक। इसमें अगर आपको गलती नजर आती है तो ठीक करने की बात करो। करो ना ठीक उसको...(व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : माननीय सदस्य, आप धमकी दे रहे हैं ठीक करो, ठीक करो... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको ठीक करना तो बाद की बात है। आपने बदनीयति से काम किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। नीचे बैठिये। आसन पैरों पर...

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा स्पेसिफिक सवाल है जिसमें राज्य सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जो चिट्ठी दी उस पर नगर निगम ने गौर नहीं किया। आपकी इजाजत हो तो आपके माध्यम से यह पूरा प्रकरण मैं माननीय यू.डी.एच. मिनिस्टर साहब को दे देता हूं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ताकि वे इस सम्बन्ध में एप्रोप्रिएट कार्यवाही कर सकें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नो-नो, यू.डी.एच. मिनिस्टर को देनें से क्या होगा?

श्री जनार्दन गहलोत : अगर जांच ही करवाना चाहते हो तो चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच की जाए। अच्छा होगा, इस मामले को उलझाया नहीं जाए। चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर जांच करवाएं। (व्यवधान) इस पर सरकार का।

श्री शैलेन्द्र जोशी : रियलिटी आनी चाहिए।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : तत्कालीन यू.डी.एच. सैक्रेटरी, तत्कालीन यू.डी.एच. मिनिस्टर और जयपुर नगर निगम स्पष्ट रूप से इसके अन्दर बदनीयति के दोषी हैं। यह आर्म टिवस्ट टैक्टिक्स के माध्यम से... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : लाखों रुपये जो दिये जाएं तो ये नक्शे पास कर दें...(व्यवधान) अन्यथा यह सरकार अपनी सम्पत्ति बेचने और...(व्यवधान) यह भारतीय जनता पार्टी के शासन में नगर निगम के अध्यक्ष द्वारा किया गया है। (व्यवधान) उन्होंने जो घोटाले किये हैं उनको सामने आने दो, बीच में रोकें क्यों? राजस्थान सरकार को तीन लाख रुपये पर डे का नुकसान हो रहा है, अभी तक 14 करोड़ रुपये ब्याज के चढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए ताकि सारे षड्यंत्र का वह कमेटी इस बात के लिये सक्षम हो...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है...

श्री अध्यक्ष : आप दो सप्लीमैंट्री पूछ चुके हैं, अब आप बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक और।

श्री अध्यक्ष : Take Your Seat.

श्री जनार्दन गहलोत : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बने... (व्यवधान) नगर निगम नही मानेगा... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : करौली से आने वाले माननीय सदस्य एक मिनट। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या फाइनेंस सैक्रेटरी ने 6 मार्च, 1998 को पत्र लिखकर यह आशंकित नहीं किया कि यह मुकदमा हम न्यायालय में हारने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में करीब 40 करोड़ की अदायगी हमको करनी पड़ेगी? यह फाइनेंस सैक्रेटरी का 6 मार्च, 1998 का पत्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सम्पत्ति बेची, डा. हेलिंग्स का बंगला बेचा 19 करोड़ का जो उसे 23 करोड़ का पड़ा। फिर जब पैसे नहीं दिये गये इनको नक्शे पास करने के लिये तो सीलिंग की एक कंडीशन लगा दी। बेचेंगे नहीं, दूसरी लगा दी और किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तीसरी लगा दी। तो बेचा ही क्यों था ? पहले तो आपने बिल्डर्स को सम्पत्ति बेच दी, फिर नगर निगम का

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

मतलब है नरक निगम उसके +++ तो उन्होंने नक्शा पास नहीं किया और जो फ्लोर एरिया है वह दो की जगह 1.75 कर दिया। सरकार ने सम्पत्ति बेच दी बोनाफाइडली सीलिंग फ्री, उसके बाद भी इस तरीके के इम्पोजीशन लगा दिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब 6 मार्च, 1998 को वित्त मंत्री महोदय ने लिख दिया, वित्त सचिव ने लिख दिया कि हमें इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है जो कि 40 करोड़ रुपया होगा, उसके बावजूद भी सरकार ने क्यों नहीं चिन्ता जाहिर की? आज 40 करोड़ रुपया ब्याज का कौन अदा करेगा जो कि तीन लाख रुपये पर डे हो रहा है?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सम्पदा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो विज्ञापन दिया उसमें आपने मैक्सिमम कवर्ड एरिया 35 परसेंट एफ. ए. आर. दो और सीलिंग फ्री दिखाया। आपने इसमें यह शर्त रखी थी कि इसको नीलामी में लेने वाली पार्टी अगर तय शर्तों का पालन नहीं करेगी या पैसा टाइम से नहीं जमा कराएंगी तो हम साढ़े 18 परसेंट इंटरेस्ट लेंगे। खरीदने के भाव आप के दूसरे और बेचने के बाद आपके दूसरे आपने इन शर्तों का उल्लंघन किया, आपने गलत शर्तें दिखायीं और उनका पालन नहीं किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि अगर पार्टी शर्तों का पालन नहीं करे तो उस पर तो पैनल्टी, लेकिन आपने अपनी शर्तों का पालन नहीं किया तो क्या आप विथ इंटरेस्ट यह रकम वापस लौटाने की स्थिति में है? या नहीं है? आपको लौटानी चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, वित्त सचिव चिट्ठी लिख रहा है, मुख्य सचिव चिट्ठी लिख रहा है, आपने टैक्नोक्रेट्स की कमेटी बनायी जिसमें सीनियर टाउन प्लानर, एडीशनल सीनियर टाउन प्लानर सारे लोगों ने आपको यह राय दी थी...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, भाषण नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कि आप इसकी स्वीकृति 2 एफ.ए.आर. में दे सकते हैं। जिनके खिलाफ उसने दी उनको तो आपने परमीशन दे दी और जिनके पक्ष में है स्वीकृति उनको दी नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछें, लंबा-चौड़ा भाषण नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने शर्तों का उल्लंघन किया है, आपको भी चाहिए कि मय इंटरेस्ट आप पैसा वापस लौटाएं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, एक-एक का जवाब।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल स्पेसिफिक पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने पूछा है, इसका उत्तर दे दें, फिर आपका नंबर है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं नगर से आने वाले माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि पहले विज्ञापन के अनुसार आच्छादित क्षेत्र 62.5 था, नगर निगम द्वारा स्वीकृत 35

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

परसेंट फ्लोर एरिया 2 एफ.ए.आर. नगर निगम द्वारा स्वीकृत 1.75 मंजिलें-बेसमेन्ट प्लस ग्राउण्ड फ्लोर प्लस फ्लोर और नगर निगम द्वारा जो स्वीकृति है इसमें वर्णित नहीं है। (व्यवधान) एक मिनट आपने जो कहा है उसमें करेक्शन करवा रहा हूं... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : स्वायत्त शासन मंत्री अलग हैं, हमने तो आपसे संपदा मंत्री की हैसियत से सवाल पूछा है आपने जो शर्तें रखी थीं उनका पालन नहीं किया तो इसमें तो आप फेल हो गये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बता रहा हूं। आपने इन चीजों को प्रश्न में लिया है तो मैंने आपको करेक्ट किया है। आच्छादित एरिया क्या है बता दिया। अधिकतम ऊंचाई 16.76 मीटर, नगर निगम द्वारा स्वीकृत 30 मीटर, एक तो यह प्रश्न आपने किया था। दूसरा आपने यह कहा कि वह यदि देरी करता तो आपको 18 परसेन्ट, साढ़े 18 परसेन्ट ब्याज देना था, क्या आप भी ब्याज दोगे ? हमने तो संपत्ति 1994 में उनको हैण्डओवर कर दी। दो वर्ष बाद नगर निगम ने उनको परमीशन दी। इस सम्बन्ध में उच्च स्तर पर पत्र वगैरह लिखे गये और यह पुराना मामला है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह कहना चाहता हूं कि मैं इस पूरे प्रकरण की जांच यू.डी.एच. सैक्रेटरी से करवा लूंगा। जहां कहीं कोई त्रुटि हुई है उसकी रिपोर्ट आने पर उसके अनुसार कार्यवाही करूंगा।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप यू. डी. एच. सैक्रेटरी से क्या करवाएंगे U.D.H. Secretary himself is involved ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो फाइनेंस सैक्रेटरी से ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यू.डी.एच. सैक्रेटरी का तो इसमें खराब रोल रहा है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह सी.बी.आई. से... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह जनता पार्टी के शासन का घोटाला है इसको आने दीजिए (व्यवधान) यह बी.जे.पी. के शासन का है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : तत्कालीन यू.डी.एच. मिनिस्टर का इसके अंदर खराब रोल रहा है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सारा मामला तत्कालीन यू.डी.एच. ...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : विधान सभा की कमेटी से जांच करवाइये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : गलत रहा है। (व्यवधान)... तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ...(व्यवधान) का इसमें गलत रोल रहा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : पत्र लिखा है...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, ये फाइनेंस मिनिस्टर के लैटर हैं पेश करने की अनुमति दी जाए...(व्यवधान) उनकी सैक्शन... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : स्पष्ट रूप से तत्कालीन मुख्य मंत्री ने...(व्यवधान) प्रोटेक्ट करने के लिए...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कर्पूर चन्द कुलिश ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह मामला इतना गंभीर है...(व्यवधान) यू.डी.एच. सैक्रेटरी से सम्भव नहीं है, या तो इसकी सी.बी.आई. से जांच कराएं या एंटी करेप्शन से कराएं (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : फाइनेंस सैक्रेटरी के लैटर्स हैं, मैं सदन की मेज पर रखने की अनुमति चाहता हूं...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ये फाइनेंस सैक्रेटरी के पत्र हैं, सदन की मेज पर रखने की अनुमति चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने मिस्टर कर्पूर चन्द कुलिश को फायदा पहुंचाने के लिए बिजनेस राइवलरी है। (व्यवधान) कर्पूर चन्द कुलिश को फायदा पहुंचाने के लिए यह सारा षड्यंत्र किया गया है। यह हाई लेवल षड्यंत्र है। इसमें करोड़ों रुपये का राज्य सरकार को नुकसान होने वाला है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को 44 करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला है। (व्यवधान) यू.डी.एच. मिनिस्टर, नगर निगम चीफ मिनिस्टर और कर्पूर चन्द कुलिश चार आदमियों की मिली भगत से...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक पार्टी है पूरे राजस्थान में...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह सारा षड्यंत्र किया गया है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह मिलीभगत थी, सी.बी.आई. से जांच करानी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजनीति कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिए।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : इसकी जांच तो सी.बी.आई. से होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : फाइनेंस सैक्रेटरी के पत्र को सदन की मेज पर रखने की अनुमति दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विरोध करते हैं (व्यवधान) आप लोग कहां थे ? उस समय क्यों नहीं बोले आप लोग ?

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय मंत्री महोदय ने कहा यू.डी.एच. सैक्रेटरी से करा लें। जहां एक तरफ चीफ सैक्रेटरी इनवाल्व हैं, जिनकी चिट्ठी है...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य यदि यू.डी.एच. सैक्रेटरी से जांच नहीं कराना चाहें तो मैं स्टेट इंवेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : सी.बी.आई. से करा लो ना आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सी. बी. आई. से जांच करवाएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कमेटी बना दें, एम.एल.एज. की कमेटी बना दें आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पैसा लौटाने की बात करो। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एंटी करप्शन डिपार्टमैंट से पूरी जांच करवा दूंगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसको सुधारिये। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : बस ठीक है यह, जांच हो जानी चाहिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, एम. एल. एज. की कमेटी बना दीजिये जांच करने के लिए।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कर्पूर चन्द कुलिश इस सदन के सदस्य नहीं हैं। इस सदन में ... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यहां एक कमेटी सदन की बना दें। आप एंटी करप्शन ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एम.एल.एज. की कमेटी बना दी जाए, वह जांच करेगी और उसमें बी.जे.पी. के एम.एल.ए. नहीं रखे जाएं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पूरा मामला अपने आप में सबूत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भीम से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब सम्पदा मंत्रीजी ने...

श्री जगमाल सिंह यादव : आपको सी.बी.आई. पर विश्वास नहीं तो सदन की एक कमेटी बना दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एंटी करप्शन को दे दिया है।

एक माननीय सदस्य : कमेटी बनाई जाए।

श्री जगमाल सिंह यादव : विधान सभा की कमेटी बनाएं, विधान सभा की। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसा गंभीर मामला है...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आप पर्दा डालना चाहते है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : बहुत गम्भीर मामला है। पूर्ववर्ती सरकार ने करोड़ों रुपये के इसमें...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : बहुत गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय इसमें राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है । कोई भी व्यापारी आप पर विश्वास नहीं करेगा। (व्यवधान) कोई भी व्यापारी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा...(व्यवधान) कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आप पर विश्वास नहीं करेगा। It is a clear-cut case of breach of trust.

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, इसकी सी.बी.आई. से जांच कराइये, सी.बी.आई. से। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आगे आपकी सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा इसलिए अध्यक्ष महोदय इसको लाइ-टली नहीं लिया जाए एक षड्यन्त्र है...

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह तत्कालीन यू.डी.एच. मिनिस्टर ने षड्यंत्र करके... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट की केटेगरी का आफेंस है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को ट्रांसफ़र कर दिया है सब मामला इंवेस्टिगेशन के लिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक संरक्षण इनको प्राप्त था इसलिए सी.बी.आई. से जांच नहीं कराकर सदन की कमेटी से करवाई जानी चाहिए । क्योंकि जब चीफ सैक्रेटरी का आदेश नहीं मान कर (व्यवधान) इसका मतलब स्पष्ट यह दिखाई देता है कि उच्च राजनैतिक संरक्षण इनको प्राप्त था, इसलिए सदन की कमेटी से जांच करवायी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : अध्यक्ष महोदय, जब इतना विवादित मामला है, इस पर सदन की समिति क्यों नहीं बना दी जाए? क्या सदन के मैम्बर्स की भी इंटिग्रिटी का डाउट है ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जब चीफ सैक्रेटरी लैटर लिख चुके हैं फाइनेंस सैक्रेटरी लैटर लिख चुके हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सदन में सारे सदस्य ईमानदार बैठे हुए हैं... (व्यवधान) माननीय सदस्यों के द्वारा इसकी जांच कराइये तो न्याय हो सकता है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सैक्रेटरी यू. डी. एच. सैक्रेटरी चीफ सेक्रेट्री से ऊपर होता है क्या? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दीजिये, उसके द्वारा जांच कर ली जाए । माननीय सदस्यों की ईमानदारी पर हमको पूरा भरोसा है। ये जो निर्णय करेंगे...(व्यवधान) विधायकों की एक कमेटी बना दी जाए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : केवल सी. बी. आई. से इसकी जांच करा ली जानी चाहिए या हाउस की कमेटी बने। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है जांच कराने का एंट्री करप्शन से...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : या तो हाउस कमेटी बने या सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है... (व्यवधान) आगे कोई भी व्यापारी हमारी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। (व्यवधान) कोई भी व्यापारी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं आएगा... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : विधायकों की कमेटी बना दीजिये। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : एंटी करप्शन से एक मामले की जांच नहीं ऐसे 27 मामले हैं...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राज्य सरकार पर भरोसा नहीं रहेगा। (व्यवधान) सारी कंडीशंस

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

चैंज कर दी गयी। ट्रांसफर नहीं किया जायेगा, सेल नहीं किया जायेगा...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : 44 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया...(व्यवधान) क्या वह नुकसान राज्य सरकार देगी ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. से जांच कराने में आपत्ति क्या हो सकती है? जब हम विपक्ष में बैठे थे हम सी.बी.आई. की जांच की मांग करते थे। (व्यवधान) और सत्ता पक्ष में बैठे हुए उसको मानते नहीं थे। (व्यवधान) आज हम सत्ता में बैठे हुए हैं हम सी.बी.आई. की जांच की मांग मंजूर क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) +++ जब अपोजिशन में थे तब विरोध क्यों नहीं किया अब इतना विरोध कर रहे हैं...(व्यवधान) इस कांग्रेस सरकार का भी कुछ उसमें हिस्सा है। अब ये अपोज कर रहे हैं, जब अपोजिशन में थे तब क्यों नहीं अपोज किया ?

एक माननीय सदस्य : हम कह रहे हैं विधान सभा की कमेटी से जांच करवाओ, किसका हिस्सा है पता चल जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दूध का दूध और पानी का पानी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सम्पदा मंत्रीजी ने... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट दे दें ।

श्री रघुवीर सिंह : आपने ही सारा +++ किया है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने तो सारा +++ किया है, आप तो विराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो चाहते ही नहीं थे कि इस पर चर्चा हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो चर्चा हो रही है सबजुडिस.... (व्यवधान)।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने तो पहले ही सबजुडिस कह कर इस मामले को ढकना चाहा कि यह मामला सबजुडिस है। आपने गलत इंफार्मेशन दी, कोई सबजुडिस नहीं है। हाई कोट में कोई सबजुडिस नहीं है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय सदस्य चाहे जिसका नाम ले लेते हैं। कभी भंवरलाल जी का, कभी ललित जी का, अब कर्पूर चन्द जी कुलिश का नाम ले लिया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कर्पूर चन्द कुलिश इस हाउस से बड़े हैं क्या? (व्यवधान) कर्पूर चन्द कुलिश आपके लिये खुदा हो सकते हैं...(व्यवधान) कर्पूर चन्द कुलिश को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : दूध का दूध सामने आएगा। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : यह बी.जे.पी. राज का +++ खुल रहा है आज तो तकलीफ हो रही है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : इसमें दिक्कत क्या है ? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए मौका दिया, उसकी जांच के दायरे में लाया जाए।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिहजी शेखावत और कर्पूर चन्दजी कुलिश पर मैं आरोप लगा रहा हूं (व्यवधान) वहां हैरीटेज होटल बना दिया, उसमें उनकी पार्टनरशिप है। वहां लोगों को प्रतिदिन पानी पिलाया जा रहा है और पूरा वातावरण बिगाड़ा जा रहा है। वहां उनकी पार्टनरशिप है, मैं आरोप लगा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : आप लोगों की +++ तो चार महीने में सामने आ गईं, दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपना घर देखिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। जो भी कोई...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : कर्पूर चन्दजी कुलिश का नाम लिया है, आप व्यवस्था दें।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने खुद ने लिखा था +++

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : आपके लिए भगवान हैं, हमारे लिए इंसान हैं, (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने खुद ने लिखा था, भाजपा को सीख देना होम करते हाथ जलाना है ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बीमारी की जड़ खुद ही हैं और खुद ही ज्यादा +++ मचा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : +++

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, यह पवित्र सदन है और सदन से बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ा यह सदन है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने लिखा था भाजपा को सीख देना होम करते हाथ जलाना है और कोल्ड स्टोरेज के आलू ।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, टेक योर सीट। किसी माननीय सदस्य के बारे में या कोई माननीय सदस्य नहीं है उसके बारे में कोई भी एलीगेशन या कोई आरोप लगाया है तो मैं उसको देख लूंगा, फिर निर्णय लूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : रैफरेंस में नाम आया है कि उनको फायदा पहुंचाने के लिए यह किया गया है।

श्री अध्यक्ष : वह रैफरेंस की बात मैं देख लूंगा, हाउस में घोर अव्यवस्था हो रही है इससे। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कर्पूर चन्द कुलिश इस हाउस से ऊपर नहीं है। रैफरेंस

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

में मैं दुबारा कहता हूं कि कर्पूर चन्द कुलिश को फायदा पहुंचाने के लिए तत्कालीन मुख्य मंत्री ने, तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री ने, यू. डी. एच. के तत्कालीन सैक्रेटरी ने और जयपुर नगर निगम ने यह घोर षड्यंत्र रचा। कर्पूर चन्द कुलिश उनके लिए भगवान हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं। He may be God for you आपके लिए भगवान होंगे, हाउस से बड़े नहीं हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप आरोप लगा सकते हैं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : रैफरेंस आया है, रैफरेंस में नाम लिया है कि अमुक व्यक्ति को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे आदमी को हैरेज किया । आप चाहे जिसको फायदा पहुंचाएं, लेकिन आप दूसरे को नुकसान तो नही पहुंचा सकते। यह क्या तरीका हुआ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके मंत्री सक्षम हैं, जब वे जवाब दे रहे हैं तो आप फालतू में क्यों समय खराब कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : यह कह दो कि सदन पर विश्वास नहीं है, मुख्य मंत्रीजी, आप अपने हाथ क्यों जलाना चाहते हैं ?

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है कि इसकी एन्टी करप्शन ब्यूरो से जांच करवा लेंगे...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सदन की कमेटी बना दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सदन की कमेटी बनाने में मेरा खयाल है किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप दोषी नहीं हैं तो दोष मुक्त हो जाएंगे।

श्री जर्नादन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जवाब दे दिया कि इस प्रकरण की जांच वे एन्टी करप्शन से करवा लेंगे। इस बात से हम सहमत हैं। मेरा एक बिन्दु है जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस मामले में गंगा टावर वालों को जान-बूझकर परेशान किया गया, इसके साथ-साथ जयपुर शहर में और दूसरे बिल्डर्स भी हैं, 20-22-27 हैं स्पेसिफिक एक नाम तो मैं आपके सामने रख सकता हूं, बनीपार्क स्थित भू-खण्ड संख्या डी-105 पर आत्माराम गुप्ता का मामला। ऐसे मामले 22 से 27 तक हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय एक ही मामले की जांच नहीं कराएं, सारे के सारे जो पिछली सरकार ने घोटाले किए कुछ व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने का काम किया और कुछ व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया... (व्यवधान) सारे मामलों की जांच करवाएं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भी नहीं बोलने देंगे ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। कमल एन्टरप्राइजेज की भी जांच करवा लो तो सारी पोल खुल जाएगी। 1984 में लाखों में बेच दी अरबों की जमीन।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आठ साल राज था, 40 साल की जांच क्यों नहीं करवाई? हम तो करवाएंगे जांच। भू-माफिया को आपने बढ़ावा दिया, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार फैलाया है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, ये क्या बोलेंगे, इन्होंने तो सारा +++ किया है। ये सारे +++ इन्हीं के समय के हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यह सदन सर्वोच्च है और हाउस की कमेटी बनाने में एतराज नहीं होना चाहिए, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। एक व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाते हैं और 22 लोगों को आप फायदा पहुंचाते हैं। उन्हीं नियमों के अन्तर्गत एक को नुकसान पहुंचाते हैं, 22 को फायदा पहुंचाते हैं। राजस्थान की प्रतिष्ठा के लिए कौन इण्डस्ट्रियलिस्ट यहां आएगा? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, सारे मामलों की जांच हाउस की कमेटी से करवाएं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं आपके माध्यम से सदन के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहल करके फौरन कह दीजिए कि इसमें या तो सी.बी.आई. से जांच करवाई जाएगी या हाउस की कमेटी से जांच करवाई जाएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत बड़ी पोल हैं, नेता महोदय, बहुत बड़ी पोल निकलेगी, आप हैरान हो जाएंगे। अरबों रुपयों का घोटाला है, अरबों रुपयों का।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार की अस्मत का सवाल है, राजस्थान सरकार पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा भविष्य में। राजस्थान सरकार ने प्रोपर्टी बेची है, यह राजस्थान सरकार के द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस किया है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाता है, यह बहुत गलत बात है। जिन कण्डीशन पर सेल किया गया, सेल डीड नहीं किया गया, (व्यवधान) बेचान कर दिया गया। इस तरह नगर निगम द्वारा भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितनी भी सम्पत्तियां बेची गई, उन सम्पत्तियों की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जयपुर में 37 सम्पत्तियां बेची गईं जो कि अरबों-खरबों रुपयों की थी, उनकी जांच होनी चाहिए। सदन की कमेटी जांच करे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शासन में नौकरशाहों के इन लोगों ने भू-माफिया बनाकर करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को बर्बाद किया है। (व्यवधान) आंशिक लाभ नहीं देने के कारण उन पर तरह-तरह के इम्पोजिशन कर दिये गये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सैकण्ड बोलने का मौका चाहिए।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : यह मामला काफी गम्भीर है, आप आधे घंटे की चर्चा के लिए अलाउ कर दें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय यह मामला ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : चाहे हैलिंग्स का बंगला हो, चाहे फूड क्राफ्टस का बंगला, सबकी जांच होनी चाहिए । आज सरकार को कोई विश्वसनीय नहीं मान सकता (व्यवधान) रोजाना तीन लाख रुपये का ब्याज का नुकसान हो रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हाउस कमेटी या सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : भ्रष्टाचार को बढ़ाने का यह अनूठा तरीका है। (व्यवधान)राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक तरफ तो आप मुनादी करते हैं कि बाहर के लोग आकर राजस्थान में पैसा लगाएं उद्योग-धन्धे लगाएं और दूसरी तरफ राजस्थान में लोगों को इस तरह से धोखे में रखा जाता है। (व्यवधान) यह करप्शन है। आपके घोटाले हैं, आप इनको ढकिये मत, इनकी जांच होने दीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हमारी पार्टी की पारदर्शी सरकार है, हमें आगे बढ़कर यह बात कहनी चाहिए।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर निगम के महापौर, जयपुर निगम के अधिकारियों ने मिल कर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यदि इनकी जांच होती है तो काफी लोग बिहाइण्ड दी बार होंगे, आज जो लोग बाहर हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दीजिए । पहले मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं आधा घण्टे से खड़ा हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप क्या बोलेंगे, आपके तो सारे +++ किए हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने हैलिंग्स का बंगला बेच दिया, सारी सरकारी जमीनें बेची दीं ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : +++ आप क्या बोलोगे? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सारी परिसम्पत्तियां बेच दी सरकार की एक के बाद एक। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जांच होगी इसमें ये एक्यूज्ड होंगे ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात बोलने का मौका दीजिए, मुख्य मंत्रीजी खड़े हो गए हैं।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप +++ बोलते हैं ।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, +++ माननीय ऐसा बोल रहे है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सदन की हमेशा परम्परा रही है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भगवान हैं क्या आपके लिए ?

एक माननीय सदस्य : कर्पूर चन्द जी के प्रैशर से नहीं मुख्य मंत्रीजी के प्रैशर से हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप मुझे एक मिनट भी नहीं बोलने देंगे ? एक सैकण्ड भी नहीं बोलने देंगे ? क्यों नहीं बोलने देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब सदन के नेता या प्रतिपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बोलने जैसा कुछ रहा ही नहीं । (व्यवधान) ये तो षडयंत्र के भागीदार हैं। आपने पूरे जयपुर को लूट लिया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : दोषी हो, दोषी, एक्यूज्ड हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरे प्रदेश को लूट कर खा गये। (व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप कमेटी के सामने बोलना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार ने किया। सारे घोटाले आपने किये। सारा इनके इशारे पर किया नगर निगम ने। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह +++ नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सब भू-माफियाओं का काम है। भू-माफिया के खिलाफ कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ये सारे +++ आपके किये हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : भैरोंसिंह जी के कारण होता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह क्या हो गया, अध्यक्ष महोदय, आपको ? बोलने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : विधान सभा की कमेटी से जांच करवाइए।

एक माननीय सदस्य : बोलने का मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : विधान सभा की कमेटी से जांच करवाइए।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहते हो, लीपापोती करना चाहते हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसकी जांच सी.बी.आई. से करानी चाहिए ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्यों नहीं बोलने देंगे?. बोलने का अधिकार सबको है। (व्यवधान) हमें कोई बोलने से नहीं रोक सकता । अगर रोकते हो तो....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसलिए नहीं बोल सकते कि बोलने के काबिल नहीं हो। (व्यवधान) इसलिए नहीं बोल सकते ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बोलने के अधिकार से वंचित किया जाए, यह संभव नहीं है पहले भंवरलाल जी बोलेंगे ।

श्री जनार्दन गहलोत : इन्होंने जो घोटाले किए हैं उसकी सूची बताओ। (व्यवधान) आपने जो-जो किये हैं वे बता दें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिससे जांच कराना चाहो उससे जांच कराओ, लेकिन बोलने का हमारा अधिकार है, उससे कोई रोक नहीं सकता। (व्यवधान) अगर हमको बोलने से रोका गया तो हाउस नहीं चलेगा।

डा. किरोड़ी लाल : बोलने से कैसे रोक सकते हैं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पहले भंवरलाल जी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी मुझे अलाउ किया कि आप पहले बोले। यह मामला दो विभागों का है। एक किसी व्यक्ति को परमिशन मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, ठीक मिली या नहीं मिली उसके लिए माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया। सवाल यह है कि जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाते। निगम ने परमिशन क्यों नहीं दी, उनका पक्ष सामने नहीं आया। मेरा आपसे निवेदन है कि सी.बी.आई. तो बहुत छोटी चीज हो सकती है इससे बड़ी किसी एजेन्सी से जांच करा लीजिए। हाई कोर्ट में मामला पैंडिंग है, आप जांच जिससे चाहो उससे करा लो। हाउस की कमेटी कर ले, ये जो प्रश्नकर्ता हैं इन्हीं से करवा लीजिए, और जिससे चाहो आप करवा लें, लेकिन जब तक ये तथ्य सामने नहीं आते तब तक इस प्रकार का प्रचार या इस प्रकार के आरोप यहां लगाना, चार दिन पहले भी इस प्रकार की बात खड़ी हुई थी, उससे वातावरण बिगड़ता है।

भीम से आने वाले माननीय सदस्य बहुत ही पुराने सीनियर मैम्बर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं, उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगा दिए । माननीय कुलिश जी के खिलाफ आरोप लगा दिए। वह आपका विषय है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ आरोप लगा दिया और मेरे खिलाफ आरोप लगा दिया कि आपने भी भ्रष्टाचार किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : जांच हो जाएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** जांच हो उससे पहले चार्ज लगा दिया आपने। (व्यवधान) Let me Complete. अगर आपको यह व्यवस्था रखनी है कि जिसकी मर्जी में आए वह किसी के खिलाफ चार्ज लगाने के लिए खड़ा हो जाए, Then you prepare for it.

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) **:** आप बोलें। कौन रूकावट डालता है, बोलिए आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** मैं बोल रहा हूं। इस प्रकार की व्यवस्था पिछली विधान सभा के सत्र में रही, उसका एक दुष्परिणाम निकला, इससे स्तर बहुत गिरता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कम से कम इनको यह प्रताड़ना दी जाए कि यदि इनके पास कोई सबूत हो, यदि इनके पास कोई चार्ज है तो आपको नोटिस दें और जांच ....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह सबूत नहीं तो क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** नोटिस दीजिए, I will face it.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) **:** स्वर्गीय जोशी जी के खिलाफ आपके प्रतिपक्ष के नेता ने कितने आरोप लगाये ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** नो इंटरवशन, नो इंटरवशन।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तब शर्म नहीं आई? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : प्रतिपक्ष के नेता ने 1986 में आनन्द मोहन लाल, चीफ सैक्रेटरी के अगेंस्ट में बिना नोटिस दिये यहां आरोप लगाये। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जिन्दगी भर आरोप ही आरोप लगाये। प्रतिपक्ष के नेता तो आरोप लगाने के पर्याय बनकर रह गये थे। प्रतिपक्ष के नेता ने जिन्दगी भर किया ही यही है और कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाने के सिवाय कुछ किया ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किया तो आपके पास सरकार है, जांच करा लो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** मैं इस बात के लिए आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे खिलाफ या हमारे प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ एक भी आरोप .... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप तो चैलेंज करते रह जाएंगे, जांच के सामने जब आप एक्यूज्ड की हैसियत से जाएंगे तब अपनी बात कहिएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** लेकिन इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना यहां पर शोभा नहीं देता है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपका चीफ सैक्रेटरी कुछ कहता है, फाइनेंस सैक्रेटरी कुछ कहता है। यह आर्म ट्विस्ट टैक्टिक्स से आप क्या कहना चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह आरोप बिलकुल सही है, सही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप तो कैरेक्टर की बात करते हो, उससे हजार गुना बढ़िया मेरा कैरेक्टर है। What do you Talk ? पूरा जयपुर शहर जानता है आपको, आप क्या बात करते हो?

एक माननीय सदस्य : आप क्या कहते हैं सदन को मालूम है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप क्या कैरेक्टर की कह रहे हैं, आपको जयपुर शहर के सब जानते हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाये गये हैं इनको तो आप कार्यवाही से निकालिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जयपुर का बच्चा-बच्चा आपके कैरेक्टर को जानता है, आप किसके कैरेक्टर की बात कहते हैं ? (व्यवधान) मैंने खुद ने हलफनामा देकर लोकायुक्त से शिकायत की। (व्यवधान) किसके लिए कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपने अपने आठ साल के राज में लोकायुक्त जैसी संस्था को कमजोर कर दिया। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप लोग अब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलो, आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। (व्यवधान) भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे रखते हैं ये? आज जयपुर का बच्चा-बच्चा जानता है कि क्या हैं ये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय कटारिया जी, आप चाहते हैं इंक्वायरी न हो, क्या दिक्कत है इंक्वायरी में ? कोई पनिशमेंट थोड़े ही हो रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो आपके पास तथ्य हों, जो कुछ अपराध किया हो उसका दण्ड देकर बताओ। घबराते किस बात के लिए हो? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बिना नोटिस के जो आरोप लगाये हैं उनको एक्सपंज करिए और भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था करिए कि कोई माननीय सदस्य किसी के खिलाफ इस प्रकार के आरोप न लगाएं। वरना यह हाउस है या कोई पंचायत बना रखी है आपने? (व्यवधान) इसलिए मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके +++ न उजागर किये जाएं, यही हाउस की मर्यादा है आपके +++ उजागर नहीं किये जाएं, क्या यही मर्यादा है, यही ट्रेडिशन है? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : हाउस में हंगामे के बीच आपने पूरा बजट पास कराया था और +++

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो आरोप लगाये हैं वे तो आप हटा दीजिए और जिसकी चाहें जिनसे चाहें, आप जांच करा लीजिए। लेकिन इस प्रकार के जो आरोप लगाये गये हैं उनको तो एक्सपंज कीजिए और भविष्य में इनको दिशा-निर्देश दीजिए कि इस प्रकार के आरोप न लगाए।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो बात कही, मेरा मूल प्रश्न परमिशन से संबंधित नहीं था। सवाल यह था...

श्री अध्यक्ष : लीडर ऑफ दी हाउस। (व्यवधान) लीडर ऑफ दी हाउस।

मोहम्मद माहिर आजाद : सवाल यह था कि आपने गलत विज्ञापन जारी करके, सीलिंग फ्री बताकर धोखाधड़ी की है (व्यवधान) सवाल परमिशन का नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : Leader of the House ...(interruptions)...I will not permit any hon'ble member to intervene. Please don't interrupt the proceedings of the House.

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, नगर निगम और जे.डी.ए. का सवाल ही नहीं था। मेरा मूल प्रश्न तो यह था..

श्री अध्यक्ष : Please take your seat... (interruptions)... Leader of the House... (interruptions)... Please take your seat.

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा मूल प्रश्न तो यह था कि आपने गलत विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की है, ज्यादा राशि वसूल की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, टेक योर सीट। सदन के नेता।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आरोप बहुत गंभीर लगाये गये हैं और मैं समझता हूं सदन की भावनाओं को देखते हुए कि यह एक घटना ही नहीं बल्कि जैसा कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कई ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं। जयपुर ही नहीं बल्कि मैंने देखा है, जयपुर के अलावा भी ऐसे मामले बराबर आते रहे हैं जहां पर आरोप लगते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे तमाम मामलों की हम लोग जानकारी करके जो मामला उठाया गया है उसके सहित सी.बी.आई. को जांच दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री जसवंत सिंह। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अब क्या बात बची है? नेता के बोलने के बाद अब क्या बचा है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : भ्रष्टाचार के जो भी मामले आएंगे वे इसी तरह से होंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसी तरह के भ्रष्टाचार के जो मामले आएंगे मेरी राय में उन सबको सी.बी.आई. के हवाले कर दो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री जसवंत सिंह।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय मुख्य मंत्रीजी, हम बहुत-बहुत आभारी हैं आपके, इस निर्णय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री जसवंत सिंह। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाये हैं वे एक्सपंज करें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाये हैं उनको एक्सपंज करने के लिए निवेदन किया था मैंने।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय ये सी.बी.आई. की जांच में साबित हो जाएंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जेल जाने की तैयारी कर लो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : आपने कभी सी.बी.आई. की जांच मंजूर नहीं की।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो जाने की तैयारी कर लो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री जसवंत सिंह।

जिला धौलपुर की वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व रिकार्ड

198. **श्री जसवंत सिंह** (बाड़ी) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में वक्फ सम्पत्तियां कौन-कौन सी तथा कहां-कहां पर हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सम्पत्तियों का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब इन्हें राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त जिले में किन-किन स्थानों पर वक्फ सम्पत्तियों पर किन-किन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने अतिक्रमण हटाये गये?

(4) उक्त जिले के अंदर ऐसी कितनी वक्फ सम्पत्तियां हैं जो जर्जर हालात में हैं? क्या सरकार उनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

कृषि मंत्री (श्री तैयब हुसैन) (वक्फ राज्य मंत्री के स्थान पर) : (1) धौलपुर में 605 वक्फ सम्पत्तियां हैं जिनका विवरण अनेक्सचर (ए) पर संलग्न है।

(2) जी हां, अधिकतर सम्पत्तियों का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज वक्फ गजट अधिसूचना के समय ही कर दिया गया था। केवल 174 सम्पत्तियां हैं जिनके इन्द्राज की कार्यवाही की जा रही है। इसमें लगभग छह महीने का समय लगेगा।

(3) नाजायज कब्जाधारियों की सूचना अनेक्सचर (बी) पर संलग्न है। ऐसे अतिक्रमियों को बेदखल किये जाने की कार्यवाही सक्षम न्यायालयों में की जा रही है। सक्षम न्यायालय द्वारा 45 व्यक्तियों के खिलाफ बेदखली के आदेश दिये जा चुके हैं। अभी तक एक मामले में मौके पर बेदखली की गई है।

(4) जर्जर हालात की वक्फ सम्पत्तियों की सूची अनेक्सचर (सी) पर संलग्न है। बोर्ड के सीमित संसाधनों के बावजूद इन सम्पत्तियों की मरम्मत के लिए कार्यवाही वक्फ बोर्ड में विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डा. किरोड़ी लाल : खेड़ली में निरपराध लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, वह मामला सी.बी.आई. को क्यों नहीं भेज रहे हैं मुख्य मंत्री जी निरपराध लोगों पर गोलियां चलाई गई, आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, इतना गंभीर मामला खेड़ली में हुआ इतना जबरदस्त गोली कांड हुआ उसमें मुख्य मंत्री जी की आंख नहीं खुली वह मामला सी.बी.आई. को भेजा जाना चाहिए। (व्यवधान) यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक दोषी है, तो यह ...(व्यवधान) इसलिए हमारी मांग है कि हमारे खेड़ली का मामला भी, राजस्थान के मुख्य मंत्री खड़े हो कर कहें...(व्यवधान) उसको भी सी.बी.आई. को भेजा जाए।

श्री मदन दिलावर : और यह एक करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ...(व्यवधान) मेरा आरोप है जो ट्रांसफरों में मंत्रियों ने पैसा खाया है उसको भी सी.बी.आई. में भेजना चाहिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वक्फ के सवाल पर सप्लीमैंट्री पूछेंगे ।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिए । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मुख्य मंत्री ने पैसा खाया है, आप कैसे नाम ले रहे हैं ? मंत्री ने पैसा खाया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सबने खाया है (व्यवधान) आरोपी को बचाने के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं और गृह मंत्री उस पर कार्यवाही कर रहे हैं, उसकी भी सी.बी.आई. से जांच करा ली जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिलावर जी कह रहे हैं मंत्री ने पैसा खाया है। कौनसे मंत्री ने पैसा खाया है, आप स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कौनसे मंत्री ने पैसा खाया है, स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लोक अभियोजन को एक पत्र लिखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : भूतपूर्व मंत्रियों की बात कर रहे हैं, उन्होंने पैसा खाया है। (व्यवधान) उनकी भी सी.बी.आई. से जांच करा दो।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न ।

श्री अमीन खान (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से एक ही सवाल है कि वक्फ की जितनी भी राजस्थान में जायदादें हैं उनका 40 वर्षों से आज तक सर्वे नहीं हुआ है। (व्यवधान) क्या आप राजस्थान में वक्फ की तमाम जायदाद का डिटेल सर्वे करने का विचार रखते है ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरी मांग गलत है क्या ? क्या वहां सी.बी.आई. जांच कराना आवश्यक नहीं है ? लोगों पर गोली चला दी, गोलियों से मार दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये सवाल को नहीं आने देना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। (व्यवधान) वक्फ का सवाल इतना इम्पोरटेंट है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दे दें प्रश्न काल के बाद में हमारी पुरानी मांग है उसमें कोई व्यवस्था नहीं दी गई। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न के बीच में आप क्यों बोलते हो ?

श्री तैयब हुसैन : यह सवाल सिर्फ धौलपुर जिले तक सीमित है। बाकी इन्होंने कहा है कि वक्फ जायदाद का सर्वे 1966 में हुआ था, उसके बाद काफी अर्सा हो गया है। सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि इसका सर्वे करवा लिया जाएगा और उसके लिए 5 लाख रुपए एफ.एम. साहब ने मेहरबानी करके प्रावधान कर दिया है। (व्यवधान)

श्री रमजान खान (पुष्कर) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि बहुत सी वक्फ की सम्पत्तियां वक्फ रिकार्ड में तो दर्ज हैं परन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं, क्या आप जो वक्फ बोर्ड में सम्पत्तियां दर्ज हैं उनको राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज कराने की कार्यवाही करेंगे? (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : कार्यवाही की जा चुकी है जो पहले सरकार गई उसने इसे ठण्डे बस्ते में रख दिया था। (व्यवधान) प्रैसीडेंट रूल में इन्स्ट्रक्शंस गये थे सन् 1992 में कि इसको दर्ज करवा दिया जाए लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवही नहीं हुई। कलेक्टर्स को हिदायत दी जा रही है वे इसको जल्दी से जल्दी रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब तो ठण्डे बस्ते से गर्म बस्ते में आ गई । (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : सन् 92 में इंस्ट्रक्शंस गये कोई अमल नहीं किया गया (व्यवधान) और करते भी क्यों ? क्योंकि असलियत से आपको हमदर्दी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद ।

श्री सांवर लाल : आपके राज में किया क्या है? ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ में एक पैसा भी आया हो तो बता दें (व्यवधान) एक पैसा कांग्रेस सरकार ने 40 साल में लगाया हो तो बता दें। भैरोंसिंह जी की सरकार ने लगाया है।(व्यवधान) उन लोगों के वोट लेने का काम आप जैसे लोग करते हैं, अगर दरगाह शरीफ के लिए एक पैसा भी लगाया हो तो बता दें। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : उसके लिए मैनीफैस्टो में सारी चीज रखी गई है, यह सरकार उस पर अमल कर रही है। मैने कोई 50 सवाल पूछे होंगे, पूर्व रिहेबिलिटेशन मंत्री ने एक मसले का फैसला नहीं करने दिया । (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो कब्जे हुए हैं वे रिकार्ड में वे कब से हैं, इसका जवाब दें आप? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया, इन्होंने यह स्वीकार किया है कि 163 वक्फ की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण था और उसमें से 45 वक्फ सम्पत्तियों पर न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने यानी बेदखली करने का आदेश दे दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो ही सवाल जानना चाहता हूं, एक तो आप यह बता दें कि इन 45 वक्फ सम्पत्तियों से बेदखल करने का आदेश कब हुआ? आपने यह कहा कि इनमें से केवल एक को बेदखल किया गया है, 44 लोगों को बेदखल क्यों नहीं किया गया ? कहीं वक्फ के अधिकारियों की उनसे मिलीभगत तो नहीं है? आप कब तक इन्हें बेदखल करके वक्फ सम्पत्तियों को मुक्त कर देंगे, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री तैयब हुसैन : माननीय स्पीकर साहब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी खाली करवा लिया जाएगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कोई बात नहीं हुई। पहले सवाल का जवाब तो दिया नहीं कि यह फैसला कब हुआ। आप कृपया यह तारीख बताएं कि इन 45 सम्पत्तियों से बेदखल करने का आदेश कब हुआ न्यायालय से कितनी तारीख को किया गया, यह बताएं?

श्री तैयब हुसैन : माननीय स्पीकर साहब, आप इसके लिए नोटिस दे दें, मैं हर केस की डेट बता दूंगा । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने अपने जवाब में खुद ने यह बात कहीं है कि 45 वक्फ सम्पत्तियों से प्राथमिक बेदखली करने के लिए न्यायालय ने आदेश दे दिया है। आदेश कब के दिये हुए हैं, कब हुए, कितनी तारीख को हुए । (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : सारी डिटेल दे दी, यह पढ़ लीजिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से निवेदन है इसके लिए समय सीमा निर्धारित करें। पिछली सरकार ने इसी प्रकार की बातें कही थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और इसको ठण्डे बस्ते में रख दिया था। आप कितने समय में इसकी जांच करवा देंगे और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, जिन्होंने इस प्रकार के कब्जे कर रखे हैं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 6 साल से आदेश हुए हैं बेदखली के। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : माननीय स्पीकर साहब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि न सिर्फ वक्फ बल्कि हमारे मैनीफैस्टो में जिसको ये बाइबल कहते हैं, उसमें अकलीयत के ताफुज लिए हर पहलू पर गौर किया है (व्यवधान) उसमें जो भी अकलीयत के मामलात हैं उन पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाएगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आदेश का पालन बहुत जल्दी कर दिया जाए।

श्री तैयब हुसैन : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का प्रोसीजर कर दिया गया है, कलक्टर जयपुर उसके रिटर्निंग ऑफीसर हैं। 4 तारीख को अखबारों में साया हो आ चुका है और हम जल्दी से जल्दी वक्फ बोर्ड बना देंगे ।

(श्री तैयब हुसैन)

(12.00 बजे)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह भी जवाब दे दें कि वक्फ बोर्ड के अन्दर पिछले पांच साल में कितनी आमदनी बढ़ी ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। आपने आमदनी का पूछा है। जसवंत सिंह जी, आप क्या पूछ रहे थे?

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष जी के मार्फत मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं क्या यह बात सही है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस पर 1985 से लोगों का कब्जा है धौलपुर में?

श्री अध्यक्ष : यह धौलपुर का प्रश्न पूछा है इन्होंने।

श्री तैयब हुसैन : मैं यह अर्ज करूं कि स्पेसिफिक नॉलेज तो माननीय सदस्य को होगी, बाकी वक्फ बोर्ड की जायदाद पर तो जहां जिसका मौका लगा है उसने कब्जा किया ही है लेकिन सरकार यह कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी खाली कराएं ।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : लेकिन वह कब से है? माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे सारे के सारे कब्जे कब से हैं? मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि मुझे उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष : Question Hour is over. Please take your seat. Keep order in the House.

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के उच्च अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति प्रकरण

271. **श्री अमराराम** (धोद): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) वर्तमान में राज्य सरकार के कितने उच्च अधिकारी केन्द्र सरकार में कब-कब से प्रतिनियुक्ति पर पद स्थापित हैं ?

(2) वर्तमान में राज्य सेवा के कितने-कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर बाहर पद स्थापित हैं?

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने-कितने अधिकारियों ने वर्ष 1997 से फरवरी, 1999 तक विदेशों में विभिन्न देशों की यात्राएं किस प्रयोजन से की हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भा.प्रशा.सेवा. 28, भा.पु.सेवा. 14, भा.वन सेवा. 5, राज. प्रशासनिक सेवा 1)

अन्य अधिकारियों के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होते ही भिजवा दी जावेगी।

(2) प्रश्न के भाग - 1 के अतिरिक्त राज्य से बाहर (अन्य राज्य में) प्रतिनियुक्ति पर कोई नहीं

(3) भा. प्रशा. सेवा 53, राज. प्रशा. सेवा 2 विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व लेखाकारों का चयन प्रकरण

272. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए की जाने वाली नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परिक्षाओं के विभिन्न चरणों के नियम समान हैं ? (जैसे सभी परीक्षाओं के लिए प्रथम चरण में रिक्तियों का 15 गुणा तथा द्वितीय चरण में 5 गुणा अभ्यार्थियों को चयनित करना) यदि नहीं, तो विभिन्न पदों के लिए नियम क्या हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हाल ही में आयोजित कनिष्ठ लिपिक परीक्षा में 595 पदों के लिए प्रथम चरण में 15 गुणा (8925) अभ्यर्थियों का चयन किया गया जबकि तहसील राजस्व लेखाकार के प्रथम चरण में परीक्षा में 55 पदों के लिए करीब 113 गुणा (6200) अभ्यार्थियों का चयन किया गया? क्या यह उचित है ? यदि हां, तो कैसे ?

(3) क्या यह भी सही है कि सभी पदों के लिए प्रतीक्षा सूची जारी करने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या यह पूर्व में जारी की जाती रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि तहसील राजस्व लेखाकार परीक्षा में अंतिम परिणामों के समय प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न पदों की भर्ती हेतु अलग-अलग सेवा नियमों के तहत भर्ती की कार्यवाही की जाती है, जो एक समान नहीं हैं। जिस सेवा नियम के तहत जैसा प्रावधान निहित होता है उसके अनुरूप ही प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण परीक्षा आयोजित की जाती है तथा नियमों में उल्लेखानुसार ही रिक्तियों के अधिक/कम गुणा अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है। आयोग द्वारा विभिन्न पदों हेतु निम्नलिखित सेवा नियमों के अनुसार भर्ती की कार्यवाही की जाती है :-

1. राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) सेवा नियम, 1962 - राज्य एवं अधीनस्थ पदों हेतु ।

2. राजस्थान वन सेवा-नियम, 1962 एवं राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 - सहायक वन संरक्षक एवं रेन्जर्स ग्रेड-I पदों हेतु।

3. राज0 न्यायिक सेवा नियम, 1955 (मुंसिफ एवं ज्यूडिशिल मजिस्ट्रेट, के पदों हेतु।

4. राजस्थान श्रम कल्याण सेवा नियम, 1958 - श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक के पदों हेतु ।

5. राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती)

(कार्मिक मंत्री)

नियम, 1991 - सहायक अभियन्ता (सिविल/यांत्रिकी/विद्युत) के पदों हेतु ।

6. राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992-ए.सी.पी. व प्रोग्रामर के पदों हेतु।

7. तहसील राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975-तहसील राजस्व लेखाकार के पदों हेतु ।

8. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963-कनिष्ठ लेखाकार पदों हेतु।

9. राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981-विधि सहायक पदों हेतु।

10. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989-उप निरीक्षक पुलिस पदों हेतु।

11. राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963-मोटर वाहन उप निरीक्षक पदों हेतु ।

12. राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक कर्मचारी नियम, 1957 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा) नियम एवं विनियम, 1979-कनिष्ठ लिपिक एवं शीघ्रलिपिक के पदों हेतु।

13. राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970-कनिष्ठ लिपिक/शीघ्र-लिपिक के पदों हेतु ।

14. राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981-विधि रचनाकार पदों हेतु।

(2) कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा के कुल रिक्त 595 पदों हेतु सेवा नियमों में प्रावधानानुसार प्रथम चरण में 15 गुणा अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण हेतु उत्तीर्ण किया गया।

उक्त कार्यवाही नियमानुसार उचित व सही है।

(3) तहसील राजस्व लेखाकार परीक्षा, 1997 के कुल रिक्त 55 पदों हेतु 6033 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण परीक्षा में प्रवेश दिया गया। चूंकि उक्त परीक्षा के सेवा नियमों में नियमानुसार प्रथम चरण परीक्षा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण परीक्षा में प्रवेश दिये जाने का नियम है, अतः इन अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुणा से भी अधिक हो सकती है। जी नहीं। प्रतीक्षा सूची आयोग का आंतरिक अभिलेख है। प्रकाशनार्थ नहीं।

(4) जी, हां । प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किये जाने का सेवा नियमों में प्रावधान नहीं है।

(राजस्व लेखा सेवा नियम, 1975 की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति प्रकरण

273. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(श्री हरजीराम बुरडक)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति से भरे जाने वाले पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने-कितने और कब-कब से?

(2) उक्त पदों को भरने के लिये क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो कब तक पूर्ण होगी और उनकी पदोन्नति करके कितने-कितने पद कब तक भर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां, 1.1.99 तक 5 पद निम्न प्रकार रिक्त हैं :-

1.	1998	1 पद
2.	1999	4 पद
	कुल	5 पद

(2) गृह विभाग से पात्रता सूची एवं वरिष्ठता सूची प्राप्त हो गई है जिसके आधार पर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पूर्ण कराये जा रहे है। इनके पूर्ण हो जाने पर आर.पी.एस. से आई.पी.एस. में पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

राजस्थान वित्त निगम का वसूली प्रकरण

274. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) राजस्थान वित्त निगम की वर्ष 1998-99 तक विभिन्न उद्योगों में कुल कितनी राशि बकाया है ?

(2) उक्त निगम का गत पांच वर्षों से अधिक अवधि का कितना ऋण आज भी प्राप्त नहीं हो सका है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वित्त निगम ने बकाया राशि की वसूली हेतु कोई प्रयास किया है? यदि हां, तो क्या-क्या?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम की वर्ष 1998-99 के प्रारम्भ में विभिन्न उद्योगों में कुल 941.86 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।

(2) निगम की पांच वर्षों से अधिक समय से 3392 इकाइयों में 54.88 करोड़ रुपये की कुल राशि बकाया है, जिसकी इकाइवार सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है,

(3) वित्त निगम द्वारा अपनी बकाया राशि की वसूली हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाकर वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं -

1. सर्वप्रथम वित्त पोषित इकाई को देय किश्त के बारे में देय तिथि से पूर्व सूचित किया जाता है ।

2. शाखा स्तर पर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिफाल्टिंग इकाई के प्रवर्तकों से सम्पर्क कर निगम की ऋण राशि जमा कराने हेतु कहा जाता है।

(उद्योग मंत्री)

3. इसके पश्चात पत्र एवं स्मरण पत्र द्वारा उद्यमी को बकाया राशि जमा कराने की सलाह दी जाती है।

4. इसके पश्चात् भी जान बूझकर निगम की बकाया राशि जमा नहीं कराने पर निगम द्वारा उद्यमी को वैधानिक नोटिस दिया जाता है एवं राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29, 30 एवं 31 के अंतर्गत कार्यवाही करने की चेतावनी दी जाती है ।

5. इसके पश्चात् भी उद्यमी निगम की बकाया राशि जमा नहीं कराता है तो निगम द्वारा उसकी परिसम्पत्तियों कर अधिग्रहण कर विक्रय किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला पाली में रीको द्वारा राजस्व वसूली प्रकरण

275. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में रीको द्वारा राजस्व वसूली का 1996 से 1998 तक कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया ? क्या यह लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) रीको के पास पाली जिले के भूमि, विकास संबंधी कितने प्रकरण कब से लम्बित चल रहे हैं ? इनका निस्तारण अब कब तक कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जिला पाली में रीको द्वारा राजस्व वसूली का वर्ष 1996 से 1998 तक निम्नानुसार वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया : -

राशि रुपये लाखों में

वर्ष	लक्ष्य	वसूली
1996-97	75.50	48.80
1997-98	100.00	70.40
1998-99	100.00	52.54

वर्ष 1996-97 में लक्ष्य पूरा नहीं होने का मुख्य कारण विकास शुल्क सर्विस शुल्क तथा ब्याज की पुरानी राशि की वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरी नहीं हो पाई। वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में औद्योगिक मंदी के कारण नये भू-खण्डों का आवंटन नहीं हुआ। इस कारण लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो सकी। वर्ष 1998-99 में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भूखण्डों में आवंटन बाबत औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर के माध्यम से उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(2) पाली जिले में एक नया औद्योगिक क्षेत्र सराधना के लिये अवाप्त की गई राजकीय भूमि पर सड़क, पुलियाओं एवं कच्ची नालियों का निर्माण कार्य माह जनवरी 1999 से प्रारम्भ कर दिया गया है। तथा यह कार्य माह दिसम्बर, 1999 तक पूर्ण होने की आशा है।

जिला पाली में शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

276. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) वर्ष 1998 में जिला उद्योग केन्द्र पाली में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

अन्तर्गत कितने शिक्षित बेरोजगारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया?

(2) उक्त में से कितने युवाओं का चयन ऋण उपलब्ध कराने हेतु किया गया?

(3) उक्त में से कितने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करा दिया गया एवं शेष को अब कब तक ऋण उपलब्ध करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) गत वित्तीय वर्ष 1997-98 में जिला उद्योग केन्द्र पाली में प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत 1364 युवाओं को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया।

(2) साक्षात्कार हेतु बुलाये गये उक्त युवाओं में वर्ष 1997-98 में जिला उद्योग केन्द्र पाली में प्रधानमंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत टॉस्कफोर्स समिति द्वारा 640 युवाओं का चयन ऋण उपलब्ध कराने हेतु किया गया। उनमें से 487 युवाओं को विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया।

(3) 487 युवाओं, जिन्हें विभिन्न बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया, उनमें से 318 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण उपलबध कराया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी वित्तिय वर्ष के ऐसे प्रकरणों को जिनमें बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, उनमें अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक ऋण वितरित किया जा सकता है। अत: उक्त प्रावधान के अन्तर्गत शेष 169 शिक्षित बैरोजगारों जिन्हें बैंको द्वारा ऋण तो स्वीकृत किया जा चुका है परन्तु वितरित नहीं हो पाया है, चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक ऋण उपलब्ध कराये जाने के पूर्ण प्रयास जारी है।

नसीराबाद का लघु उद्योग केन्द्र प्रकरण

277. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

क्या रीको द्वारा नसीराबाद के निकट लघु उद्योग केन्द्र की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं कब तक मुहैया करवा दी जावेगी?

उत्तर

रीको द्वारा किसी लघु उद्योग केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है, परन्तु रीको द्वारा नसीराबाद के निकट ग्राम बेवन्जा में 63.60 एकड़ राजकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है । विकास हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा सड़क व विद्युतीकरण, जोकि आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत प्रावधान में लिये गये हैं, सितम्बर, 1999 तक पूर्ण होने की संभावना है।

परालिया सोसण (पचपदरा) का जलाशय प्रकरण

278. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(श्री अमराराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि परालिया सोसण (पचपदरा) का भूमिगत जलाशय वर्ष 1985 से पूर्व बना था? यदि हां, तो उक्त जलाशय के बनाने के पश्चात् से अब तक उसमें पानी कितनी बार पहुंचा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि गत जलाशय पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका जिर्णोद्धार कराएगी? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि कोरना पर्वत पर उच्च जलाशय नहीं बनाया जाएगा, तब तक परालिया सोसण के जलाशय में पानी नहीं पहुंच सकेगा? यदि हां, तो अब सरकार कब तक बुस्टर लगाकर कोरना पर्वत पर जलाशय बनाकर परालिया सोसण में पीने का पानी पहुंचा देगी?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम परालिया सोसन के जी.एल.आर. में पानी पहुंचाने हेतु अन्य जल स्त्रोत डेरिया से मूल की ढाणी तक जो पाईप लाईन लगी हुई है, उसके आगे 90 एम.एम की पाईप लाईन का विस्तार कर ग्राम परालिया सोसन के जी.एल.आर. को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

जिला सिरोही की शुद्ध पेयजल आपूर्ति योजना

279. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सीमा से ज्यादा फ्लोराइड की जानकारी हेतु सिरोही जिले के ग्रामों में उपलब्ध पानी का परीक्षण करवाया गया? यदि हां, तो कब ? सिरोही जिले के कितने गांव फ्लोराइड से प्रभावित हैं ?

(2) फ्लोराइड मुक्त पेयजल परियोजना के तहत भारत सरकार द्वारा सिरोही जिले के फ्लोराइड प्रभावित गांवों के लिए कितनी-कितनी राशि वर्ष 1992 से 1998 के दौरान उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1991 में किये गये पानी के परीक्षण के आधार पर सिरोही जिले के 176 गांवों एवं 5 ढाणियों में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 पीपीएम से अधिक पाई गई। इन गांवों का वर्ष 1998 में दुबारा पानी का परीक्षण करने पर 120 गांवों तथा 5 ढाणियों में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 पीपीएम से अधिक पाई गई। इनमें से 38 गांव एवं 1 ढाणी में फ्लोराइड की मात्रा 3 पीपीएम से अधिक है।

(2) सिरोही के फ्लोराइड प्रभावित गांवों के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 से मार्च, 1998 के दौरान अलग से कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्रामों हेतु शुद्ध पेयजल योजना

280. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खारची में लोलावास, सिचाणा भगोडा, गुडा सुरसिंह, गुडा मेहकरण, कनायतों का ओडा, सेपटावा, एलाणी, गुडा जेतावता, भीमालीया, बाडसा, चवाडिया आदि गांवों का पानी खारा हो गया है ?

(2) क्या उक्त गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या उक्त गांवों का पानी स्वास्थ्य के लिए ठीक है? यदि नहीं, तो सरकार इन गांवों के लिए नई क्या व्यवस्था कब तक करने जा रही है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची के प्रश्न में वर्णित गांवों के पानी की गुणवत्ता का विवरण परिशिष्ट - ''क''पर दर्शाया गया है। इस विवरण अनुसार 3 गांवों का पानी स्वीकृत प्रचलित मापदण्डों की सीमा में है एवं शेष 9 गांवों का पानी मापदण्ड की सीमा से अधिक है।

(2) उपरोक्त ग्रामों में से 3 ग्रामों में परिशिष्ट-''क'' के अनुसार फ्लोराइड की मात्रा प्रचलित मापदण्डों से अधिक है एवं शेष गांवों में स्वीकृत मापदण्ड की सीमा में है।

(3) इन ग्रामों हेतु प्रचलित गुणवत्ता के मापदण्ड का नलकूप परीक्षण के तौर पर बनाया जाकर स्त्रोत चिन्हित किये जाने के पश्चात योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। सफल स्त्रोत मिलने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

ग्राम छातड़ी (अजमेर) की पी.एन.टी.योजना

281. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या यह सही है कि ग्राम छातड़ी की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 1500 से ज्यादा है?

(2) क्या उक्त ग्राम में पेयजल की विकट समस्या है?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम छातड़ी की पी.एन.टी. योजना के तहत स्वीकृति जारी हुई है? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य शुरू करवा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

जिला चूरू की पेयजल व्यवस्था में सुधार प्रकरण

282. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चूरू में नवम्बर, 1998 से 15 मार्च, 1999 तक कितने पत्र व

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ज्ञापन कब-कब अधीक्षक अभियंता/अधिशासी अभियंता को विभिन्न पेयजल समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त हुए? कितने पत्रों का कब-कब तक उत्तर संबंधित जन प्रतिनिधियों को प्रेषित किया गया? मूल पत्र व उत्तर के पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्रों व ज्ञापनों पर विभाग ने कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में उक्त क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विभाग द्वारा संचालित कितने कुएं व पंप कब-कब खराब हुए? खराब कुओं व पंपों को कब ठीक करवाया गया तथा कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त जिले में अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंताओं के कितने पद सृजित हैं? उनमें से कितने पद कब-कब से रिक्त हैं तथा इनके मुख्यालय कहां-कहां हैं? कितनी शिकायत वर्ष 1998-99 तक इनके मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने की कब-कब प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्रों में कितने पंप चालकों/पंप ड्राइवरों व हेल्परों की प्रतिनियुक्तियां कब-कब से किसके आदेश से ग्रामीण जल प्रदाय योजना से शहरी जल प्रदाय योजना में कर रखी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त गांव दुधवाखारा व धांधू में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने की कितनी शिकायत उक्त अवधि में सरकार को प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्य कार्यवाही की गई ?

(7) क्या यह सही है कि ग्राम धांधू में विभागीय कर्मचारी वर्षों से कार्यरत हैं तथा उनकी दर्जनों शिकायत ग्रामीण जनता ने की है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(3) नवम्बर 1998 से 15 मार्च, 1999 की अवधि में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कुओं पर खराब एवं ठीक हुए पंप सैटों की सूची तथा व्यय की गयी राशि की सूचना परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(4) सृजित व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है ।

(5) चूरू विधान सभा क्षेत्र में दो पंप चालक की प्रतिनियुक्ति की गयी है। विवरण परिशिष्ट ''घ'' पर संलग्न है।

(6) ग्राम दुधवाखारा हेतु मौखिक शिकायतें मिली थीं। ग्राम दुधवाखारा में माह नवम्बर, 98 से माह 15 मार्च, 99 की अवधि में सामान्य रही तथा 8 फरवरी से 3 मार्च, 1998 तक पाइप लाइन बदलने के कार्य की वजह से अनियमितता रही

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

है। ग्राम धांधू में पेयजल व्यवस्था नियमित है।

(7) जी, हां। ग्राम धांधू में विभाग के 5 कर्मचारी कार्यरत हैं। ग्रामवासियों की शिकायतों के कारण कर्मचारियों को समय-समय पर बदला भी गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या का समाधान

283. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के किस-किस जिले में शुद्ध पेयजल के अभाव में जनता फ्लोराइड युक्त पानी पीने के उपयोग में ले रही है? सर्वे के आधार पर संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) फ्लोराइड युक्त पानी पीने से अब तक कितने व्यक्तियों की मौतें तथा कितने अपाहित हो चुके हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) अब फ्लोराइड़ युक्त क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के क्या उपाय किये जावेंगे?

उत्तर

(1) वर्ष 1991-93 के सर्वे के अनुसार राज्य में कुल 16560 ग्राम एवं ढाणियां फ्लोराइड से प्रभावित पायी गयी। विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस तरह की सूचना का संकलन नहीं किया जाता है।

(3) फ्लोराइड रहित पानी के स्त्रोत चिन्हित कर उन्हें विकसित किया जाकर पेयजल योजनायें बनाई जाती है। अभी तक ऐसी स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 3 देखें।)

अजमेर का पेयजल समस्या प्रकरण

284. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) जनवरी, 1998 से फरवरी, 1999 तक अजमेर नगर में कुल कितना जल प्रतिदिन वितरित किया गया?

(2) क्या यह सही है जल वितरण करने के आंकड़े गलत प्रस्तुत किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कितने जल का प्रतिदिन औसतन लिकेज हुआ व कितने जल की राजस्व प्राप्त हुई ? विवरण व राजस्व प्राप्ति में कितना अन्तर है, अन्तर का जल कहां-कहां वितरित किया गया?

(3) सरकार अजमेर की जल समस्या के निदान हेतु क्या उपाय कर रही है? क्या गर्मी से पूर्व कार्यवाही कर ली जावेगी? यदि नही, तो क्यों?

(4) क्या बीसलपुर योजना चालू होने पर भी जलापूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो क्यों ? अजमेर जलदाय योजना की पुरानी स्कीम के कुओं का पानी काम में क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या पम्प

(श्री ललित भाटी)

हाऊस पाइप लाइन व कुए सही हैं? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक सही हो जायेंगे?

उत्तर

(1) जनवरी, 1998 से फरवरी, 1999 तक अजमेर नगर में औसतन लगभग 141 लाख गैलन जल प्रतिदिन वितरित किया गया।

(2) जी, नहीं। अजमेर शहर में दैनिक जल वितरण का हिसाब पम्प के डिस्चार्ज उच्च जलाशयों की क्षमता के आधार पर नियमित रूप से आंकलन कर रखा जाता है। दैनिक जल लीकेज की मात्रा का सही माप नहीं किया जा सकता क्योंकि जल का लीकेज वितरण लाइनों एवं उपभोक्ताओं के जल कनेक्शनों की सर्विस लाइनों के कारण सामान्यतया होता है। सार्वजनिक नलों से किये जा रहे जल वितरण एवं विभिन्न श्रेणीयों के उपभोक्ताओं की पृथक-पृथक जल शुल्क दर होने के कारण दैनिक जल राजस्व प्राप्ति के आधार पर जल की मात्रा का सही आंकलन नहीं किया जा सकता फिर भी मोटे तौर पर जल वितरण एवं जल की राजस्व प्राप्ति में लगभग 35 से 40 प्रतिशत का अन्तर है जो लीकेज, सार्वजनिक नलों फ्लेट रेट कनेक्शन इत्यादि के कारण से है।

(3) नगर की जल समस्या का निदान बीसलपुर परियोजना द्वारा कर दिया है। इस वर्ष गर्मियों में बीसलपुर बांध में उपलब्ध कम जल भंडारण को देखते हुए पेयजल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिये आवश्यकतानुसार कार्य स्वीकृत किये गये है जो परिशिष्ट "अ" में वर्णित हैं। ये कार्य समय पर पूर्ण कर लिये जावेंगे।

(4) यह सही नहीं है कि बीसलपुर परियोजना चालू होने के बाद जल आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। मात्र इस वर्ष गर्मियों में बीसलपुर बांध में उपलब्ध कम जल भंडारण के कारण 48 घंटे के अन्तराल से जल वितरण किया जा रहा है। अजमेर जल प्रदाय योजना की पुरानी स्कीम के भावता, गनाहेडा, लीला सेवड़ी, छातड़ी, नेगडिया और देवपुरा पर बने कुओं व नलकूप को यथावत उपयोग में लिया जा रहा है। सिर्फ साण्डला, भंवरथला व बीसलपुर बांध के तल पर बनाये गये कुओं तथा नलकूपों का पानी काम में नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि ये बांध के डूब क्षेत्र में आ गये हैं, इसलिए इनकी पाइप लाइन, विद्युत लाइन इत्यादि हटा लिये गये हैं। शेष क्षेत्र के पम्प हाऊस पाइप लाइन इत्यादि सही हैं एवम् इनका पानी नियमित रूप से काम में लिया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र भिनाय के खराब हैण्डपम्प

285. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में 1 जनवरी, 1999 के बाद कितने हैण्ड पम्प खराब हुए हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त हैण्ड पम्प कब खराब हुए कब ठीक किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

321 हैण्ड पम्प खराब पाये गये जिनमें से 57 हैण्ड पम्प परित्यक्त है। शेष में से 257 हैण्ड पम्प जो मरम्मत योग्य थे ठीक कर दिये गये। 5 हैण्ड पम्प स्थानीय निवासियों के आग्रह पर मरम्मत नहीं किये गये तथा 2 हैण्ड पम्प अभी मरम्मत किये जाने हैं। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र जैतारण की विचाराधीन पेयजल योजना

286. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण की कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं कितनी-कितनी लागत की सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेयजल योजनाओं की स्वीकृति सरकार कब तक जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) क्षेत्र की सात पेयजल योजनाएं जिनकी अनुमानित लागत रूपये 146.61 लाख है, अभी तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर है।

(2) तकनीकी परीक्षण के उपरान्त, बजट उपलब्धतानुसार योजनाएं स्वीकृत की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राज्य में धर्मान्तरण प्रकरण

287. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 10 वर्षों में राज्य में धर्मान्तरण के कितने मामले प्रकाश में आये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कौन-कौन व्यक्ति किस-किस धर्म से किस-किस धर्म में धर्मान्तरित हुए? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त धर्मान्तरण क्यों किया गया?

उत्तर

(1) राजस्थान में गत दस वर्षों में धर्मान्तरण के 865 मामले प्रकाश में आये हैं। वर्ष वार सूचना इस प्रकार है :-

क्र.स.	वर्ष	संख्या
1.	1989	38
2.	1990	39
3.	1991	357
4.	1992	125
5.	1993	16
6.	1994	15
7.	1995	15
8.	1996	66
9.	1997	143
10.	1998	34
11.	1999	17
	योग	परिवार 865

(गृह मंत्री)

(2) धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों के बारे में उनकी जाति, नाम व पते लोकहित में बताया जाना उचित नहीं है।

(3) चूंकि धर्मान्तरण अथवा धर्म परिवर्तन करना किसी भी व्यक्ति का पूर्ण रूप से व्यक्तिगत मामला है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक अपनी रूचि से किसी भी धर्म को अंगीकार अथवा परित्याग करने के लिए स्वतंत्र है।

पुलिस थाना रायपुर (पाली) में दर्ज प्रकरण

288. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पुलिस स्टेशन रायपुर (पाली) में मुकदमा संख्या 41/99 कौन-कौनसी धारा में दर्ज किया गया है? उक्त प्रकरण की जांच कौन कर रहा है?

(2) क्या सरकार इस मामले की जांच मुकदमे के तथ्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक पाली से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अभियोग संख्या 41/99 थाना रायपुर जिला पाली में धारा 466, 469, 176, 218 भा.द.सं. के तहत दर्ज किया गया है। इस अभियोग का अनुसंधान थानाधिकारी रायपुर द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी, नहीं। जिले में दर्ज समस्त अभियोगों में अनुसंधान के बाद चालान की स्वीकृति पुलिस उप अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा ही दी जाती है।

पुलिस थाना मानपुर (दौसा) में दर्ज हत्या प्रकरण

289. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना मानपुर (दौसा) में एक हत्या की प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 58/98 दर्ज हुई थी? यदि हां, तो प्राथमिकी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मृतक का पोस्टमार्टम दिनांक 25 फरवरी, 1999 एवं 27 फरवरी, 1999 को दो बार किया गया था? क्या तीन दिन शव रखे जाने के बाद उसका दाह संस्कार किया गया?

(3) क्या उक्त प्रकरण में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 5898 हत्या के संबंध में दर्ज नहीं हुई थी। हत्या के संबंन्ध में अभियोग सं. 58/99 दर्ज हुआ था जो श्री रामकेश मीना की हत्या के संबंध में है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) यह सत्य है कि मृतक का पोस्टमार्टम दो बार किया गया था क्योंकि मृतक रामकेश की लाश बिना गर्दन के दिनांक 25-2-99 को मिलने पर एवं मृतक का सिर (खोपड़ी कंकाल) दिनांक 27-2-99 को मिलने पर एम.ओ. गीजगढ़

(गृह मंत्री)

व सिकराय द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया था।

दिनांक 25-2-99 को ही लाश को बाद पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार हेतु वारिसान को सुपुर्द कर दी गई थी।

(3) उक्त अभियोग में मुलजिम मंगल चन्द पुत्र मूल चन्द जाति कोली निवासी धूमण को धारा 302 भा.द.सं. का अपराध साबित पाये जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है जो न्यायिक अभिरक्षा में है।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा शहर की यातायात व्यवस्था

290. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) कोटा शहर को ट्रेफिक व्यवस्था का प्रभारी बनाने के बाद शहर में अव्यवस्था हुई है?

(2) क्या यह सही है कि रामपुरा कोटा स्थित सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के सामने अकसर यातायात, यातायात कांस्टेबल के होते हुए भी अवरूद्ध हो जाता है? यदि हां, तो यातायात अवरूद्ध नहीं हो इसके लिये क्या-क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। रामपुरा कोटा स्थित सैन्ट्रल कापरेटिव बैंक के सामने सड़क की चौड़ाई करीब 12 फीट होने से यातायात अवरूद्ध होने की संभावना बनी रहती है। यातायात अवरूद्ध नहीं हो इसके लिए यातायात कांस्टेबिल के अलावा रामपुरा कोतवाली से 10 ए.एम. से रात्रि आठ पी.एम. तक एक अतिरिक्त कांस्टेबिल को ट्राफिक व्यवस्था हेतु लगाया गया है। आम रोड के आस-पास नो पारकिंग पर खड़े वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है तथा दिन के समय भारी वाहनों का आवागमन बन्द रहता है।

पुलिस थानों में स्टेशनरी की व्यवस्था

291. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पुलिस थानों मे फरियादी व्यक्तियों से पुलिस अधिकारी कागजात/स्टेशनरी बाजार से मंगवाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस थानों को पर्याप्त मात्रा में स्टेशनरी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

जी, नहीं। वित्त वर्ष (1998-99) में पुलिस थानों को पर्याप्त मात्रा में स्टेशनरी इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु 1 करोड़ 25 लाख रुपये राजस्थान पुलिस को उपलब्ध कराये गये हैं, जिनसे स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग फार्मस क्रय कर सभी जिलों एवं थानों को आवंटित की जा चुकी है। इसी तरह वर्ष 1999-2000 में भी स्टेशनरी इत्यादि के लिए 1.5 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

मानियां सर्किल धौलपुर में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना

292. श्री जसवंत सिंह (बाड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने नये उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाने प्रस्तावित है ?

(2) क्या धौलपुर जिले के मनियां सर्किल में उप पुलिस अधीक्षक का पद एवं कार्यालय सृजित किये जाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त जिले के समरपुरा क्षेत्र में खान मालिकों एवं मजदूरों की सुरक्षा के लिए कहां-कहां पर आर.ए.सी. एवं पुलिस बल तैनात किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में नए उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) इस विषय में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) उक्त जिले के सरमथुरा क्षेत्र में खान मालिकों एवं मजदूरों की सुरक्षा के लिये आर.ए.सी. की एक कम्पनी तैनात है, जिसका मुख्यालय सरमथुरा है एवं जिसकी पोस्टें (1) नादनपुर (2) पार्वती बान्ध आंगई (3) धोंध (4) भेडेकी (5) मिरामद (6) गौलारी (7) हीरापुरा (8) दुर्गसी (9) बरौली एवं पुलिस थाना सरमथुरा में लगी हुई हैं। इसके अलावा सरमथुरा क्षेत्र एक पुलिस थाना सरमथुरा में है तथा झिरी एवं आंगई दो चौकी हैं।

जिला नियोजन कार्यालय श्रीगंगानगर में पंजीयन

293. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला रोजगार कार्यालय श्री गंगानगर में जनवरी, 1998 से मार्च, 1999 तक कितने बेरोजगारों के नाम दर्ज हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने बेरोजगार युवकों/युवतियों को रोजगार मिला है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला रोजगार कार्यालय द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए क्या कोई नीति/नियम बने हुए है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला रोजगार कार्यालय, श्रीगंगानगर में जनवरी, 1998 से मार्च, 1999 तक 6520 आशार्थियों के नाम दर्ज हुए थे। संख्या विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) आलोचित अवधि में रोजगार कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 250 युवक/युवतियों को रोजगार मिला है। संख्या विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) रोजगार कार्यालयों का संचालन रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य

(श्रम मंत्री)

अधिसूचना) अधिनियम 1959 एवं निशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदार) अधिनियम, 1995 आदि में वर्णित नियमों के अनुसार किया जाता है जो खुले बाजार में उपलब्ध है। समय-समय पर केन्द्रीय रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा एवं विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों एवं परिपत्रों के अनुसार भी कार्यवाही संपादित कराई जाती है। यहां उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल याचिका संख्या 11646-11724/95 के मामले में दिनांक 22-8-96 को निर्णय दिया है कि नियोजकों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती करने से पूर्व रोजगार कार्यालय से नाम मंगाने के साथ-साथ ही उन रिक्त स्थानों का समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर रेडियों तथा दूरदर्शन के रोजगार समाचार बुलेटिनों से प्रसार-प्रचार कराकर भी आवेदन पत्र मांगे जावें। अतः ऐसे आशार्थी जिनका नाम रोजगार कार्यालयों में वरिष्ठता के कारण नियोजको को नहीं भेजा जा सका हो, या जो पंजीकृत नहीं हों, वे भी सीधे ही "नियोजको को" अपने प्रार्थना पत्र दे सकते हैं तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु पात्रता बनाये रख सकते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आभानेरी का शिक्षण स्तर

294. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आभानेरी (बांदीकुई) की वर्ष 1990 से 1998 तक छात्र संख्या क्या रही ? उक्त विद्यालय का उक्त अवधि का परीक्षा परिणाम कक्षावार कितना-कितना प्रतिशत रहा? छात्रों की कक्षावार संख्या एवं परीक्षा परिणाम का प्रतिशत सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की दयनीय स्थिति के कारण क्षेत्र की जनता अपने बच्चों को उक्त विद्यालय में न भेजकर निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाना ज्यादा उचित समझती है? क्या सरकार उक्त विद्यालय की स्थिति में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आभानेरी (बांदीकुई) का वर्ष 1990 से 1998 का छात्र संख्या का विवरण एवं कक्षावार परीक्षा परिणाम परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। अभिभावकों का झुकाव वर्तमान में निजी शिक्षण संस्थाओं में अपने बच्चों को अध्ययन करवाने का रहता है। उक्त विद्यालय की कक्षा 8 का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम अवश्य न्यून रहा है। परीक्षा परिणाम सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के विद्यालय में रिक्त पद

295. श्री राम प्रताप (हनुमानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राम प्रताप)

(1) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के कौन-कौन से विद्यालय किस-किस जगह स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद किस-किस विषय के स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में किस-किस वर्ग/विषय के कितने-कितने पद कितने-कितने समय से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) पद रिक्त रहने के क्या कारण रहे हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, कब तक? क्या सरकार यह महसूस करती है कि लम्बे समय से पद रिक्त रहने से शिक्षा बोर्ड के परिणामों पर विपरीत प्रभाव आना स्वाभाविक है? यदि हां, तो इसके निदान के क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में 48 उच्च प्राथमिक, 14 माध्यमिक एवं 10 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त विद्यालयों में विषयवार स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उक्त विद्यालयों में वर्ग विषयावार रिक्त पदों तथा पद कब से रिक्त है का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) उक्त विद्यालयों में पद रिक्त रहने के कारण परिशिष्ठ "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जी नहीं, बोर्ड परीक्षा परिणाम पर पदों के रिक्त रहने का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि स्वीकृत पदों की तुलना में रिक्त पदों की संख्या न्यूनतम है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उच्च शिक्षा अधिकारियों की लम्बित जांच प्रकरण

296. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रधानाचार्य से अपर निदेशक तक के शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों पर जांच की कार्यवाही सी.सी.ए. नियमान्तर्गत अमल में लायी जाकर नियमों में वर्णित समय सीमा अवधि में पूर्ण जांच की कार्यवाही नहीं की जाती है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त पदों के किस-किस अधिकारी के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की जांच कब से विचाराधीन है?

(2) क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध शिक्षा सचिव व निदेशक द्वारा कार्मिक विभाग को जांच की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रकरण भिजवा दिये गये हैं? यदि

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

नहीं, तो दिसम्बर, 1998 तक विचारधीन जांच की कार्यवाही पूर्ण करवाया जाकर दण्डादेश कब तक जारी करवा दिये जायेंगे?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही सेवानिवृति पूर्व नहीं की जाती है? क्या सरकार जो अधिकारी निर्धारित अवधि में जांच कार्य पूर्ण नहीं करते या उन्हें रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराते हैं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। सी.सी.ए. नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्णित समय सीमा अवधि तीन माह में विभागीय जांच का कार्य परिस्थितिगत कारणों से समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है। प्रधानाचार्य से लेकर अपर निदेशक तक के विरुद्ध विभिन्न नियमों के तहत विचाराधीन जांच का विवरण परिशिष्ट- "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रशासनिक विभाग में कुछ प्रकरण परीक्षण प्रक्रिया में चल रहे हैं। जिन पर परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर कार्मिक विभाग को भिजवाकर शीघ्र अन्तिम निर्णय हेतु अनुरोध कर दिया जावेगा।

(3) जी, नहीं। जांच कार्यवाही सेवानिवृत्ति से पूर्व करने के यथासम्भव प्रयास किये जाते है। तथापि कई प्रकरणों में प्रथम दृष्टया आरोप निर्धारित करने में विलंब होने पर तथा तथ्य देरी से ध्यान में आने के कारण सेवानिवृत्ति तक जांच पूर्ण नहीं हो पाती है जो अधिकारी इरादतन जांच पूरी नहीं करते हैं या रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चित्रकला अध्यापकों की पदोन्नति प्रकरण

297. **डॉ. राम प्रताप** (हनुमानगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1988-89 के पश्चात् चित्रकला अध्यापक ग्रेड तृतीय की पदोन्नतियां नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्यों? सरकार कब तक इन शिक्षकों की पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यो? वर्ष 1988-89 के पश्चात् की गई पदोन्नत उक्त शिक्षकों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 19 नवम्बर, 1996 को शिक्षा अधिकारियों व चित्रकला अध्यापकों के साथ हुई बैठक में सरकार द्वारा चित्रकला अध्यापक ग्रेड तृतीय को चित्रकला अध्यापक द्वितीय श्रेणी में रिक्त पदों पर पदोन्नति देने पर सहमति हुई थी? यदि हां, तो अब तक कितने अध्यापकों की पदोन्नतियां कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि आदेश क्रमांक प. 14(7) शिक्षा-2/96, दिनांक 17-12-96 के क्रम में शिक्षा निदेशालय ने चित्रकला

(श्री राम प्रताप)

अध्यापक तृतीय श्रेणी की पदोन्नति हेतु राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में संशोधित करने हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो क्या संशोधन कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सामान्य अध्यापकों को बी.एड. या एम.एड. करने पर वरीयता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है जबकि इसमें समकक्ष होते हुए भी चित्रकला अध्यापक तृतीय श्रेणी को बी.एड. या एम.एड. करने या पांच वर्ष का डिप्लोमा करने पर भी पदोन्नति का कोई अवसर नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(5) वर्तमान में चित्रकला अध्यापक ग्रेड तृतीय श्रेणी को पदोन्नति का समुचित अवसर मिले इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। चित्रकला अध्यापकों (द्वितीय श्रेणी) के रिक्त पद नहीं होने तथा वर्ष 1993 में नियुक्ति /पदोन्नति में रोक होने के कारण नियुक्ति /पदोन्नति नहीं दी गई।

(2) जी, नहीं । नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था।

(3) जी, हां। राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 में संशोधन के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

(4) जी, हां। अध्यापक तृतीय श्रेणी (चित्रकला) के पद पर नियुक्त अध्यापकों को जो बी.एड. की योग्यता रखते है को वरिष्ठता के आधार पर सामान्य वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी जाती है। जो चित्रकला अध्यापक उक्त योग्यता नहीं रखते हैं उन्हें पदोन्नति नहीं दी जाती है। पांच वर्षीय डिप्लोमा बी.एड. की योग्यता के समकक्ष नहीं है।

(5) चित्रकला अध्यापक तृतीय श्रेणी जो सामान्य विषय के द्वितीय श्रेणी अध्यापक की योग्यता रखते है उन्हें वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही नियमों में संशोधन के साथ-साथ अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

उर्दू भाषा के शिक्षकों का नियुक्ति प्रकरण

298. श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई (सूरतगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 30 दिसम्बर, 1998 को सामान्य अध्यापक की तृतीय वेतन श्रृंखला में 140 अध्यापकों को नियुक्ति दी गई थी?

(2) क्या इसमें उर्दू भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की गई?

यदि नहीं, तो इसमें एक भी नियुक्ति क्यों नहीं दी गई?

उत्तर

(1) जी, नहीं। 30 दिसम्बर, 1998 को विभाग में सामान्य अध्यापक तृतीय

(शिक्षा मंत्री)

श्रेणी वेतन श्रृंखला में नव-नियुक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं।

(2) जी, नहीं । विभाग द्वारा 30-12-98 को कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

जिला धौलपुर के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

299. **श्री जसवंत सिंह (बाड़ी) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में वर्तमान में कितने नये उच्च प्राथमिक विद्यालय किन-किन गांवों में खोले जाने का प्रस्ताव है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले के कई माध्यमिक विद्यालय को निर्धारित मानदण्डों के पूरा करने के बावजूद भी उन्हें उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है? क्या सरकार ऐसे माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अपितु राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति करती है। जिला धौलपुर के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी मानदण्ड पूर्ति करने वाले विद्यालय के क्रमोन्नति पर समग्र विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

(2) जी, नहीं। जिला धौलपुर के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति करते है के प्रस्ताव प्राप्त होने पर वर्ष 99-2000 में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जा सकेगा।

जिला अजमेर में लोक जुम्बिश योजना पर व्यय

300. **श्री सांवर लाल (भिनाय) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) लोक जुम्बिश योजना अजमेर जिले की किस-किस पंचायत समिति में चल रही है ?

(2) गत पांच वर्षों में इस संस्था द्वारा किस-किस मद पर कितना-कितना व्यय कहा-कहां किया गया ?

(3) उक्त में भारत सरकार/राज्य सरकार व विदेशी सहायता की कितनी-कितनी राशि है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले की समस्त 8 पंचायत समितियों में लोक जुम्बिश परियोजना चल रही है।

(2) लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा गत पांच वर्षों में किये गये व्यय का मदवार

(शिक्षा मंत्री)

एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) लोक जुम्बिश परियोजना को सोडा (स्वीडिशन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी) भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से क्रमश: 3:2:1 के अनुपात में क्रमश: 5.145, 3.430 एवं 1.715 (लाख) राशि प्राप्त हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

पार्वती नदी पर लिंक पिकअप वियर की मरम्मत प्रकरण

301. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अटरू के पास से निकल रही पार्वती नदी पर लिंक वियर क्षतिग्रस्त है तथा उसमें मिट्टी भर गई है? क्या उक्त कारण से किसानों को पानी नहीं मिल पाता व वर्षा का सारा पानी बेकार चला जाता है?

(2) सरकार वर्षा के पानी का पिकवियर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके इस हेतु क्या कोई बना रही है?

(3) पिकअपवियर के ऊपर रतनपुरा सारण, अमरसारण व उसके ऊपर की वितरिकायें क्षतिग्रस्त होने के कारण सारा पानी बेकार चला जाता है? क्या सरकार उनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। पिकअप वियर क्षतिग्रस्त नहीं है वियर के भराव क्षेत्र में मिट्टी/सिल्ट कैनाल के सिल लेवल के स्तर से नीचे तक ही भरी हुई है। अत: सिल्ट का कार्य प्रतिकूल प्रभाव नहर की सक्षमता पर नहीं पड़ रहा है।

(2) सिंचाई की मांग की अवधि में नदी के पिकवियर से उपलब्ध पानी को अधिक से अधिक उपयोग में लेने हेतु मुख्य नहर की 12 कि.मी हैड रीच व इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी व माईनरों की वर्तमान क्षमता को 50 प्रतिशत बढ़ाकर नहर की रिसेक्शनिंग के कार्य को विस्तार एवं सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाना प्रस्तावित है।

(3) पार्वती पिकअप वियर के ऊपर इस नदी एवं इसकी सहायक नदी अंधेरी एवं ल्हासी पर निर्मित सारणी स्टेट टाईम की बनी हुई है एवं क्षतिग्रस्त स्थिति में है। पर्याप्त बजट आवंटन होने की स्थिति में इन सारणों को प्राथमिकता के आधार पर मरममत करवाने की व्यवस्था की जावेगी।

जिला करौली की गम्भीर नदी पर एनीकट निर्माण

302. श्री भरोसीलाल (हिण्डौन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला करौली की गम्भीर नदी पर कटगढ़ ग्राम के नजदीक एनीकट निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री भरोसी लाल)

(2) सरकार द्वारा उक्त नदी पर कितने ऐसे एनीकट कहां-कहां बनाने का विचार है ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग में इस एनीकट के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

(2) गंभीर नदी पर सिंचाई विभाग कोई एनीकट बनाने का विचार नहीं रखती।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की स्वीकृत सिंचाई योजनाएं

303. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सरकार द्वारा सिंचाई हेतु कौन-कौनसी योजनायें किस-किस दिनांक को बनाई गई ? वर्तमान में उक्त योजनाएं किस स्थिति में हैं और जिन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है उसका कार्य कब तक शुरू करा दिया जाएगा ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में निम्नलिखित निर्मित/निर्माणाधीन सिंचाई योजनाऐं है :-

क्र. सं.	नाम योजना	प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	पचकुई लघु सिंचाई योजना	2-11-82	निर्माण पूर्ण
2.	उतावली सिंचाई योजना	11-9-96	निर्माणाधीन
3.	बेथली मध्यम सिंचाई योजना	14-9-94	निर्माणाधीन

प्रस्तावित सिंचाई योजनाएं

1.	फालिया लघु सिंचाई योजना	भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सशर्त प्रारम्भिक स्वीकृति भी प्रदान की है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।
2.	ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना	वन विभाग की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया है और मामला वहां विचाराधीन है।
3.	हिगलोट मध्यम सिंचाई	केन्द्रीय जल आयोग से जल उपलब्धता स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। इस परियोजना की रिपोर्ट निर्मित की जा रही है। इस योजना के डूब क्षेत्र में मध्यप्रदेश राज्य की 63 हैक्टेयर भूमि आने के कारण अन्तरराज्यीय विवाद का निष्कर्ष होना शेष है।
4.	अंधेरी मध्यम सिंचाई	इस मध्यम सिंचाई परियोजना की जल उपलब्धताकेआकलन

(सिंचाई मंत्री)

1	2	3	4
	परियोजना		हेतु स्कीम केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित कर दी गई है ।
5.	बारी लघु सिंचाई		केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
6.	तुमरा लघु सिंचाई योजना		केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
7.	सेतकेलू लघु सिंचाई		केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रस्तावित योजनाओं का कार्य भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने पर किया जा सकेगा।

जिला झुंझुनूं के पर्यटन विकास पर व्यय

304. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुंझुनूं में लोहार्गल किरोड़ी तथा कोट शाकम्भरी पर्यटन विकास योजनायें कब शुरू की गई तथा प्रत्येक पर कितनी राशि लागत हेतु आंकी/स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त योजनाओं पर क्या-क्या कार्य होना था तथा फरवरी, 1999 तक कितना-कितना कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(3) उक्त योजनायें किस विभाग प्राधिकरण द्वारा निर्मित करवाई गई है तथा कितनी-कितनी राशि उन्हें दी जा चुकी है?

(4) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झुंझुनूं द्वारा व्यय की गई राशि का बहुत बड़ा भाग का अभी तक पुनर्भरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) इन पर्यटन स्थलों के विकास हेतु वर्ष 1995-96 में विकास योजनाएं तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	नाम परियोजना	प्रस्तावित कार्य सं.	प्रस्तावित राशि
1.	लोहार्गल	14	390.00
2.	किरोडी	22	143.00
3.	शाकम्भरी	6	98.60
	योग	42	632.29

(2) उक्त योजनाओं पर जो कार्य होने थे उनका विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। जिले की मात्र किरोडी योजना स्वीकृत हुई है, जिसके अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का ब्यौरा परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) किरोडी के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजना में से राशि स्वीकृत

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं के मार्फत परिशिष्ट "क" के अनुसार कार्यकारी विभागों द्वारा कार्य करवाये गये हैं। उन्हें स्वीकृति के अनुसार राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं द्वारा हस्तानान्तरित की जा चुकी है।

(4) जी, नहीं। पर्यटन विभाग ने राज्य योजना में से वर्ष 1995-96 में रुपये 40.00 लाख, वर्ष 1997-98 में राशि रुपये 30.13 लाख एवं वर्ष 1998-99 में राशि रुपये 35.00 लाख ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं को उपलबध करवाये हैं। वर्ष 1999-2000 में रुपये 20.00 लाख दिये जाने का प्रावधान है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि का व्यय प्रकरण

305. श्रीमती रमा पायलेट (हिन्डौली) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

सरकार को केन्द्र से कितना अनुदान मिलता है ? उक्त अनुदान राशि वर्षवार कितनी-कितनी व्यय हुई ? वर्ष 1990 से 1998 तक का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

महिला एवं बाल विकास विभाग को केन्द्र से समेकित बाल विकास सेवा योजना एवं द्वाकरा योजना के संचालन हेतु अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 1990 से 1998 तक केन्द्र से योजनावार प्राप्त अनुदान एवं व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है: -

समेकित बाल विकास सेवा योजना

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत अनुदान	व्यय
1.	1990-91	1284.61	964.09
2.	1991-92	974.38	1162.94
3.	1992-93	1570.88	1447.76
4.	1993-94	2285.79	2013.77
5.	1994-95	1974.86	2057.36
6.	1995-96	2621.61	2452.27
7.	1996-97	3198.48	3139.29
8.	1997-98	3272.30	3770.81

द्वाकरा योजना (राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत अनुदान	व्यय
1.	1990-91	8.67	3.45
2.	1991-92	28.82	22.82
3.	1992-93	38.63	18.02
4.	1993-94	20.14	25.00
5.	1994-95	91.57	22.73
6.	1995-96	134.00	36.66
7.	1996-97	25.76	23.36
8.	1997-98	44.00	48.71

स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय हुई राशि का समायोजन गत वर्ष की बचत से किया गया है।

अजमेर में हवाई अड्डे का निर्माण प्रकरण

306. श्री रमजान खान (पुष्कर) एवं श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(श्री रमजान खान)

(1) राज्य सरकार ने अजमेर के हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भूमि के मुआवजे की आंशिक राशि प्राप्त करने हेतु अब तक क्या प्रयास किये ?

(2) उक्त निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त कार्य हेतु केन्द्र सरकार से मांगी गई राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने पर कब तक कार्यवाही रुकी रहेगी?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अजमेर के ग्राम सराधना में हवाई अड्डे के निर्माण हेतु निजी खातेदारों की 828-18-10 बीघा भूमि के अवाप्ति के बदले निजी खातेदारों को मुआवजे हेतु दी जाने वाली राशि रुपये 2.00 करोड़ की स्वीकृति हेतु समय समय पर क्रमशः मुख्य सचिव द्वारा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को दिनांक 10-7-97, 29-9-97 एवं मा. मुख्य मंत्री महोदय द्वारा भारत सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दिनांक 15 नवम्बर, 1997 तथा 6-4-98, 22-6-98 एवं 11-3-99 को पत्र लिखे गये परन्तु वांछित स्वीकृति अभी तक अपेक्षित है।

(2) राज्य सरकार द्वारा भूमि की अवाप्ति हेतु केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) के अन्तर्गत सार्वजनिक घोषणा तथा धारा 6 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति सम्बन्धी विज्ञप्ति क्रमशः दिनांक 28-7-97 एवं 8-10-98 को प्रकाशित की जा चुकी है।

(3) भारत सरकार से किये गये निवेदन का विवरण बिन्दू सं० 1 में अंकित है। ज्यों ही भारत सरकार से वांछित राशि की स्वीकृति प्राप्त हो जावेगी तदनुसार शीघ्र अग्रिम कार्यवाही कर ली जावेगी।

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की गठित जांच समिति प्रकरण

307. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में एक जांच समिति वर्ष 1995-96 में गठित की गई थी ? यदि हां, तो क्या इस समिति ने जांच कार्य पूर्ण कर लिया है ? यदि हां, तो क्या इस समिति ने जांच कार्य पूर्ण कर लिया है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि भूगोल विषय के नान कालीजियट परीक्षार्थियों से प्रशिक्षण शुल्क वसूल कर प्राप्ति रसीद जारी नहीं किये जाने के संबंध में उक्त आयोग गठित किया गया था?

उत्तर

(1) जी हां। जी नहीं। सन् 1997 (2-4-97) में तत्कालीन कुलपति महोदय ने आदेश दिए कि चूंकि उक्त जांच समिति के समक्ष अभी तक कोई भी गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ। अतः जांच समिति के गठन को दिनांक 2-4-97 को निरस्त कर दिया गया।

(2) जी, नहीं। उक्त जांच आयोग को भूगोल विभाग में डा. आर. बी. सिंह

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

द्वारा केवल नोन कालेजिएट परीक्षार्थियों से प्रशिक्षण शुल्क वसूल कर रसीद न दिये जाने के संबंध में ही नहीं वरन् की गयी सभी वित्तीय अनियमितताओं के बारे में जांच करनी थी।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुटीर उद्योग की स्थापना प्रकरण

308. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष, 1995 से फरवरी, 1999 अब तक कितने-कितने व्यक्तियों को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं के माध्यम से लाभ मिला एवं कितने-कितने उद्योग धंधो/कुटीर उद्योग स्थापित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के बेरोजगार लोग जो अधिकतर अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं, कुटीर उद्योग खोलने के लिए विभाग में आवेदन भी किया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार अब कब तक उनको यह सुविधा उपलब्ध करवा देगी ?

उत्तर

(1) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 95 से अब तक 27 व्यक्तियों को खादी ग्रामोद्योग योजना से लाभ दिया गया तथा 9 प्रकार की इकाई/कुटीर धन्धे स्थापित किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (संलग्न परिशिष्ट-1)

(2) जी हां, यह सही है कि इस क्षेत्र में बेरोजगार लोग जो अधिकतर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं उन्होंने कुटीर उद्योग खोलने के लिए विभाग को आवेदन किया है। उक्त आवेदनकर्ताओं से 8 आवेदन पत्र बैंक वित्त मार्जिन मनी योजनान्तर्गत विभाग को प्राप्त हुए जिनकी नियमानुसार जांच कर सम्बन्धित क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है बैंको से स्वीकृति शीघ्र अपेक्षित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा जिला नागौर के उद्योगों को सहायता राशि

309. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा छोटे उद्योग लगाने व दस्तकारों को किसी प्रकार का ऋण/अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो 1 अप्रेल 1997 से फरवरी, 1999 तक नागौर जिले में किस-किस संस्था व व्यक्तियों को ऋण/अनुदान कितना-कितना, कब-कब किस कार्य के लिए दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में जो भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ उन सभी को उक्त सहायता प्रदान की गई या किसी का प्रार्थना-पत्र नामंजूर भी किया गया ? यदि हां, तो किसका और क्यों ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(3) बोर्ड द्वारा किस-किस प्रकार के उद्योगों/दस्तकारों को क्या-क्या सहायता किस-किस सीमा तक क्या प्रक्रिया अपना कर दी जाती है ? उक्त मामलों में कहां तक प्रक्रिया अपनाई गई ? क्या इस संबंध में कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो जारी निर्देशों/नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा छोटे उद्योग लगवाने के लिए दस्तकारों को ऋण अनुदान दिया जाता है। अप्रेल, 97 से फरवरी, 99 तक ग्रामोद्योग की एक सहकारी समिति लुहार मजदूर आईरन, टूल्स उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड नागौर को दिनांक 24-3-98 को 0.02 लाख रुपये पुनर्जीविकरण योजना के अन्तर्गत राज्य आयोजना बजट से व्यवस्थापकीय अनुदान उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त 105 व्यक्तिगत दस्तकारों को जिस-जिस कार्य के ऋण/अनुदान दिया गया है। ऋण/अनुदान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (संलग्न परिशिष्ट -1)

(2) उक्त अवधि में जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए उन सभी को स्वीकृत किये जाकर ऋण/अनुदान उपलब्ध कराया गया है। किसी भी प्रार्थना-पत्र को नामजूंर नहीं किया गया।

(3) बोर्ड द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई से अधिसूचित 112 उद्योगों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उद्योगों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट संख्या-2) व्यक्तिगत कामगार को 10.00 लाख तक एवं संस्था/समितियों को 25.00 लाख तक आर्थिक सहायता दी जा सकती है। आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय अर्थ समिति का गठन किया हुआ है। प्राप्त होने वाले ऋण पत्रों/प्रोजेक्टों की विवेचना गठित समिति द्वारा की जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाते हैं। उक्त स्वीकृतियों के मामले में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है। कमेटी के गठन संबंधी निर्देशों की प्रति संलग्न (परिशिष्ट-3) "अ" एवं "ब"।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान खादी बोर्ड जयपुर में रिक्त पद प्रकरण

310. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान खादी बोर्ड जयपुर में कितने पद किस-किस श्रेणी के कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व बोर्ड के चेयरमेन ने कनिष्ठ लिपिक/टेलीफोन आपरेटर/सुपरवाइजरों/स्टेनो/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नियुक्तियां की थी ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को नियुक्तियां दी गई ? नाम व पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक बोर्ड में कितने-कितने व्यक्तियों को कनिष्ठ

(श्री रामस्वरूप)

लिपिक/टेलीफोन आपरेटर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सुपरवाइजरों की स्थाई एवं अस्थाई रूप से नियुक्त कर रखा है और उनको कितना-कितना वेतन दिया जा रहा है ? नाम, पद का नाम समय सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में बोर्ड में कनिष्ठ लिपिक/सुपरवाइजरों/टेलीफोन आपरेटरों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार वर्ष 1999-2000 में उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में 67 पद विभिन्न श्रेणी के वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के रिक्त हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (संलग्न है परिशिष्ट-1)

(2) पूर्व बोर्ड के चेयरमैन द्वारा टेलीफोन आपरेटरों/सुपरवाइजरों/स्टेनो/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर कोई नियुक्ति नहीं दी गई है। केवल 10 पदों पर कनिष्ठ लिपिको को पूर्णत: अस्थाई तौर पर चार माह के लिये नियुक्त किया गया। नाम व पदवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट -2) वर्तमान में उपरोक्त 10 पदों में से कोई व्यक्ति कार्यरत नहीं है।

(3) वर्ष 1995 से अब तक बोर्ड में 23 व्यक्तियों को कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी/सुपरवाइजरों/स्टेनो की स्थाई/अस्थाई नियुक्ति बोर्ड में कर रखी है। जिन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन देय है। नाम व पदनाम, समय सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (संलग्न परिशिष्ट-3)

(4) वर्तमान में बोर्ड में कनिष्ठ लिपिक के 9 सुपरवाईजर का 1 पद व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक पद इस प्रकार कुल 11 पद रिक्त हैं। टेलीफोन आपरेटर का बोर्ड में कोई पद रिक्त नहीं है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प. 4(4) उद्योग/2/97 दिनांक 16-03-99 द्वारा तीन कनिष्ठ लिपिक के पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। शेष पदों को भरने की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त कर शीघ्र भर्ती की कार्यवाही आरम्भ होगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण

311. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान की कुल आबादी कितनी है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) आगामी तीन दशकों में राज्य की सम्भावित आबादी का अनुमान क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जनसंख्या वृद्धि का यही स्तर बनाये रखना चाहती है ? यदि नहीं, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार की क्या योजना है।

(4) राजस्थान जनसंख्या परिषद् ने इस दिशा में क्या सुझाव दिये हैं और सरकार इन्हें कैसे लागू करेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 440 लाख थी। निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुमानों के अनुसार 31 मार्च, 1999 को जनसंख्या 535 लाख है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुमानों के आधार पर राज्य में आगामी दो दशकों में जनसंख्या का अनुमान निम्न प्रकार है : -

वर्ष 2001	561 लाख
2011	701 लाख
2021	निदेशक आर्थिक एवं सा. विभाग द्वारा जनसंख्या का अनुमान अभी तैयार नहीं किया हुआ है

(3) सन् 2001 एवं 2011 में अनुमानित जनसंख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट दो पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। सामुदायिक आवश्यकता अवधारण नीति के अन्तर्गत लोगों की इच्छानुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या स्थायित्व के लिये पुरूष/महिला नसबंदी के रूप में स्थाई साधन की सेवायें दी जाती है। अंतराल साधन जैसे खाने वाली गोलियां, निरोध एवं आई.यू.डी. की उपलब्धता भी मांग के अनुसार करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता में सुधार लाकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी करके लोगों की परिवार को सीमित रखने की अवधारणा सृजित करना है। राज्य सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं यथा जन मंगल योजना एवं जन सहभागिता की कार्यक्रम से जोड़ने के लिये नवाचार योजना यथा स्वास्थ्य कर्मी योजना जनसंख्या स्थायित्व के लिये चला रही है। इस हेतु एक जनसंख्या नीति भी तैयार की गई है।

माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दि. 4-3-1999 को राजस्थान जनसंख्या परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सुझाव प्राप्त किये : -

1. परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक जन आंदोलन बनाया जावे ।

2. प्रत्येक मंत्री एवं प्रत्येक जन प्रतिनिधि अपना भाषण जनसंख्या नियंत्रण के संदेश के साथ आरम्भ करें ताकि इस सम्बन्ध में चेतना जागृत हो। इस हेतु जनप्रतिनिधियों को निवेदन किया जाये।

3. विवाह पंजीकरण अनिवार्य कराने पर जोर दिया जाये।

4. दम्पत्तियों की प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की तुरन्त पूर्ति करने के प्रबंध किये जायें। परिवार कल्याण के कार्यक्रमों के लिये प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित कर उसकी समीक्षा कर अपूर्ण कार्यों के लिये व्यक्ति विशेष को उत्तरदायित्व बनाया जाये।

5. परिवार कल्याण के लिये पुरूषों की नसबंदी में भागीदारी एक प्रतिशत ही रह गई है। अतः इसमें सुधार लाकर पुरूषों को अधिक प्रोत्साहित किया जाये।

(राज्य मंत्री, परिवार कल्याण)

6. महिला एवं बाल विकास विभाग तथा परिवार कल्याण विभाग में पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाये एवं इनके कार्यकर्ताओं के संयुक्त कार्य एवं प्रशिक्षण पर बल दिया जाये।

7. ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत निजी चिकित्सकों एवं आयुर्वेद आदि चिकित्सक को परिवार कल्याण कार्यक्रम में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित कर उनकी भागिता सुनिश्चित की जाये।

8. बच्चे का लिंग पता लगाने के लिये सोनोग्राफी को हतोत्साहित किया जाये।

9. जनसंख्या नियंत्रण के लिये सकारात्मक, प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया जाये न कि दण्डात्मक कार्यक्रम लगाया जाये।

10. इसके समाधान के लिये लाभों में जागृति व भागीदारी की भावना बढ़ाने के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य किये जायें जिसमें निजी, सहकारी, शैक्षिणिक एवं सामाजिक संस्थाओं, पंचायतों आदि का पूर्ण सहयोग लिया जाये।

11. चिकित्सकीय गर्भ समापन सेवायें (एम.टी.पी.) को और अधिक उदार बनाया जाये जिससे अधिक से अधिक अनचाहे गर्भों का समापन हो सके। एम.टी.पी. कराने के लिये आने वाली महिला के पति का नाम दर्ज कराने की आवश्यकता को समाप्त किया जाये।

12. समय-समय पर होने वाले अन्वेषण कार्य एवं अध्ययनों से प्राप्त परिणामों की समीक्षा कर उन्हें जनसंख्या नीति में सम्मलित किया जाये।

13. किशोर अवस्था के बच्चों के लिये यौन शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

14. पंचायतों की भांति सहकारिता के क्षेत्र में भी अधिक बच्चों के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण किया जाये।

15. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं का सहयोग लिया जाये।

16. स्वास्थ्य केन्द्रों के सुचारू संचालन के लिये उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के मापदण्ड निर्धारित किये जाये।

17. स्वास्थ्य अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने की व्यवस्था की जाये।

18. ए.एन.एम. उपकेन्द्रों पर उपस्थित रहे इसके सुचारू प्रयास किये जाये।

19. समूह विशेष अथवा क्षेत्र विशेष की विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नीति में तदानुसार विशिष्ट प्रयास किये जायें।

20. वर्तमान में टीकाकरण के क्षेत्र का विस्तार किया जाकर रूबेला तथा हैपीटाइट्स बी आदि के टीकाकरण का भी प्रयास किया जाना उचित होगा।

21. विभिन्न प्रकार की अंतराल विधियों तथा नसबंदी की उपलब्ध मांग की पूर्ति करने का विभाग के द्वारा यथेष्ट प्रयास किया जाये।

इन सुझावों का क्रियान्वयन विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधानसभा की ओर से झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में पीलिया फैलने एवं प्रशासन द्वारा अभी तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री श्रीचन्द कृपलानी एवं 10 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं कस्बे में दिनांक 5-4-99 को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार एवं जलाकर हत्या कर देने की घटना से कस्बे में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(3) डा. करोड़ी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला दौसा की ग्राम पंचायत महवा के सरपंच पर समाज-कंटकों द्वारा किये गये प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई :-

(1) श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से पूर्व सैनिकों अथवा मृतक सैनिकों के नाम से अलॉट भूमि का दुरूपयोग होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री यशवंत सिंह एवं तीन अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले को चम्बल का जल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को सिंचाई विभाग की मांग पर चर्चा के समय बोलने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल भी मैंने बेगूं के मामले में निवेदन किया था...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : मुझे दो मिनट बोलने का तो अधिकार है। आपने तो खारिज कर दिया। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करके उसको जिन्दा जलाकर हत्या कर दी गयी है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा सिंचाई की मांग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी आ रही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कल भी मैंने स्लिप दी थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका आज आया है, सरकार से जानकारी ली जा रही है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिंचाई से सम्बन्धित नहीं है, मेरा तो आपने खारिज कर दिया। मुझे दो मिनट बोलने का समय दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का दे देंगे। दो मिनट का समय देता हूं। श्री जगमाल सिंह।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बहुत ही गम्भीर मसला है, मेरा आपसे निवेदन है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गम्भीर है तो जानकारी मांगी गयी है। आप बैठिये। जगमाल सिंहजी।

श्री मदन दिलावर (अटरू) **:** अध्यक्ष महोदय, खानपुर में पीलिया जबरदस्त फैल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह जी यादव, आप दो मिनट बोलिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जानकारी गृह मंत्रीजी ने ले ली है वहां से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरह से नहीं ली जाती, आपने आज दिया है। श्री जगमाल सिंह जी यादव, दो मिनट बोलिये।

श्री रमजान खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था उस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे जो दो मिनट बोलने का अवसर दिया है...

श्री रमजान खान : मेरा स्थगन प्रस्ताव था, अध्यक्ष महोदय, उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी। मैंने कल दिया था मेरा स्थगन प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे चैम्बर में मिल लीजिये मुझसे।

श्री रमजान खान : मेरा स्थगन प्रस्ताव था उसके ऊपर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी, कोई व्यवस्था दीजिये, साहब।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है, अध्ययन करने के बाद में उस पर कल व्यवस्था दे दूंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी सदन में मौजूद हैं, आपने एक सी.बी.आई. की जांच की घोषणा कर दी, लेकिन मेरा स्थगन प्रस्ताव आपने लोक महत्व का नहीं माना। यह परम्परा है कि विपक्षी सदस्य जो स्थगन प्रस्ताव देते हैं उनको लोक महत्व का +++ लेकिन इससे मेरे मोशन की कोई इम्पोटेन्स में फर्क नही पड़ता है। मैं दो मिनट में ही अर्ज करना चाहता हूं, सरकार भी बैठी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बी.जे.पी.

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

की सरकार में मृतक सैनिकों की विधवाओं और पूर्व सैनिकों के नाम पर जैसलमेर और बीकानेर में जमीन अलॉट करने के सैनिक कल्याण बोर्ड के आदेश हुए थे। आपसे सम्बन्धित है, माननीय चन्द्रभानजी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन पिछली सरकार ने अलवर जिले में भिवाड़ी में जमीनों का धन्धा चालू किया कि बीकानेर और जैसलमेर का अलॉटमैंट कैन्सिल करके भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया में जमीन अलॉट कर दी जाए। जो मैंने मोशन दिया है, इसमें स्पेसिफिक मैंने कहा है। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, आपकी तरजीह चाहूंगा कि यह मामला जो अभी उठा रहे थे उससे बड़ा स्कैण्डल है। भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया के बीच में पांच बीघा जमीन और चोपान की चेलाकी जहां आपका नया इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप हो रहा है, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, उसमें खरखड़ी ग्राम में 20 बीघा जमीन का अलाटमेंट तावडू की रहने वाली सोमलता के नाम से हुआ। यह अलाटमेंट हुआ था बीकानेर में, लेकिन बीकानेर में एक लाख, दो लाख, पांच लाख रूपये मुरब्बे की जमीन थी और यह जो जमीन अलाट हुई दोनों इण्डस्ट्रियल एरिया के बीच में 25 बीघा वह 10 हजार रुपये प्रति वर्ग गज की थी। उद्योग मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी, आप जांच करा लें, इस जमीन की कीमत 10 हजार रुपये प्रति वर्ग गज है। अगर वह जमीन सैनिक विधवा के पास रह जाती तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। 17-3-98 को अलवर कलक्टर ने आदेश दिये कि इस सोमलता को इण्डस्ट्रियल एरिया में 25 बीघा जमीन अलाट की जा रही है। नोट कर लें 17-3-98 को। इसका इन्द्राज गैर खातेदारी का दर्ज हुआ 31-3-98 को और इसका बेचान हो गया। इस सोमलता के नाम से रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज नहीं आया उससे पहले ही 27-3-98 को इस औरत से तावडू के रहने वाले मिस्टी मिडोज रूपबसन्त और लालचन्द हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट करा लिया। सैनिकों की विधवाओं को जो जमीन दी जाती है उसका सीधा मकसद यह होता है कि देश के लिए इनके पति ने कुर्बानी दे दी तो यह जमीन जो अलॉट की गयी है यह इनके जीवन का सहारा बनेगा।

यह नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय। रेवेन्यू मिनिस्टर चली गयीं आपके रेवेन्यू भूमि रूपान्तरण में बाकायदा एक प्रावधान है, अगर कोई जमीन अलाट की जाती है तो दो साल काश्त करने के बाद तीसरी साल में उसको तहसीलदार स्तर पर छूट दे दी जाती है और भूमि कन्वर्ट कर दी जाती है। लेकिन इस भूमि का कन्वर्जन हो गया 6 महीने में। 6 महीने में कन्वर्जन होने के बाद इस जमीन को खरीद लिया मिस्टी मिडोज नाम की कम्पनी ने जिसमें रूपबसन्त और लालचन्द हैं। यह 25 बीघा जमीन 10 हजार रुपये प्रति वर्ग गज है और जहां आपने भिवाड़ी में कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया था ठीक उसके सामने पड़ी हुई जमीन है, उद्योग मंत्री जी। इसलिए मैं आपके मार्फत चाहता हूं, जो जयपुर की जांच दी गयी है उससे कहीं ज्यादा यह है 10 हजार रुपये प्रति वर्ग गज की जमीन जो अलाट हुई विधवा के नाम से

(श्री जगमाल सिंह यादव)

और उसको रूप बसन्त की मिस्टी मिडोज कम्पनी ने खरीद लिया जो ग्रेटर कैलाश, नयी दिल्ली में है। मेरा कहने का अर्थ यह है, मैं आपका ध्यानाकर्षित इधर करना चाहता हूं कि जमीन अलाट हो रही है भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया और तिजारा में, बीकानेर के अलाटमैंट को कैंसिल करके आप भी जानते हैं कि उस सी.बी.आई. की जांच में आपके भी हाथ जलेंगे।

मैं यहां पर चार्ज नहीं लगा रहा हूं पर अगर जांच हो गई तो आपके भी हाथ जलेंगे यह गिरोह बन गया था। मै जानना चाहता हूं, ये मुझे टोक रहे हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इंगित करके कहा है ना ? आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से इंगित करके कहा है ना ?

श्री जगमाल सिंह यादव : जी हां, आपको इंगित करके कहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर यूं लगता है कि यह सदन विचार विमर्श का केन्द्र नहीं है। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर किसी पर आरोप लगा दे। अध्यक्ष महोदय, मुझे इंगित करके कहा है कि मेरे हाथ जलेंगे। मैं इस पवित्र सदन में सौगंध लेकर कह सकता हूं कि मैं किसी व्यक्ति को जानता नहीं। आपको मजा आने लग गया। मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, देओ ना सी.बी.आई. को इसको भी। मैंने कभी इस नाम को सुना नहीं, क्या मजाक बना रखा है। वरिष्ठ सदस्य हैं आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह तो आपने खुद ही +++ लिया है। आपने कहा है कि मुझे इंगित करके कहा है। रिकार्ड में भी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने नाम लेकर लिया है, आपने मेरी तरफ इंगित करके कहा कैसे ?

श्री जगमाल सिंह यादव : कहा है, आपके हाथ भी जलेंगे, आप बोले नहीं। +++ आप कैसे बोले ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई कि किसी सदस्य के ऊपर...

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने इनका नाम नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे आरोप लगने के बाद में मुझे तो सदन से निकाला जाता है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हाउस को +++ बना रखा है, जब चाहे जब आरोप लगा देते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने इनका नाम नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं आरोप लगाता हूँ तो मुझे सदन से निकाला जाता है और ये आरोप लगाते हैं तो तालियां बजाई जाती हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं सौगंध लेकर कहता हूं। जिसको मैं जानूं नहीं, पहचानूं नहीं, कोई नोटिस दिया नहीं...(व्यवधान)

+++ शब्द /अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह क्या, अध्यक्ष महोदय, जब चाहे तब किसी पर आरोप लगा दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक दिन बजट पर भाषण कर रहे थे तो मन चाहे जैसे बोल रहे थे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कोई बोलने का तरीका भी होना चाहिए, यह पवित्र सदन है, बोलने की मान मर्यादा है इसकी। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग दिखवा लें, मैंने इनका नाम नहीं लिया। इन्होंने कहा कि आपने मेरी तरफ इशारा किया क्या तो मैंने कहा कि आपके भी हाथ जल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो फिर कह रहे हैं। नहीं, आप तो ले आओ ना तथ्य। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने मेरी तरफ इंगित करके कहा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने कहा है कि आपने मेरी तरफ इशारा किया क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने मेरी तरफ इंगित करके कहा है, आपके पास तथ्य हैं तो लेकर आओ ना।

श्री जगमाल सिंह यादव : ये इशारे मिनट्स बुक में दर्ज नहीं होते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने पूछा तो मैंने यह कहा कि हाथ आपके भी जल सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने कहा कि आपने मुझे इंगित किया था तो इन्होंने कहा कि हां, आपको इंगित किया है। (व्यवधान) यह अच्छा नहीं हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर माननीय सदस्य का नाम हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, निकलवा दीजिये। आपने खुद ने कहा है कि इशारा मेरी तरफ था क्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है यह क्या है ? कोई भी कुछ कहे दे, कोई भी कुछ आरोप लगा दे ? (व्यवधान)

डा. राम प्रताप (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या किसी को इस तरह से बोलने की छूट है ? क्या इंगित नहीं कर सकते हैं। इंगित करके कहते हैं और फिर कहते हैं कि रिकार्ड ही होता है, यह तो तरीका गलत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपसे आशा है, हमें संरक्षण दीजिये। (व्यवधान) यह पवित्र सदन है ।

डा. राम प्रताप : जो मर्जी आए वह खड़ा हो जाए, मर्जी आए वह कह दे, यह कौनसा तरीका हुआ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पवित्र सदन आरोप-प्रत्यारोप का केन्द्र बन जाएगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, यहां हम स्वच्छ डिबेट के लिए आये है, अगर कोई आरोप हो तो जांच कराएं। नियमों में हो तो आएंगे। यह अच्छा काम हो गया। आज पूरा राजस्थान इस सदन को देख रहा है, यह सदन इस तरह से नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा, अगर इसी तरह हर मामले में पूर्ववर्ती सरकार...

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने परमिट कर दिया है क्या, अध्यक्ष महोदय, मेरी जगह भाषण ये दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हर मामले में आपको पूर्ववर्ती सरकार दिखती है, इस पर मुझे एतराज है। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने यह कहा है कि मैंने कोई नाम नहीं लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदन नियमों में चलेगा, अध्यक्ष महोदय, यह देखना पड़ेगा कि...

श्री जगमाल सिंह यादव : और अगर मेरे द्वारा नाम लिया गया है तो आप निकाल दें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बहुत गलत बात है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जगमालसिंह जी, जो मर्जी आए उसका नाम बोल दो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) **:** अध्यक्ष महोदय, आपको निश्चित रूप से व्यवस्था करनी चाहिए कि यदि इस प्रकार से आरोप-प्रत्यारोप हुआ...

श्री सांवरलाल : बार-बार जगमालसिंह जी इंगित करते रहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो फिर हम लोग भी स्वतंत्र होंगे कि चलो, इस सदन का चाहे जैसा दुरुपयोग करना चाहे वैसा कर डालो। यह सदन ऐसी जगह है जहां मर्जी आए जो बोलो, मर्जी आये जो कहो, जिसके हाथ पैर हो या नहीं हो। आपको यह जो आजादी मिली है, उस आजादी का दुरुपयोग अगर इस सदन में इस प्रकार से होना शुरू हो गया और हम लोग भी इसी रास्ते पर चल गये तो फिर एक दिन भी हाउस नहीं चलेगा ठीक प्रकार से। हम नहीं चाहते कि इस सदन की गरिमा को गिराया जाए। अगर कोई आरोप है, किसी ने कोई अपराध किया है तो आप उसे नामजद नोटिस देकर, जो भी आपकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर करें। जो तथ्य आपके पास हैं उसे कोई ना नहीं कर सकता इस सदन में, लेकिन एक तरीके को आपको जरूर अपनाना पड़ेगा। यह जो हल्केपन की बात लेकर आप इस सदन की गरिमा को गिरा रहे है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, आप मंत्री रहे हैं, आपसे इस तरह की आशा नहीं है। यह तो कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से पांच बार धमकी दी जा चुकी हैं सदन नहीं चलाने देने की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इसकी कोई व्यवस्था करें। इस प्रकार के अनर्गल आरोप, चाहे जैसा आरोप, मर्जी आए जो बोल दो, इस सदन में जो कुछ भी बोलेंगे वह चलेगा, अगर इस तरह से व्यवस्था चली तो हम लोग भी सब बिलकुल आजाद होंगे। आपमें से कई सदस्य भ्रष्टाचारी कई +++ रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सदन में जिस प्रकार से बोला जा रहा है, ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इन माननीय सदस्यों के खिलाफ.. (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कइयों के ऊपर +++ के मुकदमे चले है (व्यवधान) +++ के एक नहीं, चार-चार मुकदमें चले है, उन +++ को यहां रोज +++ करेंगे और +++ हम नहीं चाहते हैं (व्यवधान) हाउस चलाने में व्यवधान पैदा हो गया। (व्यवधान) अगर इस प्रकार से आरोप लगे तो आपमें से जो +++ है, उनके एक-एक नहीं, चार-चार मुकदमें +++ के चल रहे हैं, फिर उनको भी हम +++ आजाद होंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, चारे में करोड़ों रूपये खाने वाले क्या आरोप लगाएंगे ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जगमाल सिंह के चरित्र के बारे में हम भी जानते हैं, आपके ऊपर आरोप हम लगाना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया, आप प्रोसीडिंग को दिखवा लीजिए । मैंने चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया और..

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जगमाल सिंह जी के बारे में मैं भी बहुत कुछ जानता हूं, मैं भी अलवर जिले का हूं।

डा. राम प्रताप : आपने इंगित किया है, आपने कहा है कि हाथ जलेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह कहना कि हाथ आपके भी जल सकते हैं, आपने खड़े होकर पूछा कि आपने मेरी तरफ इशारा किया है तो मैंने कह दिया कि हां, आपकी तरफ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जगमाल सिंह जी के बारे में मैं भी बहुत कुछ जानता हूं लेकिन जगमाल सिंह जी के लिए व्यक्तिगत हम कभी नहीं बोलते। इस प्रकार से बिना नियमों और प्रक्रिया के सदन चल नहीं सकता।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं, अगर चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का प्रोसीडिंग्स में नाम हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप निकाल दें। (व्यवधान)

+++ शब्द /अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इस प्रकार से आरोप लगाकर, व्यक्तिगत रूप से इंगित करके, यह सदन इस प्रकार से चल नहीं सकता। हम भी हत्याओं और बलात्कार के आरोप लगा सकते हैं, हमको बहुत कुछ मालूम है जगमाल सिंह जी के बारे में, जगमाल सिंह जी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह मैटर सी.बी.आई. की जांच का नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर में कैसी +++ इन्होंने की है लेकिन व्यक्तिगत इंगित करके भाई राजेन्द्र सिंह जी जैसे सदस्य पर आरोप लगाया तो इस प्रकार से सदन नहीं चलेगा। इनकी +++ को +++ हम भी जानते हैं लेकिन हमने कोई कभी व्यक्तिगत इनके ऊपर आरोप नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा, बैठ जाइये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम भी आपके बारे में जानते हैं, जगमाल सिंह जी। आप कभी मुख्य मंत्री के बारे में लगाते है, आप कभी मंत्रियों के बारे में लगाते हैं, हम भी आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो कोई बात सत्य हो तो आप नोटिस देकर बात करें, आपको इस तरह से बोलने की कोई आजादी है क्या ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आजादी है। जब मैंने एक निवेदन किया है कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का अगर नाम है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, प्रोसीडिंग्स से निकाल दें। (व्यवधान) यह सी.बी.आई. की जांच का मैटर नहीं है। (व्यवधान) डर तो हो रहा है सी.बी.आई. की जांच से । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर इस प्रकार से आरोप लगाना हो तो हमको नोटिस दिये जाएं। इस तरह से अनर्गल आरोप लगाकर जो चाहे वह कह दें तो सदन की मर्यादा नहीं रहेगी। हम सदन की गरिमा को गिराना नहीं चाहते हैं। मन से, वचन से और कर्म से इस बात की शपथ लेंगे कि कभी नहीं गिराएंगे लेकिन इस प्रकार के अनर्गल आरोप, जिसके हाथ-पैर नहीं हो, लगा दें और फिर हमको मजबूर करें कि हम उसके विरोध में खड़े हों। मैं कहता हूं यहां कोई आरोप हो, आप लगाइये, बेशक लगाइये, कोई हर्ज नहीं है लेकिन तरीके से लगाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर मैंने आपको दो मिनट का समय बोलने के लिए दिया, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का नाम मैंने नहीं लिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** इंगित करके कहा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनके चरित्र के बारे में हम भी बहुत कुछ जानते हैं। अलवर जिले का मैं भी हूं। हमने कभी व्यक्तिगत आरोप लगाकर सदन की प्रक्रिया को, व्यवस्था को भंग नहीं किया है। अगर इस

+++ शब्द /अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

प्रकार से पूर्व मुख्य मंत्री और मंत्रियों पर आरोप लगाकर आप...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर नाम आ गया तो प्रोसीडिंग से निकाल दें, मैंने नाम नहीं लिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यहां इस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, मैं फिर इंगित करके कहता हूँ +++ के बारे में इनके लिए तिजारा में जाकर आप पता लगा सकते हैं कि...

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया। अगर मेरे द्वारा चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का नाम प्रोसीडिंग में आ गया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसको हटा दें।

श्री अध्यक्ष : हां, हटा दिया ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

श्री जगमाल सिंह यादव : इंगित करके तो आपने खुद ही रिकार्ड पर लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मुझे तो व्यवधान कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही को मैं देख लूंगा, उसमें अगर कोई चार्ज हो तो उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा कोई मन आप पर आरोप लगाने का नहीं है, न मैंने कोई आरोप लगाया है।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, अभी इस हाउस में...

श्री जगमाल सिंह यादव : गृह मंत्रीजी, मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूं। एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। प्रद्युम्न सिंह जी, आप सुन लें। फाइल बाद में देख लेना, और इनसे ट्रांसफर्स की दरख्वास्तें बाद में ले लेना जो पीछे खड़े हैं।

मैं आपसे दो प्रश्न करना चाहता हूं, आपको सलाह देना चाहता हूं। 17-3-98 को अलाट हुई, 27-3-98 को बेच दी और 31-3-98 को गैर खातेदारी का इन्द्राज हुआ, इन तीन मुद्दों की जांच करा लें। मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 23 लाख रुपये में इस पांच बीघा जमीन का सौदा हुआ जो 10000 रुपये वर्ग गज की जमीन है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आप अपने किसी विभाग के आफिसर से जांच करा लें कि क्या छह महीने में भूमि का रूपान्तरण गैर खातेदारी से खातेदारी में हो सकता है? यहीं नहीं हुआ, जो महिला थी मृतक सैनिक की विधवा, उसको दिल्ली ले जाया गया। उससे एग्रीमैंट किया, उससे मुखत्यारनामा लिया गया और उस को पता भी नहीं कि उसकी जमीन जो उसे मिली है, वो बिक गई या नहीं बिक गई। जब उसने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि टपूकड़ा सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में जब रजिस्ट्री होगी, तब आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। 23 लाख रूपये जो उस विधवा को मिलने चाहिए वे सैनिक की पत्नी को, वह आज दर-दर की ठोकरें खाती घूम रही है। यह मामला ऐसा नहीं है। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी, जिन्होंने इस देश की आन-बान-शान को

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

बचाया उनके लिए, उनकी विधवा के लिए सरकार ने जिस भूमि को अलाट किया उस 25 बीघा जमीन को, जो भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया के बीच में थी, दूसरा माफिया खा गया। कौन-कौन खा गया, किस-किस अधिकारी की साजिश है, उसकी आप जांच करें। वह जमीन छह महीने में बिक भी गई और वह दर-दर की ठोकरें खाती घूम रही है। इस सारे प्रकरण की आप जांच करा लें, अगर मैं सत्य हूं तो उन अधिकारियों के खिलाफ उस पार्टी के खिलाफ जिसने धोखा देकर उसकी जमीन को हड़प लिया, कार्यवाही कर लेना। वरना आपके जचे जो कर लेना।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही मुझे यह स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था...(व्यवधान) आप, माननीय, थोड़ा सुनें। माननीय सदस्य, आप अब तो बात करने लग गये, आप मुझे गौर से कह रहे थे कि आप गौर से मेरी बात सुनिये। मैं बहुत गौर से आपकी बात सुन रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही सरकार को इनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ था...

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव।

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्थगन प्रस्ताव दिया था और मुझसे स्वयं मिले भी थे माननीय सदस्य, जब इन्होंने मुझे कुछ अन्य तथ्य भी बताये थे इस केस से संबंधित जिनका...

श्री जगमाल सिंह यादव : वह दूसरा प्रकरण है। जमीन को लूटने वाली पार्टी एक ही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह दूसरा प्रकरण है, यह दूसरा प्रकरण है, दो प्रकरण हैं। लेकिन प्राइमाफेसी, अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य बताये माननीय सदस्य ने, काफी गम्भीर लगे, उसके ऊपर मैंने रीको से जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा। जो जानकारी वहां से आई उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने उस पर डिप्टी सैक्रेटरी, इण्डस्ट्रीज के मार्फत कुछ और जानकारी प्राप्त की है। मैं आपके मार्फत सदन को यही विश्वास दिला सकता हूं कि इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जाएंगी और जो लोग दोषी पाये जाएंगे, क्योंकि एक आरोप और है इनका, जो आया हुआ है, अध्यक्ष महोदय, इसी जमीन से संबंधित, वह मामला और भी गम्भीर है तो इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाये जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, किसी को बचाने का कोई प्रश्न मेरी तरफ से नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पार्टी एक ही है, प्रकरण अलग है। गुड़गांवा जिले का बी.जे.पी. का महासचिव है, डिस्ट्रिक्ट सैक्रेटरी है बी.जे.पी. का।

डा. चन्द्रभान (सैनिक कल्याण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव जो है वह सैनिक कल्याण मंत्रालय से सीधे रूप में जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सदन को भी यह जानकारी देना चाहूंगा और आपके नोटिस में भी लाना चाहूंगा कि यह कोई एक प्रकरण नहीं है, हमारे मंत्रालय

(डा. चन्द्रभान)

के सामने ऐसे कई प्रकरण हैं। वार विडोज हैं भूतपूर्व सैनिकों की उनके नाम से चाहे सिंचित क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में जो भूमि का आवंटन होता है उन क्षेत्रों में भू–माफिया और दूसरे लोग सक्रिय होते हैं। वे उनसे इस तरह के कई तरह के इकरारनामे करते रहते हैं और कुछ पैसा उनकों दे भी देते हैं पर उसके बाद बहुत ही मूल्यवान जमीन को बहुत सस्ते दामों पर ले लेते हैं। पर उसके बाद बहुत ही मूल्यवान जमीन को बहुत सस्ते दामों पर ले लेते हैं। उसके बाद में फिर वे वार विडोज कहिये या दूसरे भूतपूर्व सैनिक वे हमारे सैनिक कल्याण मंत्रालय में आते हैं कि हमारे साथ यह दिक्कत हुई, यह हुआ, इस तरह से हमारा शोषण हो रहा है। यह एक नहीं, अनेक मामले हैं, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में ला रहा हूं। मै तो चाहूंगा कि कोई इस तरह के कानून में ही परिवर्तन हो कि वार विडोज को या भूतपूर्व सैनिकों को जो जमीन अलाट होती है उसको बेचने के सम्बन्ध में कोई फैसला हो कि एक निश्चित समयावधि तक तो उसे नहीं बेच सके जिससे कि वह जमीन उनके पास रह सके।

श्री जगमाल सिंह यादव : दस साल का कानून बना हुआ है लेकिन कानून तोड़ दिया जाता है।

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे भी यहां 114 व्यक्ति... साहब, एक मिनट..

श्री अध्यक्ष : अब आपका ...

श्री कन्हैया लाल : एक सैकिण्ड। आपको इसी मामले में मैं बता रहा हूं एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : नहीं–नहीं, यह क्या मतलब है, आपका कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं, कोई मोशन नहीं।

नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्व तहसीलदार खाजूवाला को ए.एफ.एस.ओ. के अधिकार देने के संबंध में।

(2) श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव पड़िहारा में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में।

(3) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधानसभा की ओर से चूरू जिला मुख्यालय में दिनांक 23-10-98 को एक नवयुवक की हत्या के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के संबंध में।

(4) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर के ग्राम कलसावड़ा में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर एवं तारों को निकाल कर एक अन्य गांव में लगा देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी की सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम की सड़कों की दयनीय स्थिति के संबंध में।

(7) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान-सभा की ओर से वर्ष 1990 में अध्यापकों की कमी वाले विद्यालयों में अवैतनिक अध्यापकों के रूप में नियुक्त अध्यापकों को नियमित करने के संबंध में।

(8) श्री नानालाल नीनामा, सदस्य, विधानसभा की ओर से विधानसभा क्षेत्र घाटोल में कब्जा काश्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में दुरस्त कर आवंटित करने के संबंध में।

(9) श्रीमती पूनम गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के लाडपुरा कस्बे में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में।

(10) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही के ग्राम बड़ा वेरा व कलदारी में बिजली की सुविधा नहीं होने के संबंध में।

(11) श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के गांवों में अग्नि पीड़ित किसानों को उचित सहायता प्रदान करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं का उत्तर देने की समय सीमा

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : पाइंट आफ आर्डर, सर। विशेष उल्लेख के प्रस्ताव नियम 295 के अंतर्गत जितने भी दिये जाते हैं उनका उत्तर आने की सीमा है। पहले तीन दिन किया, बाद में सात दिन किया। लेकिन अभी तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी एक का उत्तर नहीं मिला; बस यहां पढ़ लेते हैं। पिछली बार के भी नहीं आये, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप विशेष व्यवस्था करके सरकार को निर्देश दीजिये कि...

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सात दिन की सीमा कहीं नहीं थी, उत्तर आएगा आपके पास में।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, कब आएगा How Long? समय सीमा है सात दिन या तीन दिन, आना चाहिए। समय सीमा तय करनी पड़ेगी, साहब, अन्यथा विशेष उल्लेख के प्रश्न उठाने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : चार-चार वर्षों के उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं माननीय सदस्यों के। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो वर्तमान का कह रहे हैं, हर बार पिछली सरकार, पिछली बार। वर्तमान में आप क्या करना चाहते हैं, उसकी आप कहिये। हर बार पिछली बार याद मत किया करिये, कल्ला साहब। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इसीलिए तो हम इधर आ गये।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे वहां का भी मामला है...

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई व्यवस्था दीजिये आप। सात दिन, दस दिन, कोई भी टाइम पीरियड तय कर दीजिये आप, ताकि इनका उत्तर आ जाए। आसन ही इसके निर्देश दे सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह बहुत ही गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोदय, जवाब तो निश्चित रूप से आना चाहिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सात दिन और तीन दिन का कोई नियम नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, है। नियम है। नियम तो यह सदन तय करता है, सदन सर्वोपरि है, यहां पर तय होता है। अध्यक्षजी के निर्देश होते हैं, उसी के अनुसार उत्तर दिये जाते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आप जवाब देना नहीं चाहते, इसका मतलब, इच्छुक नहीं हैं आप। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : आपने दो-दो साल नहीं दिये, हम जल्दी से जल्दी देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : उस समय लेते आप, आप ले लेते। किसने रोका था ? यह हमारा अधिकार है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो कल्लाजी कह रहे हैं यह बिलकुल असत्य है क्योंकि पिछली सरकार में उत्तर बराबर आते रहे हैं। यह बात हो सकती है कि सात दिन में नहीं आये हो लेकिन उत्तर आये हैं। कल्लाजी जो कह रहे हैं वह मैं समझता हूं बिलकुल असत्य है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उत्तर आये हैं। (व्यवधान)

व्यवस्था

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं का उत्तर देने का समय

श्री अध्यक्ष : सरकार से इस प्रकार की पूर्व में व्यवस्था भी है। जब सरकार से इनफोर्मेशन और जानकारी मांगी जाती है तो उसमें सात दिन के अन्दर समय दिया हुआ है और यह व्यवस्था की हुई है। नियम 295 के अंतर्गत जो मामले यहां पर उठाये जाते हैं या जिन को माननीय सदस्य यहा पढ़ते हैं उन पर सात दिन में उत्तर भेजने के लिए सरकार को निश्चित तौर से कार्यवाही करनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 127 के तहत चर्चा हेतु...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय गृह मंत्रीजी से यह तो कहलवा दीजिये, जबाव कब तक आ जाऐगा और कब तक जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह अभी आज भेजा है इनके पास में।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आप कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : Let him take the information from the.........

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पास में इसका पूरा विवरण कल तक निश्चित रूप से दे दूंगा, भिजवा दूंगा। आ गया है उसको तैयार करवा रहा हूं। आज 10 बजे ही आया है। मैं आपके पास इस पूरे विवरण को भिजवा दूंगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 127 के तहत चर्चा के लिए मैने निवेदन किया था, लिखित में भी कल दिया था उसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष : वह अभी मेरे विचार में है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी कल के लिए कह रहे हैं तो कल का समय तय कर दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : समय अपने-आप आ जाएगा, कल तक आ जाएगा। (व्यवधान) श्री भीमसेन चौधरी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राजस्व तहसीलदार, खाजूवाला को ए.एफ.एस.ओ. के अधिकार

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न समस्या के समाधान हेतु वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं खाजूवाला तहसील में एम.एफ.एफ.आर. विस्थापितों एवं वन विभाग के बीच अनेक प्रकरण एक दशाब्दि से लम्बित हैं। उपनिवेशन विभाग व वन विभाग के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् दोनों विभागों की आपसी सहमति से चिन्हित कृषि भूमि, आयुक्त उपनिवेशन के आदेश से एम.एफ.एफ.आर. विस्थापितों को 1987 में आवंटित की गई थी। उक्त भूमि को राजकीय भूमि मानकर भूमि आवंटन हुआ था लेकिन इस सम्बन्ध में राजकीय भूमि मानने के आदेश विधिवत प्रसारित न होने से यह समस्या लम्बित पड़ी है। पूर्व में उपनिवेशन विभाग द्वारा वन विभाग को सशर्त भूमि आबंटित की गई थी जो भूमि भविष्य में कमांड होगी व जहां वन विकास का कार्य नहीं होगा उक्त भूमि को सम्बन्धित उपनिवेशन तहसीलदार को पुनः सुपुर्द करना होगा। विवाद होने पर उपनिवेशन विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इन्हीं शर्तों के अनुसार एम.एफ.एफ.आर. विस्थापितों को आयुक्त उपनिवेशन के आदेश से ही भूमि आबंटित की गई थी। उक्त आंबटित भूमि काश्तकारों के कब्जा काश्त में है लेकिन रिकार्ड में वन विभाग का नाम अंकित है। अतः मामले के निपटारों हेतु राजस्व, तहसीलदार, खाजूवाला को ए.एफ.एस.ओ. के अधिकार दिये जाएं ताकि ऐसे सभी लम्बित मामलों का निपटारा हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसाद जी।

(12.30 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

पडिहारा ग्राम, रतनगढ़ में पेयजल की व्यवस्था

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी नियम 295 के अंतर्गत मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्राधीन गांव पड़िहारा की पेयजल समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पड़ियारा रतनगढ़ क्षेत्र का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है। यहां का पानी खारा है जो पेयजल योग्य नहीं है। पड़िहारा को मीठे पानी की सप्लाई गांव आलसर के नलकूप के माध्यम से की जाती है। पड़िहारा आलसर का लम्बा फासला है, नियमित रूप से मीठे पानी की सप्लाई न होने से जनता को भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पड़िहारा गांव के कुओं से भी नियमित सप्लाई नहीं होना बताया गया है।

एतदर्थ आगे आने वाले गर्मी के मौसम में और भी कठिनाई बढ़ने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अभी से पेयजल की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है

कृपया माननीय मंत्री जी पेयजल की समुचित व्यवस्था से जनता को अनुगृहीत करें।

चूरू के कोतवाली थाने में दर्ज हत्या के मुकदमें में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं। चूरू जिला मुख्यालय में दिनांक 23-10-98 को एक नवयुवक श्री बनवारीलाल शर्मा का अपहरण करके निर्मम हत्या कर दी गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 345/98 कोतवाली, चूरू में दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में रामलाल, राजकुमार सहित 6 लोगों को नामजद किया गया। हत्या के विरोध में चूरू शहर में दिनांक 1-11-98 को सभ्रांत नागरिकों द्वारा धरने का आयोजन भी किया गया। हत्यारों को बचाने के लिए फरवरी, 1999 में जांच पत्रावलियां उप पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., बीकानेर को सौंप दी गई। उप पुलिस अधीक्षक द्वारा हत्या के चश्मदीद गवाह श्री जगदीश यादव व अन्य को पूछताछ के बहाने बार-बार बीकानेर बुलाया जा रहा है।

बीकानेर में हत्या के नामजद अभियुक्तों द्वारा गवाहों को सरेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके कारण घटना के गवाह अपने-आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। चश्मदीद गवाहों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के सम्मुख अपना बयान भी दर्ज कर दिया है परन्तु फिर भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख दर्ज बयान को अनुसंधान की पत्रावली में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं।

हत्या के नामजद अभियुक्तों द्वारा खुले घूम-घूम कर गवाहों को व मृतक के परिजनों को आंतकित किया जा रहा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अत: मैं विशेष उल्लेख के जरिये गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए तुरन्त कठोर निर्देश दें व संबंधित पत्रावलियों की अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के किसी अधिकारी से जांच कराएं।

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ढाणी कलसावड़ा में लगे ट्रांसफार्मर को निकालकर अन्यत्र लगा दिया जाना

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधि नियम 295 के अंतर्गत मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, जिला अलवर में एक ढाणी कलसावड़ा के वासियों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

ग्राम कलसावड़ा वर्ष 1992 से इलैक्ट्रिफाइड है। इस ग्राम हेतु वर्ष 1993 में डोमेस्टिक एवं एग्रीकल्चर विद्युत कनेक्शन हेतु आदेश हुए। ग्रामवासी डिमाण्ड नोटिस जमा करवाकर उपखंड रामगढ़ से ट्रांसफॉर्मर एवं खंभे तार इत्यादि अपने ही ट्रैक्टरों में लेकर गये किन्तु तत्कालीन विधायक के राजनैतिक दबाव के कारण इस ग्राम से ट्रांसफॉर्मर, खंभे एवं तार इत्यादि उठवाकर पास के दूसरे ग्राम में लगवा दिये गये। तब से लेकर आज तक लगभग 6 वर्ष से कलसावड़ा के निवासी लगातार उपखंड विद्युत कार्यालय रामगढ़, खण्ड कार्यालय अलवर, अधीक्षण अभियंता, अलवर के चक्कर लगा रहे हैं, मारे-मारे फिर रहे हैं फिर भी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इस बीच ग्रामवासियों के किराए भाड़े में लगभग 60,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। इस बीच संशोधित आदेश से दो बार डिमाण्ड नोटिस निकल चुके हैं। बार-बार विद्युत विभाग गैर जिम्मेदारीपूर्ण कार्यवाही कर रहा है तथा जरूरत से ज्यादा डी.एन. निकाल रहा है जिसे ग्रामवासियों द्वारा जमा करना सम्भव नहीं है। यह उनके साथ भारी अन्याय भी है। मैं स्वयं संबंधित सभी अधिकारियों को लिखकर एवं मौखिक संपर्क कर चुका हूं किंतु कोई समाधान नहीं निकला है। माननीय, आपके माध्यम से यह न्याय की पुकार करता हूं कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवैध कार्य करने के कारण कार्यवाही की जाएं और गरीब किसानों को विद्युत कनेक्शन दिलाये जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपने ध्यान आकर्षित किया है विशेष उल्लेख के जरिये। राज्य में कुल विद्युतीकृत गांव 1998-99 तक साढ़े पैंतीस हजार हैं और एक्चुअल इलैक्ट्रिफाइड विलेज हैं साढ़े बत्तीस हजार, तीन हजार गांव ऐसे हैं जो कागजो में तो विद्युतीकृत हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं है। अब नयी सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रति वर्ष जिन गांवों को हम विद्युतीकृत करेंगे, जैसे इस वर्ष 1999-2000 में सात सौ नये गांवों को विद्युतीकृत

(डा. चन्द्रभान)

किया जाएगा, इसके साथ में जो यह बैकलॉग पूर्व सरकार के समय रह गया है करीब तीन हजार का कागजों में तो आपने घोषित कर दिया।

श्री अमराराम (धोद) : पूर्व ऊर्जा मंत्री ने तो बियालीस हजार दो सौ कुछ बताये थे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने... (व्यवधान) आदेश कर दिये, डिमाण्ड नोटिस जमा हो गये और नियमानुसार उसके बाद उठवा भी दिये गये लेकिन आज तक उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ए.ई.एन., जे.ई.एन. मांगते हैं, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें यह मेरा निवेदन है। इलेक्ट्रिफाइड घोषित होकर तार, खंभे, ट्रांसफार्मर इत्यादि ले गये।

डा. चन्द्रभान : माननीय अमराराम जी ने जो बात कही है, इनकी संख्या चार हजार के आस-पास थी वह घटकर तीन हजार से ज्यादा रह गयी है। बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जिनको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जाता है, कई में जैसा आपने कहा कुछ मैटीरियल पहुंच जाता है कुछ नहीं पहुंचता है...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, आप इसकी जांच तो करवाइए।

डा. चन्द्रभान : आपके इस गांव को दिखवा लेंगे और आप निश्चित रहिए, जल्दी से जल्दी इसको एक्चुअली इलैक्ट्रिफाई कर देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इलैक्ट्रिफाइड है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, इलेक्ट्रिफाइड घोषित है लेकिन उसमें सामान की कमी है, सामान भिजवाएंगे तब जाकर एक्चुअली इलैक्ट्रिफाई होगा। वह सामान भिजवा देंगे और तीन हजार गांव जो रह गये हैं फेज मैनर में आने वाले एक-दो साल में इनका भी इलैक्ट्रिफिकेशन करेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मंत्री जी, मजरे और ढाणियां जो गांव से बड़े हैं उनका भी प्रोविजन है क्या इलैक्ट्रिफाई करने का ? मजरे और ढाणी जो रेवेन्यू गांव से भी बड़े हैं... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह जो आप मजरे और ढाणी की बात कर रहे हो, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम होता है और कुछ मजरे और ढाणी वे हैं जो इलैक्ट्रिफाइड विलेज के नजदीक हैं, उनको भी संलग्न करते हैं। लेकिन फिलहाल, उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति ऐसी है कि राजस्थान में करीब 40 हजार राजस्व गांव है और मैंने जैसा बताया, तीन-साढ़े तीन हजार गांव तो वे ही हैं जो इलैक्ट्रिफाइड है और उनको हम कर नहीं पाये हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिफाइड है 32-साढ़े 32 हजार गांव, कागजों में साढ़े 35 हजार से ज्यादा है छह सौ और काउंट कर लेंगे जो पिछले वर्ष हुए हैं, तो ये सवा 36 हजार हो जाएंगे। अभी तो जो रेवेन्यू विलेज हैं उनको इलेक्ट्रिफाई कर रहे हैं, जब राजस्व गांव हो जाएंगे तब ढाणियों को करेंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : मंत्री महोदय, कम से कम लिस्ट तो आउट कर दीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कन्हैयालाल मीणा। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, जबाव आपके पास आ जाएगा। बात हो गई ना। आपका जवाब सात रोज में आ जाने का जब अध्यक्ष महोदय ने निर्णय ले लिया उसके बाद तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री दुर्गा प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो केवल यह चाहते है कि लिस्ट आउट कर दी जाएं कि किन गांवों को इलेक्ट्रिफाई किया गया है, किनको नहीं किया गया है। जिन गांवों को इलेक्ट्रिफाई कर दिया गया है और दर्शा दिया है, जिनको इलेक्ट्रिफाई दर्शाया गया है वे इलेक्ट्रिफाई नहीं हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका जवाब नहीं आएगा, माननीय सदस्य, फायदा क्या है। आपका जवाब आएगा ही नहीं, 295 है। आप बैठिए, यह कोई डिबेट थोड़े ही हो रही है।

श्री दुर्गा प्रसाद : विधान सभा वाइज लिस्ट दिलवा दें ताकि हमें यह तो पता चल सके कि किन गांवों को इलेक्ट्रिफाई करवा दिया गया है। कागजों में करवाया है केवल। हम तो केवल यह चाहते हैं कि विधान सभा वाइज इस लिस्ट को बता दीजिए। आप इस लिस्ट को विधान सभा में आउट करवा दीजिए केवल, ताकि हमें यह पता पड़ जाएं कि किन गांवों को इलेक्ट्रिफाइड दर्शाया गया है वे वास्तव में इलेक्ट्रिफाइड नहीं हैं।

बस्सी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कन्हैया लाल जी।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) **:** उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उल्लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी की सड़कों की हालत मरम्मत के अभाव में अत्यन्त ही दयनीय हो गई है जिसके कारण यातायात सड़क पर चलने की बजाय कच्चे रास्तों पर चलना अधिक पसन्द करता है। साथ ही ऐसी स्थिति में आए दिन दुर्घटनाओं को निमंत्रण मिलता है। अतः कृपया निम्न सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करवाने हेतु स्वीकृति देने का कष्ट करे :-

1. बस्सी से काशीपुरा वाया देवगांव सड़क।
2. बांसखों से भूडला वाया राजपुरा पातलवास।
3. कानोता से सांमरिया वाया फालियावास।
4. बेनाड़ा से नावपुरा।
5. बस्सी कल्याणगंज से सामरिया वाया मनोहरपुरा कवोलिया पालावाला जाटान।
6. बांसखों से नई का नाथ मंदिर, मंदिर के पास नाले में पाइप कलवट का कार्य।
7. कानोता नाथला रोड से घाटा वाया कूंथाड़ा ।
8. बस्सी तूंगा सड़क से करनगढ़।
9. चाकसू तूंगा लवाण सड़क।
10. सम्पर्क सड़क धूला वाया बड़वा पडासोली।
11. रोजवाड़ी से गुमानपुरा वाया माधोगढ़।

(श्री कन्हैया लाल)

12. सम्पर्क सड़क माधोगढ़ से देवरी।

13. लिंक सड़क जितावाला।

14. लिंक सड़क कानोता रेलवे स्टेशन।

15. लिंक सड़क बांसखो सेमटेरी वाया पाटन।

16. लिंक सड़क जयपुर बस्सी सड़क से कानोता गांव।

17. लिंक सड़क तूंगा से देवगांव सड़क।

18. लिंक सड़क हंस महल से भटेरी।

19. बस्सी तूंगा से नई का नाथ महादेव सड़क।

20. लिंक सड़क सब चाई बस्सी से दुधली रोहिताशपुरा।

21. लिंक सड़क बांसखो फाटक से धूलार विजी।

22. लिंक सड़क बस्सी देवगांव सड़क से करणगढ़ वाया खेतपुरा, रूपपुरा मोरण्डी।

23. एन.एच. 11 से टहटडा वाया कटवाड़ा।

24. दांतली-गोनेर रोड़ से कानडवास वाया भूरथल।

25. कानोता से हरेडी वाया पंचमुखी हनुमानजी।

26. बस्सी तूंगा लालसोट सड़क।

27. कानोता नायला सड़क।

28. गढ़ की कोठी से राजपुरा पातलवास सड़क।

29. लिंक सड़क बस्सी रेलवे स्टेशन।

30. लिंक सड़क जटवाड़ा।

31. माधोगढ़ से अनन्तपुरा।

32. सम्पर्क सड़क चाकसू गरूडवासी के मध्य ढूढ़ नदी पर पुलिया बनाने हेतु।

33. चाकसू कोटखावदा सड़क से राड़ोली।

34. लिंक सड़क बिहारीपुरा।

35. संपर्क सड़क रामरतनपुरा।

36. लिंक सड़क राष्ट्रीय राज मार्ग 11 से कल्याणजी श्री जी बैनाड़ा।

37. लिंक सड़क कानोता से गायत्री माता मंदिर।

38. लिंक सड़क बाल रश्मि से खेडी।

39. लिंक सड़क प्रहलादपुरा से देवरी वाया जयरामकाबास।

40. लिंक सड़क आगरा रोड से दुधली सुजानपुरा।

41. लिंक सड़क बांसखो रेलवे स्टेशन से पोतली वाया गुर्जरों की ढाणी।

42. लिंक सड़क बस्सी सांभरिया सड़क से बराला।

43. लिंक सड़क तूंगा से महादेवपुरा।

44. लिंक सड़क तूंगा भदला सड़क से रजवास।

45. लिंक सड़क दौसा धूला सड़क से नांगल बोहरा।

46. लिंक सड़क आगरा रोड से मोहनपुरा गांव तक।

(श्री कन्हैया लाल)

47. लिंक सड़क गोनेर सड़क से भूरथल वाया गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा।

48. लिंक सड़क राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 11 से रायसर पालावाला।

49. लालगढ से गढवायासाड़ा की ढाणी।

50. लिंक सड़क तूंगा से हेमलयावाला।

51. लिंक सड़क खेडी।

52. कानोता से नायला सड़क।

53. राष्ट्रीय राज मार्ग नं 11 से झर रेल्वे स्टेशन।

54. लिंक सड़क कल्याणगंज से दामोदर पुरा।

55. लिंक सड़क जटवाड़ा से बडवा वाया पडासोली।

56. दुधली मोड से चावण्डिया वाया श्यामपुरा।

उपरोक्त सड़कों की प्राथमिकता से मरम्मत करवाने की कृपा करें।

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की दयनीय स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता है। करौली जिले के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सड़कों की हालत बड़ी दयनीय हो गयी है। पूर्व सरकार के समय जब मैंने इस सदन में यह बात रखी तो सड़क मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने इस सदन में कहा था कि मैं सड़कों पर चलता हूं और गड्ढों पर गाड़ी गिरती है तो मेरे दिल में फफोले पड़ जाते हैं। पर वो चले गये और सड़कों की दुर्दशा हो गई है। ग्रामों की सभी सड़कों में गड्ढे पड़ गये है, पैदल चलना भी दूभर हो गया है। मरम्मतों का सहायक अभियंता टोडाभीम में बैठता था, वह भी पूर्व भाजपा सरकार ने तोड़ दिया है।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, आप नीचे से ऊपर पढ़ रहे है या ऊपर से नीचे?

श्री रामस्वरूप : नहीं, मैं तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूं अगर कोई जाने देगा तो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी हमेशा यह प्रवृत्ति रही है कि आप लिखा हुआ नहीं बोलते हो और अपने मन से बोलते हो। मेहरबानी करके इसी को पढ़े।

श्री रामस्वरूप : इसी को पढ़ रहा हूं, साहब, आप मिला लो एक-एक अक्षर।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मैं मिला रहा हूं इसको।

श्री रामस्वरूप : बिलकुल मिला लो आप, फर्क नहीं आ सकता जरा-सा भी। पैदल चलना भी दूभर हो गया है। मरम्मत का सहायक अभियन्ता टोडाभीम में बैठता था वह भी पूर्व भाजपा सरकार ने तोड़ दिया जबकि टोडाभीम क्षेत्र सड़कों की दृष्टि से बहुत बड़ी तहसील है। 500

(श्री रामस्वरूप)

किलोमीटर लम्बाई की इस क्षेत्र में सड़क है। वार्षिक मरम्मत व विशेष मरम्मत के अंतर्गत आता है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कई कार्य चल रहे हैं। इस क्षेत्र में महान तीर्थ स्थान मेहंदीपुर बालाजी स्थित है। लाखों यात्री कैलादेवी, श्रीमहावीरजी आते है, उन्हें सड़कों के अभाव में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। टोडाभीम से श्रीमहावीर जी सड़क अधूरी है। महावीर जी से गढ़मोरा लालसर नेशनल हाईवे नं. 11 भांडारेज पर जोड़ने वाली अधूरी है। करौली नया जिला बनने के कारण टोडाभीम में नये सरकारी भवन स्वीकृत हुए हैं नई तहसील भवन, थाना भवन, कृषि उपज मंडी, चार मुंसिफ कोर्ट, छात्रावास आदि। हिण्डौन उपखण्ड इस तहसील को देखता है जो 50 किलोमीटर दूर है। अधिकारी इस क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं। टोडभीम के लिए विश्व बैंक की योजना सहायक अभियंता प्रोजेक्ट 34 खंड है पर विश्व बैंक के कार्य बंद हो चुके हैं और कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी ठाले बैठे हैं।

ऐसी परिस्थिति में सहायक अभियंता प्रोजेक्ट उपखण्ड टोडाभीम को सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (रेगुलर) उपखण्ड टोडाभीम में परिवर्तित करने दें ताकि टोडाभीम क्षेत्र का विकास हो सके। सहायक अभियंता कार्यालय खोलना सरकार के विचाराधीन है।

अतः मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से सदन का ध्यान मेरे क्षेत्र की अधूरी सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं ताकि अधूरा कार्य पूर्ण हो सके व सहायक अभियंता कार्यालय खुल सके ताकि जनता में व्याप्त असंतोष दूर हो सके।

विद्यालयों में नियुक्त अवैतनिक अध्यापकों का नियमितीकरण

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 1990 में अध्यापकों की भारी कमी वाले राजकीय विद्यालयों में जिला अधिकारी के लिखित आदेश से कुछ अध्यापकों की अवैतनिक नियुक्ति की गयी थी तथा विश्वास दिलाया गया था कि संबंधित शाला में अध्यापक का नया पद सृजित होने पर अध्यापक पद पर नियमित कर वेतन भुगतान करना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे लोग अब भी अनवरत कार्यरत हैं।

मान्यवर, बिना वेतन काम लेना बेगार की परिभाषा में आता है जो भारत के संविधान द्वारा प्रतिबंधित है, इसलिए जो लोग :-

1. प्रशिक्षित हैं।

2. स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर में पिछले आठ वर्षों से जिनकी नियमित हाजरी होती आ रही है।

3. जिनका परीक्षा परिणाम सदैव से ही उत्तम रहता रहा है।

4. कक्षाध्यापक के रूप में जो अच्छा कार्य करते आ रहे हैं।

(श्री श्रवण कुमार)

5. समय-समय पर कार्यवाहक प्रधाना-ध्यापक के रूप में भी जिन्होंने शाला का संचालन सफलतापूर्वक किया है।

6. शिक्षकों की राज्य स्तरी क्रीड़ा प्रतियोगिता में भी जिन्होंने कुशलतापूर्वक भाग लिया है।

ऐसे अध्यापकों को कोई नीति बनाकर या सामान्य आदेश प्रसारित कर कार्यारम्भ तिथि से नियमित सेवा में मानते हुए बकाया वेतन भुगतान किया जाए।

झुंझुनूं जिले में ऐसे कई प्रकरण हैं जहां ऐसे अध्यापकों को वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। अत: ऐसे अध्यापकों को नियमित किया जाए।

घाटोल विधान सभा क्षेत्र के कब्जाकाश्त भूमि की राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती एवं उसका आबंटन

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानालाल नीनामा।

श्री नानालाल (घाटोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल (बांसवाड़ा) की तरफ आकर्षित कर निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के काश्तकार लम्बे समय से राजस्व की भूमि पर काबिज हैं एवं काश्त कर रहे हैं और पैनल्टी की राशि जमा कराते आये हैं। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि किस्म जंगल दर्ज होने से एलाट नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से गरीब किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि की किस्म को सुधार कर काबिज काश्तकारों को अलाटमैंट की कार्यवाही प्रारम्भ कराने का श्रम करें। धन्यवाद।

लाडपुरा में पेयजल की गम्भीर समस्या

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती पूनम गोयल।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान लाडपुरा (कोटा) में पीने के पानी की भयंकर किल्लत की और आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, लाडपुरा चम्बल के किनारे पर स्थित है और पानी के अथाह भंडार के द्वार पर खड़ा होकर भी आज प्यासा मर रहा है। लाडपुरा की आधी से अधिक आबादी नयी कालोनियों में रहती है। कृषि भूमि पर जो कॉलोनियां बसी हुई हैं जैसे प्रेमनगर, गोविन्दनगर, बजरंगनगर, गायत्री बिहार, पुलिस लाईन, कुन्हाड़ी (सुभाषनगर) आदि वहां पर आपके विभाग ने आज दिन तक पाइप लाइन भी नहीं बिछायी है और न ही कोई पानी की टंकी का निर्माण कराया है। गर्मी के इस मौसम में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे है। कुछ एक जो हैण्ड पम्प बने हैं उन पर हमारी बहनों को घंटों तक पानी की एक

(श्रीमती पूनम गोयल)

बाल्टी या घड़े के लिए इस 40 डिग्री के तापमान में भी खड़ा रहना पड़ता है। हमारी महिलाओं की तरक्की की घोषित नीति है परन्तु जब तक हम हर गांव, हर शहर और हर घर को पानी नहीं देंगे महिलाओं को मुक्ति नहीं मिलेगी, उनकी आधी जिन्दगी तो पानी भरने में ही कट रही है। इसलिए मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि : -

1. जिन कालोनियों में पाइप लाइन नहीं डाली है वहां पर तुरन्त पेयजल हेतु पाइप लाइन डाली जाए।

2. हैण्ड पम्प जो खराब हो गये हैं उनको तुरन्त ठीक कराया जाए। जो ठीक नहीं हो सकते हैं उनके स्थान पर नये लगाये जाएं। 50 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं।

3. ज्यादा समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की व्यवस्था की जाए।

4. कम से कम 50 हैण्ड पम्पों की इसी माह स्वीकृति दी जाए ताकि आने वाले दिनों में जब गर्मी बढ़ने वाली है लोग जिन्दा रह सकें और जो आज लाडपुरा से पलायन हो रहा है वह रुक सके।

अन्त में, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगी कि कम से कम एक करोड़ रूपये की स्वीकृति आज ही जारी कर लाडपुरा की पेयजल समस्या का समाधान करें। आशा है, आप इस समस्या की गम्भीरता को देखकर अवश्य कोई न कोई समाधान करेंगे। धन्यवाद।

सिरोही विधान सभा क्षेत्र के गाम बड़ा वेटा व कलदारी में विद्युत सुविधा का अभाव

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निम्नांकित महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं : -

सिरोही विधान सभा क्षेत्र के गांव बड़ा वेरा व कलदारी में बिजली की कोई सुविधा नहीं है। इससे लोगों को बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इन गांवों में आदिवासी बहुतायत में रहते है। यहां आवागमन व चिकित्सा की भी कोई सुविधा नहीं है। अंधकार की वजह से जीवन बचाव भी कष्ट साध्य हो गया है। मेरा आग्रह है कि इन गांवों को विद्युतीकृत करने का कष्ट करें।

बाड़मेर जिले के गांवों में अग्नि पीड़ित किसानों को उचित सहायता

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार व सहायता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान ढाणियों यानी कच्चे मकानों में

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

रहते है। अग्नि दुर्घटना होने पर किसानों के झूंपे जल जाते हैं। झूंपों में बाजरा, ग्वार, एवं अन्य घर के भी सामान के साथ-साथ हजारों रुपयें के नोट जल जाते हैं। राजस्थान सरकार के सहायता विभाग से जो सहायता उन पीड़ित किसानों को दी जाती है वह अपर्याप्त है।

राजस्थान सरकार को इस बारे में गम्भीरता से सोचकर किसानों को उनके नुकसान की कम से कम आधी सहायता प्रदान करनी चाहिए। अत: मैं उक्त गम्भीर एवं लोक महत्व की समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। धन्यवाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सरदार शहर में ग्राम सेवा प्रन्यास को आबंटित भूमि

श्री उपाध्यक्ष : अल्प समय की सूचना श्री राजेन्द्र राठौड़

(13.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान चूरू जिले के अन्दर सरदार शहर तहसील में ग्राम सेवा प्रन्यास को आबंटित भूमि की ओर दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, नये मुख्य मंत्री जी ने नारी शिक्षा, पिछड़ों, दलितों की बात कई बार कही है। सरदारशहर में ग्राम सेवा प्रन्यास एक इस तरह की संस्था है जो नारी शिक्षा के लिए बच्चों का छात्रावास चलाती है और नारी उत्थान के लिए काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संस्था को 7-2-97 को राजस्व भूमि अधिनियम 1963 की धारा 102 के अन्तर्गत भूमि आबंटित हुई। 6-3-97 को संस्था के नाम से भूमि का नामान्तरण हो गया, 7-3-97 को संस्था को कब्जा मिल गया और निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया। 25 बीघा भूमि आबंटित हुई। परन्तु ज्योंही नई सरकार आयी, सरकार के बड़े मंत्रीजी के दबाव में आकर इस भूमि को 5-4-99 को नोटिस देकर निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी। इस कार्यवाही के पीछे एक सोचा समझा मकसद है। एक बापा सेवा सदन नाम से संस्था चलती है संस्था से हमें कोई एतराज की बात नहीं है उस संस्था को 1967 में खसरा नम्बर 282/2 में 37 बीघा 13 बिस्वा भूमि आबंटित हुई। 2 बीघा उस भूमि का उपयोग वह संस्था कर रही है। अब यह सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, उस संस्था के अध्यक्ष, कांग्रेस के हमारे वित्त मंत्रीजी हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अध्यक्ष कौन हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : नहीं, यह गलत है, कमलजी घीया हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चलो नहीं है, हटा दिया होगा आपने। चलो ठीक है, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष उसके अध्यक्ष हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बापा सेवा सदन को 1967 में 37 बीघा भूमि सरकार ने कुछ शर्तों के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साथ आबंटित की और वह उपयोग कर रही है 2 बीघा भूमि। इसलिए वह भूमि निरस्त हो और इस संस्था को जमीन मिले इसके लिये सारी कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

मैं एक सैकण्ड में समाप्त कर रहा हूं। अब इस भूमि के लिये कहा गया कि इस भूमि पर बापा सेवा सदन की संस्था ने पेड़ लगा रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से वे सारे परिपत्र और पत्रादि सदन की मेज पर रख सकता हूं जिसमें एस. डी. एम. की जांच, तहसीलदार की जांच, मौका-पटवारी की जांच है जिन्होंने कहा है कि भूमि सफेद है। संस्था ने जब आवेदन किया तो उसके पश्चात् जिला कलेक्टर ने एस.डी.एम. को जांच दी कि यह भूमि किस किस्म की है, आबंटित करने लायक है कि नहीं, सफेद भूमि है कि नहीं। सारी जांच के पश्चात् भूमि आबंटित हुई। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि लच्छेदार भाषण देना तो बहुत आसानी से किया जा सकता है परन्तु गांव की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई जो संस्था नारी उत्थान के लिये काम कर रही है, उस संस्था को आवंटित भूमि यह सरकार रद्द कर रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। इसलिए मेरी मांग है कि इस संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि जिस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया, रद्द नहीं की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राम-नारायणजी चौधरी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, इसी सम्बन्ध में मेरा भी निवेदन है। (व्यवधान) अधिक समय नहीं है, इसलिये मैं इसमें एक मिनट निवेदन करना चाहूंगा। जिस प्रकार की भूमि का माननीय सदस्य ने यहां पेश की है उससे तो मैं कतई सहमत नहीं हूं। लेकिन इतना निवेदन करना चाहूंगा कि एक संस्था जो ग्रामीण क्षेत्र में सेवा कर रही है, उसको भूमि आबंटित हुई। उसने वहां निर्माण कार्य शुरू करवा दिये तो अब उससे वह जमीन किन्हीं कारणों से नहीं ली जानी चाहिए। आपने जो राजनीतिक रूप दिया है उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं लेकिन इस बात का पक्षधर हूं कि उस संस्था को जो कानूनी रूप से जमीन आबंटित हुई थी और निर्माण कार्य उसमें किया जा चुका है वह जमीन उस संस्था के पास रहनी चाहिए क्योंकि वह ग्रामीण क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा कर रही है, अच्छी संस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि बापा सेवा संस्था की जमीन दूसरी संस्था को देने के बजाय यदि आपको और देनी है तो उसको दूसरी भूमि दे दें। वह भूमि पहले उसको आबंटित की जा चुकी है और उस पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसने निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया है तथा वह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिये काम कर रही है तो क्या जरूरी है कि आप वही जमीन दूसरों को दें ? वह बापा सेवा सदन के पास ही रहनी चाहिए 25 बीघा जमीन। दूसरी कोई संस्था है, वह चाहे जिनकी भी है, अगर उनको और दूनी चाहिए तो दूसरी जमीद दे दें। इसमें किसको एतराज है?

श्री रामसिंह कस्वां : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि दोनों जमीनें अलग-अलग हैं, दोनों खसरा नम्बर अलग-अलग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी बात।

श्री रामसिंह कस्वां : एक मिनट।

बापा सेवा सदन को जो जमीन पहले आबंटित हुई थी (व्यवधान) उस जमीन पर और लोगों ने कब्जा कर लिया। उसको तो खाली करवाते नहीं हैं और जो किसानों की जमीन थी, नारी शिक्षा के लिए जमीन आबंटित की थी उसको लेना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले पर गम्भीरता से सोचें आप।

अलसीसर पंचायत समिति के ग्राम लूटू और कोलींडा गांव की रीजनल स्कीम में पानी व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राम-नारायणजी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा में सौ गांव पंचायत समिति अलसीसर के खारे पानी के हैं। लूटू और कोलींडा गांव की रीजनल स्कीम है जिसके नीचे 40 गांव हैं। पहले उस स्कीम से 40 गांवों के अन्दर पानी पहुंचता था और डबल मंजिल पर बने हुए मकानों में भी पानी पहुंचता था लेकिन अब यह स्थिति हो गयी, सरकार के कर्मचारियों की अकर्मण्यता की वजह से ही 40 गांवों के बजाय आज सिर्फ 4-5 गांवों के अन्दर पानी पहुंचता है। मान्यवर, उन गांवों के अन्दर कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी खारा है और लूटू-कोलींडा से जो पानी जाता था, वह भी आज नहीं जाता है। गांव वालों ने अपनी व्यवस्था की। मान्यवर, वहां पर टी.एस.एस. लागू नहीं है, रीजनल स्कीम होने के कारण वाटर वर्क्स वाले यह कहते हैं कि यहां पर तो पानी की व्यवस्था है इसलिए हम टी. एस. एस. की व्यवस्था नहीं करेंगे। पानी खारा है लेकिन नहाने के लिये, धोने के लिये, चेजा-भाटा करने के लिये, मवेशियों के लिये टी.एस.एस. स्कीम की जरूरत है। टी.एस.एस. वह है जो गांव के सार्वजनिक कुएं के अन्दर गवर्नमेंट मशीन लगाकर, मोटर लगाकर पानी की सप्लाई गांव को देती है। खारे पानी का पीने के पानी में तो कोई उपयोग नहीं है लेकिन दूसरे और भी बहुत काम हैं नहाने-धोने के मवेशियों को पिलाने के चेजा-भाटा करने के इन सब चीजों के लिये अब बड़ी भारी मुसीबत हो रही है, उस स्कीम के नीचे जो 40 गांव थे उनमें।

(श्री रामनारायण चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राजस्थान सरकार के पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कृपा करके अर्जेण्ट बेसिस के ऊपर अधिकारियों को बुलाकर लूटू और कालोंडी की स्कीम को जो पहले बनी थी, उसी हिसाब से उसी कैपेसिटी में गांव को पानी दिलवाने की व्यवस्था करें ताकि व्यवस्था हो सकें, लोग प्यासे नहीं मरें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा (अनुपस्थित) माननीय श्री अमराराम।

अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर तारबन्दी के अन्तर्गत आयी भूमि का मुआवजा

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन किसानों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिनकी जमीन अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के अन्दर आ गयी है। लाखों किसान हैं जिनकी करोड़ों रूपये की भूमि तारबंदी के अन्दर आ गयी है। लघु और सीमान्त किसानों की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा, तारबंदी के अन्दर आने के बाद न तो सरकार ने आज दिन तक उनको कोई मुआवजा दिया है और न उनके बदले में कोई दूसरी जमीन अलाट की है। यह बात तो निश्चित रूप से तय है कि अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी की जाए। यह तो स्वागत योग्य है, लेकिन जिनकी भूमि उस तारबंदी के अन्दर आयी है उनको निश्चित मुआवजा आज की वहां की जमीन की वैल्युएशन के आधार पर दिया जाए। अन्यथा, अन्य दूसरी जमीन, जिस काश्तकार की जितनी जमीन आयी है उस हिसाब से अलाट की जाए। अब सैकण्ड फेज में की जा रही है और वहां चारों जिले के किसान इस अन्तरर्राष्ट्रीय सीमा में तारबंदी में आ रहे हैं। निश्चित रूप से यह सरकार उन किसानों को, जिनकी करोड़ों रूपये की जमीन अन्तरर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के अंन्दर आयी है, लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगी मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है।

चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि राजस्थान के चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट की नियुक्तियां काफी वर्षों से नहीं हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर तो आज डिमाण्ड है, उसमें बोल दीजिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : नहीं, डिमाण्ड पर मैं नहीं बोल रहा हूं।

मेरा निवेदन यह है कि 1980-81 के अन्दर सरकारी चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट पद पर जो डी. फार्मा किए हुए विद्यार्थी थे, उन लोगों को नियुक्तियां दी गयी थीं। इस कोर्स के अन्दर लगते हैं और 3 वर्ष के बाद में वे बेरोजगार रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री अमराराम चौधरी)

निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी चिकित्सालयों में दवाई का रख-रखाव, भण्डारण आदि अकुशल कर्मचारी कर रहे हैं। अकुशल कर्मचारियों के करने के कारण ये दवाइयां मियाद-बाहर हो जाती हैं और सरकार को बड़ा भारी नुकसान होता है। वैसे भी यह फार्मेसी एक्ट, 1948 का बड़ा भारी उल्लंघन है क्योंकि ये कुशल होते नहीं है। अकुशल कर्मचारी ही दवाइयों का रख-रखाव करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि आज करीब 3600 पोस्ट्स चिकित्सालयों के अन्दर खाली पड़ी हैं। इन 3600 रिक्त स्थानों को जो हमारे बेरोजगार गांव के लड़के हैं, बड़ी मुश्किल से वे इस कोर्स को करते हैं, इसमें तीन-तीन, चार-चार वर्ष लगते हैं और वे अपना डी-फार्मा और बी-फार्मा करते हैं, उनको नियुक्ति देने का आदेश करें ताकि यह बेरोजगारी भी मिटे और जो अनियमितताएं दवाइयों की रखने की चिकित्सालयों में हो रही हैं, वे नहीं हों। मेरा आपके माध्यम से इस बारे में पुनः निवेदन है कि फार्मेसी के छात्र और छात्राएं हैं, जिनके साथ में एक प्रकार से अत्याचार हो रहा है, उसको बन्द कराकर उनका जो यह अधिकार है उसके अनुसार उनको शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति देने का कष्ट करें। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके और सदन के ध्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लाना चाह रहा हूँ। मैं तो चाहता था कि गृह मंत्रीजी उसके बारे में बोलते। पर्चों की डकैती हुई, उसमें जो अपराधी थे वे आपने पकड़ लिये, आपकी तरफ से चलकर इस बात को कहना चाहिए था कि वे कौन अपराधी थे, उनसे आपको क्या जानकारी मिली। मतलब, इसके लिए आपको ज्यादा मुस्तैद रहकर बताना चाहिए था क्योंकि इसके कारण से सारे राजस्थान का वातावरण बहुत गन्दा था। उसको आपको चलकर बताना चाहिए था कि वे लोग कौन थे। वे उसी विद्यालय में पढ़ने वाले एक्स विद्यार्थी थे। उस विद्यालय के वे लोग पकड़े गये हैं जो आपने इसको...

श्री उपाध्यक्ष : आपको कोई, माननीय सदस्य.......

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसको रंग देने की कोशिश की है कि अपराधी है, चाल है, वह है और आर.एस.एस. है। कम से कम आप जानकारी तो दें कि ये अपराधी कौन हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : बड़ी सादडी से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने तो इस बारे में मुंह ही नहीं खोला। आप अपनी तरफ से ही बात कह लेते हैं और अपने आप ही उत्तर दे देते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप बताते न कम से कम, क्योंकि रोज यहां पर आरोप...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, अब मैं अब दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : रोज यहां सदन में जो मर्जी आए आरोप लगा देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जब पूरे तथ्य आ जाएंगे तब बताएंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कटारियाजी, मैंने कुछ नहीं कहा। कटारियाजी, मैंने कुछ नहीं कहा है। At appropriate time, appropriate answer will be given.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, दूसरों से कहलवा दिया, इसमें क्या है? (व्यवधान)

(13.13 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा जो मोशन था, वह 127 में था और लिस्ट आफ बिजनस में मंत्रीजी का वक्तव्य लिस्ट हुआ है। दिनांक पांच को आपने आसन से व्यवस्था भी दी थी, हमारा तीन माननीय सदस्यों का मोशन था, यह सूचना थी 127 में और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कोई सूचना दी थी एडजोर्नमेंट मोशन की जिसमें आपने फरमाया था कि वह उसके साथ लगेगा। 127 के मोशन की सूचना आलरेडी हमारे पास है। अध्यक्ष महोदय, अब उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। नियमों के अन्दर प्रावधान यह है कि दो दिन आप 127 के लिए, इस तरह के बिजनस के लिए अलाट करेंगे और 127 में चर्चा होगी तो रेगुलर डिबेट होगी, एक घंटे डिबेट होगी। टू नाइंटी में स्टेटमैंट होगा तो माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य होगा और कोई क्लेरिफिकेशन की आप अनुमति देंगे तो पूछ सकते हो और उसमें उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि अल्टीमेटली हमने ये सब रूल्स बनाये हैं, रूल्स में रेगुलर हम मोशन रखते हैं और नोटिसेज देते हैं तो उसको उसी हिसाब से लिस्ट करना चाहिए। मैं यह समझता हूं, हो सकता है कि यह सैक्रेटेरियल एरर हो। 127 के अन्दर पहले मैं स्टेटमेंट दूंगा, मैं अपना भाषण करूंगा और उसके बाद में मंत्रीजी रिप्लाई देंगे इसकी चर्चा एक से अधिक मंत्रालय से सम्बन्ध रखती है, यह सीधे-सीधे कोई कानून व व्यवस्था की तो चर्चा है नहीं जो मैंने नोटिस दिया है उसको भी आप पूरा पढ़ें। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जो व्यवस्था की गयी है, वह एक सिर्फ पार्ट है होम मिनिस्टर का तो...

श्री अध्यक्ष : हां, अभी 127 पर इस पर चर्चा नहीं कराकर मैंने यह उचित समझा है कि इसमें स्टेटमैंट मिनिस्टर का दिला दिया जाए। मैच भी हो गया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इससे वह परपज सर्व नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, स्टेटमैंट से परपज सर्व हो जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, कृपा करके...

श्री अध्यक्ष : इस पर डिबेट इतनी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : डिबेट कराने की कोई मैं आवश्यकता समझता ही नही हूं मैच हो गया उसके बाद। यह मैच जो हो गया है (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 127 में प्रावधान यह है कि पहले हम बोलें और उसके बाद वक्तव्य दें और फिर हमें कुछ पूछना हो तो हम पूछें। प्रावधान तो 127 में यही है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति दूंगा कि जितने भी आप प्रश्न पूछना चाहेंगे वे आप पूछिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो उनके मंत्रालय से सम्बन्ध ही नहीं रखता होगा, वह प्रश्न इनसे कैसे पूछेंगे ? उनके वक्तव्य में उसका समावेश भी नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बात यह है कि...

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय 127 में कोई मोशन नहीं होता है, सिर्फ चर्चा होती है और मैंने, अध्यक्ष महोदय, आपको यह सूचित किया है कि मैं इस विषय पर सदन में चर्चा उठाना चाहता हूं। कृपा करके उसकी अनुमति प्रदान की है लेकिन चर्चा का स्कोप लिमिट कर दिया न आपने होम मिनिस्टरी को देकर। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य का भी एक प्रस्ताव था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : होगा, इस पर आपको क्या आपत्ति है ? आपको क्या आपत्ति है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मैं तो आपकी जानकारी के लिए...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो आसन से व्यवस्था चाह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सम्माननीय सदस्य, मैं तो आपको फैक्चुअल पोजीशन से अवगत करा रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनका 127 में नहीं था, 127 में हमारा ही है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय की आज्ञा आदेश पर यह आपत्ति होगी तो... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो आज्ञा देंगे, आदेश देंगे उस पर किसी की आपत्ति तो कोई मायने रखती ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने अध्यक्ष महोदय को यह सूचित किया है कि....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आखिर में फैसला तो अध्यक्षजी को करना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय को ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और अध्यक्षजी ने फैसला कर दिया। उस फैसले के अनुरूप मैं यहां पर अपना स्टेटमैंट दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फैसला नहीं किया, मेरा यह मानना है कि यह इन्डवरटेंटली सैक्रेटेरिएल एरर है। अध्यक्ष महोदय, अगर नियम...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस पर आप चर्चा कर रहे हो ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी पर्सनल ओपीनियन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 127 के अन्तर्गत उस प्रावधान को देखकर जो वक्तव्य माननीय अध्यक्ष ने उस वक्त सूचित किया था, मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय 127 के अन्तर्गत चर्चा के लिए अनुमति देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 127 में है। नियम यही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, उसका पूरा काम्प्लैक्स चेंज हो जाएगा, अध्यक्ष महोदय, अगर आप...

श्री अध्यक्ष : नहीं कन्टैक्स्ट क्या है? कतई चेंज नही होगा, क्योंकि इसमें एक स्थगन-प्रस्ताव भी था इस क्रिकेट मैच के सम्बन्ध में और आपका 127 के अन्तर्गत चर्चा के विषय में था। उसकी मैंने अनुमति दोनों में ही नहीं दी है और यह व्यवस्था देकर मैंने गृह मंत्रीजी से कहा है कि वे एक स्टेटमैंट दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमैंट मोशन में और 127 में तो बहुत फर्क है।

श्री अध्यक्ष : है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमैंट मोशन तो चेयर कभी अलाउ करती ही नहीं है। एडजोर्नमैंट मोशन तो अलाउ करने का मतलब ही दूसरा हो जाता है और 127 को अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो यह रूल रिडंडेट हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : कहीं, रिडंडेट नहीं होगा। इसमें 127 की भी मैंने अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि स्टेटमैंट देने के लिए मैंने कह दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य-सूची में आपने प्राइवेट मैम्बर डे नहीं रखें 127 में मोशन नहीं लगाओ, आप शॉर्ट नोटिस पर आधे घंटे की चर्चा नहीं लगाओ तो फिर इन नियमों के प्रावधान का मतलब क्या है?

श्री अध्यक्ष : प्राइवेट मैम्बर्स डे यहां रखने की बात जहां तक है, वह बिजनस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय लेते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बिजनस एडवाइजरी कमेटी तो निर्णय लेती ही है, सदन ने उसको अनुमोदन भी किया है। वह नहीं कह रहा हूं मैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि प्राइवेट मैम्बर्स डे फ्राइ-डे के रोज रखते हैं। बजट सैशन ही सबसे लम्बा सैशन होता है। 127 का मेरा जो आग्रह है, वह इसलिए है कि होम मिनिस्टर का स्टेटमैंट तैयार नहीं होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन..

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एडजोर्नमैंट मोशन पर चर्चा करा रहे हैं या 127 पर?

श्री अध्यक्ष : हां, यह दोनों पर ही, दोनों पर।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं-नहीं, यह बहुत बढ़िया बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह दोनों पर कैसे हो जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 127 पर हमने दस दिन पहले दिया था, 27 तारीख को....

श्री रामनारायण चौधरी : 127 में तो, मान्यवर.. "There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister shall reply briefly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to take part in the discussion." तो, मान्यवर, अगर 127 में देते हैं तो जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है ब्रीफ स्टेटमैंट उनका भी पहले होगा। जो लोग बाद में सिग्नेटरीज हैं, With your kind permission they can also speak. मिनिस्टर बाद में स्टेटमैंट देंगे और अगर आपने एडजोर्नमैंट पर अनुमति दी है, तब बात दूसरी है।

श्री अध्यक्ष : दोनों को ही मैंने सम्मिलित करके...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : दोनों को दिया है तो फिर आपको इनको बोलने की अनुमति देनी चाहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमैंट मोशन का नोटिस जिन माननीय सदस्यों ने दिया है, उनको आप अनुमति दे सकते हैं कि वे इस डिबेट में पार्टिसिपेट करें । लेकिन अगर आप स्टेटमैंट दिलाएंगे तो 127 का परपज फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसका आब्जैक्ट ही अचीव नहीं होगा, क्योंकि यह होम मिनिस्टर से ताल्लुक ही नहीं रखता। अध्यक्ष महोदय, कृपा करके मेरे मोशन को पढें कि क्रिकेट एसोसिएशन ने बदइंतजामी की है। मैंने पिच तक के लिये लिखा है। पिच आपने अवेलेबल कराया है। अब होम मिनिस्टर को क्या पता कहां पर पिच है, कौन-सा पिच है, ठीक है, नहीं है। सईद अनवर, पाकिस्तान के जो मैन आफ द मैच घोषित हुए हैं, उन्होंने यह कहा है कि यह 15 ओवर से ज्यादा खेलने के लायक पिच नहीं था। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, खाली ऐसा नहीं है कि मैंने कानून ओर व्यवस्था का ही सवाल खड़ा किया हो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उसमें खेल मंत्री का स्टेटमैंट आएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसलिए कृपा करके आप अगर अनुमति दें तो इसको 127 का चर्चा का नोटिस था, वह चर्चा कराएं ।

श्री अध्यक्ष : 127 की अनुमति तो मैंने नहीं दी है। और न माननीय सदस्य, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 50 और 127 दोनों को कैसे मिला सकते है। दोनों मिल नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मिलाने का नहीं, स्टेटमैंट है। स्टेटमैंट आ जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : होम मिनिस्टर से कंसर्न्ड है तो खेल मंत्रीजी बयान दें इस पर। और जिन लोगों ने इस पर प्रश्न उठाये हैं, आप उनको विचार रखने की अनुमति दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : खेल मंत्रीजी ने निश्चित तौर पर यह कहा है कि इसका..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : दोनों को मिलाकर होम मिनिस्टर स्टेटमैंट दें, यह तो कोई रेलेवेंट बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : खेल मंत्रीजी ने कहा है। मैंने बात की थी, उस दिन उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर स्टेटमैंट देंगे, यह उसी से संबंधित है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ था तो आपने कहा कि एडजोर्नमैंट है वह हमने इसके साथ लगा दिया, 127 में मर्ज कर दिया है। जब 127 पर मैटर चलेगा तब यह काम हो जाएगा, यह आपने मुझे कहा था। क्लब कर दिया था। Then you kindly referred 127.

एक माननीय सदस्य : बस तो आसन से व्यवस्था हुई है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तब आपने 127 को रैफर किया था।

श्री अध्यक्ष : क्या रैफर किया था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने उस दिन यह आदेश दिया था... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : 127 और स्थगन प्रस्ताव, दोनों को क्लब कर दिया था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने कहा था इसको 127 में कन्वर्ट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : दोनों का क्लब करके और दोनों में स्टेटमैंट की बात की।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 127 is applicable now.

श्री अध्यक्ष : अब आप भी इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं और ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Let him put the case.

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) जिनके पास टिकट थे वे जा नहीं पाये और जिनके पास टिकट नहीं थे वे जा रहे थे। पुलिस ने लाठी चार्ज किया या धक्का-मुक्की हुई है तो यह होम मिनिस्टर से संबंधित है। लेकिन पिच और जो अव्यवस्था हुई है, वह तो खेल मंत्री से संबंधित है। या तो दोनों स्टेटमैंट दें और जिन्होंने नियम 50 में नोटिस दिया है और 127 में नोटिस दिया है, दोनों को आप बोलने की अनुमति दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : टिकटों का मामला है।

श्री अध्यक्ष : पिच कैसा है, कैसा नहीं है क्रिकेट एसोसिएशन है, वह एक आटोनोमस बॉडी है, उसमें एक्सपर्ट लगे हुए थे और उस पिच के आधार पर अगर अपन एतराज करते हैं तो फिर बंगलौर और मोहाली में हुआ, वहां पर भी तो पिच कैसी थी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अपन तो राजस्थान की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान की बात आ जाएगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं है प्रश्न। (व्यवधान)

श्रीमति सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : आप 50 और 127 को क्लब कैसे करेंगे, प्रश्न यह है। यह सदन तो नियमों से चलता है। आसन तो नियमों के मुताबिक काम करेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : होम मिनिस्टर तो सिर्फ फर्जी टिकट के मामले में बोलेगें, इसके अलावा होम मिनिस्टर और कुछ नहीं बोल सकते। फर्जी टिकट का मेरा बहुत माइनर पाइंट है। मैंने फर्जी टिकट को ज्यादा एम्फेसाइज किया भी नहीं है, मेरा अगर आप नोटिस पढ़ें । 127 में चर्चा होनी चाहिए। आटोनामी क्रिकेट एसोसिएशन की है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : डाक्टर साहब, प्लीज एक मिनट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : देखो, मैं तो आपको ज्यादा परेशान ही नहीं करना चाहता क्योंकि आप जानकारी सिर्फ फर्जी टिकटों की देंगें, वह आपने पकड़ लिये बहुत अच्छा काम किया। आपकी प्रशंसा करता हूं, आप बिराज जाओ। चर्चा होने दो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन करूं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आटो-नोमस बॉडी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सब आटो-नोमस बाडी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह जब चर्चा होगी, तब मालूम पड़ेगा आटोनोमस है या नहीं। आटोनोमस होना और बात है..(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : (व्यवधान) रजिस्टर्ड बॉडी है। हिन्दुस्तान के जितने...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो आपने स्टेटमैंट शुरू कर दिया क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी बात सुनो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर क्या बता रहे हैं आप? आपकी सुनेंगे पर आप स्टेटमैंट दे रहे हैं क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या कर रहे हैं फिर आप? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिह : सुन तो लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, तो किसका स्टेटमैंट दे रहे हैं आप ? पहले तय होने दीजिये कि whether it is 127 or not यह तो तय होने दीजिये पहले। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी के मुंह से निकला हुआ हर वाक्य स्टेटमैंट की परिभाषा में आता है, यह जरा ध्यान रखिएगा। अगर आप बोलेंगे तो...(व्यवधान) मंत्रीजी के मुंह से निकला हुआ हर वाक्य स्टेटमैंट की परिभाषा में आता है समझ लेना इस बात को।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या कह रहे हैं आप ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्री के मुंह से निकला हुआ हर वाक्य वक्तव्य की परिभाषा में आता है, यह जरा ध्यान रखियेगा। (व्यवधान) आप अगर बोलेंगे तो... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप किसको सिखा रहे हो। क्या आप ही कानून के विशेषज्ञ हैं, ओर कोई कानून नहीं जानता। यह किसको सिखा रहे हो आप ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, जानता नहीं। आप जो बोलेंगे यह स्टेटमैंट की परिभाषा में आएगा, यह मान लीजिये आप। (व्यवधान) यह आपका डिपार्टमैंट नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप चर्चा कर लीजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका डिपार्टमैंट नहीं है। It is not your business. आप अपने डिपार्टमेंट पर बोलिये। (व्यवधान) वह अलग बात है। (व्यवधान) नहीं, वह चैलेंज नही करता। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप 127 में , और एक घंटे की चर्चा वैसे भी हो जाती है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको परमिट कर दें और उसमें कन्वर्ट कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 127 परमिट कर दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कुछ दो-चार पाइंट हमको रेज करने हैं, माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे। सदन संन्तुष्ट हो जाएगा, चर्चा समाप्त हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नियम 128 के अन्तर्गत "Provided that if an early opportunity is otherwise available for the discussion of the matter, the Speaker may refuse to admit the notice" इसलिए मैं आपके नोटिस पर डिस्कशन को मैंने स्वीकार नहीं किया है और इनको एक स्टेटमैंट देने के लिये कहा है। पूर्व में भी स्टेटमैंट हो चुका था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने स्वीकार नहीं किया है तो हम इसको चुनौती दे ही नहीं सकते, वह शिरोधार्य है। पर आपने स्वीकार किया है, आपने आसन से यह व्यवस्था दी है। आपने पांच तारीख को यह व्यवस्था दी है हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य को एडजोर्नमैंट मोशन पर आपने आसन से यह फरमाया कि सुरेन्द्र व्यास और अन्य सदस्यों का नोटिस मिला है, उसके साथ इसको क्लब कर देते हैं। यह आपने आसन से कहा था।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने तो इनसे यह कहा था...(व्यवधान) मुझे पता ही नहीं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : You will Kindly check up the proceedings what was ruled by.

श्री अध्यक्ष : उस दिन मुझे पता भी नहीं था कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई स्थगन प्रस्ताव दिया है। यह मेरी जानकारी में नहीं था। मैंने यह बात कही थी उस दिन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय । आप परसों की प्रोसिडिंग्स चैक-अप कराएं। आपने आसन से क्या फरमाया। हम इसी इम्प्रेशन में थे। आप 127 रिफयूज करें, वह बिलकुल ठीक है, उसको हम चुनौती नहीं दे सकते, पर आपसे प्रार्थना तो कर ही सकते है नं.

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

127 में जब हमारा मोशन पूरा प्रोपर फार्म में है। उसमें व्याख्यात्मक टिप्पणी लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि काहे को कोई मेहनत करेगा ? सीधा नियम 50 में चर्चा करो, हल्ला करो, अगर यही आप परिपाटी डालना चाहते हैं, हम मेहनत करें, मोशन बनाएं रूल्स पढ़ें, अध्ययन करें फिर आपको नोटिस दें और वह आप परमिट नहीं करें। फिर नियम 50 सीधा है, उसमें कोई जरूरत नहीं है। एडजोर्नमैंट मोशन तो कभी परमिट होता ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप 127 को अलाउ कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भी इसको उपयुक्त समझेंगे कि...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, 127 में क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : यह इतना अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर नहीं है। मैच हो चुका है, कई दिन हो गये हैं और उसके बाद में भी...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर आप चर्चा ही क्यों करा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर स्टेटमैंट की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने 127 का नोटिस दिया था, आपने एडजोर्नमेंट का मोशन दिया था, मैंने यह उचित समझा कि स्टेटमैंट एक मंत्रीजी से दिला दिया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर स्टेटमैंट की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप यह समझते हैं कि पब्लिक इम्पोर्टेस का मैटर नहीं है तब तो जरूरत ही नहीं है। स्टेटमैंट की आवश्यकता कहां है ? मैच हुए तो निश्चित रूप से बहुत दिन हो गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 127 में उन दोनों को मैंने क्लब कर दिया, क्लब करके उन दोनों को भी अनुमति नहीं दी। न तो मैंने स्थगन प्रस्ताव को रखने की अनुमति दी है और न 127 पर डिस्कशन की अनुमति दी है। स्टेटमैंट चूंकि इसकी इतनी इम्पोर्टेस है... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, रूल 307 में आपको रेजीडयूअरी पावर्स हैं कि हाउस के रैगुलेशन में आप किस प्रकार...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पॉवर को चैलेंज कर ही नहीं सकते। (व्यवधान) वह आप मत बताओं, हमें मालूम है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने एक बार रूलिंग दे दी है इसलिए मेरा तो माननीय सदस्य से निवेदन है कि अब इस पर चर्चा प्रारम्भ की जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष के पॉवर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। माननीय अध्यक्ष को सब पॉवर्स हैं। माननीय अध्यक्ष तो रूल्स को भी रिलैक्स कर सकते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष को यही आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने पॉवर्स का इस्तेमाल करते हुए इस 127 को कन्वर्ट कर दें। यही

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तो प्रार्थना कर रहा हूं और कर क्या रहा हूं ? मैं भी माननीय अध्यक्ष को यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको सब पॉवर्स हैं इसमें कोई कठिनाई नहीं है। माननीय सदस्य, उसको मत कीजिए आप। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : 127 में चर्चा तो हमने कभी सुनी नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी विनम्र प्रार्थना यह है, उसका आब्जैक्ट डिफीट हो जाएगा। चर्चा जो है उसके अन्दर कुछ मुद्दे हैं। ये तो बहुत माइनर पाइंटस हैं। अध्यक्ष महोदय, फर्जी टिकट वाला तो हो गया, लोग पकड़े भी गये, इंवेस्टीगेशन चल रहा है। आज अखबार में आ गया, प्रेस का नाम भी आ गया। दिल्ली में जिस प्रेस के अन्दर फर्जी टिकट छापे गये हैं उसका भी नाम आ गया है। यह तो टोटल अव्यवस्था है, कैपेसिटी से ज्यादा टिकट छापे गये। जिनके पास जैन्यून टिकट थे उनको एण्ट्री नहीं मिली, उनके पैसे लौटाने पड़े। कितने पासेज इश्यू हुए, कितने काम्प्लीमैंट्री इश्यू हुए ? अध्यक्ष महोदय, ये कई महत्वपूर्ण सवाल आएंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन निश्चित रूप से एक आटोनोमस बॉडी है, उनके मैनेजमैट में हम कोई दखल नहीं देना चाहते, न उनके मैनेजमैंट के विषय में यहां कोई चर्चा करना चाहते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, 127 शुरू हो गयी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : 127 अनुमति है, चेयर की अनुमति से....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : चेयर की अनुमति हो गयी....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अनुमति हो गयी क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : By implication.

श्री प्रद्युम्न सिंह : By implication you presume everything.

श्री सुरेन्द्र व्यास : No. No. presume.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : As you are doing.

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप आसन की सहृदयता का फायदा उठाना चाहते है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो हमेशा ही फायदा उठाते हो, गृह मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो आप भी उठाते हैं आसन की सहृदयता का फायदा।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन की साइलेंस है वह हाफ कंसेट है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आसन ने व्यवस्था दे दी है, तीन बार रिपीटेडली माननीय व्यासजी की बात को रिजैक्ट कर दिया है उसके बाद भी इंसिस्ट करना, मेरे ख्याल से यह परोक्ष रूप से दबाव डालने का एक कुत्सित प्रयास है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आसन पर दबाव नहीं डाला जाता है, माननीय सदस्य, आसन से प्रार्थना की जाती है, निवेदन किया जाता है। आसन पर कोई दबाव डाला जाता है क्या? आसन पर कोई दबाव नहीं डाला जाता।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मै तो आपसे पुनः यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्योंकि आपने इस विषय को सदन में रख दिया तो समय तो उतना ही लगेगा। डिबेट तो आप कंट्रोल कर सकते हैं; अध्यक्ष महोदय, अगर हम विषयान्तर होते हैं या कोई इरेलिवेंट बात बोलते हैं तो उसको चैक कर सकते हैं आप मेहरबानी कर के आप 127 में करें इसको।

श्री अध्यक्ष : नियम 127 में मैं एडमिट नहीं कर रहा हूं और न मैं स्थगन प्रस्ताव को इस सम्बन्ध में इस सदन की कार्यवाही को रोक कर अनुमति दे रहा हूं। मैंने स्टेटमैंट की बात कही है। स्टेटमैंट से पहले आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उन मुद्दों पर जिनका आपने उल्लेख किया है तो वे कह रहे हैं पूछ लीजिये भले ही क्वेश्चन (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ठीक है आपने कह दिया...(व्यवधान) नहीं, नहीं फाइनल, अब ठीक है। आपने अनुमति नहीं दी, अध्यक्ष महोदय, ठीक है। अब मैं आप से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी के मंत्रालय से सम्बन्धित जो प्रश्न नहीं हों, अध्यक्ष महोदय, क्या आप अनुमति देंगे हम वह प्रश्न पूछ सकें ?

श्री अध्यक्ष : खेल मंत्रीजी भी बैठे हैं यहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : उनसे पूछ लेंगे। अब आप स्टेटमैंट दिलवाएं।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर में आयोजित भारत-पाक क्रिकेट मैच के क्षमता से अधिक टिकट बेचे जाने से उत्पन्न अव्यवस्था

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच का दिनांक 24-3-1999 को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजन किया गया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एक स्वायत्तशासी संस्था है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है। पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन ने अथक परिश्रम कर मैच के दौरान कानून एवं व्यवस्था रख कर मैच का आयोजन सफलतापूर्वक करवाया।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से प्राप्त सूचना के अनुसार आयोजकों द्वारा स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता से अधिक टिकट नहीं बेचे गये। स्टेडियम की क्षमता 27,896 सीटों की आंकी गयी तथा उसी के अनुसार 17,104 टिकट एवं 10,792 काम्प्लीमैंट्री पास जारी किये गये थे जो क्षमता के अनुरूप ही थे।

यह भी सही है कि कुछ दर्शक टिकट होते हुए भी स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर पा सके, क्योंकि तब तक स्टेडियम पूर्ण रूप से भर चुका था तथा अगर इन दर्शकों को प्रवेश दिया जाता तो अव्यवस्था हो सकती थी। इनमें से 271 दर्शक उत्तरी दीर्घा तथा 758 दर्शक पूर्वी दीर्घा में प्रवेश नहीं पा सके जिन्हें मौके पर ही राजस्थान क्रिकेट

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एसोसिएशन द्वारा टिकट की राशि लौटा दी गयी। इसका संभावित कारण कतिपय जाली टिकटधारियों व बिना टिकट वाले व्यक्तियों का स्टेडियम में प्रवेश पाने में सफल होना एवं दीर्घा के भीतर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों व अन्य राज्य कर्मियों का उपस्थित होना है इसके अतिरिक्त क्षमता के आंकलन में कुछ त्रुटि होना भी संभावित है।

स्टेडियम में प्रवेश हेतु दर्शकों के टिकट व पास के अनुरूप संबंधित दीर्घा के बाहर बैरीकेडिंग की जाकर एवं पंक्तिबद्ध रूप से सुव्यवस्थित प्रकार से दर्शकों को प्रवेश दिया गया तथा प्रवेश के दौरान किसी प्रकार की धक्का-मुक्की नहीं हुई तथा न ही पुलिस द्वारा किसी पर कोई बल प्रयोग अथवा लाठीचार्ज किया गया। काफी संख्या में ऐसे व्यक्ति भी स्टेडियम के आस-पास पहुंचे थे जिनके पास न तो मैच हेतु कोई टिकट था ना ही कोई एण्ट्री पास था, ऐसे व्यक्तियों को स्टेडियम के परिसर के बाहर ही रोक दिया गया। इनमें से किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दिया गया व वापस भेज दिया गया। पुलिस द्वारा न तो कोई बल प्रयोग किया गया न ही लाठीचार्ज किया गया।

मैच देखने पहुंचे दर्शकों के साथ जो अवांछित सामान तथा बैग, ब्रीफकेस इलैक्ट्रोनिक सामान आदि थे एवं जिनके बारे में समाचर पत्रों आदि द्वारा पूर्व में ही घोषणा कर दी गयी थी कि सामान के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी, इस सामान को पुलिस द्वारा चैक कर दर्शकों को भीतर जाने से रोका गया तथा ऐसे सामान को मैच प्रायोजकों द्वारा बनाये गये क्लाक रूम में जमा किया गया। ऐसे क्लाक रूम स्टेडियम के सभी प्रवेश द्वार पर प्रायोजकों द्वारा बनाये गये थे। सामान जमा करने पर टोकन दिया गया था एवं मैच समाप्ति पर टोकन वापस देकर दर्शकों द्वारा सामान प्राप्त किया गया। यह सम्पूर्ण व्यवस्था मैच प्रयोजको द्वारा की गयी। किसी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी द्वारा दर्शकों का कोई सामान अपने पास रखे जाने की कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी तथा दर्शकों का सामान क्लाक रूम में रखे जाने की व्यवस्था की गयी थी ।

मैच के दिन 24-3-1999 को पुलिस ने कुछ लोगों को फर्जी टिकटों के आधार पर स्टेडियम में प्रवेश करने पर पकड़ा तथा उनसे सूचना के आधार पर एक गिरोह की जानकारी आयी जिसके द्वारा दिल्ली में फर्जी टिकटें छपवाना बताया गया। इस मामले के आधार पर दो प्रकरण थाना विधान सभा में अभियोग संख्या 58/99 व 59/99 दर्ज किये गये। अनुसंधान करने पर दिल्ली में रहने वाले 10 व्यक्तियों को नामजद किया गया। इनमें से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं कुछ फर्जी टिकटें भी जब्त की गयीं। अग्रिम अनुसंधान जारी है।

स्टेडियम के अन्दर आयोजकों द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से खाने -पीने की चीजें तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की गयी थी। इसके सम्बन्ध में सूचना समाचार पत्रों में पूर्व में ही प्रकाशित

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

की गयी थीं। इसके साथ खाने-पीने की वस्तुओं की रेटें भी प्रकाशित की गयी थीं। कैन्टीनों में भी मूल्य सूची लगायी गयी थी। पीने के पानी की 84 नल टूटियां भी लगायी गयी थी जिनमें लगातार पानी आ रहा था।

अन्तरर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जयपुर वासियों के लिए एक सुखद अनुभव था। आयोजकों ने जिला प्रशासन तथा विशेषकर पुलिस विभाग के सहयोग से इसे सफल बनाने के लिए दिन-रात मेहनत की है तो बाहर से आये विदेशी मेहमानों ने भी तारीफ की।

माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उनके बारे में वे स्वयं भी सहमत होंगे कि इस विशाल आयोजन में थोड़ी बहुत कमी रह जाना स्वाभाविक है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, 17,000 टिकट और 10,000 काम्प्लीमैंटरी पास, स्पष्टतया एक्सटोर्शन नहीं है यह 9 किन्हीं नार्म्स से, किन्हीं स्टैंडर्ड से आप देख लीजिये। आप कहते हैं पुलिस प्रशासन का सहयोग था by your own admission दस हजार काम्प्लीमैंटरी एक्सपोर्ट किये हैं पुलिस ने उनसे। मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि 200 माननीय सदस्यों को जो पास उपलब्ध करवाये आपने वे पुलिस के थ्रू लिये हैं पासेज अब दूसरी बात, वास्तविकता यह है कि 27 हजार की जो केपेसिटी है उन्होंने पूरे टिकट छाप लिये। उनके जो एक्सपैक्टेड नार्म्स हैं हजार, दो हजार, तीन हजार, काम्पलीमैंटरी टिकट के वह उन्होंने प्रोविजन रखा बाकी सब टिकट छाप लिये। आपने, अपने प्रशासन की मार्फत, आपके पुलिस प्रशासन ने +++ से सब काम्पलीमैंटरी लिये हैं। ये सब उस हिसाब से 37 हजार हो गये। जाली टिकट तो अलग हैं। गेट के ऊपर कौन थी? पुलिस काम्पलीमैंटरी पासेज वालों को बिना पासेज काम्पलीमैंटरी अधिकारी के पास हैं, प्रभावशाली व्यक्ति के पास है उसके साथ चार आदमी आएंगे। उनको तो सलाम ठोक कर अन्दर बैठाया गया। जेब से पैसे खर्च करके जो टिकट लेकर गया, जेन्यून टिकट लेकर गया मंत्रीजी, मैं फर्जी टिकट की बात ही नहीं कर रहा हूं, फर्जी टिकट का प्रकरण तो आपने पकड़ लिया और अनुसंधान चल रहा है, आगे और भी बातें आएंगी लेकिन जो जैन्यून टिकट लेकर पैसे खर्च करके गया उनके ऊपर आपने डण्डे बरसाये, उनको आपने अन्दर नहीं घुसने दिया। उनमें से कुछ लोगों को जो ज्यादा जागरूक थे, पैसे लौटा दिये, कुछ लोग डण्डे खाकर वापस चले गये।

अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को आप स्टेडियम अवेलेबल कराते हैं। आटोनोमी अपनी जगह है, उनके मैनेजमैंट में हम दखल नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आप उनको क्या-क्या सुविधाएं नहीं देते हैं? स्टेडियम का पिच है, स्पोर्टस कौंसिल क्या सुविधा देती है? अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत शर्मनाक स्थिति राजस्थान की

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

राजधानी जयपुर के अन्दर हुई। पाकिस्तानी टीम के मैन आफ द मैच एक सईद अनवर हैं उन्होंने टीवी के अन्दर यह कहा है कि यह पिच 15 ओवर से ज्यादा खेलने के काबिल नहीं था। हमने अखबार में पढ़ा है। पहले कपिल देव आये थे उन्होंने पिच को एप्रूव नहीं किया। बाद में उन्होंने अप्रूव करा लिया। आप कहेंगे कि यह आपका विषय नहीं है। मैं मानता हूं, आपका विषय नहीं है लेकिन अन्ततोगत्वा हमारे प्रदेश की ही बदनामी होती है। अब इन्टरनेशनल मैच आर्गेनाइज कौन करेगा बाद में ? स्पोर्ट्स के स्टैण्डड्र्स तो मेन्टेन करने ही पड़ेंगे आपको। चाहे वह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की हो...

डा. किरोड़ी लाल : यह मामला टैक्निकल है, खेल मंत्रीजी यहां हो तो ठीक रहेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यहीं हैं, बैठे हैं न। अध्यक्ष महोदय ने पहले ही निर्देश दे दिये हैं। आप विराजें। अध्यक्ष महोदय, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई और हो, उनके स्टैण्डर्ड्स मेन्टेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस बात को एनश्योर करना और उसको सुपरवाइज करना यह क्या खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं हैं? यह क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि यह सवाल एक अहम सवाल है। फर्जी टिकट आपने पकड़े वहां तक तो ठीक है लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने इसमें भारी पैसा कमाया है आपकी रियायतों के बावजूद भी। आपको काम्पलीमैंटरी दे दीं, आप उससे राजी हो गये। इन्डिवीजुअल नहीं लेकिन पूरे फंक्शनरीज को। और आपने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इन्होंने अन्दर ही अन्दर क्या इंतजाम किया, क्या इंतजाम नहीं किया।

कुल मिलाकर, अध्यक्ष महोदय, निष्कर्ष यह निकलता है कि आने वाले समय में क्या जयपुर में कोई इंटरनेशनल मैच करेगा, जयपुर को होस्ट तसलीम नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जयपुर होस्ट बने। पहले ही भ्रष्टाचार हो चुका है, अध्यक्ष महोदय। मेरे अधिकांश सवालों का जवाब माननीय खेल मंत्रीजी देंगे क्योंकि सीधा-सीधा गृह मंत्रालय से ताल्लुक नहीं है। इन्होंने तो पकड़ लिये मुलजिम और डण्डे बरसाने थे जो बरसा दिये। पास कबाड़ने थे, पास कबाड़ लिए। जेन्यून टिकट होल्डर्स को इन्होंने डण्डे बरसाकर भगा दिया। अब असली इन्टरनल अरेंजमैंट क्या है खेल मंत्रीजी इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माफ कर दो, पहले मैं हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं माफी चाहता हूं। आप बोलिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में बहुत कुछ कह दिया लेकिन दो बात जो ये नहीं कह पाये मैं वह कहना चाहती हूं। जब सदन

(श्री सुमित्रा सिंह)

में यह चर्चा उठ गयी थी कि इस प्रकार की फर्जी टिकटें हैं और आसन ने भी अपनी ओर से यह बात कही थी-मैंने अखबार में पढ़ा है, महानगर टाइम्स का आपने हवाला दिया था। महानगर टाइम्स में मैंने भी यह बात पढ़ी है। उसके बाद भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना, इनको एप्रिहैंशन हो गया था, सदन में जब चर्चा आ गयी थी तो एप्रिहैंशन हो गया था-एप्रिहैंशन होने के बाद भी कोई घटना घटती है फर्जी टिकटें बिक्री जिनके पास टिकटें थीं उनको वापस पैसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लौटाने पड़े और लोगों पर डण्डे भी बरसाये, अफरा-तफरी भी मची, इधर-उधर, धक्का-मुक्की भी हुई ये सब बातें हुई सबसे अधिक ताज्जुब की बात यह है मैं गृह मंत्रीजी को बहुत कॉम्पिटैंट और सक्षम समझती हूं, इनको जब इस बात का पता था, कम से कम दो-ढाई हजार पुलिस वाले थे लेकिन ये फर्जी टिकट किसने पकड़े थे यह इनको मालूम नहीं है? मैं बताती हूं यह जानकारी गलत नहीं है। सी.आई.डी. का एक डी.वाई.एस.पी. है तेजाराम, उस तेजाराम ने ये टिकट पकड़े हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह पुलिस का नहीं है तो फिर किसका है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सी.आई.डी. का है। आपकी पुलिस वाले तो ढाई-तीन हजार आदमी...

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह भी तो पुलिस ही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पुलिस का ही तो होगा, मैं कब कह रही हूं। सुनो तो सही।

डा. रामप्रताप : उसको पुरस्कार देना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि जो व्यवस्था की है, व्यवस्था के लिए पुलिस ने अपनी ओर से कर्मचारी अधिकारी सारे लगा रखे थे। सी.आई.डी. के लोगों का तो यह काम नहीं था, यह तो अपनी पूरी सी.आई.डी. कर रहा था। सी.आई.डी. में होने के नाते उसका काम यह नहीं था लेकिन ये फर्जी टिकट उसी ने पकड़े। आपकी तो किसी ने पकड़े नहीं और उसी ने केस दर्ज करवाया है लेकिन उसका कहीं नाम नहीं उसे प्रमोशन देने की बात नहीं है, उसे और कोई संरक्षण देने की बात नहीं, मैं यह निवेदन कर रही थी। मैं यह भी निवेदन कर रही हूं कि जब इन्हें सब बातों का मालूम था तो इसके बाद क्या हुआ ? इन्होंने आज तक भी किया, आज 24 तारीख के बाद इतने दिन बीत गये ? इसके बाद और इस सब बातों के अन्दर कितने दिने लगाएंगे ? मेरा आपसे यह निवेदन है, कि 17 हजार तो टिकट बिके और काम्प्लीमैंटरी दस हजार यह सब क्या शो करता है। इस बारे में खेल मंत्रीजी बताएं कि जितनी कैपेसिटी थी उससे अधिक टिकट आखिर क्यों बांटे। और गृह मंत्रीजी बताएं कि जब उन्हें पहले से ही मालूम था और आसन ने जब यह बात

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कह दी थी तब उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बन गयी थी कि तहकीकात में जाकर इस बात का पता लगाएं आप कृपया इस बात का जवाब दीजिए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है। (व्यवधान) तीन प्रश्न हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनका स्पेसिफिक। अब यह इन्टरनेशनल क्रिकेट (व्यवधान) देखिए, ऐसा है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (राज्य मंत्री, पर्यटन): यह कोई पर्यटन का थोड़े ही है। ये तो पर्यटन के एक्सपर्ट हैं । (व्यवधान) टयूरिज्म एक्सपर्ट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मूल स्थगन प्रस्ताव इनका था...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह जानना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप स्थान ग्रहण करें प्लीज।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से एक फेवर चाहता हूं, इन्होंने इंग्लैण्ड और आस्ट्रेलिया में काफी मैच देखें हैं तो मेरा इनसे यह अनुरोध है कि इस मामले में मैं कोई जवाब दूं तो आप मेरा सहयोग दें। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं सहयोग दूंगा आपको। तीन प्रश्न। (व्यवधान)एक तो बाम्बे में और दिल्ली में जब भी मैच होते हैं तो पुलिस को भी व्यवस्था के लिए कुछ पैसे दिये जाते हैं आफिशियली। राजस्थान के अन्दर पुलिस विभाग ने इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से पैसे लिए क्या ? और नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए; आप इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं कितनों को तो डी.ए. दे रहे हैं। और कितना टी.ए. दे रहे हैं, पैसे लिए या नहीं। और नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए ? बाम्बे और दिल्ली में लेते हैं।

श्रीमती बीना काक : पैसे लेन देन का काम आपके राज में होगा हमारे राज में नहीं होता है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 10 हजार जो टिकट दिये, दस हजार ही आपकी कीमत थी क्या कि पुलिस विभाग ने ये काम्प्लीमैंटरी टिकट ले लिए ? जितनी भी व्यवस्था है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : Police have not taken these tickets. काम्प्लीमैंटरी टिकिटस हमने नहीं लिए हैं। No. No. I have never admitted it.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अच्छी बात है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने कहीं एडमिट नहीं किया है, आप यह जो कह रहे हैं पुलिस ने कोई दस हजार टिकट नहीं लिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दस हजार टिकट काम्पलीमैंट्री ले लिये आपने व्यवस्था के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नो, नो हमने नहीं लिये, I deny this charge.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ये आपने कैसे ले लिये? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और किसने लिये ? पुलिस ने लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एसोसिएशन ने। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने बांटे। हमारा क्या लेना देना है इनसे ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आर.सी.ए. से कितना पैसा लिया? सरकार ने पिच बनाने के लिए, स्टेडियम के लिए ,व्यवस्था के लिए कितना पैसा लिया आर.सी.ए. से या फ्री दिया ये तीनों जवाब दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि सत्रह हजार से ज्यादा टिकटें बिकी और दस हजार से ज्यादा काम्पलीमेंट्री टिकटें, तो किस-किस श्रेणी की कौन-कौन सी टिकट सीरियल नम्बर, कितने से लेकर कितने तक बिकी, कृपया उनका ब्यौरा हमें दे। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1029 लोगों को तो आपने राशि लौटा दी, क्या आर.सी.ए. के पास अभी भी कुछ लोग लगातार इस प्रयास में हैं बहुत बड़ी संख्या में जिन लोगों की राशि लौटानी है? जिन्होंने मैच नहीं देखा उनकी राशि लौटाने का आप प्रबन्ध करेंगे? तीसरा मैं पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री जी, कि इस बार इस क्रिकेट मैच की टिकटें विन्डो पर कम और आपके थानों में ज्यादा बिकीं। जयपुर के अन्दर हरेक थाने को आपने टार्गेट दे दिये ब्रह्मपुरी थाना आप दो हजार टिकट बेचोगे, वो थाना आप इतनी टिकट बेचोगे। तो थानों के माध्यम से जो टिकटें बिकी हैं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नो, नो ग़लत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं जानकारी मांग रहा हूं, कृपया, मैं इसकी जानकारी मांग रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बैंकों की मार्फत बिकी हैं, Why are you misleading the House? एन्टायर टिकट बैंक्स की मार्फत बिकी हैं। आप ऐसे प्रश्न कह कहकर हाउस को मिस लीड करने की क्यों चेष्टा कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मिसलीड नहीं कर रहा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : No, you are misleading the House.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मै मिस लीड नहीं कर रहा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको जानकारी ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जवाब दे दें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप जवाब दे दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या जवाब दे दूं? मैं आपकी काल्पनिक बातों का क्या जवाब दूं ? (व्यवधान) हारपोथेटिकल बातों का क्या जवाब दूं ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप जवाब अच्छी तरह से दो, इसमें +++ की क्या बात है ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : इतनी गलत बयानी क्यों कर रहे हो आप ? आप फालतू के प्रश्न क्यों कर रहे हो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में दो बातें थीं, और जिन चीजों की मुझे जानकारी है मैंने पूछा। अध्यक्ष महोय, मुझे समझ में नहीं आता, गृह मंत्री जी अनुभवी हैं, हर मामले में ऐसे लाल होकर बोलते हैं, आप डराते क्यों हैं हमें ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : रंग ही लाल है उसका तो क्या करूं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप डराने की कोशिश क्यों करते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब मेरा रंग लाल है उसका तो मुझ पे इलाज नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसको काला कर दो ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने जो इसमें इंतजाम किया उससे अपने आप हो जाएगा।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर.सी.ए. क्या रजिस्टर्ड संस्था है? और अगर रजिस्टर्ड संस्था है तो इसका आडिट कब-कब हुआ ? आर.सी.ए. के कौन-कौन मैम्बर्स हैं ? यह जानकारी भी आप सदन को दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं। (व्यवधान) आप सुनिये ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अमीन खान (शिव) : खेल ही खेल, खेल-खेल यह क्या बात हुई?

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : इस विषय पर समय क्यों बर्बाद किया जाए सदन का? सदन को चर्चाएं करनी हैं, विषय करने हैं, इस विषय पर इतना समय बर्बाद किया जा रहा है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इतना बड़ा मैच हो गया, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, उसके बारे में कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जवाब दे दूं और आप इसको रैगुलराइज कर दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से स्पेसिफिक दो सवाल पूछना चाहता हूं, केवल दो सवाल। मेरा पहला सवाल, अध्यक्ष महोदय, यह है कि विधायकों को एक-एक पास दिया जा रहा है, आपके यहां...(व्यवधान) सुनिये ना एक मिनट, मेरी बात ही पूरी नहीं करने देते हैं आप लोग हमेशा, रोज क्या तरीका है यह?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जनार्दन गहलोत : आप गलत बयानी कर रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपके कक्ष में ...(व्यवधान) आप सुनो तो सही मैं अध्यक्ष जी से कह रहा हूं, आप क्यों बीच में बोलते हो ? अध्यक्ष महोदय, हमने आपके कक्ष में आपसे निवेदन किया, माननीय मुख्य मंत्री जी भी थे कि कृपया एक की बजाय दो-दो पास दिला दो तो दो-दो पास मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे इतना अनुरोध करने के बाद एक-एक विधायक को दो पास दिये गये, जबकि आपने दस हजार से भी ज्यादा काम्पलीमैंटरी टिकट पास छपवाये, आखिर वे पास किन लोगों को दिये? किन लोगों को दिये? मैं उनके नाम नहीं पूछ रहा लेकिन श्रेणी तो बताएं कि विधायकों के अलावा हमने आई.ए.एस. को दिये, हमने आई.पी.एस. को दिये, हमने स्वतंत्रता सैनानियों को दिये या हमने...

श्री अध्यक्ष : सवाल आपने पूछ लिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं अध्यक्ष महोदय, सवाल ही पूछ रहा हूं कि एक विधायक को तो दो पास खेल मंत्री जी दें या आप दिलवाएं और एक एस.एच.ओ. को हमने कहा तो वह दस-दस पास लिये घूम रहा था। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि आपने चाहे जितने छपवाये हों, आखिर वे पास किन लोगों को, किन श्रेणी के लोगों को दिये गये, यह बताएं?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि जो लोग टिकट लेने के बाद अन्दर दाखिल नहीं हो पाये, आपने उनको पैसे तो दे दिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह अन्तरराष्ट्रीय मैच था सारे दर्शक जिन्होंने टिकट लिये वे जयपुर के रहने वाले नहीं थे, भरतपुर के लोग भी आये थे, धौलपुर के भी आये थे, सवाई माधोपुर के लोग भी आये थे। आपने उनको टिकट की राशि तो लौटा दी लेकिन उनका आने-जाने में जो खर्चा हुआ और जो परेशानी हुई, क्या दुबारा जब मैच होगा तो वे लोग भरोसा करेंगे कि हम खरीद लें, हमको अन्दर एंट्री मिल जाएगी। इसका क्या जवाब है आपके पास?

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस मामले में काफी अपने विचार रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह समझ लेना चाहिए कि जो भी संस्थाएं हैं चाहे क्रिकेट एसोसिएशन हो, चाहे फुटबाल एसोसिएशन हो, चाहे बालीबाल एसोसिएशन हो कोई भी सरकार के अन्दर में नहीं आती हैं।

श्री अध्यक्ष : चाहे कबड्डी एसोसिएशन हो?

श्री जनार्दन गहलोत : चाहे कबड्डी एसोसिएशन हो। सरकार का उसमें कोई भी..

डा. किरोड़ी लाल : आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रश्न का जवाब दे रहे हैं?

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय किरोड़ीलाल जी, बामनवास से आने वाले मेरे मित्र, समझें मैं सदन को यह बात बता देना चाहता हूं क्योंकि खेलों से थोड़ा सम्बन्ध मेरा रहा है । आप विचलित हो रहे हैं बिना मतलब। टिकटों को देने का अधिकार न तो सरकार का है। सही मायने में स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने कभी कबड्डी खेली है क्या ? आप बताइये, आपने कभी कबड्डी खेली है क्या ?

श्री जनार्दन गहलोत : मैंने तो आप जैसे को खिलवाई है और आपको पटकनी भी दी है। खेली भी है और खेलकर पटकनी भी दी है और आपके नेता को भी दी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमेशा पटकनी खाई है।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन से जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं होती हैं, हिन्दुस्तान की संस्था को उससे मान्यता होती है जो आल इंडिया लेबल पर बनी है और स्टेट एसोसिएशन उससे मान्यता प्राप्त होती है। स्टेट एसोसिएशन से डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन मान्यता प्राप्त होती है। न तो उसमें सरकार का कोई लेना देना है, न राजस्थान स्पोर्टस कौन्सिल का लेना देना है। विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय भंवरलाल जी जब खेल मंत्री थे, इनको भी यह ज्ञान नहीं था, कई हमले मुझ पर किये। राज का सहारा लेकर नाथूसिंह जी को मिनिस्टर बनाया, कभी मदन दिलावर कबड्डी के अध्यक्ष बन गये। इनको ज्ञान होता तो ऐसी पटकनियां नहीं खाते जो इनका राज होते हुए मैंने दी। ये मेरा बाल बांका नहीं कर पाये।

क्रिकेट एसोसिएशन का जहां तक प्रश्न है, एक संस्था बनी हुई जो राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्ट सुपरविजन में है। राजस्थान सरकार का उसमें कोई लेना-देना नहीं है। माननीय सदस्यों को दो-दो पास भेजें हैं उन्होंने, तो मैं समझता हूं बड़ा अहसान किया। उन्होंने बहुत बड़ा अहसान किया। यह तो भंवरलाल जी स्पोर्टस मिनिस्टर की देन है जिनकी वजह. से यहां जयपुर शहर कई बार क्रिकेट के मैच हुए, कभी भी आज तक एक पास किसी को नहीं दिया गया। (व्यवधान) जिन मंत्रियों का सब्जैक्ट है उन मंत्रियों को पास चुपचाप दे आते हैं, इसके अलावा कभी नहीं दिये गये। पहली बार है कि इस राजस्थान सरकार ने, यहां के मंत्रीजी ने सब विधायकों को दो-दो पास दिलवाये।

अब प्रश्न आ रहा है कि टिकट गलत हो गयी.. (व्यवधान)काउन्टर लग गया,... (व्यवधान)सबके पैसे वापस लौटाये गये। अब जहां तक प्रश्न है कि जो लोग ...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : गहलोत साहब विधायकों को पास देने की बात कर रहे हैं, वहां व्यवस्था क्या थी? फालतू धक्के खा कर आये हैं विधायक वहां पर। वहां विधायकों की व्यवस्था ही नहीं की थी, बैठने की व्यवस्था नहीं थी।

श्री जनार्दन गहलोत : ऐसा है, इसमें अभी आपको जानकारी नहीं है। जहां तक प्रश्न है कि नकली टिकटें छप गयी हों, दर्शक ज्यादा बढ़ गये हों, उसमें प्रश्न कहां रहा राजस्थान सरकार का ? माननीय गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी थी कि यहां लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़े नहीं, यहां पर कोई दंगा-फसाद हो नहीं, कोई लाठी चार्ज नहीं हो, कोई अप्रिय घटना राजस्थान के लोगों में न हो जाए, उसके लिए प्रिकाशन्स लिये गये। गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी घटना होती होती इन्होंने बचायी है। जो लोग रह गये बाहर, उनके पैसे वापस लौटा दिये। अब मामला क्या रह गया, मुद्दा क्या रह गया? मैं सोचता हूं कि क्यों सदन का समय जाया करें ? आज स्वास्थ्य की डिमांड है उस पर चर्चा करें। मैं समझता हूं, मामला यहीं समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वैलफेयर डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा-सा पैसा मिल जाता और दूसरी जगह लेते हैं, दिल्ली, बाम्बे में पुलिस डिपार्टमेंट को पैसा मिलता है। मैं तो इनकी पैरवी कर रहा हूं कि इनको पैसा मिलना चाहिए था। वह उपयोगी होता इन लोगों के लिए, डिपार्टमैंट के लिए। दिल्ली व बाम्बे में मिलता है, क्यों नहीं लिया आपने? मैं कह रहा हूं वह नहीं लिया, पर आपको पैसा ले लेना चाहिए था।

(14.00 बजे)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप स्थान ग्रहण तो करें। आपने अपनी बात कह ली अब दूसरों की सुनिये।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय गृह मंत्रीजी, वी.पी. सिंह जी को चिन्ता इस बात की है कि जल्दी से हम क्रिकेट मैच एम.एल.एज. का कराना चाहते हैं। यह आपको खेलना है, बीनाजी को खेलना है, वी.पी. सिंहजी को खेलना है। इसलिए अध्यक्षजी का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी भी क्लब बनाएं ताकि क्रिकेट शुरू हो जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य के बाद सम्माननीय सदस्यों ने यहां पर कुछ प्रश्न उठायें हैं और पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानकारी है उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक भ्रम है सम्माननीय सदस्यों के दिमाग में कि 10 हजार काम्पलीमैंन्ट्री पासेज पुलिस ने लिये। यह तथ्य गलत है, यह सत्य से परे है। ये आयोजकों द्वारा ही अपने स्तर पर लोगों को बांटे गये। किनको बांटे गये, इसकी सूचना मुझे नहीं है। स्वायत्तशासी संस्था से हम किस प्रकार मांगें कि आपने किसको दिये, किस नम्बर के दिये? अब सीरियल नम्बर पूछे जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जिस तरह से है इसी तरह से हिन्दुस्तान में हर प्रान्त का अपना क्रिकेट एसोसिएशन है। सबको मिला कर उनके इलेक्शन होते हैं, क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड की

स्थापना होती है। सारे देशों में उनके अपने कन्ट्रोल बोर्ड हैं। उनके प्रतिनिधियों का इन्टरनेशनल ओर्गेनाइजेशन है जिसका लंदन के अन्दर एम.सी.सी. के पास हैड क्वार्टर है। किन देशों की टीम किस मौसम में जाएंगी, क्या मैच होंगे, सारे के सारे आयोजन वहां से तय होकर आते हैं और यह भी कि हिन्दुस्तान के किस सेन्टर के अन्दर इस प्रकार के मैच होंगे। हिन्दुस्तान के अन्दर, अध्यक्ष महोदय क्रिकेट के प्रतिशत (व्यवधान) अब आप सुनिये। जब आपने अपनी बात कही तो मेरी बात सुन लें आप। अध्यक्ष महोदय, क्रिकेट के प्रति लगाव इस देश के अन्दर जबरदस्त बढ़ रहा है और देखते-देखते ही टेस्ट के बाद वन डे मैचेज शुरू हो गये। क्रिकेट से मेरा भी लगाव है, मैं खेला हूं कालेज के अन्दर। बहुत समझता हूं क्रिकेट के बारे में।

श्री जनार्दन गहलोत : चैम्पियन रहे हो क्या आप ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : चैम्पियन तो होते नहीं हैं इसमें ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : एल.बी.डबल्यू. क्या होता है?

श्री प्रद्युम्न सिह : लैग बिफोर विकेट, कहिये। आपको अभी 6 महीने खिलाऊंगा, समझ गये आप मिस्टर कृपलानी, यह आपके खेल की चीज नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह तो गुलाम देशों का खेल है। (व्यवधान) इंग्लैण्ड के अधीन जो हैं उनका खेल है। हम लोग खेलते भी नहीं हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय सदस्य तो रामलीला खेलते हैं और रामलीला में पार्ट करते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको मालूम है, अध्यक्ष महोदय, कलकत्ता में अभी कुछ दिन पहले जो मैच हुआ था, एक लाख आदमी से ऊपर का मैच हुआ था। कितना बड़ा वहां की पुलिस के लिए चैलेंज था लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन करना। बम्बई के अन्दर 45 हजार, 50 हजार, 55 हजार की कैपेसिटी हो जाती है। तो हर स्टेट का दायित्व है, वे अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करते हैं कि यहां पर कोई अव्यवस्था नहीं फैल जाऐ। फिर पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो एक्साइटमैंट बहुत हाई होता है। उस वक्त पुलिस की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि पुलिस बहुत अलर्ट रहे। उस पृष्ठभूमि में जयपुर में मैच हुआ। यहां कुछ भ्रान्तियां थी। मैं बिलकुल सही कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बैठे हुए थे जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसीडेंट भी हैं मिस्टर शहरयार खान उन्होंने मुक्त कंठ से यहां के इंतजामात की, व्यवस्था की सराहना की। अब लोग कह देंगे कि कर्टसी में कर गये, आपकी बुराई थोड़े ही ना करते। कह सकते हैं, कहने वालों की लगाम तो कोई है नहीं।

अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ने हजार काम्पलीमैन्ट्री पासेज नहीं लिये, नम्बर एक, ये आयोजकों द्वारा बांटे गये। नम्बर 2, अध्यक्ष महोदय, फर्जी टिकट के मामले में दूसरे दिन 24 तारीख को, 23 तारीख को सदन के अन्दर मैंने एक बात कहीं थी। किसी अखबार में कोई खबर छपी थी उसके सन्दर्भ में आपने एक प्रश्न किया था। उसमें था ज़ाली टिकट बिना नम्बर के मेरे पास कटिंग है, श्रीमान। बिना नम्बर के कोई छापा पड़ा । ये सारे टिकट, अध्यक्ष महोदय, पुलिस की देखरेख में छपे और पहले दिन से ही पुलिस की जॉइण्ट पजेशन में थे और जैसे-जैसे मांगते गये देते गये। हमने कोई टिकट नहीं बेचे। यहां कहा गया है कि पुलिस ने टिकट बेचे हैं ये सारे के सारे टिकट्स बैंकों की मार्फत बिके, पुलिस के द्वारा एक टिकट कहीं नहीं बेचा गया। तो मैं इस सारे रिकार्ड को इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न उठाने से भ्रांति फैलती है। मीडिया के द्वारा...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : माणक चौक से टिकट लेकर आये हैं, थाना माणक चौक से।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माई डीयर फ्रैण्ड, प्लीज लिसिन मी डॉक्टर साहब। हां लाये होंगे आप, क्या हो गया? लोग खरीद कर ले आये बैंकों से। लोगों ने ब्लैक भी किया है अध्यक्ष महोदय। इतने बड़े मैच के अन्दर ब्लैक मार्केटिंग की लोगों ने ...(व्यवधान) No. I deny this charge. पुलिस की मार्फत टिकट नहीं बेचे, ये सारे के सारे टिकट बैंकों के मार्फत बिके क्योंकि मैंने खुद बुला कर उनसे पूछा जब यह प्रश्न आया तो मैंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी को बुलाकर उनसे पूछा कि पूरी प्रक्रिया समझाइये। यहां पर पिच की बात कही। एक खबर आयी थी, अध्यक्ष महोदय, पिच के बारे में कि कपिलदेवजी आये थे, उन्होंने इस पिच को उनसे फैक्ट्री कहा। क्रिकेट पिच जो है, अध्यक्ष महोदय, पिच के बनाने वाले की भी आज कल एक्सपर्टीज हो गयी है। एक्सपर्ट हो गये हैं जो पिच को ले करते हैं, पिच को बनाते हैं। पिच में हो सकता है कोई कमी रही हो। आर्डिनरी आदमी पिच कैसे क्रिकेट का ले किया जाता है उसके बारे में कोई समझता नहीं है। पहले मैटिंग के ऊपर मैचेज होते थे, अध्यक्ष महोदय, अब टर्फ के ऊपर मैच होते हैं। It has become a specialised thing. वे आये उन्होंने क्लीयर किया। बैंगलोर में हार गये, मोहाली में हार गये, पाकिस्तान से तो जयपुर की शान घट गयी। अध्यक्ष महोदय, हमने पाकिस्तान को सहारा कप के अन्दर सात मैचों में 6 मैचों में से ठोका था, तब आप क्या कर रहे थे? यह तो मैच है, अध्यक्ष महोदय, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। वैस्ट इंडीज की टीम, मेरा आपसे निवेदन है, एक प्रश्न यहां पर भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आसींद से ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आसींद से आने वाले सॉरी। आसींद से आने वाले सम्मानीय सदस्य ने कहा कि कई दफा यहां कल्चरल प्रोग्राम फण्ड के अन्दर कभी कभी अध्यक्ष महोदय, कुछ पैसा पुलिस वैलफेयर फण्ड के अन्दर लिया जाता है। लेकिन जो क्रिकेट मैच हुए हैं राजस्थान के अन्दर, उनमें कहीं परम्परा नहीं रही है पुलिस वैलफेयर फण्ड के अन्दर किसी स्पोर्टस इवेन्ट्स में खास तौर से। I have to check them.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दिल्ली, बम्बई में ले रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I have to check. अध्यक्ष महोदय, तो मेरा आपसे निवेदन है...

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (राज्य मंत्री, खेल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि 1993 में पुलिस फण्ड में डेढ़ लाख रुपये की राशि ली गयी, 1998 में या 96 में जो मैच हुआ उसमें भी डेढ़ लाख रुपये की राशि पुलिस फण्ड में ली गयी है और मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि जो यह भारत-पाक का मैच हुआ है उसमें भी ढाई लाख की राशि ली गयी है।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : राजस्थान में कोई पैसा लिया ही नहीं जाता है और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमेशा लिया जाता है, इस मैच में भी लिया गया है। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : यह मामला गृह मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है, यह खेल विभाग से सम्बन्धित है। जो हमारे खेल विभाग के सचिव हैं उन्होंने और मुख्य सचिव महोदय ने दोनों ने मिलकर यह कमेट बनायी और यह जानकारी उनको नहीं थी।...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्यों नहीं है गृह मंत्रीजी को जानकारी ? (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : आपने जवाब खेल विभाग से मांगा है इसलिए हल्ले की बात नही है।...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उनकी जानकारी में नहीं है तो क्या परेशानी है आपको ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, भंवरलालजी शर्मा जब खेल मंत्री थे ? आप सुनिये ...(व्यवधान) आप बात तो सुनिये। भंवरलालजी शर्मा जब खेल मंत्री थे... (व्यवधान) गुलाब चन्द जी ... (व्यवधान) उस समय 1993 में एक कमेटी गठित हुई और उसके आधार पर 1993 में केवल यह पैसा लिया। उसके साथ-साथ इन्होंने जो राजस्थान स्पोर्टस कौंसिल का स्टेडियम है, उस स्टेडियम के किराये की बात भी उसमें रखी। लेकिन 1993 से लेकर अब तक जो किराये की राशि लेनी चाहिये थी 6 साल में वसूल नहीं हो पायी। पुरानी राशि जो उस समय एग्रीमैंट में थी, या नहीं थी, वह 1,70,000 रुपये बकाया थी, वह राशि भी मैंने अभी एक-डेढ़ महीने पहले वसूल की है क्रिकेट

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

एसोसियेशन से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल और खेल विभाग ने, मुख्य मंत्रीजी ने और मुख्य सचिव महोदय ने सबने यह बैठकर निर्णय लिया कि चूंकि यह भारत और पाक का मैच हो रहा है ऐसी स्थिति में यह क्रिकेट का जो खेल है उसके लिये किसी प्रकार का किराया स्पोर्ट्स कौंसिल से नहीं लिया जाए। बल्कि यह तय किया गया कि ढाई लाख रुपये पुलिस फण्ड में जमा कराये जाएं और ढ़ाई लाख रुपये चीफ मिनिस्टर फण्ड में जमा कराये जाएं। ये दो बातें तय हुई और 5 लाख रुपये की राशि जमा हुई। मैं आपको कह रहा था, ये आदेश हो चुके हैं पहले ही। ये आदेश 24... (व्यवधान) पुलिस फण्ड में ढाई लाख रुपये होंगे और...(व्यवधान) यह खेल विभाग से संबंधित है इसलिये इनकी जानकारी में नहीं था। यह आपने खेल विभाग से सम्बन्धित बात पूछी है, आपने होम की बात पूछी ही नहीं है। आपने होम की बात जब नहीं पूछी तो यह तो खेल विभाग से संबंधित है और यह राशि खेल विभाग से (व्यवधान) इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसा वसूल कर लिया गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सवाल यह उठता है कि अभि स्पोर्टस मिनिस्टर साहब ने एक बात कही कि हमने ढाई लाख रुपये पुलिस वैलफेयर फण्ड में जमा करा दिये और ढाई लाख रुपये मुख्य मंत्री के फण्ड में। ढाई लाख रुपये पुलिस के फण्ड में जमा हुए तो उसकी जानकारी तो गृह मंत्रीजी को होनी चाहिए थी। जब कोई भी लेन देन हो...

मास्टर भंवरलाल : यह जमा होने के आदेश ही बोला है मैंने । मैंने यह जमा होने के आदेश ही बोला है। ढाई लाख रुपये सी.एम. फंड में और ढाई लाख रुपये पुलिस के फण्ड में, चीफ सैक्रेटरी के आदेश से जमा होने के आदेश हो चुके हैं। जमा होने के आदेश बोला है मैंने, जमा ढाई लाख।

मोहम्मद माहिर आजाद : तब भी जानकारी होनी चाहिये थी। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठो ना। आप बड़ा भारी इस पर शोर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने जानकारी के अभाव में रकम के बारे में कोई सूचना दी है तो उसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं। It is all over. मैं खेद प्रकट करता हूं। आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? What do you want to say.

श्री जनार्दन गहलोत : सारा निर्णय ही खेल विभाग ने किया है। गृह विभाग को तो कोई निर्णय ही नहीं है, वह तो खेल विभाग ने ही किया है।

श्री अध्यक्ष : खेल मंत्रीजी, ये ढाई लाख रुपये जो...(व्यवधान) मैं खेल मंत्रीजी से पूछ रहा हूं आसन की तरफ से कि ढाई लाख रुपये पुलिस वैलफेयर के लिये देने

(श्री अध्यक्ष)

का जो निर्णय हुआ है और ढाई लाख रुपये चीफ मिनिस्टर फण्ड में देने का जो निर्णय हुआ है, यह राशि जमा हो गयी है कि अब होगी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : नहीं, यह जमा नहीं हुई है। चीफ सैक्रेटरी साहब के यहां से जब यह खेल हुआ था उससे पहले ही आदेश दे दिये गये, राशि जमा हो जाएगी।

श्रीमती बीना काक : तब ही तो होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया...

श्री अध्यक्ष : राशि अभी होगी जमा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : चीफ सैक्रेटरी के अकाउंट में जमा है। जब आदेश चीफ सैक्रेटरी ने किये हैं इसका मतलब वह राशि कहां जमा है? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : गृह मंत्रीजी, आपने खेद प्रकट कर दिया किस बात का? वापस लीजिये आप। खेद प्रकट करने का मामला ही नहीं। आपके गृह विभाग में पैसा अभी जमा ही नहीं हुआ। वह तो एक निर्णय हुआ है खेल विभाग से। पहले भी भंवरलालजी के जमाने में निर्णय हुआ था। आज हमारे खेल मंत्री ने वह पुरानी राशि वसूल की है। अब आगे आने वाला पैसा क्रिकेट एसोसिएशन जमा कराएगा, कि नहीं कराएगा, कराएगा तो कब कराएगा? मैं जानता हूं क्रिकेट एसोसिएशन वाले अभी जमा कराने वाले नहीं हैं। जब दुबारा कोई क्रिकेट मैच होगा तब ही पैसा जमा होगा, उसके पहले होने वाला नहीं है। तब उस समय क्या होगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : होम मिनिस्टर का स्टेटमैंट कराया आपने साहब। होम मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि ढाई लाख रुपये का फैसला हो गया। लगातार खेल मंत्रीजी को कह रहा हूं कि आपका उत्तर बिलकुल ठीक है। सवाल यह है, एक सवाल का जवाब दे दें...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पुलिस विभाग तो निकाल लेगा, आप फिक्र मत करो। अभी ये एस्टीमेट बना लें, पुलिस विभाग तो निकाल लेगा 10 लाख रुपये। आप तो निकाल लो। इनकी फिक्र मत करो, आपको मिल जाने चाहिए 10 लाख रुपये ले लो आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : होम मिनिस्टर साहब के ध्यान में ही नहीं है। खेल मंत्रीजी ने बताया तक नहीं, इन्हें बताना चाहिये था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : खेल मंत्रीजी, आप तो यह बताओ, बार-बार क्रिकेट के मैच के लिए 10 परसेंट से ज्यादा कॉम्पलीमैंटरी इश्यु नहीं होते हैं, कलकत्ता के मैच में भी। लाख में से 10,000 कॉम्पलीमैंटरी थे... (व्यवधान) आप तो 27,000 टिकट में 10,000 17,000 तो...(व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिलकुल आटोनोमस बॉडी है। इस सम्बंध में पहले भी एक क्वेश्चन उठा है

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

भंवरलालजी शर्मा के टाइम पर और स्पष्टतः दो लाइन का जवाब यहां पर आया है कि यह आटोनोमस बॉडी है, इस पर चर्चा ही नहीं हो सकती रहा सवाल इस बात का कि कॉम्प्लीमैंटरी पास, तो यह सारा मामला क्रिकेट बोर्ड से संबंधित है। वही इसको आर्गेनाइज करते हैं, इसमें खेल विभाग का सम्बन्ध कुछ नहीं है। मात्र केवल व्यवस्था करने का है, या स्टेडियम देने का है। राजस्थान स्पोर्टस कौंसिल ने स्टेडियम दिया फ्री में और व्यवस्था की गृह विभाग ने और प्रशासन ने इसके अलावा कोई भी प्रकार का खेल विभाग का इसमें कोई मामला नहीं बनता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एलीगेशन यह है कि पुलिस ने पासेज के लिए एक्सटोर्शन किया है...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जिस आटो-नोमस बॉडी की आप बात कर रहे हैं, स्टेडियम आपका, पुलिस विभाग आपका, आर्गेनाइज करने वाली पार्टी की बात कर रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा एलीगेशन तो बड़ा पाइंटेड यह है कि पुलिस ने पासेज को एक्सटोरेर्शन किया है। टैन परसेंट जो परमिसिबल लिमिट है उसमें कोम्प्लीमैंटरी पासेज का प्रोवीजन किया गया था, बाद में नाजायज दबाव डाल कर पुलिस ने सब पासेज लिये हैं। पासेज वाले, कॉम्प्लीमैंटरी वाले अंदर बैठे थे और जो जेन्यूएन टिकट होल्डर थे उनको मार-मार कर भगा दिया, मुद्दा तो यह है। इसका जवाब नहीं दिया गया, मंत्रीजी मुझे...(व्यवधान) नहीं तो आप जवाब दे दें, एक्सटोर्शन तो आपने किया है। खेल मंत्री के जवाब से संतुष्ट हैं हम।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा आरोप अलग है। मेरा आरोप यह है कि गवर्नमैंट में कोआर्डिनेशन नहीं है। खेल मंत्रीजी को बताना चाहिये था पहले गृह मंत्रीजी को कि इस तरह से पैसे आ गये हैं, हालांकि जमा नहीं हुए हैं। यह ठीक बात नहीं हुई है। यह गलत बात है इनको बताना चाहिये था।

श्री जनार्दन गहलोत : आये नहीं हैं, देने का वायदा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : तय तो हो गया। चीफ मिनिस्टर ने जिम्मेदारी ली है लेकिन खेल मंत्रीजी को गृह मंत्रीजी को यह जानकारी तो देनी चाहिये थी कि यह फैसला हो गया है, जमा हो जाएंगे, जब भी होंगे। यह क्या बात हुई?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तय तो हो गया। खेल मंत्रीजी को गृह मंत्रीजी को जानकारी देनी चाहिये थी। कोआर्डिनेशन नहीं है, उनको पता नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा क्वेश्चन है गृह मंत्रीजी से। माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि चार मुलजिमों को पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान पुलिस की टोली जयपुर से गयी थी,

(डा. किरोड़ी लाल)

राजस्थान पुलिस का तो कहना है कि जो मारुति वैन हमने वहां पर जब्त की थी उस मारुति वैन को दिल्ली की पुलिस ने नहीं लाने दिया और दिल्ली की पुलिस के कमिश्नर ने यहां पर जयपुर साउथ के एस.पी. को पत्र लिखा है कि आपकी मारुति वैन यहां थाने में खड़ी की है, इसको ले जाओ। गृह मंत्रीजी थोड़ा यह तो स्पष्ट करो, क्या बात है, क्यों आपकी पुलिस उस मारूति वैन को जिसमें फर्जी टिकट लेकर अपराधी आये थे, नहीं लेकर आयी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी, जरा यह तो बताओ, टिकट प्रिन्ट कितने हुए, टिकट जारी कितने हुए और टिकट मिसिंग कितने रहे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई टिकट मिस नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो नम्बर बता दीजिये। कितने नम्बर के टिकट...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नम्बरों का यहां कर कोई अर्थमैटिक का हिसाब हो रहा है, या अकाउटेंसी हो रही है यहां पर ? कोई भी, अध्यक्ष महोदय, मिस नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों नहीं होगा?

डा. किरोड़ी लाल : मारूति वैन कहां गयी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने पूरी जानकारी ले ली। जब-जब टिकट उन्होंने मांगे, दोनों की सील लगी हुई थी बक्से के ऊपर। जोइन्ट पजेशन था, जैसे-जैसे वे टिकट मांगते जाते थे, देते जाते थे। इसलिये कोई टिकट कहीं पर किसी प्रकार से मिस नहीं हुआ। यह मैं इस वर्ड को भी सैट राइट करना चाहता हूं यहां पर।

डा. किरोड़ी लाल : अपराधियों की मारूति वैन का क्यों नहीं कर रहे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जिनके पास अभी टिकट मौजूद हैं और जिनके पैसे वापस नहीं मिले, Those of the genuine ticket holders who were not permitted inside and who are still holding the tickets, will you kindly get their money refunded.

श्री प्रद्युम्न सिंह : You please ask the sports Minister this question.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बोलिये। कोई मंत्रीजी बोलें, चाहे आप बोलें, दोनों में से ...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सिद्ध भी नहीं किया जा सकता।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलिस का बहुत अच्छा इन्तजाम रहा, मैं तारीफ करता हूं। पुलिस का बहुत अच्छा इन्तजाम रहा ब्लैक बहुत कम हुआ। यह सही बात है। लास्ट ईयर जब मैं पेरिस के अंदर था..(व्यवधान) ओलंपिक हो रहा था वहां पर भी फेक हो रहा था।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या होने वाला है? इसलिए, माननीय सदस्य, समय बर्बाद ना करें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ओलंपिक हो रहा था उसमें भी फेक हो रहा था, यहां व्यवस्था अच्छी हुई है। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि पुलिस वैलफेयर डिपार्टमेंट का...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : उन पर जो चर्चा होने वाली है, कई सदस्य बोलने वाले हैं। ये दो घंटे से समय बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय, इनको बैठाएं और चर्चा शुरू कराएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर ...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि टिकट चाहे पैसों से खरीदा गया हो या फर्जी तरीके से हथियाया गया हो जिसके हाथ में टिकट आ जाता है वह निश्चित तौर पर खुशकिस्मत होता है। कई लोगों ने फर्जी टिकट से हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का मैच देख लिया। हमारे सदन में सदस्या बैठी हुई हैं ये फर्जी टिकट की ही देन हैं....(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि यह चर्चा होते हुए काफी समय हो गया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये ईर्रेलेवेंट बात कर हैं आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : टिकट किसी निर्दलीय का तो होता नहीं, 16 फर्जी टिकट कांग्रेस का था क्या ? फर्जी टिकट कांग्रेस का था ? निर्दलीय का तो होता नहीं टिकट।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : टिकट फर्जी था । आप तो जो काम करते हो वह फर्जी के बिना करते ही नहीं हो माहिर भाई।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त ।

मोहम्मद माहिर आजाद : दुबारा कहें ताकि जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

मोहम्मद माहिर आजाद : टिकट फर्जी था, पता ही है। (व्यवधान) मैं तो आपकी जमानत जब्त कराकर जीतकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे । श्री राजेन्द्र चौधरी ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9 अरब 53 करोड़ 48 लाख 23 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा।

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, महिला एवं बाल विकास की प्रस्तुति

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (महिला एवं बाल विकास सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3 अरब 8 करोड़ 3 लाख 71 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइंट आफ आर्डर। यह 1999-2000 का आय व्यय का ब्यौरा जो दिया है, यह हमें अभी एक घंटे पहले यहां पर दिया गया है। अब इसको हम ठीक से पहली बात तो देख ही नहीं पाये और जो थोड़ा-बहुत हमने इसको देखा है, इसमें कहीं भी इस बार के कोई प्रावधान है नहीं। केवल 1998-99 के दे दिये हैं, जो कि पहले भी हमें दिये जा चुके हैं। इसलिए इस बारे में हम क्या बोलेंगे, मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है। यह हमें अभी दिया है एक घंटे पहले और इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ब्यौरा नहीं है। इस बार क्या प्रोविजन्स हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें।

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1998-99 तो 30 तारीख को वितरित कर दिया गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, वह कर दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : और इसमें थोड़ी सी इनको देरी हो गयी थी इसलिए मुझसे उन्होंने अनुमति मांगी। चूंकि आज यह मांग यहां पर पारित होने वाली है, मैंने उसकी अनुमति दी है और सदन में वितरित करवाया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो ठीक है लेकिन कोई ब्यौरा दिया नहीं। इसमें प्रोविजन्स कुछ भी नहीं दिये, क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें, मैंने पूरा पढ़ लिया इसको। पूरा पढ़कर, एक-एक अक्षर पढ़कर कह रही हूं, कोई प्रोविजन नहीं है। एक भी प्रोविजन नहीं दिया है।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय परम्परा यह है कि गत वर्ष जो इस साल 31 मार्च को समाप्त होने वाला है, उसका आय-व्यय का ब्यौरा पेश किया जाता है। विभाग ने एक तो अपनी तत्परता दिखायी और उसके ऊपर भी इनको एतराज हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एजुकेशन में हमको सारा का सारा दिया गया था, 1999-2000 का पूरा ब्यौरा दिया गया था और उसी के आधार पर यहां डिस्कशन हुआ। इसमें कोई भी ब्यौरा नहीं दिया गया है, कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, ने परमीशन दे दी। अब इसमें कोई खामियां रह गयी है तो वह जब आप बोलें तो उनको इंगित कर दें। इसमें पाइंट ऑफ आर्डर जैसी कोई बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन व्यवस्था देने की बजाय आप दिया करेंगे व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था के अलावा ये देंगे व्यवस्था अब ?

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : पाइंट ऑफ आर्डर होने जैसी कोई बात नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद इस प्रश्न के लिए कोई जगह नहीं रहती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कटमोशन पर चर्चा करेंगे। डा. करण सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भविष्य के लिए सचेत कर दें।

श्री अध्यक्ष : अब इसमें आ गया है।

मांग संख्या-26 पर कटौती प्रस्ताव

श्री अमीन खान (शिव)

1. जिला बाड़मेर के सीमावर्ती रेगिस्तानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर्स, कम्पाउंडर्स एवं नर्सों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

2. कालू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मुख्यालय तहसील मुख्यालय लूणकरणसर में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

3. जिला चिकित्सालय श्री गंगानगर में वरिष्ठ विशेषज्ञ व विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. श्री गंगानगर जिला चिकित्सालय में दवाईयों का बजट बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. श्री गंगानगर शहर के सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

6. राज्य में सभी उपखण्डों पर उपखण्ड स्तरीय चिकित्सा के मापदण्डों के अनुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

7. झुंझनूं जिला मुख्यालय के राजकीय महिला अस्पताल से वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद की समाप्ति से मरीजों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
8. गांवों में जी.एल.आर. के निर्माण के बाद लगातार बहने वाले पानी से कीचड़ व पानी के जमाव एवं गंदगी के कारण उत्पन्न मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के बचाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

9. झुंझुनूं जिले के ग्राम प्रतापपुरा में उपस्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. झुंझुनूं जिले के कस्बे इस्लामपुर में मेटरनिटी सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड)

11. सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोनरी बाई पास सर्जरी के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. तहसील बहरोड़ के बर्डोद चिकित्सालय में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. राज्य में मेडिकल नर्सिंग एवं अन्य पाठयक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की पूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. राजस्थान में नर्सिंग प्रशिक्षण में रही खामियों को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवंत सिंह यादव (मण्डावर)

16. मण्डावर के उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों के अभाव में हो रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. रैफरल अस्पताल, मण्डावर में सभी चिकित्सक नहीं होने से महिला रोगियों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. रैफरल अस्पताल मण्डावर में एक्सरे मशीन नहीं होने से मरीजों को हो रही भारी परेशानी से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

19. प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कानूजा (पाली) में चिकित्सक, कम्पाउंडर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासीय भवन बनाये जाने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. "ए" ग्रेड़ कम्पाउंडर डिस्पेंसरी सैंदडा, जिला पाली को प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. पाली जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय झाला की चौकी एवं एक हजार से अधिक आबादी के राजस्व गांव सीरमा, कालबखुर्द, रामगढ़ सेडोसान में ए.एन.एम. के पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. जनहित में पाली जिले में पंचायत समिति रायपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालय रेलडा, मानणा तथा चिताड़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरासिंह चौहान)

23. ग्राम पंचायत मुख्यालय खेड़िया, बीजागुड़ा, करमावास पहा तहसील सोजत जिला पाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

24. राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पड़े हुए पदों को भरने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

25. जैतारण के ग्राम प्रतापपुरा, कांवलीया कला चिकित्सालय में ए.एन.एम. की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. जैतारण के ग्राम लाम्बिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

27. राज्य के चिकित्सालयों में सफाई सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सम्पूर्ण चिकित्सा सुविधाओं युक्त अस्पताल स्थापित करने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. राज्य में जनसंख्या के आधार पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ चिकित्सा सुविधाओं में हो रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. राज्य में चिकित्सालयों की गिरती व दयनीय स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

32. ग्राम दांता (सीकर) रैफरल अस्पताल तीस बैड का होने के बाद भी डाक्टरों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

33. राजकीय चिकित्सालय गिड़ा पंचायत वायतु के भवन निर्माण कराने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. राजकीय चिकित्सालय नवातला पंचायत समिति बालोतरा (बाड़मेर) के भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

35. राज्य के निजी चिकित्सालयों में व्याप्त अनियमिता एवं भ्रष्टाचार से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

36. राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति एवं रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम)

37. विधान सभा क्षेत्र धोद के सामुदायिक केन्द्र, लोसल में एक्स-रे मशीन की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र धोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के गिरने एवं सीकर के कल्याण अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

39. राज्य सरकार द्वारा विधाम सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में डाक्टरों का पदस्थापन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. राज्य सरकार द्वारा मरीजों के अनुपात में दवाईयों की व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. प्रदेश के चिकित्सालयों में समुचित सफाई व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले के चिकित्सालयों एवं रेफरल चिकित्सा-लयों में पर्याप्त बिस्तरों की व्यवस्था व सफाई व्यवस्था में सुधार की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

44. प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर में मरीजों के अधिक बढ़े हुए भार को कम करने के लिये केवल रेफर किये हुए मरीजों को ही भर्ती कर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. नेत्र चिकित्सालय लाडनूं में विशेषज्ञ का पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. नागौर जिले में निजी एक्स-रे वालों से मिली भगत करके सरकारी एक्सरे मशीनों को चालू हालात में नहीं रखे जाने से लोगों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. राजकीय चिकित्सालय निम्बी जोधा लाडनूं जिला नागौर में कार्यरत ए.एन.एम. द्वारा कार्य में लापरवाही व फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी में लगने आदि की चिकित्सा प्रभारी द्वारा बार-बार शिकायतें करने के उपरान्त भी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

49. राजकीय डाक्टर्स के खुले आम सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट प्रेक्टिस करने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

50. जिला सिरोही में शिवगंज अस्पताल की क्षमता 50 बिस्तर करने एवं पोसालिया में महिला चिकित्सक की नियुक्ति तथा कालन्द्री अस्पताल में कनिष्ट विशेषज्ञ (शल्य) के पद पर पुनः पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

51. बीकानेर-श्री गंगानगर राष्ट्रीय मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं के त्वरित इलाज हेतु मंडी अर्जुनसर में चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति एवं लूणकरणसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा वार्ड व आई.सी.यू. वार्ड की आश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रों में फैल रही पीलिया, दस्त, पेचिश आदि बीमारियों के उपचार हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

53. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम सुमेरपुरा, लक्ष्मीपुरा व ढानवा में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. राजकीय चिकित्सालय इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में महिला चिकित्सक का पद रिक्त होने से मरीजों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर)

55. तहसील राजगढ़ जिला चुरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामसराताल, सुलखनिया बड़ा, घणाऊ, हमीखास गांवों में इसी बजट वर्ष में भवनों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. तहसील राजगढ़ जिला चूरू के नूहन्द, रेवारी वास, किशनपुरा गांव में इसी बजट वर्ष में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. तहसील राजगढ़ जिला चुरू के ग्राम गालड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इसी बजट वर्ष में स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राउटीबा, जाटूवास, रबूडी, बीजावास, राधा बड़ी, देवीपुरा, अमरपुरा गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र इसी बजट वर्ष में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव)

59. सीमावर्ती जिला बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में डाक्टरों के खाली पदों को भरने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-33 पर कटौती प्रस्ताव

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

1. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की असंतोषजनक स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

2. आंगन बाड़ी एवं पोषाहार केन्द्रों में प्रदाय पौष्टिक खाद्य पदार्थों के वितरण की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

3. राज्य में आंगन बाडियों की दुर्दशा सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)

4. क्रीमीलेयर के मापदण्ड निर्धारण के क्रम में चर्चा के लिये।

5. अन्य पिछड़ा वर्ग के हस्तशिल्पियों को रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति व छात्रावासों में सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

7. आंगन बाडी केन्द्रों की उपयोगिता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

8. राज्य में महिला एवं बाल विकास पर और ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

9. राज्य में चौदह साल की उम्र से कम के बालकों को श्रमिक रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

10. राज्य में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति में सुधार लाने तथा उचित मोनिटरिंग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. वृद्ध, गरीब, असहाय व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. राज्य में बाल श्रमिकों पर हो रहे शोषण व अत्याचारों को रोकने पर चर्चा के लिये।

13. राज्य में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

14. विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर में महिला सुपरवाइजरों द्वारा महिला कार्यकर्ताओं को अनावश्यक परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं को

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

नियमित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

16. कस्बा नगर में अनाश्रित बालकों के लिए पालना गृह स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

17. कस्बा नगर व गुलपाड़ा (भरतपुर) में विधवा व गरीब महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

18. तहसील नगर में समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. कस्बा नगर गुलपाड़ा, सीकरी व गोपालगढ़ में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

20. प्रदेश में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. ग्रामीण क्षेत्रों में उसी गांव की स्थानीय कार्यकर्ता को बाल विकास आंगन बाड़ी में लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा व कल्याण में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

24. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्रामों में केन्द्र खोलने के मामलों में बरती जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. श्रम न्यायालयों के निर्णयों को सम्बन्धित विभागों द्वारा समय पर पालना न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. लाडनूं जिला नागौर में एक संस्था द्वारा समाज कल्याण विभाग से अनुदान लेकर चलाये जा रहे छात्रावास का वार्डन जलदाय विभाग के एक कर्मचारी को बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. समझौता अधिकारियों की रिपोर्ट पर श्रम न्यायालयों को मामले भेजने में विभाग द्वारा बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

28. राज्य में असंगठित श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के मामले में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

29. अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिये आरक्षित राशि का अन्य प्रयोजनार्थ

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

दुरुपयोग होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

30. खातोली (पीपल्दा क्षेत्र) में नया समाज कल्याण छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. कोटा जिले के कस्बा इटावा में छात्रावास भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर)

32. पंचायत समिति राजगढ़ जिला चूरू के प्रत्येक गांव में आंगन बाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला चूरू के गांव गोठया छोटी, कान्धरान, कालरी, बालाण, बास किरतान, जसवन्तपुरा, नेशल बड़ी, जाटूवास, बैरासर छोटा, रावतसर कुंजला, गालड़ की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला चूरू के कस्बा राजगढ़ में स्थित समाज कल्याण छात्रावास की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव)

35. ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही आंगन बाड़ी केन्द्रों में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-26 एवं 33 पर विचार

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सुखद संयोग है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो सारे विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मनाया जाता है, उस दिन राजस्थान विधान सभा में हम आने वाले साल के बजट की चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बजट के प्रावधानों को जब सरसरी तौर पर कोई देखता है तो महसूस होता है कि किसी कल्याणकारी सरकार के अनुभवी वित्त मंत्री ने चिकित्सा सेवाओं के पिछले ढांचे को देखते हुए, चिकित्सकों से सलाह लेते हुए, विभाग से सलाह लेते हुए इस बजट का निर्माण किया है और इस बजट के निर्माण में ध्यान में रखा है महात्मा गांधी के उस कथन को, जब गांधी जी से पूछा गया कि सरकार कैसे चलाएं? बजट कैसे बनाएं ? तो उन्होंने कहा कि बजट बनाते वक्त गरीब जो दूर बैठा हुआ है, जो आपसे बहुत दूर गांव के अंदर, ढाणियों में, कच्ची बस्तियों में बैठा है उस आदमी का आप ध्यान रखें। अगर उसको ध्यान में रखकर आप कोई बजट बनाएंगे, सरकार कोई कार्य करेगी तो निश्चित रूप से यह उत्तम बजट होगा और लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने उस गरीब आदमी का ध्यान रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ही कोई उदाहरण मिलता है जहां पर अस्पतालों की दवाइयों का बजट प्रति

(14.27 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

(डा. करण सिंह यादव)

बिस्तर दुगुना कर दिया गया हो। शायद ही कोई ऐसा बजट मिलेगा जहां पर गांव के गरीब रोगियों को जो अस्पताल में आते हैं, जिनको हम कच्ची-पक्की दाल-रोटी खिलाते हैं- जरूर वित्त मंत्री के दिमाग में, जरूर स्वास्थ्य मंत्री के दिमाग में वह अस्पताल की थाली रही होगा जिसको देखकर उसने मन में विचार किया और इस बजट में राशि को दुगना कर दिया, 10 से 20 कर दिया। जरूर वित्त मंत्री के दिमाग में इस बात की चेष्टा रही होगी अस्पतालों की दुर्दशा देखते हुए, गिरते हुए भवनों को देखते हुए लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ में कुछ बातें यहां कहनी पड़ेंगी। अलमा आटा का एक डिक्लेरेशन था "सबके लिए स्वास्थ्य 2000 तक" लेकिन पिछले 8 सालों में जो सरकार थी उसने उस डिक्लेरेशन को असत्य साबित कर दिया। फिर भी मैं समझता हूं कि राजस्थान में अब आने वाले 8 साल के अन्दर हम सबको स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। इतना ज्यादा पीछे हम स्वास्थ्य के मामले में चले गये हैं 8 साल में....

श्री जगमाल सिंह यादव : आप तो 5 साल के लिए चुने गये हो, 8 साल की कैसे कहते हो? (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : अच्छा काम करेंगे, अगली बार भी चुने जाएंगे। ऐसे कल्याणकारी बजट आते रहेंगे, आम गरीब आदमी की सुनते रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे तक आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो जो 20 करोड़ रुपए का प्रावधान 6 मेडिकल कॉलेजेज के भवनों के निर्माण के लिए, रख-रखाव के लिए, उपकरणों के लिए किया गया है, ऐसा नहीं होता । मैं सवाई मानसिंह अस्पताल का अधीक्षक रह चुका हूं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, वित्त विभाग के लोग यहां नहीं हैं, पी.डब्ल्यू. डी. के लोग यहां नहीं हैं, अस्पताल की रंगाई-पुताई हर साल होनी चाहिए, उसके लिए हम पिछले साल दर-दर भटकते रहे कि कहीं से बजट आ जाए। अस्पताल की मेंटीनेंस की बात तो दूर रही अपने साधनों से खैर, मैं आऊंगा मेडिकल रिलीफ सोसाइटी पर जिसका मैं प्रशंसक हूं, जिसने डाक्टरों को एक ऑटोनोमी दी है, उस सोसाइटी से बजट लेकर हमने अस्पताल की रिपेयर और मेंटीनेंस करवाई। सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया।

गांवों और कस्बों में ऐसे अनेक अस्पताल पड़े हैं जिनकी जीर्ण-शीर्ण हालत हो रही है, जिनकी रिपेयर की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जब मैं मेरी खुद की कांस्टीट्युएंसी में जाकर देखता हूं, माननीय मंत्री महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से नोट करवाना चाहूंगा, गंडाला गांव है, पी.एच.सी. की बिल्डिंग जर्जर पड़ी है। डाक्टर दूसरी जगह जाकर बैठते हैं, उस बिल्डिंग में रह नहीं सकते । जब मैं जाता हूं, जिन किसानों ने अपनी जमीन दी थी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, वे किसान रो उठते हैं कि हमने अपनी उपजाऊ जमीन यहां बिल्डिंग बनाने के लिए दी और आज

(डा. करण सिंह यादव)

इस भवन की ऐसी जर्जर हालत है। मेरे इलाके में एक सेठ साहब ने अच्छी बिल्डिंग बना दी, अच्छे उपकरण दे दिए, लेकिन उसके बाद आज तक बहरोड़ में उस बिल्डिंग में सरकार रंगाई-पुताई नहीं करवा सकी। यह ध्यान था सरकार का चिकित्सा सेवाओं के प्रति। यही कारण है कि अच्छे प्रावधान इसमें किए गए। मैं आपको चिकित्सा विभाग की दुर्दशा का वर्णन कहां से चालू करूं? मेडिकल एजुकेशन से चालू करूं।

आपको यह जानकर अचम्भा होगा कि यहां जब लड़का प्रवेश करता है, साढ़े चार साल का कोर्स है, साढ़े पांच या साढ़े छह साल में खतम होता है। रैगुलर एक्जामिनेशन नहीं हो पाते। मैं इसके लिए चिकित्सा विभाग को दोष नहीं देता लेकिन मैं पुरानी सरकार की जिम्मेदारी से उनको आगाह करना चाहूंगा, आप मुझे एक साल बता दीजिए पिछले आठ सालों में जब साढ़े चार साल में लड़का अपना कोर्स पूरा करके आ गया हो। उसके साथ का लड़का सेण्ट्रल पी.एम.टी. में बैठा, जिसने दिल्ली या मद्रास से अपनी परीक्षा पास की, वह साढ़े चार साल में डिग्री लेकर आ गया लेकिन राजस्थान वाले की साढ़े पांच साल तक परीक्षा का ही पता नहीं।

आप मुझसे कहेंगे कि डाक्टर साहब आप आरक्षण की बात कहते हैं, राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेज में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब को, सम्भवतया वे कभी वी.पी. सिंहजी के साथ रहे थे, शायद जनता दल की आइडियोलोजी होगी। (व्यवधान) स्वागत करूंगा यदि हमारे साथ वे आएंगे।

नर्सिंग ट्रेनिंग में और ए.एन.एम. ट्रेनिंग में तो रिजर्वेशन है एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. का, मेडिकल कॉलेजेज में ओ.बी.सी. को रिजर्वेशन की बात पिछली सरकार सुन ही नहीं सकती थी। यह तो आज की सरकार के भी सोच का विषय है लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा यहां एस.सी., एस.टी. के 50 के आस पास एम. एल. ए. और मंत्रीगण बैठे हुए हैं, मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाये कि आप नौकरियों में आरक्षण देते हैं 12 प्रतिशत और 16 प्रतिशत का, जबकि राजस्थान के मेडिकल विभाग द्वारा जो प्रोस्टपैक्टस दिया जाता है उसमें आधा 6 प्रतिशत और 8 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है एस.सी. और एस.टी. को। अगर आप उसको ढंग से कैलकुलेट करें तो आपको पता लगेगा कि वह 6 और 8 प्रतिशत भी नहीं है, वह साढ़े चार और साढ़े छह प्रतिशत बनता है। आरक्षण के नाम पर चिकित्सा विभाग में जो कुछ हुआ, उसका एक लेखा-जोखा है।

श्री समापति : माननीय सदस्य, आप दाहिनी और सम्बोधन कर रह हैं, आपसे प्रार्थना है कि इधर आसन की तरफ देखें।

डा. करण सिंह यादव : सभापतिजी, सदन में नया-नया हूं, परम्पराएं सीख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) **:** डाक्टर साहब, आपको आरक्षण तो दे दिया, जाटों को तो वह भी नहीं दे रहे हैं। आप इधर ध्यान दो, हमारी तरफ, हम भी बैठे हैं, आरक्षण तो दो हमें कम से कम। हमें पोस्ट नहीं चाहिए, प्रमोशन नहीं चाहिए, हमें तो आरक्षण दे दो।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य के भाषण में बाधा पैदा न करें।

डा. करण सिंह यादव : पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन का यह हाल है कि पिछले 5 सालों में हर बार नियम बदले गए। एक समय ऐसा था कि 25 प्रतिशत आरक्षण देंगे सिविल असिस्टेंट सर्जन को, जिनकी 5 साल की सर्विस है उनको देंगे या जिन्होंने गांव में काम किया है। दूसरे साल में कोई भाई-भतीजा आया, निर्णय चेंज हुआ कि हम 3 साल वाले को दे देंगे। इस बार पिछली सरकार के टाइम में उसको 50 प्रतिशत कर दिया गया। किसी को मालूम नहीं है कि कितना आरक्षण इन सर्विसेज वाले कैण्डीकेट्स को मिलेगा। इन सर्विस कैण्डीडेट्स पर हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहें हैं, हम उनको इसलिए आरक्षण देते हैं क्योंकि वे गांव जाकर लोगों की सेवा करेंगे, अपनी सेवा करने के बाद आकर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आना चाहते हैं। लेकिन उसके बारे में इनका ध्यान नहीं है। इस प्रकार इन छहों मेडिकल कॉलेजों की बड़ी भारी दुर्दशा है, इनमें अध्यापकों की बड़ी भारी कमी है। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि लगभग 150 पद रिक्त हैं। कुछ सब्जैक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम प्री-क्लीनिकल और पैरा-क्लीनिकल सब्जैक्ट्स कहते हैं-एनाटमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल कॉलेज के शुरू के साल होते हैं, फार्मोकोलोजी, बायोकैमिस्ट्री - इनके डेमोन्स्ट्रेटर्स के 10-10, 20-20 पद एक-एक कॉलेज में रिक्त पड़े हुए हैं, लैक्चरर्स के पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसी आशंका बनी हुई है कि आने वाले दो-तीन साल के बाद शायद हमको नये स्टाफ नहीं मिलेंगें, हमें कॉन्टैक्ट पर लाकर लड़कों को पढ़ाना पड़ेगा, यह हालत है राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों की।

अब मैं नर्सिंग कॉलेजेज की बात बनाऊंगा। राजस्थान में नर्सिंग कर्मचारियों की भारी कमी है और हम कॉलेज खोलते जा रहे हैं। राजस्थान में मात्र एक बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज है, उसकी दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उसमें 20 आदमियों के स्टाफ में से लगभग 11 लोग काम करते हैं, उन 11 में एक केवल स्टाफ मैम्बर ऐसा है जो रैगूलरली सलैक्टेड है, बाकी सारे के सारे एडहांक हैं, प्रोपरली रिक्रूटेड नहीं है। टोटल 40 नर्सेज वहां ट्रेंड होते हैं एक नर्सिंग कॉलेज में उसके अन्दर इतनी खराब व्यवस्था कि इस नर्सिंग कॉलेज खोलने के बाद उसका एक रैगुलर प्रिंसीपल नहीं बना पाए, रैगुलर प्रोफेसर नियुक्त नहीं कर पाए, रैगुलर लैक्चरर्स नियुक्त नहीं कर पाए। परेशानियां जो भी रही हों लेकिन जो लोग पहले शासन में थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। अब यह जिम्मेदारी हमारी सरकार

(डा. करण सिंह यादव)

की बनती है कि हम उन व्यवस्थाओं को ठीक करें। ऐसी स्थिति नर्सिंग की थी पिछली बी.जे.पी. की सरकार में।

राजस्थान में नर्सिंग के दो कोर्स होते हैं--एक तो बी.एससी. नर्सिंग का, उसमें 40 सीटें हैं और एक जनरल नर्सिंग कोर्स जो मेडिकल कॉलेज मुख्यालयों पर उपलब्ध है। वह जनरल नर्सिंग कोर्स 3 साल तक बिल्कुल बन्द पड़ा रहा कोई एक छोटा-मोटा स्टे आने के बाद। 1990-93 के बीच जो सरकार थी, उसकी चुस्ती देखिए कि वह स्टे वेकेट नहीं करवा पाई। जब नई सरकार आई, हमने निवेदन किया, बार-बार मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया, तब जाकर उस स्टे को वेकेट किया गया लेकिन फिर भी स्थिति वह की वह रही।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में 150 डाक्टरों का एडमिशन होता है जिसमें 80 के लगभग पोस्ट ग्रेजुएट आते हैं। लेकिन जनरल नर्सिंग के पहले 40 थे, उसको बढ़ाकर 80 कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : 80 कब किया?

डा. करण सिंह यादव : आपने किया, इसकी बधाई आपको दूंगा। मैंने निवेदन किया कि आपने जितने अच्छे काम किए उन सबकी मैं तारीफ करूंगा।

माननीय अध्यक्षजी, लेकिन 80 पर्याप्त नहीं हैं। आज नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है, गांवों में नर्सेज उपलब्ध नहीं हैं। प्राइवेट नर्सिंग होमस इतने आ रहे हैं जिनको ट्रेंड नर्सेज चाहिए। लेकिन कारण क्या है, उसको हम क्यों नही बढ़ा पाए ? 80 से उसको 100 क्यों नहीं कर पाए या 150 क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण है कि नर्सेज को 80 या 90 रुपया महीने का भत्ता दिया जाता है, जब यह फाइल स्वास्थ्य मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में जाती है तो कहते हैं, हम तो 80, 90 या 100 रुपया नहीं दे सकते हैं। यह उन लोगों के साथ में अत्याचार हैं जो नर्सिंग की शिक्षा लेने वाले हैं। उनको 80 रुपया या 90 रुपया महीने को आप दे रहे हैं, उनका भत्ता बढ़ना चाहिए, लेकिन आप 80 रुपये का भत्ता नहीं बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के आम आदमी को नर्सेज की भारी जरूरत हैं, ए.एन.एम्स. की भारी जरूरत हैं, टैक्नीशियंस की भारी जरूरत हैं, लैबोरेटरी टैक्नीशियंस की जरूरत है। सभापति जी मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पैरा मेडिकल कोर्सेज हैं, पैरा मेडिकल एजुकेशन है, एक कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नवल किशोर जी मौजूद थे, किस तरह से नर्सेज ने अपनी व्यथा कहीं कि उनको स्कोलरशिप नहीं मिलेगी। आप नर्सिंग कालेजेज के भवन देखें। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा एस.एम.एस. अस्पताल में जो जनरल नर्सिंग का...

श्री नवल किशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय मैं भी इनका समर्थन कर रहा हूं।

डा. करण सिंह यादव : जनरल नर्सिंग की एस.एम.एस. अस्पताल में ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें 80 लड़कों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यह है हमारे नर्सिंग कालेज की व्यवस्था जिसके ऊपर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अनेकों कोर्सेज जो पहले चल रहे थे, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसका हिन्दुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी उन लोगों की भारी खपत होती है, फिजियोथिरैपी, आकुपेशनल थिरैपी फिजियोथिरैपी, आकुपेशनल थिरैपी का डिप्लोमा सवाई मानसिंह अस्पताल में डा. पी.के. सेठी के समय में चलता था। आठ साल के अन्दर वह डिप्लोमा बंद हो गया। बन्द इसलिए किया गया कि शायद हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। वह डिग्री तो दूर रह गई और वह डिप्लोमा भी चला गया। और तो और, जहां हर जिला मुख्यालय पर फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, उसका पद आज भी रिक्त पड़ा हुआ है। थोड़े-बहुत लोग जो आठ साल पहले फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग लेकर आये थे, वे आज भी दर-दर भटक रहे हैं। जो विदेश चला गया, जो बम्बई चला गया उसको तो जॉब मिल गया, लेकिन जिसने राजस्थान का मोह नहीं छोड़ा उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सारे कोर्सेज जरूरी हैं चिकित्सा व्यवस्थाओं को डवलप करने के लिए।

फार्मासिस्ट का कोर्स यहां चालू हुआ, लेकिन केन्द्र सरकार को यह लिखकर दिया गया कि हम इसके लिए हर अस्पताल में पद सृजित कर रहे हैं। सुबह भी एक माननीय सदस्य इस बात का जिक्र कर रहे थे, हर अस्पताल में दवाओं के रख-रखाव के लिए फार्मासिस्ट होना चाहिए। छोटे से छोटे अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन फार्मासिस्ट के पद सृजित नहीं होने की वजह से आज राजस्थान में अनेक फार्मेसी किए हुए बच्चे दर-दर भटक रहे हैं। उनको दवा की दुकान वाले भी नहीं रख रहे हैं। हमारा जो कंट्रोल है मेडिकल डिपार्टमेंट का, वह इतना कमजोर है कि आप किसी भी दवा की दुकान पर जाइए, आपको एक तख्ती लगी हुई मिल जाएगी एक ट्रेंड फार्मासिस्ट आदमी के नाम की जो किराए पर मिलता है 600 या 800 रुपये में। लेकिन जो बाकी 5 या 7 सेल्समैन खड़े होंगे उनमें से कोई आठवीं पास होगा, कोई सातवीं पास होगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हुए जहां पर एक दवा की जगह दूसरी गलत दवा दे देते हैं। हम एनफोर्स नहीं कर सकते लोगों को अपने मेडिकल कॉलेजेज में, अपने मेडिकल कालेजेज के अस्पताल में, अपने चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट को रख नहीं सकते। उसका नतीजा है कि इस काम को हमारे ट्रेंड नर्सेज और कम्पाउण्डर्स करते हैं। आज सवाई मानसिंह अस्पताल में 20 ऐसे कम्पाउण्डर होंगे जो नर्सिंग नहीं करते, जो स्टोर के अन्दर दवाइयां गिनते हैं, जो ऑक्सीजन के प्लांट को संभालते हैं, जो दवाइयों का वितरण करते हैं। यह काम नर्सेज का नहीं है। नर्सेज का काम है मेडिकल सेवा-सुश्रुषा करना। दवाओं के रख-रखाव के लिए फार्मासिस्ट है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस मामले में मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा...

श्री सभापति : अध्यक्ष की कुर्सी पर सभापति विराजमान हैं।

डा. करण सिंह यादव : सभापति जी, मैं इस बजट की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा कि मेडिकेयर रिलीफ कार्ड के माध्यम से गरीबों को अस्पताल में दवाइयां मुफ्त मिल सकें उसके लिए प्रावधान किया गया है। मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से अस्पताल को जो आय होती है उसमें से 25 प्रतिशत राशि अस्पताल में गरीब मरीजों की दवाइयों के लिए दी जाती है, यह बहुत स्वागत योग्य कदम है। सबसे ज्यादा स्वागत योग्य जो कदम है वह है मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में 2.5 करोड़ रुपये का प्रावधान करना, जिसके लिए केन्द्र से भी 2.5 करोड़ की मैचिंग ग्रांट आएगी। मैं समझता हूं कि यह कोष और ज्यादा बढ़ना चाहिए। मैंने इस कोष का शुरू से उपयोग किया है। आपको मालूम है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में अनेकों विशिष्ट सेवाओं के ऑपरेशन होते हैं- हार्ट के मेजर ऑपरेशन होते हैं, बाई पास सर्जरी होती है, बाल्व बदले जाते हैं, गुर्दों का प्रत्यारोपण होना चालू हो गया। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज के अन्दर लाखों रुपये खर्च होते हैं। एक बाल्व बदले में 70-80 हजार, दो वाल्व बदलने में सवा लाख। एक गुर्दा प्रत्यारोपण के अन्दर 50 हजार। गांव के आदमी के सामने मैं कभी इस बात की चर्चा नहीं कर सकता। जब मेरे पास में हृदय का रोगी आता है जिसके वाल्व बदलने होते हैं उसको मैं शुरू-शुरू में जब मुझे अनुभव नहीं था, कह देता था कि भैया तेरे दिल का वॉल्व बदला जाएगा और तुम्हें इसके लिए सवा लाख रुपये बचाने पड़ेंगे। मैंने आदमियों को बेहोश होते हुए देखा, रोते हुए देखा, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि डेढ़ लाख रुपया कहां से लाएगा, सवा लाख रुपया कहां से लाएगा। लेकिन इस मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से राशि मिलती है, प्रधान मंत्री कोष के माध्यम से राशि मिलती है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सहकारिता विभाग को कि वे कुछ अनुदान इस मांग के लिए दे रहे हैं, श्री दीपेन्द्र सिंह जी अपने कृषि विपणन बोर्ड से भी उनको सहायता देने का विचार सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूं यह कोष और बढ़ना चाहिए।

मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश की ओर दिलाना चाहूंगा जिस सरकार की हम कॉपी कर रहे हैं। बार-बार यह कहा जाता है कि हम उनके कदम पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का शासन गरीब आदमी, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले आदमी के हार्ट का पूरा खर्च देता है। राजस्थान में वहां से लोग आकर ऑपरेशन करवाकर जाते हैं। मैं पूरे खर्चे की तो रिकमण्ड नहीं करता, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि मुख्य मंत्री कोष से आज जो अनुदान मिलता है 30 हजार या 20 हजार, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस सर्जरी की कीमत बढ़ी है, सारे उपकरण आयातित होते हैं। तो इसको और बढ़ाकर गरीबों को राहत दी जाए जिससे कि राजस्थान का गरीब आदमी अपना इलाज करवा सके।

(डा. करण सिंह यादव)

मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, मेडिकल कॉलेजेज के अन्दर जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उन लोगों में पिछले दिनों बड़ा भारी फ्रस्ट्रेशन था। जब उनकी जायज मांगें नहीं सुनी गई तो वह फ्रस्ट्रेशन इस हद तक पहुंचा कि डाक्टरी जैसे प्रोफेशन के लोगों को सड़क पर आना पड़ा, हड़ताल करनी पड़ी और तब सरकार की आंखे खुलीं। उनके साथ जाते-जाते सरकार ने एक समझौता किया जो मेरी राय में बड़ा न्यायसंगत और तर्कसंगत समझौता था, लेकिन जाने से पहले उसको इम्पलीमेंट करके नहीं गए। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने पिछले समझौते को जायज माना है। मैं चाहूंगा वह समझौता जल्दी से जल्दी लागू किया जाए जिससे मेडिकल टीचर्स में जो फ्रस्ट्रेशन है वह फ्रस्ट्रेशन खतम हो, उनका स्टैगनेशन दूर हो ओर वे अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें, एक वैज्ञानिक की भांति अच्छा इलाज कर सकें।

दूर-दराज के इलाकों में डाक्टरों की कमी है, आप और हम सब जानते हैं। निश्चित रूप से इस बारे में सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर वहां क्यों नहीं रह रहें हैं, क्या डॉक्टरों के रहने के लिए वहां सही व्यवस्था है या नहीं ? लेकिन कुछ किस्म के डाक्टर जिनकी इस प्रदेश में ही भारी कमी है। एक सब्जैक्ट है एनेस्थीसिया, बेहोशी देने वाले डाक्टर, जो आज क्रिटिकल केर में भी काम आते हैं। आप ऑपरेशन पेट का करो तो बेहोशी की जरूरत है, सर का करो तो बेहोशी के डाक्टर की जरूरत है, आंख का करो तो इन डाक्टरों का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। आज बहुत सारे सैटेलाइट अस्पताल हैं, बहुत सारे रैफरल अस्पताल हैं, पी.एच.सीज. हैं। मेरे खुद के बहरोड़ के अस्पताल में जूनियर स्पशलिस्ट सर्जरी, जूनियर स्पेशलिस्ट आर्थोपेडिक्स, जूनियर स्पेशलिस्ट आथोमोलोजिस्ट है, गायनाकोलोजिस्ट हैं, लेकिन एनेस्थेसिस्ट नहीं है। मैं पिछली सरकार के बारे में बताना चाहूंगा, मेरे बिलकुल पास के एक गांव में एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर बैठा हुआ है। अगर वह मेडिकल ऑफिसर यहां आ जाए मेरे अस्पताल में तो मेरे यहां चार डाक्टर काम करने लग जाऐंगे, ऑपरेशन करने लग जाएंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मेरी इस बात को सुना और एक डाक्टर के आने से आज बहरोड़ कस्बे के अन्दर ऑपरेशन चालू हो गए हैं। किस डाक्टर को कहां लगाना चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, उसकी जरूरत उस गांव में है या नहीं है, दर्जे के हिसाब से सब मेडिकल ऑफिसर हैं। यह नहीं कह सकते कि हमने तो एम.बी.बी.एस. की है, आपने पीडियाट्रिक्स में क्यों कर लिया, तुमने एनेस्थीसिया में क्या कर लिया। तो इस तरह के डाक्टर्स का प्रोडक्शन बढ़ाएं।

सभापति महोदय, मैं चिकित्सा विभाग के शासन तंत्र की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अगर हम सचमुच में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं तो यहां पर डायरेक्टोरेट मेडिकल एजूकेशन होना चाहिए। मेडिकल सैक्रेटरी अकेला है, उसके पास में राजस्थान के

(डा. करण सिंह यादव)

बहुत सारे काम होते हैं, या तो डायरेक्टोरेट मेडिकल एजुकेशन हो या मेडिकल सैक्रेटरी डाक्टर हो। आप और हम देखें कि दिल्ली में मेडिकल डायरेक्टोरेट है जहां सैन्ट्रल गवर्नमैंट डाक्टर्स होते हैं, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकते? मेरा मानना है कि आप इस बारे में गहनता से विचार करेंगे।

मैं चिकित्सा शिक्षा की समस्याओं के बारे में बात कर रहा था मेरा सुझाव है कि दक्षिण भारत की तर्ज के ऊपर मेडिकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी इस बात के लिए कैपेबल नहीं है कि सारी परीक्षाएं समय पर करा लें। यह साढ़े चार साल का कोर्स साढ़े पांच साल में इसलिए होता है कि काफी कोताही इसमें यूनिवर्सिटी की रहती है। अगर हमारी अपनी यूनिवर्सिटी होगी तो वह छहों मेडिकल कॉलेज को कंट्रोल करेगी। आज हमारे मेडिकल मिनिस्टर और टैक्नीकल मिनिस्टर एक है। टैक्नीकल यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज, पोलिटैक्नीक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज इन सब के लिए बैठकर काम करे उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अलग-अलग जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज है, कुछ हिस्सा अलवर का भी आना चाहिए। जोधपुर में है, बीकानेर में है और उदयपुर के बारे में आज मुझे कहा जा रहा है कि उदयपुर संभाग के विधायकों ने भारी दवाब बना रखा है कि वहां पर कॉलेज खोला जाये। यह जरूर हमारी कमजोरी है कि अलवर से चुनकर आये सात में से छह आदमी नौसिखिए हैं, उन्हें अभी तक दवाब बनाना नहीं आया। मेरा निवेदन है कि आगे जब भी मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की बात सोचें, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात सोचें तब अलवर का भी ध्यान रखें।

मैं इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा मेडिकल डायरेक्टोरेट के अन्दर भी आपको चैंजेज करने पड़ेंगे। पिछले सालों में एक ऐसा वातावरण बन गया लोगों को लगा कि डॉक्टर तो एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। बीच-बीच में इस तरह की बात आने लगी कि सवाई मान सिंह अस्पताल का सुपरिंटेंडेंट कोई एस.पी. लगा दीजिए या कोई आई.ए.एस. लगा दीजिए। जैसे सारी दुनिया में आई.ए.एस. ने बहुत अच्छा 40-50 साल में शासन कर लिया। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर्स को और ऑटोनोमी दीजिए। मेडिकल डायरेक्टोरेट के अन्दर जो आपने ब्यूरोक्रेट्स बैठा रखे हैं, हर वित्तीय प्रावधान आपने उनको दे दिए, हर एडमिनिस्ट्रेशन पावर उनको दे दिए। कहीं पीलिया का प्रकोप हो जाता है डॉक्टर भागकर जाएं और रिपोर्ट लेकर आए इस बारे में आपके दूसरे प्रदेशों की व्यवस्था को देखिए....

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं ये वॉल्व चेन्ज करते हैं, बाई पास सर्जरी भी करते हैं, अगर इनको मेडिकल सैक्रेटरी बनाकर बैठा दिया जाए तो क्या पूरा समाज इनकी सेवाओं से वंचित नहीं रह जाएगा? अगर एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हें बैठा दिया जाए...(व्यवधान) I request you not to dilute it.

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अगर यह परम्परा पिछली बार चालू हो जाती, राठौड़ जी, तो आज आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नहीं होते। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हमने तो सुपरिंटेंडेंट बना दिया ...(व्यवधान) सदन में ऐसा आदमी नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैंने हार्ट की प्रॉब्लम बताई है एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए आई.ए.एस. अफसर का प्रतिवाद किया गया है, मैंने उसके लिए कहा है (व्यवधान) जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे क्या काम लिया जाएगा? (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में एक अच्छा काम पिछली सरकार के दौरान हुआ वह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से हुआ। उस मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के गठन के माध्यम से अस्पताल में होने वाली, उसको मैं आमदनी नहीं कहूंगा, उसके पीछे शुद्ध लक्ष्य है कि सिर्फ उन लोगों से लिया जाए जो पे कर सकते हैं। सामाजिक न्याय की परिभाषा यहां नहीं कही गई कि अस्पताल में हर आदमी का फ्री इलाज किया जाए। आज किसी धन्ना सेठ का लड़का एक्सीडेंट होकर आता है तो उसका एक्सरे, सी.टी.स्केन फ्री हो यह जरूरी है, बल्कि उनसे कम से कम इतना लिया जाए कि जिससे कुछ लोगों का हम फ्री इलाज कर सकें। इस दिशा में एक अच्छा कदम था। उससे जो सुविधा अस्पताल के अधिकारियों को मिल रही थी वह यह थी कि एक ओटोनोमी सुपरिंटेंडेंट प्रिंसीपल के पास में आ गयी अपना सामान खरीदने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से गरीब आदमी आकर खड़ा हो गया कि मैं इसको घर नहीं ले जा सकता, इसका क्रेमोशन कहां होगा। ले जाइए आप आदर्श नगर श्मशान में, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी दस्तखत कर देगी। मैं इस बच्चे को घर लेकर जाना चाहता हूं, गरीब आदमी हूं, अपने परिवार में इसका इलाज करना चाहता हूं, ले जाइए अस्पताल की मेडिकल कॉलेज सोसाइटी की एम्बुलेंस और करा आइए। यह सहायता की बैठकर। जिन उद्देश्यों से मेडिकल सोसाइटी आई, उसी का परिणाम था कि हमने लाइफ लाइन नाम का स्टोर खोला जिससे राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में पहली बार दवाओं की कीमत इतनी कम हुई कि 30 रुपए की ग्लूकोज की बोतल को 10 रुपए में बेचना चालू किया। यह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का ही काम है। दवाओं की कीमतों पर होने वाले भारी मुनाफे पर, इन पर होने वाले घोटालों पर ध्यान देने का काम मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का है। पिछले दिनों इस तरह के संकेत मुझे मिले हैं कि मेडिकल सोसाइटी का ब्यूरोक्रेटाइनेशन किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल सोसाइटी की आटोनोमी के लिए प्रिसिंपल, सुपरिंटेंडेंट सी.एच.एम.ओ. बनाते हैं, उस आदमी का सलेक्शन बढ़िया कीजिए आनेस्ट कीजिए, उसको पावर दीजिए कि वह अपने हाथ से खर्च कर सके और आपके प्रति जवाबदेह हो सके। अगर हर काम के लिए सैक्रेटेरिएट

(डा. करण सिंह यादव)

की तरफ भागना पड़ेगा परमीशन के लिए तो मैं नहीं समझता कि मेडिकल रिलीफ सोसाइटी बड़ा काम कर पाएगी। यह अच्छा काम है और गरीब मरीज के हित में है, इसके साथ में अस्पताल का विकास होगा।

ऑपरेशन की आप बात कर रहे थे, हार्ट के अच्छे ऑपरेशन यहां होते हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा, मेरी बात का विश्वास कीजिए कि अतिगम्भीर परिस्थितियों को छोड़ दीजिए, यहां की बाई पास सर्जरी, सवाई मानसिंह अस्पताल में काम करने वाले नौजवान डॉक्टर जो विदेशों से प्रशिक्षित होकर आए है, वे उतना ही अच्छा ऑपरेशन कर सकते हैं। आज सवाई मानसिंह अस्पताल के हार्ट विभाग में, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमैंट में, आर्थो-पैडिक्स डिपार्टमैंट में बड़ा भारी दवाब है। ये ऐसे विभाग है जिनके लिए हमको ज्यादा प्रावधान करने पड़ेंगे। हार्ट की सर्जरी का ऑपरेशन करने के लिए एक मशीन होती है हार्टलंग बाई पास मशीन पम्प है, 50 लाख से एक करोड़ रुपए के बीच में आता है। उस मशीन के बिना नहीं कर सकते। डॉक्टर दिल को खोल रहा है, सारे शरीर का संचालन वह मशीन करती है। सवाई मानसिंह अस्पताल में एक मशीन है, मैंने उस काम को दुगना करने के लिए, बताना चाहूंगा कि सरकार से निवेदन किया कि मेडिकल रिलीफ सोसाइटी से उसका बजट भी प्रोविजन हो, लेकिन मुझे जल्दी थी कि कैसे ज्यादा काम करवा सकूं इसलिए एक मशीन एस्कार्ट अस्पताल की उधार मांगकर लेकर आया हूं। उन्होंने नई गाड़ी खरीद ली, पुरानी भी बड़ा अच्छा काम करती है। जैसे आज अस्पताल में काम हो रहा है, मैं चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे अस्पताल छोड़ने के बाद में उस मशीन के परचेज के कागजात में कोई ढिलाई आई है। मैं ईमानदारी से निवेदन करना चाहूंगा कि हार्ट के अनेकों रोगी हैं जो यहां इन्तजार कर रहे हैं महीनों महीनो से। मैं माननीय विधायकों की शिकायतें आम तौर पर सुनता हूं संसाधनों की, आप जितने ज्यादा संसाधन देंगे उतने ही ज्यादा आपरेशन होंगे। मैं इस बजट को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, पहले हम जाते थे बी.एफ.सी. के अन्दर, कितनी नर्स लिखकर ले जाते थे? 200 दे दो और मिलती थी 4-5 नर्स बहुत मिन्नत करने के बाद गिड़-गिड़ाने के बाद फाइनेंस के डिप्टी सैक्रेटरी से इस बार पहली बार बजट के अन्दर सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए लगभग 50-70 नर्सेज का प्रावधान किया गया, यह बहुत धन्यवाद की बात है और इसलिए यह बजट अच्छे सोच का परिणाम है।

(15.00 बजे)

श्री सभापति : आपकी बाई पास सर्जरी में जब तक आप 4-5 वी.आई.पीज. का अपने हाथ से ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक दूसरे लोगों का विश्वास नहीं जमेगा, डॉक्टर साहब।

डा. करण सिंह यादव : इस बारे में सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, ज्यादा दूर की बात नहीं है, आज से 10-12 साल पहले हमारे जितने राजनेता थे वे ह्यूस्टन जाया करते थे आपरेशन

(डा. करण सिंह यादव)

कराने के लिए इंग्लैण्ड में भी उनका विश्वास नहीं था। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आया कि लोग इंग्लैण्ड में करवाने लगे। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि लोगों का विश्वास दिल्ली और बम्बई के बड़े अस्पतालों पर होने लगा। डाक्टर नरेश त्रेहान और भट्टाचार्य पर होने लगा। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब आपका विश्वास राजस्थान के डॉक्टरों पर होगा। आज राजस्थान के विश्वास के लिए वी. आई. पी. की या पैसे वाले की जरूरत नहीं है, राजस्थान का यह अस्पताल गरीब आदमियों का ऑपरेशन कर रहा है। मैं तो कई बार कहता हूं कि अपना काम इतना बढ़िया भी नहीं हो कि सारे पैसे वाले यहां लाइन लगाकर खड़े हो जाएं। अपना काम इतना हो कि गांव का आम आदमी जो जयपुर छोड़कर नहीं जा सकता है, उसका ऑपरेशन यहां पर होता रहे। जिस तरह की सरकार है, पहली बार इस बजट में आने वाले समय में सभी 6 मेडिकल कॉलेजेज का एक-एक स्पेशलिटी डवलप करने के लिए बजटरी प्रोविजन्स किये गये हैं। इसलिए नहीं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की कांस्टीट्यूएंसी है या माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी की कांस्टीट्यूएंसी है पर इसलिए कि पिछली सरकार के टाइम में पिछली सरकार का, पिछले स्वास्थ्य मंत्रीजी का कमिटमैंट था कि अगर जयपुर के बाद में कोई दूसरा कार्डियक सेण्टर बनेगा तो वह जोधपुर में बनेगा। आपके आदेशों से मैं जोधपुर में जाकर कुछ हार्ट के ऑपरेशन की शुरूआत भी करके आया था। पूर्व मंत्रीजी के साथ में कुछ प्रपोजल्स डिस्कस हुए थे वहां पोस्टें बढ़ाने के लिए। वहां पर कार्डियक सेण्टर डवलप करने के लिए बहुत बड़ा लम्बा-चौड़ा सम्भाग है। जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही तक के लोग यहां जब आते हैं तो उनको भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का सभापति महोदय के माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसके लिए भी आप एडीक्वेट प्रोविजन्स कीजिये जिससे राजस्थान के उस सम्भाग के लोगों को सर्जरी का लाभ मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आपकी आज्ञा हो तो मैं पांच मिनट मेरा जो प्रिय सब्जैक्ट सोशल वैलफेयर है उसके बारे में बोलना चाहूंगा।

श्री सभापति : बोलिये।

डा. करण सिंह यादव : बहुत छोटे-छोटे मेन मुद्दे, क्योंकि इस विषय पर जब भी मुझे मौका मिलता है...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, मेरा समय भी इनको दे दो आप। इनको 10-15 मिनट बोलने दीजिये।

श्री सभापति : आप आपका नाम ही नहीं है। आपकी पार्टी ने जो सूची दी है उसमें आपका नाम ही नहीं है आज।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) **:** माननीय सभापति महोदय, हमारे इनके बाद में 10-12 वक्ता और हैं, आप चाहें तो एक-एक मिनट सब के समय में से कम कर दो।

श्री सभापति : मैंने रोका नहीं है।

डा. करण सिंह यादव : समाज कल्याण के बारे में इस बजट में पहली बार एक दिशा दी गयी है। ऐसा महसूस होता है कि ये गरीब, पिछड़े ओर दलित तबके के प्रति जागरूक हैं और उसी का परिणाम है कि 50 नये छात्रावास खोले जा रहे हैं। पहली बार किसी सरकार ने कमिटमैंट किया है कि सात जिला मुख्यालयों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास बनाये जाएंगे जिसके लिए 7 करोड़ रुपये का प्रावधान आपने किया है। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं राजस्थान की बहुत बड़ी कमी की ओर जिसके बारे में मैं बार-बार कहता रहता हूं, कि यदि हमें अन्य पिछड़े वर्गों के साथ में, दलितों के साथ में न्याय करना है तो मण्डल कमीशन को ईमानदारी से इम्प्लीमैंट करना चाहिए। आपने सिर्फ नौकरियों के अन्दर आरक्षण दिया है उस आरक्षण की भी पालना ईमानदारी से नहीं होती है। उसमें भी हमारे सरकारी वर्ग के अधिकारी कुछ-कुछ जो कुंठाग्रस्त हैं, पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, वे बैठकर अपने नियम-कानून बना देते हैं, रोस्टर को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हर बार लड़ाई लड़ने के लिए इस वर्ग का आदमी कोर्ट में जाए, तो तीन साल तक कोई भी कोर्ट में आकर फ्रस्ट्रेट हो जाना है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा समाज कल्याण मंत्रीजी का कि वे इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दें। राजस्थान सरकार में माननीय मुख्य मंत्री जी से खास तौर पर सारा पिछड़ा वर्ग अपेक्षाएं करता है कि राजस्थान में एजूकेशन में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में...

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, डिमांड चल रही है ओर स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे नहीं है, कैसे जवाब देंगे?

डा. किरोड़ी लाल : सभापति जी, डिमांड चल रही है और स्वास्थ्य मंत्रीजी नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापतिजी, हाउस को इतना हल्का लिया जा रहा है।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : मंत्रीजी बैठे हैं न। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किसका कल्याण करवाना है, मैं कर दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप किस-किस का कल्याण करोगे वह तो हम जानते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : समाज कल्याण का हम जवाब देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : समाज कल्याण मंत्रीजी नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति बड़ी मुश्किल से समाज कल्याण मंत्री बना है उसको भी...(व्यवधान) उनको आने दो, सभापति जी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मातृ शिशु कल्याण की मंत्री मैं हूं, मैं ही उनके जवाब दूंगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय मौजूद हैं, माननीय आयुर्वेद राज्य मंत्री मौजूद हैं, आप जो कुछ बोल रहे हैं वे सब कुछ नोट कर रहे हैं। समाज कल्याण मंत्रीजी को भी कहलवा दिया है वे आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उनको बुलाकर लाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सारी चीजें नोट हो रही हैं आपकी।

डा. करण सिंह यादव : जब तक राजस्थान में इन वर्गों के लिए शिक्षा में आरक्षण नहीं होगा जब तक मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, पोलिटैक्निक में, बी.एड. में, सारे जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज नर्सिंग के अन्दर, एक्स-रे टैक्निशियन, लेबोरेटरी टैक्निशियन है उनमें आरक्षण नहीं होगा तब तक ये लोग आगे बढ़कर नहीं आ सकते। इस सरकार से अपेक्षाएं की जाती हैं कि जहां समाज कल्याण के आपने छात्रावास बनाने की बात कही है, इस बारे में भी यह सरकार निर्णय ले।

नौकरियों के मामले में मैं समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, साथ में यह कार्मिक विभाग का भी विषय है। सन् 1993 के अन्दर जब यहां पर लागू हुआ था, प्रसाद कमीशन ने क्रीमी लेयर की बात कही थी। तब लगभग एक लाख रुपये की आमदनी से ऊपर वाले जो लोग थे उनको क्रीमी लेयर में जाना जा रहा था। राजस्थान में यहां तक हुआ पिछली सरकार के समय में कि जो 1640 रुपये पाने वाले कर्मचारी था उसको भी क्रीमी लेयर में मान लिया गया। क्रीमी लेयर की अवधारणा कर्मचारी से, कैंडीडेट से नहीं होकर उसके माता-पिता की आमदनी से होती है कि जो लड़का आरक्षण की मांग कर रहा है उसका पिता आई. ए. एस. आफिसर है, उसकी मां आई. पी. एस. आफिसर है, उसके पास में सिंचित भूमि है तो उस ओ.बी.सी वाले लड़के को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन इस सरकार ने क्या किया कि कोई टीचर लग गया, लैक्चरर लग गया, तहसीलदार लग गया ओ.बी.सी. का तो उसको कहने गले कि आप तो 1640 से ज्यादा की ग्रेड में आ गये, अब तो आप क्रीमी लेयर में आ गये। उस बात के लिए मुझे आन्दोलन करना पड़ा, सरकारी सेवा में रहते हुए मुझे आन्दोलन करना पड़ा, कोर्ट में केसेज करने पड़े तब 8 महीने की जद्दोजहद के बाद में सरकार ने अपना वह गलत निर्णय वापस लिया। लेकिन आज भी कहीं यह सीमा निर्धारित नहीं है कि किस आमदनी के आदमी को क्रीमी लेयर में मानेंगे। 1993 में अलग ग्रेड थी, आज पांचवे पे कमीशन का लाभ मिल गया वित्त आयोग का उसके बाद में अभी तक मालूम नहीं है। उसके कारण से ओ.बी.सी. के लड़कों को गांव के अन्दर तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेने में बड़ी भारी दिक्कत होती है। इस मामले में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैंने पहले मेडन स्पीच में भी इस बात का निवेदन किया था कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सदन की कमेटीज हैं उसी तरह से सदन में एक ओ.बी.सी. के लिए कमेटी बनाएं जो कि यह देखे, यह नियंत्रण कर सके कि सरकार ओ. बी. सी. के कार्यक्रमों को ईमानदारी से, सही तरीके से इम्प्लीमैंट कर रही है या नहीं कर रही है।

यह बड़ी सुखद घोषणा है कि पिछड़ी जातियों के विकास का निगम बनाने की, बोर्ड बनाने की बात इस बजट में कही गयी है। बजट स्पीच में कही गयी है, यह स्वागत की बात है। पिछली सरकार ने भी

(डा. करण सिंह यादव)

यह बात कही थी। उन्होंने अलग से निगम नहीं बनाया था, अनुसूचित जाति जनजाति निगम को ही उसकी चैनलाइजिंग एजेन्सी नियुक्त करके इन वर्गों के कल्याण के लिए कहा था। लेकिन बड़ी खेद की बात है कि वह एक पैसे की गारण्टी केन्द्र सरकार को अनुदान के लिए नहीं दे सकी। राजस्थान के पिछड़ों के प्रति उनके मन में कितना दर्द था, कितना दु:ख था कि एक बेरोजगार लड़के को लोन नहीं मिल सका।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : दिलावर जी, बोलो। आप मैंचिंग ग्रांट नहीं दे पाये।

श्री मदन दिलावर : मैं समय पर जवाब दूंगा। आप खुद समझदार हो, मैं सही समय पर जवाब दूंगा।

डा. करण सिंह यादव : मेरा निवेदन है कि इस क्रीमी लेयर का पुन: निर्धारण किया जाए।

श्री सभापति : आपकी राय में क्रीमी लेयर कहां पर रखना चाहिए? क्रीमी लेयर कौनसी जगह पर होनी चाहिए?

डा. करण सिंह यादव : क्रीमी लेयर के लिए दूसरे राज्यों का, केन्द्र का हिसाब देखें। आप 1640 की ग्रेड वाले को अगर क्रीमी लेयर में लाएंगे तो चपरासी भी उस क्रीमी लेयर के अन्दर आ जाएगा।

श्री सभापति : जब आपने जिक्र कर ही दिया तो कुछ तो सुझाव दो।

डा. करण सिंह यादव : इसके अलावा माननीय सभापति जी, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज का जो स्वास्थ्य दिवस है वह वृद्धों के नाम से मनाया जा रहा है। 65 वर्ष से ऊपर के दम्पतियों की जो राशि दुगनी की गयी है, विधवाओं के लिए, परित्यक्ताओं के लिए जो राशि दुगनी की गयी है, वृद्धों के आश्रम के लिए जो डे-केयर सेण्टर्स का प्रोविजन किया गया है वह अच्छा कदम है। इसके अलावा छात्रावासों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के कोचिंग क्लासेज में जाने वाले लड़कों के लिए जो पहले 200 रुपये थे, 200 रुपये में आजकल कोई कोचिंग क्लास नहीं होती, उसको जयपुर शहर में बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है, दूसरे शहरों के अन्दर बढ़ाकर 750 रूपये कर दिया गया है। यह कोचिंग क्लास के लिए है। वजीफा तो बढ़ाया ही है 450 रु. से लेकर 650 रु. किया है। तो निश्चित रूप से यह कल्याणकारी सरकार का बजट है। इसी प्रार्थना के साथ में कि इस बजट को पारित किया जाए और इसी शुभकामना के साथ कि यह सरकार पिछड़े और दलित वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्य करती रहेगी, धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य डाक्टर किरोड़ी लाल जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य के रूप में एक शानदार पार्लियामैंटेरियन तो अपने को मिल गया परन्तु हमने राजस्थान का ही नहीं, हिन्दुस्तान का अच्छा हृदय रोग विशेषज्ञ खो दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, इनकी अंगुली में भी खुजली चलती है...

श्री सभापति : आप तो दोनों मिलकर बात करें। वे आपकी तारीफ करने लगे, आप उनकी करने लग गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप सदन का बहुमूल्य समय नहीं खोएं, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कई ऐसे लोग हैं जो हृदय रोग का आपरेशन करना चाहते हैं। (व्यवधान) तो आप उनको अनुमति दिला दें।

श्री सभापति : दोनों को अनुमति दिला दें, दोनों बात करेंगे।

एक माननीय सदस्य : ये दोनों काम करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप दोनों मिलकर आदान-प्रदान कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आपने इनकी तकलीफ दूर क्यों नहीं की मानसिंह अस्पताल की? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप चालू करें।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) **:** माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्य से मांगों के बारे में बात सुनी। मैं मांग संख्या 33...

श्री सभापति : यहां माननीय सदस्य बोलते हैं, कोई डाक्टर नहीं बोलता है। इस सदन में सिर्फ माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जिसमें सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की मांग पर डिस्कशन हो रहा है। यह बहुत वाइड सब्जैक्ट है, उसमें चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे ओ.बी.सी. के हों, चाहे असहाय हों, चाहे अपंग हों, उनके आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक उत्थान की दृष्टि से जिस ढंग से जितना बजट में प्रावधान करना चाहिए था, वैसे तो आय-व्यय का कुछ ब्यौरा हमको मिला नहीं, किन्तु यह जो कल्याणकारी सरकार अपने आपको कहती है...

कई माननीय सदस्य : है। डाउट है क्या?

डा. किरोड़ी लाल : है जभी तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन डाउट इसलिए है, ट्रैजरी बैंचेज के कुछ माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि जिस शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और ओ.बी.सी. के आधार पर प्रचंड बहुमत में सामने आकर सरकार बैठी है, उस हिसाब से जो बजट का प्रावधान रखना चाहिए था, उसमें वह बजट का प्रावधान है नहीं। माननीय सभापति महोदय, 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 440.06 लाख है। इसमें से एस.सी. की जनसंख्या 76.08 लाख है जो 17.29 बनती है और एस.टी. की आबादी 54.75 लाख है जो 12.44 प्रतिशत बनती है। मैं डाटाज के आधार पर कहना चाहूंगा कि इस आबादी का शैक्षिक विकास किस ढंग से हुआ है, इनकी साक्षरता की स्थिति

(डा. किरोड़ी लाल)

क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है। सामान्य साक्षरता अपने यहां पर है 38.55 प्रतिशत उसमें पुरूष है 54.99 और महिलाओं की है 20.44 प्रतिशत। इसमें एस.सी. का परसेंटेज है 26.29 प्रतिशत। उस 26.29 प्रतिशत में से जो पुरूष हैं उनकी साक्षरता है 42.38 प्रतिशत और महिलाओं की है मात्र 8.31 प्रतिशत। एस.टी. की तो शिक्षा की दृष्टि से हालत और भी बदतर है। जनरल डाटा है वह 19.44 प्रतिशत का है, उसमें जो पुरूष है उसका 33.29 प्रतिशत है एस.टी. में और महिलाओं का क्या है? महिलाओं का है 4.42 प्रतिशत। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो मैनिफेस्टो घोषित किया था उसमें कांग्रेस सरकार ने इस बात को बहुत धरा था कि हम सत्ता में आएंगे तो शिक्षा के स्तर की दृष्टि से, आर्थिक स्थिति को बढ़ाने की दृष्टि से या सामाजिक स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से हम इनको पूरा-पूरा प्रोत्साहन देंगे। पर इस बजट मे इस ढंग की बात मुझे कोई दिखाई नहीं दी। क्या दिया है इन्होंने ? पूरे राजस्थान भर में केवल 50 छात्रावास दिये हैं। इतनी बड़ी पापुलेशन एस. सी., एस.टी. की है और साक्षरता का मैंने डाटा आपको बताया है, उस हिसाब से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, समाज कल्याण मंत्रीजी पधार गये हैं, एक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम एक छात्रावास का प्रावधान इसमें होना चाहिए ताकि शिक्षा का स्तर, किसी न किसी हिसाब से बढ़ सके। ओ.बी.सी. के लिए क्या किया है? ओ.बी.सी. के लिए (व्यवधान) आप बोल देना आंकड़े बाद में। ओ.बी.सी. में पूरे राजस्थान में सात हॉस्टल दिये हैं, केवल संभाग स्तर पर एक हॉस्टल होगा। पिछड़े वर्गों का व्यक्ति 7-8 जिलों से चलकर संभाग स्तर पर आएगा। इस मामले में मेरा सुझाव है कि सरकार इस मामले में विचार करे और कम से कम जिला स्तर पर ओ.बी.सी. के छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, जिस ढंग का मैंने शिक्षा का स्तर बताया है, उसे देखते हुए सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए। शिक्षा का स्तर बढ़ाना है तो एस. सी., एस. टी. के बाहुल्य वाले मोहल्ले हैं वहां पर प्राइमरी एजुकेशन के लिए जोर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, एस.सी. एस.टी. के साथ अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में आया, उसके बाद घणे ही अत्याचार हुए और अब इन 3-4 महीनों में तो अत्याचारों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ गया। छुआछूत करना, बेगार लेना, अपमान करना, शारीरिक क्षति पहुंचाना और कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने के प्रकरण अपने राजस्थान में भी बहुत होने लगे हैं। समाज कल्याण का जो बजट है उसमें सरकार को इस ढंग का प्रावधान रखना चाहिए जैसा कि 1989 का अधिनियम कहता है एस. सी., एस. टी. का, कि इनको किसी प्रकार की क्षति हो जाए तो उसकी पूर्ति सरकार को करनी चाहिए। हुआ क्या है कि अब तक एस.सी. एस.टी. के सैक्शन (3) में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, 5395 मामले दर्ज हुए हैं, उसमें 3943 मुकदमे विचाराधीन हैं और 887 में

(डा. किरोड़ी लाल)

एफ.आर. लगा दी गई जिसको कोई पूछने वाला नहीं है कि एफ.आर. क्यों लगा दी और मात्र 586 में चालान किया गया है। और एस.टी. के साथ क्या हुआ ? 1432 मामले कुल दर्ज हुए सभी प्रकार के, उसमें से 998 मामले अभी तक विचाराधीन हैं, 190 मामलों में एफ.आर. लगा दी और मात्र 152 मामलों में चालान किया गया है। यह जो प्रगति प्रतिवेदन हमको दिया है इसमें लिखा है कि किसी प्रकार से आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से शोषण इन वर्गों का होता है तो सरकार इन वर्गों के लोगों को रिहैबिलिटेट करेगी। रिहैबिलिटेशन की पोजिशन जो अब तक रही है, वह ठीक नहीं रही है। आर्थिक दृष्टि से जो इनका विकास होना चाहिए था वह आर्थिक दृष्टि से भी इनका विकास नहीं हो सका। अभी डाक्टर करण सिंह यादव बोल रहे थे, निगम में एस.सी., एस.टी. को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने या आम लाभ पहुंचाने की योजना तो है जिसके लिए नौ करोड़ पिछली सरकार का प्रावधान था, अब सरकार ने उसको बढ़ा दिया, लेकिन, सभापति महोदय, जो राष्ट्रीय निगम मैचिंग ग्रांट देता है या ऋण उपलब्ध कराता है, इस सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों तथा सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय निगम से...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

डा. किरोड़ी लाल : ऋण प्राप्त करने के लिए अभी इस सरकार ने गारंटी नहीं भेजी है, बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी खेदजनक बात है।

एक माननीय सदस्य : क्या?

डा. किरोड़ी लाल : इनको गारन्टी देनी चाहिए। ध्यान से सुना करो। सभापति महोदय, पीड़ित पक्ष को मदद करने का इस प्रतिवेदन में जो हमें थमाया है कांग्रेस के राज में, इसमें कानूनी दृष्टि से विधिक सहायता का प्रावधान है। इसमें प्रावधान इस बात का है कि हत्या हो जाए तो इस वर्ग के लोगों को दस हजार रुपये देंगे। स्थाई शारीरिक क्षति हो जाए तो दस हजार देंगे, अस्थाई शारीरिक क्षति हो जाए तो दो हजार देंगे, पक्के मकान को डैमेज कर दिया जाय तो दो हजार देंगे, बलात्कार की कोई महिला शिकार हो जाए तो पांच हजार देंगे, कृषि व अन्य प्रकार का कोई नुकसान अचल सम्पत्ति का हो जाए तो दो हजार रुपये देंगे। सभापति महोदय, आय-व्ययक, अभी सुमित्राजी बात उठा रही थीं, उसको पढ़ते तो पता लगता कि आखिर में इस आने वाली सरकार ने, जो इतने प्रचंड मतों से इस तबके के आधार पर आई है उसके लिए भी इन्होंने कोई प्रावधान रखा है क्या और जो प्रावधान रखा है उसकी पोजीशन क्या है। हत्या के मामलों में अभी तक 90 हजार दिये हैं, स्थाई शारीरिक क्षति 146 लोगों की हुई है लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया गया है। अस्थाई शारीरिक क्षति 150 लोगों को हुई है लेकिन 15 हजार रुपये अभी तक दिये हैं। पक्के मकानों का नुकसान 69 का हुआ है, एक को भी मदद नहीं दी गई। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ

(डा. किरोड़ी लाल)

जाने के बाद में सर्वाधिक एस.टी., एस.सी. की महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं लेकिन आज तक एक भी पीड़ित पक्ष को इन्होंने आर्थिक मदद नहीं दी। तो मैं कहना चाहता हूं, जो यह पुलिन्दा पेश किया गया है कि हम इन पिछड़े वर्गों का, गरीबों का, एस.टी., एस.सी. का भला करना चाहते हैं, यह भलाई का नहीं है, ये तो केवल ढिंढोरा पीटकर वोट ले गये। मैं आशा करता हूं, जो भी पांच-छह आइटम्स मैंने गिनाये हैं इन पांच-छह आइटम्स की दृष्टि से सरकार विचार करेगी और इसका बजट प्रावधान ज्यादा बढ़ाकर इस वर्ग के लोगों को आर्थिक दृष्टि से भी ऊंचा उठाने का प्रयास करेगी।

सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग शिड्यूल्ड कास्ट की कालोनी में या शिड्यूल्ड ट्राइब की कालोनी में विद्युतीकरण के लिए अपना पैसा देता है। शिड्यूल्ड कास्ट की बस्ती के लिए और शिड्यूल्ड ट्राइब की बस्ती के लिए विद्युतीकरण के लिए सरकार पैसा जमा कराती है, पैसा देने के बाद भी सरकारी अधिकारी विद्युतीकरण नहीं करते। समाज कल्याण मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार तो पैसा दे देती है लेकिन नीचे तक उस पर कार्यवाही नहीं हो पाती। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई न कोई ऐसी समाज कल्याण की एजेंसी बैठनी चाहिए जो यह देखे कि विभिन्न सहायता के लिए जो पैसा जाता है वह पैसा सही समय पर लगा या नहीं लगा और नहीं लगा तो उसके लिए दोषी कौन है, उसके खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की या नहीं की। इसके लिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा। हमारे मंत्रीजी का पत्र है कांग्रेस के राज 8-3-99 का पत्र है। कार्यालय मंत्री समाज कल्याण एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास। पत्र में मंत्रीजी ने क्लीयर कट लिखा है लेकिन मंत्रीजी के आदेश की पालना नीचे नहीं हुई। मंत्रीजी ने लिखा है, सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जयपुर, सरपंच, ग्राम पंचायत बगलाई तहसील गंगापुर सिटी ने माननीय मंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि ग्राम बगलाई की अनुसूचित जाति बस्ती में घरेलू कनेक्शन देने हेतु जिला परीवीक्षा समाज कल्याण अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा एक लाख अठाईस हजार रुपये गंगापुर सिटी सहायक अभियंता के यहां पर जमा कराने के बावजूद गंगापुर सिटी के सहायक अभियंता इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि सम्पर्क करने जाते हैं तो उस व्यक्ति को डांटते-फटकारते हैं। यह पत्र में लिखा है, डांट देते हैं। "अत: निर्देशानुसार लेख है कि कृपया इस प्रकरण को दिखवा कर ग्राम बगलाई में अनुसूचित जाति के लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए।" यह मंत्री का पत्र है। सभापति महोदय, मैंने इसलिए इसका उदाहरण दिया है...

श्री सभापति : यह तो अच्छा किया है न।

डा. किरोड़ी लाल : अच्छा किया है, पर मंत्री का पत्र 8-3-99 का और अब तक कनेक्शन उस गरीब के घर में नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैंने सुझाव दिया है,

(डा. किरोड़ी लाल)

कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऐसी आपकी मशीनरी बैठनी चाहिए जो आपके यहां से आदेश जाने के बाद भी उसको इम्प्लीमैंट नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोई न कोई पुख्ता व्यवस्था करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसमें टाइम भी बहुत कम है, एक महीना ही नहीं हुआ अभी तक तो। अभी एक महीना ही नहीं हुआ मंत्रीजी के आदेश को।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चार-चार साल तक तो आपने कनेक्शन नहीं दिये। कनेक्शन करने में समझते नहीं है... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप तो समझते हैं कनेक्शन करने में ?

श्री सभापति : मंत्रीजी के आदेश को एक महीना ही नहीं हुआ अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आपका भी कनेक्शन कट सकता है, हमारा कटा हुआ है तो क्या हुआ।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपका कनेक्शन तो पहले से ही था।

श्री सभापति : जारी रखिये।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, शांति धारीवालजी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे कि यह मामला तो अभी नया है। मैं पुराना मामला बताता हूं। यह पुराना मामला है दूदू थाने का। यहां पर माननीय सदस्य बहुत बोलते हैं, 23 जनवरी की घटना है, सभापति महोदय। दूल्हे को घोड़ी से उतार लिया आपके राज में और यह बाइबिल में लिखा है कि बी.जे.पी. के राज में दूल्हे को उतार-उतार कर घसीटा।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : आपके राज में।

डा. किरोड़ी लाल : आपके राज का है, माननीय सदस्य महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : आपके राज के अन्दर...(व्यवधान) आप ऐसा कैसे कहते हैं?

डा. किरोड़ी लाल : मैं गिना रहा हूं, सुचित्राजी। कांग्रेस के राज में रामकुमार बैरवा की दो पुत्रियों की शादी 23 जनवरी, 1999 को दूदू के सुनालिया गांव में थी। सुचित्राजी, अभी की बात है 30 जनवरी का मामला है, अभी 99 का। खातौली, कोटा का धनुआ गांव में बैरवा समाज के दूल्हे को नीचे उतार लिया और बारात पर पथराव किया जिसमे दर्जनों लोग घायल हो गये। यह व्यवस्था शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ है। हालत यहां पर यह चल रही है, सभापति महोदय, कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के आदिवासी भूख के कारण गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। मैंने दोनों बातें इसलिए सुनाई हैं, उद्धृत इसलिए किया है कि इस सरकार को सरकारी योजनाओं को नीचे के लेवल पर लागू करने में दिक्कत आ रही है। वह प्रभावी ढंग से लागू हो इसके लिए प्रभावी मशीनरी और प्रभावी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। मैं समाज

(डा. किरोड़ी लाल)

कल्याण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि टाडा भी आपके पास है और समाज कल्याण का विभाग भी आपके पास में है, आप यह देखें कि दूल्हें को उतार कर बारातियों को घायल कर दें इस ढंग का अत्याचार इतना प्राणघातक हमला होने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा इन बारातियों को, इन दूल्हों को क्या-क्या आज तक आर्थिक मदद की गई। मैंने पता किया है, दो-दो बारातों पर हमला आपके राज में हो गया, इनको आज तक भी आपके समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, बल्कि उनका मनोबल गिराया है। सभापति महोदय, अभी मेरे से पहले यहां पर बोल रहे थे डाक्टर करण सिंह यादव, माननीय सदस्य।

श्री सभापति : आपसे पहले माननीय सदस्य जो बहरोड़ से आ रहे हैं वे बोल रहे थे।

डा. किरोड़ी लाल : हां, माननीय सदस्य जो बहरोड़ से आ रहे हैं वे आरक्षण के मामले पर बोल रहे थे। मैं आरक्षण के मामले में...

श्री राजेन्द्र पारीक : हम तो समझ रहे थे डाक्टर साहब से पता नहीं क्या ज्ञान प्राप्त होने वाला है, ये तो आर.एम.पी. की तरह बोल रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : आरक्षण के मामले में, सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से मैं आता हूं और अब रिजर्वेशन के मामले में जो हालत राजस्थान में हो रही है वह बड़ी दयनीय है। हमने एक दिन विधान सभा में प्रश्न रखा था, सभापति महोदय। प्रश्न संख्या 482 समाज कल्याण का प्रश्न था। तारांकित प्रश्न था 24-3-99 को रखा था। मैंने उस प्रश्न में पूछा था, मैं उसमें केवल आपको दोषी नहीं ठहराना चाहता, कि आरक्षण नीति लागू होने से अब तक सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, मण्डलों, कम्पनियों, विश्वविद्यालयों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं अन्य संस्थाओं में सामान्य वर्ग के कितने तथा आरक्षित वर्ग के कितने-कितने लोगों को नौकरियां दी गईं। सदन में कोई जवाब नहीं दिया गया। सभापति महोदय, सदन में कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन एस.सी., एस.टी. आयोग के अध्यक्ष श्रीमान् भूरिया जी जयपुर पधारे थे वे कह कर गये थे, उनके पास डेटाज थे, कि राजस्थान में बैकलाग की अब तक कम से कम सत्तर हजार वैकेन्सीज हैं जिनको नहीं भरा गया है। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस समाज कल्याण की मांग के साथ-साथ इस बात का भी प्रावधान जाता, राजस्थान की सरकार रख देती कि जितना भी बैकलॉग है चाहे वह सत्तर हजार है चाहे पिचहत्तर हजार है, उसकी जांच करवा कर इनका स्पेशल अभियान चलाकर इस वर्ग के लोगों को हम नौकरियां देंगे, तो हम मान जाते कि वास्तव में सरकार ने इन पिछड़े और एस.सी., एस.टी. समाज के कल्याण की बात की है।

(डा. किरोड़ी लाल)

सभापति महोदय, आज हालत क्या है? कल ही एक प्रश्न विधान सभा में आया था वन सेवा का। कनिष्ठ कर्मियों की संख्या 107 थी, वरिष्ठ की 65 थी। 107 में से केवल 9 को नौकरी दी है और 65 में से केवल 8 को नौकरी दी है। मात्र 17 लोगों को देकर इतिश्री कर दी और कह दिया कि समाज का हम कल्याण करने जा रहे हैं। यही हालत, सभापति महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में संस्कृत और भूगोल के लैक्चरर्स और प्रोफेसर्स की वैकेन्सी निकली। कुल पद 40 थे जिनमें एस.सी. के आरक्षित पद 7 थे। योग्य प्रत्याशी 5 होने के बाद भी केवल 3 का चयन किया। एस.टी. के पद 5 थे, एस.टी. के योग्य प्रत्याशी सलैक्ट हुए 12 और केवल 2 का चयन किया गया। भूगोल में कुल पद 78 थे, एस.सी. के आरक्षित पद 13 थे। योग्य प्रत्याशी 14 थे उसके बाद भी 9 लोगों को अपाइंट किया गया। एस.टी. वर्ग के 9 पद थे। योग्य 7 सलैक्ट होकर निकले और केवल 3 को पदस्थापित किया गया। मैं समाज कल्याण मंत्री जी का ध्यान इस मामले में आकर्षित करना चाहूंगा कि वास्तव में कांग्रेस सरकार अगर इन पिछड़े लोगों के समाज का कल्याण करना चाहती है तो आपको इस बारे में भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम इनका उत्थान शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से कैसे कर सकते हैं। सभापति महोदय, यहां एक दिन सवाल उठा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो लैक्चरर्स, प्रोफेसर्स हैं वहां पर इन लैक्चरर्स, प्रोफेसर्स की पोस्टिंग अपाइंटमैंट में अनदेखी की जा रही है। उस दिन यह बात भी सामने उठ कर आयी थी कि इस मामले में सरकार दखल नहीं डाल सकती। पर मैं सरकार से इस मौके पर आग्रह करूंगा कि यह धांधली जो ऑटोनॉमस बॉडी में चल रही है और एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी., का व्यक्ति वहां पर जा नहीं सकता, उसका सलैक्शन हो नहीं सकता, सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि कोई न कोई एजेन्सी ऐसी डवलप की जाए कि हम इस वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकें।

अब, सभापति महोदय, हालत क्या हुई है? वोट ले गये, सत्ता में आ गये, लेकिन सत्ता में आने के बाद विशाल धरने और प्रदर्शन की स्थिति बन रही है। कर्मचारी सड़कों पर आ रहे हैं। एस.टी., एस.सी. के आ रहे हैं, ओ.बी.सी. के आ रहे हैं। आपने यह डिमाण्ड पर बहस तो चालू कर दी लेकिन इनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान की दृष्टि से जिसने प्रयास सरकार द्वारा किये जाने चाहिए उतने प्रयास का प्रावधान इस बजट में रखा नहीं गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रों की शिक्षा या साक्षरता ज्यादा बढ़ सके इसके लिए छात्रावासों की संख्या बढ़ाई जाए और ओ.बी.सी. के लोग भी शैक्षणिक दृष्टि से आगे बढ़ सकें इसके लिए उनको भी छात्रावासों की सुविधा ज्यादा बढ़ाई जाए। नीचे के लेवल पर, प्राइमरी लेवल

(डा. किरोड़ी लाल)

पर एजुकेशन के स्तर को और ज्यादा इंटेसिव केयर करके बढ़ाया जाए। जितनी कल्याण-कारी योजनाएं सरकार की तरफ से भेजी जा रही हैं और नीचे सही समय पर क्रियान्वित नहीं हो रही हैं, उनका सही समय पर क्रियान्वयन हो इस प्रकार की कोई न कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इतना ही मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रतन लाल जी ताम्बी। (अनुपस्थित) माननीय श्री रामगोपाल जी बैरवा। (अनुपस्थित) श्रीमती यास्मीन अबरार।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई-माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, मौका देने के लिए धन्यवाद। चिकित्सा डाक्टर के लिए एक पूजा होती है और डाक्टर का कर्त्तव्य बनता है कि वह उसको अच्छी तरह से निभाए, लेकिन आपके माध्यम से बड़े दु:ख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले सालों में डॉक्टर जितने भी चिकित्सालयों में हैं वे अपने पेशे को एक मखौल बनाये हुए हैं। पिछली सरकार की ढील ही इसका मैं एक कारण समझती हूं। हमारी जनता को चिकित्सा से जितना फायदा उठाना चाहिए वह उठा नहीं पा रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने अपने बजट में जो प्रावधान रखा है उससे हमारी जनता काफी फायदा उठा सकती है और जो-जो समस्याएं हमारी हैं, हमारे राजस्थान की हैं, मेरे जिला मुख्यालय की हैं वे समस्याएं उससे ठीक हो सकती हैं।

सभापति महोदय, हमारा सवाईमाधोपुर जिला जिला मुख्यालय है, वहां के अस्पताल को सुधारने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगी कि आपके पास में जो बजट आया है अगर पूरी तरह से आप ध्यान देंगे तो हमारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। हमारे सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय में शहरी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के जितने भी लोग हैं वे वहीं उस जिला मुख्यालय अस्पताल में अपने इलाज के लिए आते हैं। सवाईमाधोपुर के अन्दर जो अस्पताल अभी मौजूद है उस अस्पताल के अन्दर मात्र डेढ़ सौ पलंग उपलब्ध हैं जबकि उसके ऊपर एट ए टाइम, अगर रिसर्च की जाए तो तीन सौ या साढ़े तीन सौ मरीज वहां पर भर्ती रहते हैं। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी वहां पलंगों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वहां पर आसानी से लोग आकर अपना इलाज करा सकें। सवाईमाधोपुर के अन्दर इसी से सम्बन्धित एक बात है कि 15 साल पहले हमारे यहां शहर ही के अन्दर एक अस्पताल था, उस अस्पताल को वहां से हटा कर जो अभी प्रजैंट में अस्पताल है वहां पर कर दिया है तो जो पहले वाला अस्पताल था वह अभी तक खाली पड़ा हुआ है, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि उस अस्पताल के अन्दर भी कोई ऐसी

(श्रीमती यासमीन अबरार)

व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि रोटेशन से डाक्टर्स वहां जा सकें और जा कर मरीजों को देख सके। थोड़ी बहुत जांच की भी अगर व्यवस्था हो जाए, क्योंकि दो किलोमीटर दूर हमारा अस्पताल है शहर से।

श्री राजेन्द्र पारीक : वहां जनाना अस्पताल खुलवाओ।

श्रीमती यासमीन अबरार : मैं अभी उसके बारे में बताऊंगी।

शहर से वह अस्पताल दो किलोमीटर दूर है। सवाईमाधोपुर में गरीब जनता है, कइयों को साधन नहीं मिलते हैं तो वहां पर जाने में बड़ी प्राब्लम्स आती है। जैसा कि आपने बताया जनाना अस्पताल एक जनाना अस्पताल भी वहां पर पहले था लेकिन वह खाली पड़ा है। अगर उसकी भी व्यवस्था हो जाए। इनकी तकलीफ मैं स्वयं महसूस करती हूं, मेरी अपनी बच्ची की जब डिलीवरी थी तो उस टाइम वहां दो किलोमीटर दूर जाना पड़ा। वहां जाने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि अगर आप इसकी व्यवस्था कर दें तो हमारी जनता इसका फायदा उठा सकती है।

इसके अलावा हमारे यहां पर सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है। बजट में कई जिलों में इंसिनरेटर लगाये जाने की व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि इसकी व्यवस्था हमारे यहां कर दी जाएं तो काफी राहत मिल सकती है। मुख्य मंत्रीजी के बजट में जीवन रक्षा कोष का जो प्रावधान है, गरीब विधवाओं और महिलाओं के संबंध में मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है उसका मैं स्वागत करती हूं। इससे हमारी गरीब जनता, महिलाएं, वृद्ध लोग काफी फायदा उठा सकते हैं। आधुनिक मशीनों के लिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अगर वे लगाई जाएं तो हमारे जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर से मिले-जुले आस-पास के जितने भी क्षेत्र है वे उससे फायदा उठा सकते हैं।

इसके अलावा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय में गत पांच सालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। 10 साल पहले बी.जे.पी. गवर्नमैंट ने इसके लिये सीनियर और जूनियर स्पेशलिस्टों के चार-चार पदों की व्यवस्था की, जिसकी मान्यता यहां से मिल चुकी थी। लेकिन उन स्वीकृत पदों पर गत 10 सालों से कोई व्यवस्था नहीं हुई। अभी चार-पांच दिन पहले ही आपके यहां से हमारे हैडक्वार्टर पर एक लैटर गया है, उसमें जो स्वीकृत पद हैं उनको खत्म करने के लिये कहा गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि सीनियर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ और मेडिसीन सर्जन, इन चारों पदों पर अगर आप नियुक्ति कर दें तो हमारी जनता उससे फायदा उठा सकती है। इन चारों विशेषज्ञों की कमी सवाईमाधोपुर में रही हैं, इससे काफी जनता परेशान है। हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार में इन चारों पदों पर नियुक्ति की जाएंगी।

(श्रीमती यासमीन अबरार)

सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर एक नेशनल पार्क है, टाइगर प्रोजेक्ट है, रणथम्भोर दुर्ग है, गणेश जी का मंदिर है, इसकी वजह से देश-विदेश से काफी पर्यटक वहां आते हैं, काफी बाहर के मेहमान भी आते हैं। उन सब को भी जब चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो वे इन सारी अव्यवस्थाओं की वजह से कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन है कि अगर कुछ नवीन उपकरण वहां लगा दिये जाएं और जो वहां पर मौजूद उपकरण हैं उनको सही करवा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बता देना चाहूंगी कि वहां एम्बुलेंस तक नहीं है। इसके अलावा वहां जितनी भी जांचों की मशीनें लगी हुई हैं वे या तो देखने के लिये लगी हुई हैं, या अगर उपयोग में भी आती हैं तो यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहां के जो डाक्टर्स हैं वे उनके बजाय प्राइवेट मशीनों को प्रिफरेंस देते हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि उनको ऐसे निर्देश दिये जाएं कि जो जांच सरकारी अस्पताल में हो सकती है वह जांच वहीं की जाए। डाक्टर्स का जो समय परिवर्तन कर दिया गया है उसकी वजह से काफी परेशानी है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ग्रामीण किसान खेत पर चला जाता है, सरकारी नौकर नौकरी पर चले जाते हैं, इसलिए सवेरे और शाम अगर दोनों समय डाक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाए तो इससे हमारी जनता को काफी फायदा होगा। मैं मंत्री जी से चाहूंगी कि अस्पताल दोनों समय चलाने के आदेश किये जाएं। जो सरकारी उपकरण खराब पड़े हैं स्पेशली सवाई माधोपुर में, उनको आप ठीक करवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी और नये उपकरण आगे लगवा दें। वहां आक्सीजन तक उपलब्ध नहीं रहती है। कई ऐसे मरीज हैं जिनको आक्सीजन की जरूरत होती है। आक्सीजन के सिलेण्डर खाली देखने के लिये पड़े रहते हैं लेकिन उनमें आक्सीजन नहीं होती है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के अस्पताल में जो बांउड्री खींची हुई है, हमारे यहां मींटिग हुई थी उसमें श्री बनवारी लाल जी जो हमारे यहां के प्रभारी मंत्री हैं, उनको मैंने अर्ज किया था कि अगर उसकी बाउंड्री कर दी जाए तो आस-पास के जो जानवर सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में आते हैं उनका प्रवेश उसमें न हो सके और उसमें साफ-सफाई रहे। अस्पताल में एक सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए तो उससे भी वहां गंदगी नहीं होगी। हमें बड़ी शर्म आती है और जलील होना पड़ता है, जब फारेनर्स वहां आते हैं और वहां की स्थिति देखते हैं उस समय हमारा सिर शर्म से नीचे हो जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जितनी बुरी हालत सवाई माधोपुर में अस्पताल की है, मुझे नहीं लगता उतनी बुरी हालत किसी और चीज की होगी। अत: आप इस और थोड़ा ध्यान दें और डाक्टर्स को सचेत करें। जनाना अस्पताल के बारे में भी मैं कहना चाहूंगी कि उस ओर भी ध्यान दें और उसको पूरा करवाएं, धन्यवाद।

श्री सभापति : रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, यासमीन जी ने जो बात रखी है कि चार पद उनके अस्पताल में खत्म कर दिये गये, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का हास्पीटल है, दूर-दराज से मरीज बहुत आते हैं इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी इसको गंभीरता से लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अगर आपकी गवर्नमैंट कर जाती तो यहां पर मांग नहीं उठानी पड़ती यासमीन जी को। (व्यवधान) मौका मिला तो कुछ किया नहीं। आज यासमीन जी को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है यहां पर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय सभापति महोदय, वैसे तो जो मैं बात कह रहा हूं उसका इससे लिंक नहीं है, किन्तु माननीय बिजली मंत्री जी यहां बैठे हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक मिनट, साहब, बहुत जरूरी बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दें। माननीय सदस्य, आपको इंटरप्शन की अनुमति नहीं है। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं उसका नोटिंग नहीं किया जाएं। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह अंकित नहीं किया जाए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री सभापति : बैठिए, माननीय सदस्य, आप जो कुछ कह रहे हैं वह अंकित नहीं हो रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री सभापति : आपका समय आएं तो बोलना और जो कुछ आपने कहां है वह अंकित नहीं नहीं हुआ है। रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री सभापति : मैं भी आपको आदर से कह रहा हूं कि आप कृपा करके स्थान ग्रहण करें। मैंने रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है, कृपया उनको बोलने दें, धन्यवाद।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) **:** माननीय सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया और हमारे मुख्य सचेतक जी ने जो मेरा नाम अंकित किया इसके लिये मैं आपको और उनको बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : अब आप भी सुन लेना। माननीय सदस्य, यह भी सुन लो आपके मुख्य सचेतक जी ने यह राय दी है कि माननीय सदस्यों को 10 मिनट का टाइम दिया जाए।

श्री रतनाराम चौधरी : जी, साहब, अब से मेरा 10 मिनट मान लिया जाए क्योंकि इन्होंने दो मिनट का समय तो हमारा खराब कर दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय मूंछ वाले माननीय सदस्यों को कुछ टाइम दो आप।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रतनाराम चौधरी : यह गूजर मूंछों वाला है, डरावनी मूंछे नहीं हैं ये सुहावनी मूंछें हैं।

डा. किरोड़ी लाल : मूंछ वालों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मुख्य सचेतक जी के बड़ी मूंछे, बोलने के भी बड़ी मूंछे, लेकिन यह समय कम क्यों किया, सभापति महोदय ?

(15.50 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र गुजरात प्रान्त से जुड़ा हुआ है और गुजरात में मरीजों की देख-रेख, संभाल जिस तरह से होती है वह राजस्थान में नहीं है। चूंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा बिलकुल गुजरात से 4-5 किलोमीटर के अन्दर आया हुआ है, हमारे मरीज, ज्यादातर धानेरा, अहमदाबाद, गुजरात वहां इलाज कराने के लिए जाते हैं क्योंकि वह सुविधा हमारे राजस्थान में जो चिकित्सालय हैं उनमें नहीं मिल पाती है। अबकी बार हमारे बजट में जो दुगना बजट रखा गया है इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी एवं चिकित्सा मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं परन्तु, चिकित्सा मंत्री जी, उसका सदुपयोग भी हो। डाक्टर लोग क्या करते हैं ये सारी दवाइयों का दुरूपयोग करते है और सफाखाने में कम बैठकर प्राइवेट जो काम करते हैं, उसमें ज्यादा दवाइयों का उपयोग कर लेते हैं। इसलिए दवाई देने से पहले एक रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए और रोज उसमें कितनी किस मरीज पर दवाई खर्च की उसका नाम, दवाई का नाम अंकित होना चाहिए। जिससे दवाई का सदुपयोग हो सके।

दूसरा, डाक्टर लोग करीब 8-8 साल से एक ही जगह पर जमे बैठे हैं, उनको किसी की डिजायर की जरूरत नहीं है, किसी के कहने की भी जरूरत नहीं होती है। 5 साल से, 8 साल से जो डाक्टर बैठे हैं उनको वहां से हटा दिया जाए। हमारे एरिया में जब भाजपा का शासन आया था, उस समय जो नियुक्ति हुई थी, 8-9 साल से एक ही जगह पर डाक्टर बैठा है और गरीबों का बड़ा भारी शोषण करता है। इसके पास वाले आदमी हैं वह नीचे से ऊपर तक उनका बड़ा भारी...

एक माननीय सदस्य : मेल-मिलाप है।

श्री रतनाराम चौधरी : मेल-मिलाप आपके जमाने में था, अब तो मेल-मिलाप खत्म हो गया। आपकी जब सरकार थी उस समय मेल-मिलाप जरूर था। इस कारण से वह 8 साल बैठा रहा, नहीं तो क्यों बैठता? यह स्पष्ट उदाहरण है।

इस बजट में आपने बहुत ही कम उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रावधान रखा है, सिर्फ 75 उप स्वास्थ्य केन्द्र दिये हैं। एम.एल.ए. तो दो सौ हैं, एक एम.एल.ए. को दो-दो तो उप स्वास्थ्य केन्द्र देने चाहिए।

श्री श्रवण कुमार : एक भी नहीं रखा ना।

श्री रतनाराम चौधरी : नहीं, 75 हैं।

श्री श्रवण कुमार : एक भी नहीं है, वहां है?

श्री रतनाराम चौधरी : है, आपने पढ़ा नहीं बजट में, पढ़ लेना।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रवण कुमार : 75 तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊंट के मुंह में जीरा है।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम दो-दो उप स्वास्थ्य केन्द्र हमको दें और एक चिकित्सालय दें।

हमारे पश्चिमी राजस्थान में जालौर जिला है पिछड़ा जिला है लोग ढाणियों में रहते हैं। गांवों में कोई, लोग नहीं रहते हैं, गांवों का तो नाम मात्र रह गया है, सारे लोगों ने अब ढाणियों में रहना शुरू कर दिया है। इसलिए जनसंख्या के आधार को देखते हुए, दूरी को देखते हुए और लोगों की सुविधा के लिए वहां कम से कम यह आधार बनाया जाए कि कितनी दूरी में, कितनी जनसंख्या पर उप स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सालय खोला जाएगा। यह थोड़ा आप अपनी रिप्लाई में हमको जरूर आश्वासन दें। दूसरा हमारे बड़गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, परन्तु आज तीन साल से चार सौ डाक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी हैं, कम्पाउण्डर के भरोसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं। उन्होंने तो पोस्टें नहीं भरीं परन्तु अब आपसे उम्मीद हम रखते हैं, जल्दी से जल्दी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़गांव और जहां कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या डिस्पेंसरी में खाली पोस्टें हों वह तुरन्त भरने की कृपा करें।

हमारी आयुर्वेद की मंत्री जी भी यहां बिराज रही हैं, यही हाल आपके डिपार्टमैंट का भी है। जो वैद्य हैं आजकल इंग्लिश मेडिसिन का काम करते हैं। आपका काम तो ठीक है परन्तु आपका जो डिपार्टमैंट है उस पर थोड़ा अंकुश करिये। आपके आयुर्वेदिक जो वैद्य हैं उनको इंग्लिश मेडिसिन पर मत करिये, आयुर्वेदिक पद्धति पर उनको लाइये, नहीं तो लोगों का आयुर्वेद पद्धति से विश्वास हटता जा रहा है। तुरन्त थोड़ी राहत मिल जाती है इंग्लिश मेडिसिन से और वे दवाई देना शुरू कर देते हैं। आप पाबंद करिये उन लोगों को कि वे इंग्लिश मेडिसिन का काम न करें, आयुर्वेद पद्धति पर उनका इलाज करें। पहले लोगों में बहुत बड़ा आयुर्वेद पर विश्वास था। अचलाराम जी ने भी ऐसा ही काम किया। हमारे मंत्री जी का हमको विश्वास है कि उन पर अंकुश लगाकर उनको उस लाइन पर चलने के लिए ये बाध्य करेंगे।

मुझे पहले समय नहीं दिया गया था, शिक्षा की डिमाण्ड पर और दूसरी जो डिमाण्ड है उस पर मैं नहीं बोल सका था इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वहां रानीवाड़ा क्षेत्र में कोई कालेज नहीं है। अब आप दिलवाओगे, हमारे प्रभारी हो। आप हमारे प्रभारी इसीलिए बनाये गये हैं कि आप इस एरिया से वाकिफ हो, इस जिले से वाकिफ हो, एक एक गांव एक एक घर से आप वाकिफ हो। मैं वहां रानीवाड़ा में एग्रीकल्चर की कालेज चाहता हूं, लोगों ने इस भरोसे के साथ मुझे वहां से जिताकर भेजा है कि रानीवाड़ा में एग्रीकल्चर कालेज अवश्य ही खुलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जालौर जिले में एक भी एग्रीकल्चर कालेज नहीं है, रानीवाड़ा में ही खोला

(श्री रतनाराम चौधरी)

जाए ताकि सांचोर भी नजदीक पड़ जाए, भीनमाल भी नजदीक पड़ जाए और जसवंतपुरा भी नजदीक पड़ जाए और ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों के बच्चे, गरीबों के बच्चे उसका लाभ उठा सकें। भीनमाल भी हमारे नजदीक पड़ता है, भीनमाल तो हमारे से 30 किलोमीटर पर है, वह भी उससे जुड़ जाएगा। अभी प्रभारी मंत्री जी रामसिंह जी साहब बिराजे हैं, उनसे मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि हमारी मांग को आप सी.एम. तक पहुंचाएं और उच्च शिक्षा मंत्री को भी आप इस बात के लिए बाध्य करें कि...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी : एक कालेज रानीवाड़ा के लिए सिफारिश करें। कोई यहां बैठकर अपनी मांग मनवा रहा है तो मैं तो रिक्वैस्ट करके अपनी मांग मनवाना चाहता हूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : वक्ता महोदय विषयान्तर हो रहे हैं, आप विषयान्तर हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : डिमाण्ड मेडिकल की है, आप शिक्षा पर बोल रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप विषय के अन्तर्गत रहिये।

श्री रतनाराम चौधरी : नहीं, मुझे समय नहीं दिया था कल।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं दिया तो नहीं दिया।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए मैं आज उनका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। माननीय के. सी. चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी : दो-तीन बार खड़े होकर यह मांग की थी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : चिकित्सा के ऊपर बोलिये, चिकित्सा के ऊपर। चिकित्सा की डिमांड है आज।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : कालेज नहीं खोलें तो मेडिकल कॉलेज मांग लो आप।

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : क्योंकि यह नर नारायण का रूप है, पुरुष नारायण का स्वरूप है। उनका मेडिसिन ठीक तरह से हो जाए तो एक मरीज का प्राण बच सकता है। अच्छा डाक्टर उनका तन-मन से इलाज कर दे तो आधी बीमारी तो उनके विश्वास दिलाने से दूर हो जाती है। मनुष्य मात्र की सेवा, जो भगवान की सेवा गीता, रामायण और ग्रंथों में मानी गयी है, उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरतने वाला, आज तो देखते हैं कि गुर्दे का आपरेशन हुआ-करना था दायां, कर दिया बायां। ऐसी-ऐसी कैंचियां पेट से निकलती हैं। (व्यवधान) इस तरह से आपरेशन करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : बाद में जाकर मालूम पड़ता है, उनको फिर बीमारी लगती है, फिर दूसरा आपरेशन हुआ तो कैंची पेट से निकलती है। ऐसे डॉक्टरों को जो मनुष्य मात्र के जीवन के साथ बड़ा भयंकर खिलवाड़ करते हैं, उनको बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। (व्यवधान) ट्रांसफर से कुछ भी नहीं होता है, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। (व्यवधान)मैं अपनी बात कहते हुए, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में जो दूना बजट रखा है, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी मांगों पर गौर कर हमारी मांगों को पूरा करने की कृपा करेंगे। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री के. सी. चौधरी ।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में सर्वप्रथम माननीय वित्त मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछले 10 सालों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पर यह पहली मर्तबा हुआ है कि एक मुश्त 57 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है और इस विभाग को 647 करोड़ रुपये मिले हैं। विषय परिस्थितियों में यह सरकार इतना अच्छा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिये बजट का प्रावधान कर पायी है, बधाई की पात्र है।

इसी बजट में कई वर्षों में यह पहली बार हुआ है कि पर-बैड मेडिसिन का बजट 24 सौ रुपये से बढ़ाकर 48 सौ रुपये किया गया है। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने पहले बताया, डाइट का बजट भी काफी वर्षों बाद 10 रुपये से 20 रुपये हुआ है। राजस्थान में डेण्टल कॉलेज की बहुत सख्त जरूरत थी, उस आवश्यकता के अनुरूप इस बजट में सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि इस साल दांतों का एक अस्पताल राजस्थान में खोला जाए। यह सराहनीय कदम है। 20 जिला चिकित्सालयों का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण किया जाएगा, यह कदम भी अत्यन्त सराहनीय है। जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के लिये 400 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी गयी है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह योजना सम्पूर्णतया विश्व बैंक की सहायता से होगी। पोखरण विस्फोट के बाद की परिस्थितियों में क्या यह सम्भव होगा कि अपने को विश्व बैंक की सहायता मिल सके और जिला अस्पतालों के नवीनीकरण का इतना बड़ा प्रोजैक्ट आप हाथ में ले सकें ?

मैं एक प्रश्न की तरफ इस पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कई वर्षों से यह देखा गया है कि राजस्थान में मेडिकल कालेज से जो स्टूडैण्ट्स निकल रहे हैं, जो नये डाक्टर्स निकल रहे हैं, अन्फार्चुनेटली उनकी शिक्षा में निरन्तर गिरावट आयी है। आज मैं अच्छी तरह से देखता हूं कि जो लड़का नया एम.एस. करके आया है उसने अपने पूरे एम.एस. के ड्यूरेशन में कभी सर्जरी नहीं की है, उसको कभी आपरेशन का मौका नहीं मिला है। बड़ी विडम्बना होती है, जब उसकी पोस्टिंग होती है तो उसको आपरेशन करने

(डा. के. सी. चौधरी)

में घबराहट होती है। नतीजा यह है कि 10-5 साल निकल जाते हैं तो वही एम.एस. डाक्टर नॉन आपरेटिव सर्जन हो जाता है, वह आपरेशन कर ही नहीं पाता है। ऐसी विषम परिस्थिति में छहों मेडिकल कॉलेजेज को बनाने के बाद मेरा सुझाव होगा कि उनके एग्जाम कण्डक्ट करने के लिये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग से बना दी जाए। कुछ राज्यों में इसका प्रावधान है, तमिलनाडू में है, यू.पी. में है। मेडिकल कालेज का एक्जाम वह नयी मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने आप कण्डक्ट करे।

राजस्थान में 12वीं के बाद में जो लोग यहां पी.एम.टी. नहीं दे पाते हैं, नहीं पास हो पाते हैं, वे सारे बच्चे कर्नाटक और महाराष्ट्र में जाकर कालेजेज में एडमिशन लेते हैं। इसलिये सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि प्राइवेट मेडिकल कालेजेज अपने यहां पहली बार खोला है। मंत्रीजी, इसमें मेरा निवेदन होगा कि खाली ब्यूरोक्रेटिक उस पर खोल दिया है, इतना ही पर्याप्त नहीं होगा, थोड़ा पर्सनल इन्ट्रैस्ट लेकर कुछ लोगों को यहां इन्वाइट भी करना पड़ेगा कि Rajasthan is also a potential area for new private medical colleges and dental colleges.

इसी के साथ में हमारे यहां टैक्नीशियंस की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है। यह सब कमी प्राइवेट मेडिकल कालेजेज के खुलने के साथ-साथ पैरेलल चलेगी। वह उनका बाई-प्रोडक्ट होगा, जिसकी कोस्ट कम होगी और अपने को अच्छी मैन-पावर राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्टाफ एक बार नौकरी में लग गया, 20-25 साल बाद वह बिलकुल रस्टेड हो जाता है। उसकी कंटीन्युअस ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। एक नर्स जिस अस्पताल में लगी वहीं से रिटायर हो जाएगी। एक कम्पाउंडर जहां लगा वहीं से रिटायर हो जाएगा। टैक्नोलोजी रोज बढ़ रही है तो टैक्नोलोजिकल अपडेटिंग के लिये खास तौर से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर, मेडिकल कालेज में तो फिर भी यह सुविधा है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर कंटीन्युअस मेडिकल एजुकेशन डाक्टर्स के लिये और नर्सिंग स्टाफ के लिये करने का कोई न कोई प्रावधान रखें। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पहले कभी लाइब्रेरी सुविधा हुआ करती थी 18 साल पहले तो सुविधा थी। आपको बता दें कि लाइब्रेरी के लिये चाहे टोकन फण्ड दिया गया हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में लाइब्रेरी की सुविधा के लिये कोई न कोई इंतजाम हुआ करता था। अब इन सालों में वह लाइब्रेरी सैक्शन ही डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल से बंद हो चुका है। नतीजा यह है कि कोई भी मोटी बीमारी या कोई ऐसी डैथ हो जाए जिस पर डाक्टर्स आपस में डिस्कस कर सकें, उनके पास लिटरेचर ही नहीं है, उनके पास रीसेण्ट एडवांसेज की कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है जिससे वे उस पर अपना डिस्कशन कर सकें।

(डा. के. सी. चौधरी)

मैं मंत्री महोदय से और निवेदन करना चाहूंगा, प्राइवेट नर्सिंग होम की जो मशरूम ग्रोथ हो रही है, हर मोहल्ले में ढेर सारे नर्सिंग होम आ रहे हैं, क्या सरकार इस पर कोई व्यवस्था करेगी ? कई इक्विपमैंट्स ऐसे होते हैं, जैसे एक्स-रे मशीन है, एक्स-रे मशीन के बहुत सारे हैल्थ हैजार्डस हैं, मानव शरीर को उससे बहुत तकलीफ होगी। मगर सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि वह यह देख सके कि अगर एक्स-रे के रेडिएशन पड़ौस में जाएंगे तो पड़ौसियों को कितना नुकसान होगा। इस पर कृपया ध्यान देने की कृपा करें।

हमारे ललित किशोरजी चतुर्वेदी का पिछली बार एक बैन था, डिस्ट्रिक्टस पर एक सी.एम.एच.ओ. हुआ करता था, उन्होंने दो कर दिये। एक पी.एम.ओ. अलग कर दिया, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का एक सी.एम.एच.ओ. अलग कर दिया। आप चाहे एक करें, इस पर पुनर्विचार किया जा सकता था। यह स्कीम बहुत कामयाब नहीं हुई है। कारण यह रहा है कि इन्होंने जो सी.एम.एच.ओ. बनाये हैं वे सारे के सारे बाई बर्च्यु आफ सीनियोरिटी बने हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेंस जीरो है, निल है और वे अचानक डिस्ट्रिक्ट के हैड हो जाया करते हैं। तो या तो उनका मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेंस निर्धारित किया जाए कि साल भर का या 6 महीने का उनको प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है या फिर उनको बनते ही 2-4-6 महीने के लिये ट्रेनिंग दी जाए।

मैं अब तक के मेरे अनुभव से बता सकता हूं कि मरीज पर्चा लेता है, ये 25 इंवैस्टीगेशन लिख दिये, ये 15 दवाई लिख दी। सूचना के अधिकार की जहां तक बात है, क्या यह इस विभाग में सम्भव है कि मरीज को यह पूछने का अधिकार हो कि मुझे ये 20 इंवैस्टीगेशन किस बात के लिये लिखे गये हैं, या ये 15 दवाइयां किस बात की लिखी गयी हैं ? गांव वाला मरीज आता है, बोला, ठीक है, जो लिख दिया, डाक्टर साहब फाइनल हैं। व ग्लोबली यह होता है जैसे वैस्टर्न वर्ल्ड में, अमरीका में, कुछ देशों में मुझे भी काम करने का मौका मिला था, वहां ईर्रेशनली मेडीसिन नहीं लिख सकते और यहां लिखने वाले को पूरा अधिकार है कि उसने जैसी मर्जी आए वैसी लिख दी। तो मरीज को भी यह अधिकार होना चाहिए पूछने का कि मुझे क्या लिखा गया। जैसे ही वह पूछेगा, झगड़ा हो जाएगा।

एडवाइजरी कमेटी जो अस्पतालों की बनी है, उसमें तजुर्बा यह कहता है, जैसे मेरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लीजिए, पिछले नौ महीनों से इस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। अभी इस इलेक्शन के बाद तो कर ली होगी लेकिन इसके पहले तक हुई ही नहीं नौ महीने तक। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी अपने-अपने काम में काफी व्यस्त हैं। अगर इस एडवाइजरी कमेटी को थोड़ी-सी स्टेचर देनी है तो या तो रिटायर जज को उसका मुखिया बना दिया जाए या डिवीजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में वह कमेटी बनायी जाए।

(डा. के. सी. चौधरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, ध्यान दें, एक अजीब-सी समस्या आती है। ब्यावर के पास में पांच किलोमीटर लगते ही सेन्धडा आ जाता है। सेन्धड़ा में एक एक्सीडेंट होता है, केस नैचुरली ब्यावर अस्पताल में आता है। डैथ हो गयी, अब उसको हम पोस्टमार्टम के लिए पाली भेजते हैं तो जिला बदल गया। इस विभाग में यह प्रोवीजन है कि अन्तर जिला पोस्टमार्टस में मेडिको-लीगल केसेज की जांच नहीं होगी। यह हर डिस्ट्रिक्ट की परेशानी है। दो किलोमीटर पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है और डैड-बॉडी को या इंजर्ड को वहां भेजेंगे, उसका कम से कम मेडिकोलीगल मुआयना तो पहले ही करा लेना चाहिए।

कुछ केसेज हमने ऐसे देखे हैं कि हमने दानदाताओं को तो प्रेरित किया है बिल्डिंग बनाने के लिए-जैसे ब्यावर डिस्पेंसरी में बर्न यूनिट बन गयी, ट्रोमा यूनिट बन गयी, दो यूनिट्स बन गयीं, मगर यूनिट में एक भी कर्मचारी नहीं लगा। एग्जिस्टिंग कर्मचारी जो आलरेडी कम हो चुके थे, उसमें से देना पड़ता है। तो या तो दानदाताओं का तब तक अपने डोनेशन स्वीकार नहीं करें जब तक इसकी सैंक्शन नहीं आ जाए या करा दिया है तो उसमें उचित स्टाफ की व्यवस्था कराएं।

सलाहकार समिति में मेरे अनुभव से बताना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेंशनर समाज एक बहुत बड़ा समाज है और उनकी पीड़ा एक अलग किस्म की है उनको लगता है कि हम अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और हमारे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चूंकि यह सरकार कमजोर लोगों के लिए और हैल्पलैस लोगों के लिए बहुत संवेदनशील है तो क्या उचित नहीं होगा कि सलाहकार समिति में हर जगह पेंशनर समाज के आदमी को मनोनीत कर दिया जाए।

डाक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की एक अजीब-सी समस्या जिससे करीब-करीब सभी सदस्य वाकिफ हैं, वह है ट्रांसफर और पोस्टिंग की वर्किंग उससे उनकी वर्किंग एफिशिएंसी काफी कमजोर हो जाती है। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल काम है फिर भी एक पारदर्शी ट्रांसफर पालिसी बने। अगर वह सम्भव नहीं हो तो जैसे महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में भी किया है, बड़े-बड़े अस्पतालों में खाली अटैचमैंट दे दिया करते हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग की दिक्कत ही नहीं रहेगी, सैलेरी भी कम देनी होती है। तो दो विकल्प हैं, दोनों में से कोई-सा भी किया जाए।

अस्पतालों में समय परिवर्तन की मांग को भी हमारे माननीय सदस्यों ने उठाया था। मेरा निवेदन यह होगा कि पिछली बार जब समय परिवर्तन किया गया था तो राजस्थान भर में काफी आन्दोलन हुए थे। बड़े शहरों की समस्या यह आती है कि जयपुर में रहने वाले की डिस्टेंस अपने घर से डिस्पेंसरी तक बीस-पच्चीस किलोमीटर की सम्भव है। वह दो बार आएगा, दो बार जाएगा, चार बार सौ किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेबल करना और वह भी इतने

(डा. के. सी. चौधरी)

सारे ट्रैफिक जाम के बीच में, तो बड़े शहरों में तो यह व्यवस्था जो एक टाइम हुई है, यह व्यवस्था दुनियां के वैसे काफी सारे देशों में है। अपने यहां ग्रामीण इलाकों में और सब डिवीजनल हैडक्वार्टर तक दो टाइम अस्पताल किया जाएगा तो उसका तो स्वागत होगा लेकिन जिला मुख्यालयों और उसके ऊपर किया जाएगा तो उसका विरोध सम्भव होगा।

मैं एक निवेदन मेरे ब्यावर अस्पताल के लिए करना चाहूंगा कि सन् 1980 का "ए" ग्रेड हास्पिटल है। उसमें अब तक पूरे स्टाफ को लाने ले जाने के लिए भी एक ही गाड़ी है और मरीज को लाने ले जाने के लिए भी एक ही गाड़ी है। कृपया उसमें एक एम्बुलैंस की व्यवस्था और कराइये।

ब्यावर सिटी डिस्पेंसरी सन् 1978 में बनी थी, तब वहां करीबन दस हजार पापुलेशन को वह कैटर करती थी। आज उस सिटी डिस्पेंसरी के चारों तरफ कुल पचास हजार की पापुलेशन हो चुकी है, बड़ा उचित होगा कि सिटी डिस्पेंसरी को आप सैटेलाइट हास्पिटल में कन्वर्ट कर दें और उस सिटी डिस्पेंसरी को ब्यावर में एक नया हाउसिंग बोर्ड बन गया है वहां ट्रांसफर कर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुर्वेद से सम्बन्धित मांगों पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे न सिर्फ राजस्थान प्रदेश में अपितु पूरे देश के सामने जो प्रमुख समस्या है वह है जनसंख्या वृद्धि की। आज यह राष्ट्रीय आवश्यकता है। जब तक हम जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हमारे विकास के लिए किये गये काम सारे बेमानी हैं। आप चाहे बिजली के संसाधन बढ़ाएं, चाहे आप पानी के स्रोत बढ़ाएं, चाहे आप सड़कें बनाएं, चाहे आप मकान बनाएं, चाहें आप रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध कराएं, चाहे स्कूल हो और चाहे अस्पताल और अस्पतालों के विकास का मामला हो, यह सब बेमानी है जब तक हम जनसंख्या नियंत्रित नहीं रख पाते। लेकिन मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि विश्व के दूसरे मुल्कों में, आज बांग्लादेश जिसने पहले परिवार नियोजन को और खानदानी मंसूबाबंदी को नहीं अपनाया तो उसका परिणाम यह निकला कि प्रकृति खुद भी बैलेंस करती है। अगर आप दो किलो घी की पीपी में ढाई किलो घी डालोगे तो वह छलकता है। बांग्लादेश में कभी बाढ़, कभी भूकम्प और इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आयीं, उसने उस जन-संख्या को बैलेंस किया। अध्यक्ष महोदय, उसने इस बात को समझते हुए खानदानी मंसूबाबंदी को अपनाया है। आज इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम राष्ट्र ने भी परिवार नियोजन को, खानदानी मंसूबाबंदी को अनिवार्य रूप से अपनाया है। आज वहां पर काननून बना दिया गया है कि अगर किसी के भी दो से

(मोहम्मद माहिर आजाद)

ज्यादा संतान होगी तो उसको राजकीय सेवा में नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर नौकरी दी जाएगी और उसके बाद उसके सन्तान पैदा हो जाएगी तो उसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, उसको फिक्स-अप कर दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको भी कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। यह माना कि आपकी जन-कल्याण-कारी सरकार है, आप वोट के आधार पर जीतते हैं लेकिन इन सब भावनाओं से ऊपर उठकर चाहे सत्ता पक्ष का सवाल हो, चाहे विपक्ष का सवाल हो, चाहे तीसरी शक्ति का सवाल हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह राष्ट्र की अनिवार्यता है अगर इसको नहीं अपनाया गया, आपका अण्डर ग्राउण्ड वाटर बहुत कम पड़ रहा है, आप क्या करेंगे अगर इसी रफ्तार से आपकी जनसंख्या बढ़ती गयी तो मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपको सख्त कदम उठाते हुए विवाह की...

श्री अमीन खान : इन्होंने भी अपनाई है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपको और सदन को बता देना चाहता हूं कि मैं एक आदमी हूं जिसने आज से पन्द्रह वर्ष पहले परिवार नियोजन को अपनाया और नसबंदी करवायी। समाज चाहे दूसरी बात कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग परिवार नियोजन का विरोध करते हैं, चाहे वे किसी भी समाज से, किसी भी धर्म के हों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप...

श्री अमीन खान : आप बांग्लादेश की बात कहते हो, आप कहते हो कि वहां पर बाढ़ आती है, वहां पर तो समुद्र है। तूफान आता है, कुदरत ही ऐसी है। वहां समुद्र है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अमीन खानजी, आपका बोलने का नम्बर आए जब आप बोल लेना। आपने तो स्वयं ने एक दर्जन बच्चे पैदा कर रखे हैं, परिवार नियोजन पर आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री अमीन खान : इसका मतलब यह नहीं कि आप असत्य बोल लो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सुनिये आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय है और इसमें आप इस तरीके से...

श्री अमीन खान : कलकत्ता में समुद्र है, जिससे जो... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके कितने बच्चे हैं, यह भी स्पष्ट करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : दो बच्चे हैं मेरे। (व्यवधान)

श्री अमीन खान : समुद्र की वजह से बाढ़ आती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमीन खानजी, मेहरबानी करके डिस्टर्ब मत कीजिए। इनको कहने दीजिए अपनी बात। आपका नम्बर आए जब आप बोल लेना।

श्री राधेश्याम गंगानगर : क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि हमने विवाह के लिए जो आयु निर्धारित कर रखी है लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। लड़की के लिए 20 वर्ष कीजिए और लड़कों के लिए आप 23 वर्ष कीजिए। आपका शारदा एक्ट बना हुआ है, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, उसका हम सख्ती से पालन नहीं करते हैं। आखा तीज आएगी, आप देखेंगे। मैं मानता हूं कि मेरे समाज में भी और दूसरे जो ग्रामीण परिवेश के लोग है वहां छोटे-छोटे बच्चों की शादी होती है। बच्चा गोद में बैठा है, उसकी शादी हो रही है। इसलिए सख्ती से हमको इस शारदा एक्ट कानून का पालन कराना चाहिए और इलाके के सी. ओ. की रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, अगर उसके अन्दर इस एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है और बाल विवाह होता है तो उस पर कोई न कोई जिम्मेदारी लगाइये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं, जम्मू-कश्मीर राज्य ने इसको अपनाया है, केरल राज्य ने भी इसको अपनाया है और दूसरे सूबों ने भी इसको अपनाया है, खानदानी मंसूबाबंदी, परिवार नियोजन को अनिवार्य रूप से आप पाठ्यक्रम में भी लागू करिये। जब शुरू से ही बच्चा यह चीज पढ़ेगा कि एक आदमी था ए, उसके दो बच्चे थे, उसने उनको पढ़ाया और एक इंजीनियर बना, एक डाक्टर बना। और दूसरा आदमी था बी, उसके छह बच्चे हुए, उनको पढ़ा नहीं पाया। कोई बिजली बोर्ड में हैल्पर बना, तार छूकर मर गया। कोई चपरासी बना, कोई मेहनत मजदूरी करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शुरू से ही हम उसकी मानसिकता यह बनाते जाएंगे कि अगर सीमित परिवार है तो सुखी परिवार है तो मैं समझूंगा आगे जाकर इसके परिणाम अच्छे आएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंडोनेशिया ने कानून बना रखा है, मैं यह नहीं कहता कि इमरजेंसी में जिस तरीके से सख्ती से आपने टारगेट फिक्स करके इसको पूरा किया वैसे आप करें लेकिन मैं यह सुझाव जरूर देना चाहता हूं कि राज्य सेवा में आप जिन लोगों को लेते हैं, आपने कैटेगरी फिक्स कर रखी है कि एस.सी. का इतना परसेंट कोटा फिक्स, एस.टी. का इतना फिक्स, ओ.बी.सी. का इतना फिक्स, विकलांग का इतना फिक्स, आप एक कैटेगरी उन लोगों की भी बना दीजिए जिन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया है। परिवार नियोजन को अपनाने वाले लोगों को हम आयु सीमा में भी एक या दो वर्ष की छूट देंगे, हम प्रमोशन में भी उन लोगों को कुछ प्रायोरिटी देंगे जिन्होंने खानदानी मंसूबा बंदी को और परिवार नियोजन को अपनाया है। इस तरीके की कैटेगरी आप बनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सुझाव मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि सीमित

(मोहम्मद माहिर आजाद)

परिवार रखने के लिये केवल नसबंदी ही एक उपाय नहीं है। अन्तराल विधियों की जानकारी देने के लिए भी हम जन समारोह आयोजित करें। कभी हम मेवात में करें, कभी हम शेखावाटी में करें। अभी माननीय मंत्री महोदया सीमावर्ती इलाके बाड़मेर और जैसलमेर में गयी थीं, वहां आपने अल्प-संख्यक समुदाय के धर्मगुरूओं और दूसरे लोगों को बुलाकर उनसे खानदानी मसूंबाबंदी के बारे में बात की। उन्होंने अपने समाज के लोगों की अपील भी निकाली थी। उसका सार्थक परिणाम सामने आया है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस तरह के मेले और जन समारोह आप आयोजित करें और उसमें लोगों को इस बात की जानकारी दें। हर मजहब यह बात कहता है, इस्लाम भी कहता है कि जब रमजान का महीना आएं तो आप सैक्सुअल इंटरकोर्स से, संभोग से दूर रहें। हिन्दू समाज में भी है कि जब एम.सी. का पीरियड हो तो दूर रहें। सारे धर्मों से इस तरीके की जानकारी इकट्ठी करके आसान और ऐसी भाषा में जो भाषा लोगों तक जा पाए, आपको इस तरह का लिट्रेचर भी तैयार करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष एक बात और कहना चाहता हूं कि परिवार कल्याण पर करोड़ों और अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी आज हमारी जो उपलब्धि हुई है, पुरूष नसबन्दी का प्रतिशत क्या है? इतना पैसा खर्च करने के बाद में भी आपके अचीवमैंट्स क्या रहे ? पुरूष नसबन्दी का प्रतिशत, एक महिलाएं-महिलाएं ही नसबन्दी कराती हैं। क्यों नहीं आप पुरूषों की नसबन्दी के लिये भी कोई इस तरीके का उपाय करें कि आपके टारगेट पूरे हों और आपके सार्थक परिणाम आ सकें ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो उपस्थित सदस्य हैं मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि चाहे निर्वाचन क्षेत्र में जाएं, चाहे दूसरे समोह में जाएं, और बातें करने के अलावा हमको इस परिवार नियोजन की तरफ भी लोगों को राजी करना चाहिये, लोगों को इस तरफ भी प्रेरित करना चाहिये। यह हम सब लोगों का एक तरह से फर्ज बनता है। अगर यह नहीं किया गया तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। हमारी सारी योजनाएं और विकास का जो काम है वह सब अवरूद्ध हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आयुर्वेद जिसमें यूनानी विभाग भी आता है, उसके संबंध में आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में तीन यूनानी महाविद्यालय हैं। आज उन यूनानी महा-विद्यालयों की हालत यह हो गयी कि तीनों महाविद्यालय बन्द पड़े हैं। कभी तो कानून बनाया कि इनका विश्वविद्यालय से एफिलिएशन होना चाहियें, कभी कानून बनाया कि इनका यह होना चाहिये। पिछले सात-आठ सालों में यूनानी चिकित्सकों के पद जितने भी खाली थे, उनके लिये विज्ञापन निकाले गये। लोगों ने एप्लाई किया और एप्लाई करने के बाद में आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। कभी कहा आर.पी.एस.सी. से स्वीकृति नहीं आयी

(मोहम्मद माहिर आज़ाद)

है, कभी कहा फलाना काम नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो लोग यूनानी कोर्स करने के बाद, बी.यू.एम.एस. कोर्स करने के बाद आज से पांच साल-सात साल पहले जब निर्धारित आयु सीमा भी रखते थे, निर्धारित योग्यताएं भी रखते थे, आपने उस इंटरव्यू को पोस्टपोन कर दिया, जो ओवर एज हो गये हैं क्या आज आप उनको उस समय का मानते हुए छूट देंगे? नहीं देंगे तो आज आप हकीम कहां से लाएंगे? आपने इस बजट में प्रावधान किया है कि हम 50 यूनानी औषधालय राजस्थान के अन्दर खोलेंगे। लेकिन उसके लिये आप फिर वही बात कह देंगे। इतने साल से कालेज बंद है, आपने नियुक्ति की नहीं, जिन लोगों ने आवेदन किये थे, उनको आपने दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। अब आप उनको लेंगे नहीं कि वे तो ओवर एज हो गये। फिर आप कह देंगे कि हम को तो निर्धारित योग्यता वाले एप्लीकैंट्स ही नहीं मिल रहे हैं और फिर आपके 50 यूनानी दवाखाने नहीं खुलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिन लोगों ने उस समय पर आपको एप्लाई कर दिया था, क्या आप उनकी उस वक्त की एप्लीकेशन को मानकर उसको कुछ छूट देने का काम करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आपकी यह 50 यूनानी औषधालय जो खोलने की बात है वह बेकार है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय से यह बात चली आ रही है, मैं पिछली विधान सभा में था तब भी मैंने यह बात कहीं थी कि आयुर्वेद के साथ-साथ आप यूनानी निदेशालय क्यों नहीं बना देते अलग से। आयुर्वेद का सारा काम होता है संस्कृत में और यूनानी का सारा काम होता है उर्दू में। उसकी पढ़ाई भी उर्दू मीडियम में होती है और उसकी दवाएं जो हकीम लिखते हैं, वह इस तरीके की माजून है कि उसका काम भी नहीं चल सकता दूसरे से। लेकिन पिछले समय से इनके शासन काल से यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी हकीम और उप हकीम की जगह भी आयुर्वेद के लोगों को लगा दिया गया। पर्ची हकीम साहब लिखते हैं उर्दू में और नीचे वाले कहते हैं कि हम उर्दू जानते ही नहीं हैं। दवाएं होती हैं-खमीरा लाओ जवान और दूसरे इसी तरीके के शब्द होते हैं, लेकिन उनके पढ़ने में नहीं आता। इसलिए मैं पुनः मेरी मांग को दोहरा रहा हूं कि क्या यूनानी निदेशालय अलग से कायम करने का विचार रखते हैं? अगर रखते हैं तो मैं समझता हूं कि यूनानीपैथी जो इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इसके साथ आप न्याय करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मत्स्य पालन पर और कहना चाहूंगा जो आज की इस मांग में ही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मछली पालन का काम ज्यादातर वे लोग करते हैं जो समाज के शोषित, पीड़ित और पिछड़े तबके से आते हैं गरीब समाज के लोग, चाहे वे अल्पसंख्यक हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों। आपने मत्स्य पालन के

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अन्दर एक फिशरीज डवलपमैंट डिपार्टमैंट बनाया। एफ.एफ.डी. फिश फार्मर्स डवलपमैंट डिपार्टमैंट जो मछली पालन के लिये लोगों को ट्रेनिंग देता था और ट्रेनिंग देने के बाद जो 'बी' श्रेणी के बंधे हैं वह उनको लीज पर देता था ताकि वे अपना मछली पालन का काम कर सकें राजस्थान के कई जिलों के अन्दर आपके एफ.एफ.डी. हैं, आपने पिछले दिनों उसको बंद कर दिया। अब बन्द करने के बाद स्थिति यह हो गयी कि न तो अब उनको कोई प्रशिक्षण दे रहा है, न आप उनको बन्धे अलॉट कर रहे हैं। उसका परिणाम यह आया कि आपके 45 कर्मचारी जो मत्स्य पालन विभाग में थे, वे आज भी ए.पी.ओ. लगे हुए हैं, बेकार बिना काम करे पैसा ले रहे हैं। रेवेन्यू में स्थिति यह हो गयी कि जहां चार करोड़ रुपये आपको मिले 1997-98 के अन्दर मत्स्य पालन विभाग से, वहां 1998-99 में आपने डवलपमैंट के नाम पर एफ.एफ.डी.ओ. खतम किया तो आपका रेवेन्यू आधा रह गया। एक सवाल मैंने किया था, उसके जवाब में आपने कहा है कि आज ए श्रेणी और बी श्रेणी के करीब 62 प्रतिशत बंधे खाली पड़े हुए हैं। आपका रेवेन्यू आधा रह गया। जिन लोगों को रोजगार मिलता था उनको रोजगार नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं, कर्मचारी फालतू बैठे हुए हैं, उनको आप कहीं एडजैस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बैठे-बैठे आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौनसी जनभावना थी? क्या पब्लिक इंटरैस्ट था? आपने किस हिसाब से किया? मैं मांग करना चाहता हूं कि आपको वापस से एफ.एफ.डी.ओ. चालू करने चाहिए। निजी सैक्टर के अन्दर भी आपने मछली पालन के काम को दिया है। मैं भी एक फिश फार्मर हूं इसलिए आपको यह बात कहना चाहता हूं। फिशरीज डिपार्टमैंट की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग अपनी निजी भूमि में मछली पालन का काम कर रहे हैं, आप उनको कम से कम तकनीकी सुविधा तो उपलब्ध कराएं। समय-समय पर आपके आदमी वहां पर जाएं देखें कि उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसका प्रोडक्शन कैसा है, मछलियां बीमार हैं तो उसमें क्या दवा होनी चाहिये, उनकी खुराक किस मौसम में क्या दी जानी चाहिये। आपका कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं जाता है, दफ्तर में बैठे-बैठे फालतू की तनख्वाह ले रहे हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इनको वापस चालू करना चाहिये और उन लोगों को राहत देनी चाहिये जो लोग इससे अपनी रोजी-रोटी कमाते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक ही बात कहकर अपनी बात खतम करना चाहता हूं। आदमी के कमाने के लिये दो हाथ हैं, खाने के लिये एक मुंह है, यह विचारधारा लोगों की बन गयी। जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, देहाती इलाके के लोग यह सोचते हैं कि काम करने के लिये दो हाथ हैं, अगर बच्चा पैदा होगा एक मुंह से खाएगा तो दो हाथ से

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कमाएगा भी तो। आपको इस विचारधारा को बदलना चाहिये। एक शायर ने एक शेर कहा है-

"ओस कहते हैं, आसमान को
और बस्ती कहते हैं जमीन को।"

कई लोग यह कहते हैं कि यह तो खुदा की देन है, यह तो मालिक की देन है। इसलिए इस विचार को बदलने के लिये एक शायर ने सही कहा है

"ओस कहते हैं, आसमान को
और बस्ती कहते हैं जमीन को।"
और जो बस्ती के मकाभात बदल सकते हैं
देखते-देखते हालात बदल सकते हैं
ऐसे लोग तो वहीं रहते हैं
लेकिन खयालात बदल सकते हैं।

यह ख्यालात बदलने का काम हमको करना चाहिये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जीतमल जी।

श्री जीतमल (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-26 और मांग संख्या-33 पर बोलना चाहूंगा। अभी विद्वान महानुभावों ने इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मैं भी कहना चाहूंगा कि वास्तव में एक चिकित्सक अपने आप में पूजनीय व्यक्ति होता है, वक्त के अनुसार किसी मरीज व्यक्ति के प्राणों को बचा कर नया जीवन देता है। मैं कभी-कभी यह महसूस करता हूं कि कभी किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त मरीज को डाक्टर अपने अथक प्रयासों के माध्यम से ठीक कर देता है तो आम जनता के मन में यह एक धारणा बन जाती है कि मालिक ने उसको बचा दिया। लेकिन जब कभी उस डाक्टर के हाथ से अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो आम जन के मन में एक आक्रोश पैदा हो जाता है और कहते हैं कि इस डाक्टर ने मार दिया। डाक्टर के प्रति बहुत बड़ा दुर्व्यवहार भी होता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पास में गुजरात पड़ता है, वहां हम यदा-कदा जाया करते हैं, गुजरात के डाक्टर्स के पास जैसे ही मरीजों को लेकर पहुंचते हैं वहां के डाक्टर उस मरीज के साथ में इस तरीके से व्यवहार करते हैं, मृदु भाषा में बात करते हैं कि मरीज की आधी बीमारी तो उस डाक्टर के व्यवहार से ही खतम हो जाती है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि हमारे डाक्टर्स के मन में भी ऐसी भावना आए मन में ऐसा विचार आए वे भी बीमारों के साथ ऐसी सहानुभूति दिखाएं तो निश्चित रूप से हमारे बीमार जो इस इलाके को छोड़कर अन्य राज्य की ओर जाते हैं, इस प्रवृत्ति पर रोक लग सकती है। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं राजस्थान के दक्षिणी जिले बांसवाड़ा का रहने वाला हूं, वहां पर ऐसे कई डाक्टर्स हमने देखे हैं कि एक इंजेक्शन लगाएगा तो 10 रुपये, दो इंजेक्शन लगाएगा तो 20 रुपये मिलेंगे। एक या दो इंजेक्शन तो वे दवाई के लगाते हैं और बाकी दो या तीन और बढ़ाने के लिए वे इंजेक्शन में पानी

(श्री जीतमल)

भर देते हैं और संख्या बना देते हैं चार और रुपये हो जाते हैं। हमारे डाक्टर्स को हमारी गरीब जनता के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए हमने पकड़ा है।

मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि हमारे बांसवाड़ा जिले के तमाम हास्पिटलों में आज 60 प्रतिशत पद लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे हैं और 40 प्रतिशत पदों पर भी जो डाक्टर्स कार्यरत हैं वे या तो दस साल से हैं या 12 साल से हैं या 15 साल से हैं, यानि कि उन पर किसी प्रकार का भी सुपरविजन करने वाला या उनकी गलती को पकड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। सरकार चाहे बी.जे.पी. की हो चाहे कांग्रेस की रहे, कोई भी सरकार हो, उन पर जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, गली, ढाणी और मौहल्ले में रहने वाले गरीब को सहायता, राहत नहीं मिल सकती है। जो लम्बे समय से उस इलाके के अन्दर बैठे हुए हैं, लम्बी शिकायत होने के बावजूद भी उनका ठहराव वहां सुनिश्चित किया हुआ है ऐसे, डाक्टर्स की आदतों को सुधारने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको वहां से हटाया जाए। आज हमारा एम.जी. हास्पिटल जिले का मुख्य है, वहां पर कम से कम 22 पद रिक्त हैं । आप बड़ा ताज्जुब करोगे कि अस्थि रोग विशेषज्ञ, स्त्री और प्रसूति रोग, सर्जरी, नेत्र, नाक, कान और गला हर तरीके के जितने भी विशेषज्ञ हैं, सारी की सारी पोस्टें रिक्त हैं। हमारा कोई भी व्यक्ति अकस्मात् बीमार हो जाता है तो हम गांव और ढाणी के पास में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां पर आते हैं। अगर वहां के डाक्टर हम को रैफर करके आगे भेजते हैं तो हमारा उच्चीकृत जो स्वास्थ्य केन्द्र है वहां पर आते हैं। अगर वहां का डाक्टर भी हमें वहां से रैफर करके जिला हैडक्वार्टर पहुंचाता है तो वहां पर भी डाक्टर के अभाव में हमें छोटी-मोटी चिट्ठियां लिख कर गुजरात के लिए पलायन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उन दूरदराज के इलाकों में जो पद रिक्त हैं उनको यथाशीघ्र भरें।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आजादी के पांच दशक के बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरी, आयुर्वेदिक हास्पिटल जहां कहीं बस्तियां हैं या दस या पन्द्रह हजार की आबादी का क्षेत्र है वहां पर खुले हुए हैं। वहां आयुर्वेदिक हास्पिटल भी मिल जाएगा, उप स्वास्थ्य केन्द्र भी मिल जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी मिल जाएगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अकस्मात् अगर किसी बाई की डिलीवरी है तो हमें तीस-तीस, चालीस-चालीस किलोमीटर जाना पड़ता है। हमें सब से पहले तो वाहन लाने के लिए दौड़ कर जाना पड़ता है और अगर वाहन समय पर नहीं मिलता है तो कहीं और जाकर ढूंढ कर लाना पड़ेगा। उसके बाद में उस डिस्पैंसरी या उप स्वास्थ्य केन्द्र तक हमें पहुंचने में कम से कम तीन या चार घंटे लग जाएंगे। तब तक उस बाई की क्या हालत होगी? उस पर किस तरीके की तकलीफें आएंगी? इन सारे

(श्री जीतमल)

हालात को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर कम से कम उप स्वास्थ्य केन्द्र हो ताकि ए.एन.एम. वहां मिले। एक माता जो एक छोटे बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको कितनी समस्याओं से पीड़ित होना पड़ता है, उसके लिए अकस्मात् ये सारी सुविधाएं मिल सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान में आनन्दपुरी हमारा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां पर आज की तारीख में कोई भी डाक्टर नहीं है। ए.एन.एम. और जी.एन.एम. ही सारा का सारा तंत्र चला रहे हैं वहां डाक्टर के अभाव में आनन्दपुरी का क्षेत्र बिलकुल गुजरात की सीमा से लगा हुआ है, अगर हम जिला हैडक्वार्टर तक जाना चाहें तो कम से कम 80 किलोमीटर पार करना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कम से कम वहां पर जो पद सृजित हैं उसके मुताबिक वहां पर डाक्टर साहिबान की नियुक्ति कराएं ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके।

तीसरी छोटी-सी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बागीदोरा विधान सभा क्षेत्र में, जिले की बात नहीं कह रहा हूं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बड़े-बड़े भवन बना दिये गये हैं। वहां हर तरीके की सुविधा देने के लिए सरकार ने बड़ी-बड़ी घोषणा कर दी। हम आपकी बात का स्वागत करते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जरूरत पड़ने पर हम किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंच जाते हैं तो अगर वहां डाक्टर मिल जाता है तो नर्स नहीं मिलती है और यदि नर्स मिल जाती है तो कम्पाउण्डर नहीं मिलता है। ये सभी मिल जाते हैं तो हमें दवाई की जरूरत पड़ने पर समय पर दवाइयां नहीं मिलती हैं। आम जनता के लिए आपने बजट में घोषणा की है कि गरीबों तक दवाइयां मुफ्त में पहुंचाई जाएं, असहाय व्यक्ति को संबल दिया जाए। तो जिला हैडक्वार्टर पर कितनी दवाई कहां आती हैं, कितनी पी. एच. सी. में आती हैं, इसकी कम से कम हर एम.एल.ए. और हर पंचायत समिति के प्रधान को सूचना दी जाए ताकि जहां कहीं भी गड़बड़ियां हों, हमारी सरकार का पारदर्शिता देने का वायदा है, इसके माध्यम से हम रोक सकें कि हमारी पी. एच. सी. में इतनी दवाई आयी थीं, यहां इतना घोटाला हुआ। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगा कि इस इलाके के अन्दर वर्तमान में बिगड़े हुए तंत्र के माध्यम से आम जनता को जो तकलीफ हो रही है उसको दूर करने में आप अपना योगदान दें।

साथ ही साथ मैं एक बात और कह देना चाहूंगा कि गुजरात का बार्डर होने के नाते गुजरात के इलाके से इतने फ़र्जी डाक्टर्स उधर आये हैं कि कई सारे लोगों को फर्जी दवाई की वजह से मौत के घाट उतर जाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि नीम हकीम कई फर्जी डिग्रियां लेकर वहां के सी.एम.एच.ओ. से मिल गये हैं। वहां का सी.एम.एच.ओ. महीने के हजारों रुपया रुपया कमाता है रिश्वत के रूप में। अनपढ़ और गरीब लोग जानते भी

(श्री जीतमल)

नहीं है कि पी.एच.सी. क्या है, स्वास्थ्य केन्द्र क्या है और उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र क्या है। इन सारी बातों का उनको मालूम नहीं है, वे तो सीधे यह जानते हैं कि वहां अच्छी दवाई करने वाला होगा। वह अपनी लुभावनी बात कहकर उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यहां तक कहता है कि हमारे पास में एक दर्पण है, दर्पण में देखकर हम आपकी बीमारी को पकड़ लेंगे। इस तरह की कई बातें बताकर हमारी गरीब जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर आप स्पेशल जांच कराएं कि कितने फर्जी डाक्टर्स आये हुए हैं जिन्होंने 20-20 लाख रुपये के बंगले तैयार कर लिये हैं। ऐसे फर्जी डाक्टर्स की रोकथाम भी करें ताकि गरीब जनता के ऊपर इस तरह की मार जो पड़ रही है उससे हमें मुक्ति मिले। आपके द्वारा जो कदम उठाया जाएगा उसका हम स्वागत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय के वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : एक मिनट, साहब। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 26 एवं 33 पर विचार

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र अवश्य हैं जिन्होंने अपने विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक धन खजाने से लेने की व्यवस्था की है। माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे बजट में अच्छे प्रावधान इन सेवाओं के लिए किये गये हैं। पहले भी होते रहे हैं लेकिन उसमें बढ़ोतरी जिस ढंग से हुई है, आवश्यक बढ़ोतरी हुई है, जिन-जिन स्थानों पर बढ़ोतरी होनी चाहिए उन-उन स्थानों पर नजर गयी है इस सरकार की। इसलिए हमारे मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं। क्या-क्या सुविधाएं हुई, कितना धन बढ़ा, मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहूंगा। वह माननीय सदस्यों ने कह भी दिया है और हमारे सामने पेश भी हो चुका है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं दो-तीन बातों की तरफ जो सुधार के सम्बन्ध में हो सकती हैं, निवेदन करना चाहता हूं।

आज हर जगह से हास्पीटल्स की मांग आ रही है, खुल भी रहे हैं लेकिन सरकार को कोई नीति निर्धारण करना चाहिए, समय आ गया है कि कितनी जनसंख्या के पीछे हम एक डॉक्टर लगाना चाहते हैं। जब तक यह नहीं होगा रैपहैजार्ड वे में डिसपेंसरियां हास्पीटल्स खुलते रहेंगे और वास्तविक सेवा जिन लोगों की होनी चाहिए उन लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए मैं आपके

(श्री शिवनाथ सिंह)

माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यह नीति बनाएं कि कितनी जनसंख्या के पीछे हम एक डाक्टर रखना चाहते हैं। इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टर्स हैं, कुछ ही पद रिक्त हैं, सभी जगह डाक्टर्स लगे हुए हैं लेकिन उनकी उपस्थिति नगण्य हैं। जो गांवों में डिसपैंसरीज खुली हुई हैं, हास्पीटल्स खुले हुए हैं उनमें डॉक्टर्स रहना नहीं चाहते हैं। नहीं रहने की वजह से गांव वालों को उस अस्पताल का फायदा नहीं पहुंच पाता है। माननीय मंत्रीजी क्या व्यवस्था करें, यह इनके ऊपर है, इनके प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर है लेकिन यह होनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकतर विभागों में जैसे बिजली विभाग में हर महीने मीटिंग होती है। जिले के सर्वोच्च अधिकारी जन प्रतिनिधियों के साथ बैठते हैं और बैठकर समस्याओं का निराकरण करने की चेष्टा करते हैं। इसी तरह अन्य विभाग भी कुछ करने लगे हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, यह व्यवस्था पहले से है कि हर हास्पीटल के लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसमें संबंधित विधायक भी सदस्य हैं। पिछली बार मैंने एक गलती कर ली और यह मान लिया कि जब से यह व्यवस्था लागू की गयी है तबसे जो कमेटियां बनी हैं उनकी मीटिंग्स हुई हैं। आश्चर्य होगा, उपाध्यक्षजी, मैंने अपने जिले के लिए पूछा था, सभी जगह से यह आया कि इस कमेटी की मीटिंग्स नहीं हुई हैं। मैं नहीं कहता कि विधायक के जाने से, प्रधान के जाने से वहां पर सुधार हो जाएगा लेकिन हर महीने जब हम बैठकर बात करेंगे तो संबंधित अधिकारी को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इस व्यवस्था को ठीक करें। माननीय मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान देकर जो पहले से कार्यक्रम निर्धारित है, कमेटियां बनी हुई हैं उनकी सक्रियता से आप मीटिंग करवाएं। आपकी आधे से अधिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अनुपस्थिति की बात है वह तो करीब-करीब खत्म हो जाएंगी।

श्री रामनारायण चौधरी : मीटिंग कोई करता ही नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : और मैं क्या कह रहा हूं ?

इसी तरह, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं जिस रूप में होनी चाहिए, वह नहीं हुई हैं। जिला स्तर पर भी नहीं है। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि हर जिले में जो जिले का हास्पीटल है उसमें व्यवस्था इस प्रकार की हो, बहुत बड़े ऑपरेशन तो वे कर नहीं सकते, हम डाक्टर साहब को वहां नहीं ले जा सकते हार्ट के आपरेशन के लिए लेकिन साधारणतया जो ऑपरेशंस होने चाहिए उनके लिए अच्छा थियेटर हो, काम्पीटैंट डॉक्टर्स हों और छोटी-सी बात के लिए हमको जयपुर नहीं आना पड़े या बीकानेर नहीं जाना पड़े। उपाध्यक्षजी, आज स्थिति क्या है ? राजस्थान के 15 या 10 जिलों को छोड़कर जिलों के अस्पताल सूने पड़े हैं,

(श्री शिवनाथ सिंह)

कबूतर बोल रहे हैं। किसी में डाक्टर नहीं है ऑपरेशन करने लायक, किसी में सुविधा नहीं है और किसी में एनेस्थीसिया का डाक्टर नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ आपस में लड़ते हैं। कुत्ते कम लड़ते हैं, डाक्टर ज्यादा लड़ते हैं। इसलिए लड़ते हैं कि काम उनके पास है नहीं, संख्या अधिक है। इसलिए मैं इस ओर भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को सुधारें। पिछले दिनों, पिछली सरकार के...

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह डाक्टरों पर आरोप है। बड़े कुत्ते बता दिया डाक्टरों को हिरण मारने वाले माननीय सदस्य ने।

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे के डाक्टर हो ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह निराधार नहीं है, इसमें आधार है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह आरोप नहीं है, यह तो तुलना की है।

श्री शिवनाथ सिंह : यह डाक्टरों पर आरोप नहीं है। जो निष्क्रिय डाक्टर हैं, जो डाक्टरी के पेशे को बदनाम करने वाले हैं उनके लिए सुझाव है। उनके लिए सुझाव दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : डाक्टर को कइयों ने यहां शैतान बता दिया कि आदमी को मार डालते हैं, यह करते हैं वो करते हैं, आप तो उसकी तुलना पशु से कर रहे हैं। यह तो जानवर है, साधारण-सा जानवर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंथली शरण गुप्त ने कहा है "मैं मनुष्य को सुरत्व की जननी तो कह सकता हूं किन्तु पतित को पशु कहना कभी नहीं सह सकता हूं।" कब करता है पशु निज नैसर्ग नियमों का लोप। आपने अभी फैमिली प्लानिंग की और इतनी बातें बतायीं, उनका तो अपना नियमित कार्यक्रम है। उनकी तो प्रकृति बनी हुई है उससे कभी विचलित नहीं होते और मनुष्य आये दिन रात-दिन अपराध करता है। आप उसकी तुलना काहे को कर रहे हो यहां पर ?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं गांव का आदमी हूं, ब्रह्म ज्ञान से लाभान्वित भी नहीं होना चाहता और ब्रह्म ज्ञान मुझे मिलेगा भी नहीं। मैं तो जो गांव की स्थिति है उसका वर्णन कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले दिनों एक अच्छी व्यवस्था की गयी है सफाई की व्यवस्था। मैं उस वक्त के माननीय चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक ठेका प्रथा चालू की गयी थी उससे सफाई की व्यवस्था में सुधार आया। उस व्यवस्था को सक्रिय रूप से आप चालू रखें, उसमें सुधार करें, क्योंकि सरकारी कर्मचारी इस व्यवस्था के लिए जो लगाये जाते हैं वे अपना काम निष्ठा-पूर्वक नहीं करते हैं। उनको सर्विस सिक्योरिटी है, ठेके वाले को सर्विस सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं संक्षेप में इस ओर इंगित करना चाहता हूं कि व्यवस्था में सुधार करने की चेष्टा करें।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इसी के साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं। आपने पिछड़े वर्ग के लिए, वृद्धों के लिए कुछ करने की चेष्टा की है। मेरा निवेदन यह है कि जो असहाय व्यक्ति है, मैं उसमें वृद्ध नहीं लगाता हूं क्योंकि असहाय व्यक्ति है वह बीस वर्ष का भी हो सकता है, पच्चीस वर्ष का भी हो सकता है, उसका इलाज कराने वाला उसके परिवार में कोई नहीं है। इस प्रकार के लोग जो असहाय हैं, उनका सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो। इन्डोर पेशेण्ट के रूप में ऐसी व्यवस्था हो जाए तो समाज के बहुत-से पीड़ित लोग इस व्यवस्था से लाभान्वित होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, सामान्य सुरक्षा विषय भी इसमें आ रहा है। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। आज अनेक प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज के कमजोर वर्ग को, असहाय वर्ग को देने की आपने कीं। कुछ योजनाएं पंचायत समिति के माध्यम से चल रही हैं, कुछ योजनाएं जिला परिषद के माध्यम से चल रही हैं, कुछ डी.आर.डी.ए. के माध्यम से चल रही हैं। आपके विभाग का उसमें उतना नियंत्रण नहीं है। वे संस्थाएं अच्छी हैं चलनी चाहिए लेकिन मौके पर देखने से पता लगता है कि उन योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए, जिन लोगों के लिए योजना बनायी गयी है उसमें भारी गिरावट है। मनुष्य मनुष्य है, वह अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकता है इसलिए मैं कर्मचारियों का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन इस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है और जिस व्यक्ति के लिए सरकारी खजाने से पैसा निकलता है उस व्यक्ति को वह मिलना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। हालांकि सामाजिक सुरक्षा में नहीं आता होगा लेकिन इससे सम्बन्धित है। बाल श्रम की बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रान्त में है, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, आठ-दस साल के बच्चे होटलों पर, सड़क के किनारे चलने वाली होटलों पर काम करते हैं। क्या उनका खाना है ? क्या उनका रहन सहन है ? किस प्रकार से उनका भविष्य सुधरेगा ? मैं इसको इस बात से जोड़ता हूं कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान करना, उनको शिक्षा देना, उनके लिए अच्छी योजनाएं बनाना और उनका लाभ उन तक पहुंचे इसका काम समाज कल्याण विभाग का है। जो इस प्रकार की बुरी व्यवस्था है इस पर भी आप अंकुश लगाने की चेष्टा कीजिए। मेरे खयाल से बाल श्रम की समस्या आज हमारे प्रान्त में बहुत भयंकर है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप भी दिल्ली जाते हैं और जगह जाते हैं, व्यावसायिक जो दुकानें हैं उन पर छोटे-छोटे बच्चों के साथ मारपीट होती है, यह होता है इसलिए इस ओर भी ध्यान दें। माननीय उपाध्यक्ष जी, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगल जी काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 26 के अन्तर्गत स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार कल्याण आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, लोक कल्याणकारी राज्य की यह अवधारणा रही है कि समाज के सभी वर्गों के लिए हम मूलभूत आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। चिकित्सा सुविधा समाज के लिए आवश्यक सुविधा है जिसके लिए सरकार को पूरी तरीके से अपना दायित्व निर्वाह करना चाहिए। आजादी के समय प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति नगण्य थी। सरकारी क्षेत्र में बहुत कम अस्पताल उपलब्ध थे। शनैः शनैः यह प्रयास किया गया राज्य सरकार द्वारा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सालयों की व्यवस्था करे और समाज के सभी वर्गों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए। किन्तु पिछले लम्बे समय से हम देख रहे हैं कि इन सुविधाओं में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। जो ध्यान दिया जाना चाहिए था वह कम हो गया और आम आदमी को सरकारी अस्पतालों से व्यापक सुविधा उपलब्ध होना मुश्किल हो गया। अस्पतालों की जो स्थिति पिछले दिनों रहीं, उससे सारा सदन चिन्तित है और आम आदमी की यह धारणा है कि सरकारी अस्पताल में जाकर हम अपना इलाज नहीं करवा सकते, केवल खानापूर्ति के लिए हम सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। आज स्थिति यह है, चाहे जिला मुख्यालय हो अथवा संभागीय मुख्यालय हो कि सही मायने में मरीज की जांच ही नहीं हो पाती है। बीमारी कौनसी है, इलाज कौनसा चल रहा है। कई कई महीनों तक बीमारों को ऐसा इलाज दिया जाता है जो उनके लिए घातक हो जाता है ओर बाद में उन्हें बड़े शहरों में जाकर अपना इलाज करवाना पड़ता है। मुझे कई एक ऐसे वाकये मालूम हैं। मेरे अपने शहर जोधपुर में हमारे एक साथी को इलाज के लिए कई अस्पतालों के अन्दर जांच करवाने का अवसर मिला। उसका स्वास्थ्य परीक्षण गलत हुआ, गलत दवाइयां दी जाती रहीं। उसका अंजाम यह

(17.00 बजे)

हुआ कि अन्ततोगत्वा उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बड़ी-बड़ी तनख्वाह लेने वाले डाक्टरों की यह स्थिति निस्संदेह शोचनीय है। जिस तरीके का व्यवहार डाक्टरों द्वारा आम मरीजों के साथ किया जाता है उस पर विचार करना नितान्त आवश्यक है। प्राइवेट प्रैक्टिस पूरे प्रदेश में एक बीमारी बनी हुई है। अस्पताल के सामने अपनी खुद की दुकान खोल कर मरीज को यह कहना कि शाम को सामने आओ, वहां तुम्हें पर्ची बना कर दी जाएगी या किसी डिस्पैंसरी के अन्दर पर्ची बनाने के बाद ही उसे किसी अस्पताल में भर्ती किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो, इस तरह के हालात पिछले वर्षों में काफी पनपे हैं जिनमें माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आपको सुधार लाना बहुत आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी को यह अनुरोध करना चाहूंगा कि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के

(श्री जुगल काबरा)

लिए ठोस और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता होगी। मैं नहीं कहता कि सभी चिकित्सक गलत तरीके का व्यवहार करते हैं। कई अच्छे उम्दा चिकित्सक हैं जिनका मानवीय दृष्टिकोण होता है, जो बराबर आम जनता के दु:ख में भागीदार बनते हैं, अच्छे से अच्छा प्रयास करके चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते हैं किन्तु वही नामी-गिरामी डाक्टर जिनके नाम से मरीज को जाना पड़ता है वे डाक्टर बगैर अतिरिक्त फीस लिंये किसी भी मरीज का इलाज नहीं करते हैं। इस बीमारी का इलाज करना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय नितान्त आवश्यक है।

अस्पतालों के रख-रखाव के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अस्पतालों की जो हालत है, पिछले वर्षों में चाहे उनके भवन का मामला हो चाहे उपकरण का मामला हो, कोई ध्यान नहीं दिया गया। भवन की हालत जर्जर हो गयी है। अस्पताल के वार्ड के अन्दर अंधेरे बदबूदार कीटाणुयुक्त हालात बने हुए हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। न वहां पर्याप्त सफाई होती है न मरीजों को पर्याप्त हवा मिलती है, न रोशनी मिलती है। गर्मी के दिनों में गर्मी की मार से मरीज परेशान रहता है लेकिन उनके लिए कोई वातानुकूलित व्यवस्था करने का प्रबन्ध नहीं किया जाता है। गन्दगी के हालात भी इसी तरह के रहे हैं। जितने शौचालय सरकारी अस्पतालों में बने हुए हैं उनकी हालत दयनीय बनी हुई है। बदबू इतनी बुरी तरह से आती है कि उस अस्पताल के वार्ड में रहने वाले उस बदबू के कारण और अधिक बीमार हो जाते हैं। किन्तु उसकी तरफ न तो किसी डाक्टर का ध्यान जाता है, न अस्पताल के अधीक्षक का ध्यान जाता है और न अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान जाता है। इसलिए आवश्यक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन हालात पर गौर किया जाना चाहिए।

यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि इन मौलिक आवश्यकताओं के प्रति आज की वर्तमान सरकार ने ध्यान दिया है। चाहे सरकारी अस्पतालों के भवन निर्माण का मामला हो चाहे उपकरणों के सुधार की बात हो, इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, यह खुशी की बात है। इससे हमारे जिले के अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल के अन्दर और सुधार सम्भव हो सकेगा। जिला क्षेत्र के अन्दर नवीन उपकरण खरीदने और भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ ही साथ ग्रामीण व शहरी चिकित्सालयों में भवन आधुनिकीकरण व नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया गया, वह भी स्वागत योग्य है। 20 जिला चिकित्सालयों में आधुनिक आपरेशन थियेटर बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया है, वह भी निश्चय ही सराहनीय है। जिला मुख्यालयों पर डाक्टर उपलब्ध होते हैं किन्तु आपरेशन थियेटर नहीं होने के कारण सर्जिकल डाक्टर्स की उपलब्धि के बावजूद वहां आपरेशन नहीं किये जा सकते हैं। जिला मुख्यालयों

(श्री जुगल काबरा)

पर बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है ताकि गांव और जिला मुख्यालयों के लोग बड़े शहरों की तरफ नहीं दौड़ें। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर केवल इस तरह के बड़े शहरों के अन्दर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा देने से हम लोक कल्याणकारी भावना का परिचय नहीं दे सकते । आम जनता को उसके नजदीक से नजदीक क्षेत्र के अन्दर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का दायित्व बनता है। इसके लिए जिला मुख्यालय और उससे नीचे के बड़े कस्बों में भी जहां जहां सेटेलाइट अस्पताल खोले जा सकते हैं, रैफरल अस्पताल खोले जा सकते हैं, इन सुविधाओं को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि हमारी वर्तमान सरकार इस और पर्याप्त ध्यान देगी।

नाथद्वारा के अन्दर चिकित्सालय खोलने का जो सरकार ने निर्णय लिया है वह भी निश्चय ही सराहनीय है। क्रमोन्नत करके 200 बैड्स के अस्पताल का जो फैसला किया गया है वह भी सराहनीय है। इसके साथ ही साथ अस्पतालों के अन्दर जो कचरा कीटाणुयुक्त होता है उसके कारण बीमारियां फैलने का अंदेशा होता है, नई सरकार ने इस कीटाणुयुक्त कचरे को नष्ट करने के लिए जो इन्सीनरेटर उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है वह भी निश्चय ही सराहनीय है। सबसे बड़ा कदम नई सरकार ने मेडिकेयर रिलीफ योजना चालू करके किया है। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों की सुध ली है जिन्हें राजकीय अस्पतालों से निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करायी जाएंगी। आज स्थिति यह है किसी भी अस्पताल के अन्दर कि चाहे गरीब चला जाए, चाहे पीड़ित चला जाए, चाहे अभावग्रस्त व्यक्ति चला जाए, उसे दवा उपलब्ध नहीं होगी। मैंने पिछले दिनों निवेदन किया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आज के पूर्व यह स्थिति थी कि गम्भीर चोट लगा हुआ व्यक्ति अगर अस्पताल में चला जाता तो उसे पट्टी भी बाजार से खरीद कर लानी पड़ती थी, तब कहीं उसके रिसते घाव के ऊपर पट्टी बांधी जाती थी। यदि कोई गम्भीर रूप से बीमार व्यक्ति किसी अस्पताल में होता था तो उसे इंजेक्शन भी बाहर से खरीद कर लाना पड़ता था, यद्यपि प्रति वर्ष राज्य सरकार दवाइयों के नाम पर अस्पतालों को बहुत बड़ा फण्ड देती है जो पिछले वर्षों के अन्दर 24 सौ रुपये प्रति वर्ष प्रति बैड रहा था जिसे राज्य सरकार ने बढ़ा कर इस साल दुगना कर दिया है। इसी तरह से मरीज की खुराक भी राज्य सरकार ने 10 रुपये से बढ़ा कर 20 रुपये कर दी है, यह सराहनीय कदम है। किन्तु आप चाहे कितना ही धन आबंटित कर दें उस धन का सही उपयोग हो, आम लोगों के इलाज के लिए इसके ऊपर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। आज तक अस्पतालों के अन्दर दवाइयों का जितना भी फण्ड आबंटित किया जाता था वह

(श्री जुगल काबरा)

फण्ड किसी भी रूप में मरीजों के लिए उपयोग में नहीं आता था। हर जगह यह शिकायत मिलती थी कि डाक्टर, उसके स्टाफ के दूसरे लोग या अस्पताल के प्रबन्धक दवाइयों को बाहर बाजार में बेच देते हैं और आम मरीजों को इस तरह की किसी भी दवाइयों का लाभ नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अस्पतालों के अन्दर भोजन की व्यवस्था भी बहुत खराब थी। 10 रुपये खुराक के अन्दर व्यवस्था करना बहुत कठिन था। किन्तु इसकी दर दुगनी कर दी गयी है, 20 रूपये बना दी गयी है अब यह आशा की जा सकती है कि मरीजों को सही मायने में भोजन मिल सकेगा, उन्हें अच्छी खुराक मिल सकेगी। किन्तु उसके ऊपर भी प्रबन्ध सही तरीके का हो, इस बात की आवश्यकता है।

मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी बनायी गयी है उसका कुछ दायित्व है, किन्तु केवल मात्र कुछ पेशेन्ट्स की देख-रेख के लिए डाक्टरों को सिफारिश करने के लिए इस सोसायटी का सदस्य अपने प्रभाव का उपयोग करे तो यह लाभकारी नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों से अस्पतालों के अन्दर प्रवेश शुल्क लिया जाने लगा है। कहा जाता है कि मेडिकेयर सोसायटी को यह फंड जाएगा। इसके माध्यम से अस्पतालों का रख रखाव होगा, उपकरणों की खरीद होगी, अच्छी चिकित्सा सुविधा अस्पतालों को उपलब्ध करवायी जाएगी। किन्तु गरीब लोगों के ऊपर भी यह टैक्स लगाया गया है। जो व्यक्ति दो समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता, जो व्यक्ति किसी तरीके से चिकित्सा नहीं करवा पाता अपने सारे संसाधन जुटाने के बावजूद भी, ऐसे लोगों के ऊपर इस तरह का प्रवेश शुल्क बहुत ही नाजायज है। मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से कि इस प्रवेश शुल्क को समाप्त करने की दिशा में वे आवश्यक कार्यवाही करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने रक्त परीक्षण के नाम पर शुल्क लगाया था जिसे अब आम आदमी को भोगना पड़ेगा। चाहे गरीब हो या अमीर, रक्त की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। आपरेशन कराने के लिये हर व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होगी। किन्तु गरीब व्यक्ति को भी इतनी बड़ी राशि जमा करके रक्त प्राप्त करना पड़ेगा, यह बहुत मुश्किल होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रक्त की दर के अन्दर रियायतें प्रदान करने की वे कोई घोषणा करें ताकि आम लोगों को राहत प्राप्त हो सके।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेडिकल कालेजेज हैं उनके अन्दर राज्य सरकार ने कुछ विशेष बीमारियों, गम्भीर बीमारियों के उपचार का प्रबंध किया है, यह बहुत अच्छी बात है। राज्य सरकार का करीब 10 करोड़ रुपया विशेष बीमारियों

(श्री जुगल काबरा)

के इलाज के लिये राज्य कर्मचारियों के प्रदेश से बाहर जाने के ऊपर खर्च होता है। यह बचत हमारे यहां इन बीमारियों के इलाज के लिये व्यवस्था करने में मेडिकल कालेजेज में अगर खर्च की जाती है तो बहुत उपयोगी होगी। हृदय रोग, कैंसर, न्यूरो सर्जरी, इस तरह की कुछ गंभीर बीमारियां हैं जो चाहे गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति, यह चाहता है कि उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो। चाहे घर गिरवी रखना पड़े, बर्तन गिरवी रखने पड़ें, किन्तु परिवार का हर सदस्य यह चाहता है कि सही इलाज कराए। और अच्छे इलाज के लिए उसे हमेशा बाहर जाना पड़ता है। ये सारी सुविधाएं यदि हम अपने प्रदेश में उपलब्ध करवा देते हैं तो यह बहुत उपयोगी होगा। मैं, चिकित्सा मंत्रीजी, आपको बधाई देना चाहता हूं कि सभी मेडिकल कालेजेज के अन्दर आपने एक-एक गंभीर, विशेष बीमारी के ऊपर खास तौर से ध्यान देने के लिये प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं।

जयपुर में दन्त चिकित्सालय खोलने का भी स्वागत किया जाना चाहिये। राजस्थान के अन्दर दन्त चिकित्सालय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान के कई क्षेत्र हैं जहां पीने का पानी दूषित, खारा या फ्लोराइडयुक्त है और दांतों की बीमारी का मुख्य कारण रहा है। इसलिये प्रदेश में क्रम से कम एक दन्त चिकित्सालय बहुत आवश्यक है जहां पर दान्तों की बीमारी का सही इलाज हो सके और यहां के आम लोगों को बाहर जाने के लिये मजबूर नहीं होना पड़े।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही साथ निवेदन करना चाहूंगा कि सैटेलाइट अस्पताल और रैफरल अस्पताल शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भी हों, इसकी ओर ध्यान दिया जाए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से कि संभागीय मुख्यालयों पर ट्रोमा वार्ड की स्थापना करें। कई एक जगह ट्रोमा वार्ड्स बने हुए हैं, सभी संभागीय मुख्यालयों पर इस तरह के वार्ड नहीं हैं। जोधपुर जो कि बहुत बड़ी आबादी का शहर है, वहां किसी भी अस्पताल के अन्दर ट्रोमा वार्ड नहीं है। एक साथ कई घायल पहुंचते हैं और उनको अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के लिये भेजा जाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के अन्दर ट्रोमा वार्ड की स्थापना के लिये माननीय चिकित्सा मंत्रीजी प्रयास करें। जोधपुर के महिलाबाग अस्पताल के अन्दर सैटेलाइट अस्पताल के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : आप जोधपुर की तरफदारी क्यों कर रहे हैं?

श्री जनार्दन गहलोत : जोधपुर के बोल रहे हैं।

श्री जुगल काबरा : इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर के महिलाबाग अस्पताल को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाए।

(श्री जुगल काबरा)

नौचौकिया अस्पताल के अन्दर जो पिछले सालों में प्रसाविका गृह का निर्माण किया गया था, उसे भी पूरी तरह से सुसज्जित किया जाए। प्रसाविका गृह का निर्माण तो हो गया किन्तु वहां पर कोई डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, ठेका प्रथा की यहां आलोचना और समर्थन दोनों किये गये। ठेका प्रथा से अस्पतालों की सफाई व्यवस्था के अन्दर कई जगह सुधार हुआ है तो कई जगह बिगाड़ भी हुआ है। ठेका प्रथा से कर्मचारियों का शोषण होता जा रहा है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, न्यूनतम जो मजदूरी मिलनी चाहिये ठेके के कर्मचारियों को वह ठेकेदार नहीं दे रहा है। 18-20 रुपये दिये जाते हैं और दस्तखत 40 रुपये के ऊपर करवाये जाते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं इन ठेका प्रथाओं में रही हैं, दस्तखत 60 रुपये पर करवाये जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ठेका प्रथा के अन्दर कर्मचारियों का शोषण नहीं हो, बात का आप ध्यान रखें।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर भी चिकित्सा सेवाओं के विकास के लिये पर्याप्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर ही नागरिकों को सुविधा उपलब्ध हो जाए, उन्हें शहरों की ओर नहीं भागना पड़े।

इसके साथ ही साथ सामाजिक सेवाओं में सुधार के लिये जो कार्यक्रम बनाये गये हैं, एस.टी., एस.सी, ओ.बी.सी. और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिये, मैं उसका समर्थन करते हुए इस बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर का मुख्य कस्बा खानपुर पीलिया जैसे भयानक रोग से ग्रस्त हो गया है। आज से पांच दिन पहले ही हर घर में मौत अपना तांडव नृत्य दिखाने के लिये बेताव नजर आ रही थी। मैं भी खानपुर जाती हूं तो मुझे हर आंख में पीलापन और भय नजर आता है। इसका प्रमुख कारण है पिछली सरकार का कुशासन।

श्री हीरासिंह चौहान : पीलिया भी हम छोड़ गये।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : यदि पिछली सरकार गंदगी के चक्रव्यूह को हटाने की कोशिश करती, दूषित पानी को बाहर निकालने की कोशिश करती तो आज यह स्थिति नहीं आती।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : पिछली सरकार जिम्मेदार है।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : वहां पर पाइप लाइन जगह-जगह पर टूटी हुई है, गंदा पानी पाइप लाइन के अन्दर चला जाता है जिससे पानी दूषित हो जाता है। पिछले मंत्रीजी कहते थे कि सड़कों पर गड्ढे हैं वे मेरे दिल के छाले हैं, लेकिन उन्होंने उन छालों पर कभी मरहम नहीं लगायी, न कभी छुआ। खानपुर में तो वह छाला कैंसर

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

का रूप ले चुका है। इतना बड़ा छाला मैंने कभी देखा भी नहीं, वह जहर खानपुर में पीलिया बनकर फैल चुका है। हमारे पिछली बार के एम.एल.ए. खानपुर के, उन्होंने कितनी बार आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया, लेकिन आप लोग लोक उपयोग के आधार पर निर्णय न लेकर राजनीतिक आधार पर निर्णय लेते रहे। मैं इस बार की सरकार को धन्यवाद देती हूं, इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं। मैं यह प्रशंसा इसलिये नहीं कर रही हूं कि मैं इस सरकार से संबंधित हूं। मैं प्रशंसा इसलिये कर रही हूं कि इस सरकार ने समय पर निर्णय लेकर जो महामारी फैली थी उसके लिये प्रयास किये और इस महामारी पर अंकुश लगाया। मुख्य मंत्रीजी ने भी इस ओर विशेष ध्यान दिया। दो बार संबंधित अधिकारियों की, मंत्रियों की मीटिंग ली और उन्हें आवश्यक निर्देश दिये जिससे कि दूषित पानी को शुद्ध करने की व्यवस्था तथा दूषित पानी की अच्छी निकासी हो सकें। संबंधित मंत्रियों ने वहां का दौरा किया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले तो पानी दूषित कर दिया आपने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर ।

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर वह पानी दूषित कर गये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर- आर्डर

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : संबंधित मंत्रीजी ने वहां दौरा किया जिससे वहां की जनता में विश्वास बढ़ा और इनके निर्देशों से काफी हद तक यह बीमारी काबू में आ सकी है। मैं माननीय मंत्रीजी का आभार प्रकट करती हूं कि इन्होंने वहां पर 11 हैण्ड पम्प लगवाने की व्यवस्था की, एक टयूबवैल लगवाया तुरन्त। माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायीं, इसके लिये मैं इन्हें भी धन्यवाद देती हूं। परन्तु साथ ही मेरा यह कहना है कि ये सब अस्थायी प्रबन्ध किये गये हैं। जिस तरह से कच्चा नाला बनाया गया है, उसको पक्का करने की मैं मांग करती हूं। इसी के साथ जो सड़क नहीं बन रही है उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि वहां पर अतिशीघ्र सड़क के लिए राशि आबंटित करें। मेरा तो कहना है कि यदि आज यह राशि आबंटित कर दी जाए तो पीलिया रोग जो फैल रहा है वह ज्यादा न फैले।

वहां गांवों में बहुत-सी ऐसी जगह हैं जहां पर रोड नहीं है। बरसात में नाले से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है और इससे गांव वालों को अनेक परेशानियों आती हैं। गांव वाले जो बीमार पड़ जाते हैं, उनको चार जने खटिया पर डालकर लाते हैं। या तो ये रास्ते में ही मर जाते हैं या राम राम करते अस्पताल तक पहुंचते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा कहना है कि मेरे क्षेत्र में जगह-जगह सब सेन्टर खोलें और जो ए. एन. एम. की जगह खाली हैं उन्हें अतिशीघ्र भरें। इसी तरह से खानपुर में जो एम्बुलैंस की व्यवस्था अभी पीलिया के समय की है उसको स्थायी करें ताकि मरीजों को लाने ले जाने की सुविधा हो।

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रांवत)

पुनः मैं मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और कहना चाहती हूं कि आगे बढ़ना मुश्किल जरूर है, पीछे लौटना नामुमकिन है। हौसले बुलन्द हों तो मंजिल आसान होती है। मिलती है कामयाबी अगर इंसान की ख्वाहिश लोकोपयोगी हो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक ऐसे संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है जो आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन इस बात का आत्मचिंतन हम सबको करना पड़ेगा कि 1952 से लेकर आज तक कई सरकारों को काम करने का मौका मिला, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़े पैमाने पर धनराशि भी खर्च हुई परंन्तु आज हिन्दुस्तान में इस राजस्थान को बीमारू प्रदेश की श्रेणी में रखा गया है। हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा...(व्यवधान) हमने जो पांच वर्ष में किया +++ वैसा यह कर दें तो बिलकुल ठीक हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था आज राजस्थान के अन्दर...

मोहम्मद माहिर आजाद : चूरू से आने वाले सदस्य वित्त मंत्री जी को तो +++ कहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य, प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : झुंझुनूं से आने वाली सदस्या को +++ कहते हैं, यह क्या पूरा परिवार, रिश्तेदार यही हैं इनके ?

श्री महेश जोशी : आपको इनकी तारीफ करनी चाहिए कि इनको पहली बार आत्मचिंतन करने की सूझी हैं। आप इनको आज बधाई दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज राजस्थान प्रदेश बीमारू नहीं होता...

श्री परसादी लाल मीणा : दोनों पुराने दोस्त हैं वैसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस बात की चर्चा यहां माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं समझता हूं उप मुख्य सचेतक जी गिरेबां में झांककर देखें। इस राजस्थान में 8 सालों का कार्य तो जरूर हमने किया, परन्तु आजादी के बाद 42 साल तक आपने क्या किया? आपने सिर्फ राज किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश के अन्दर अंधों की संख्या...

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने तो सेवा की थी, आपने राज किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सबसे ज्यादा 2.4 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी आंखों से जमाना नहीं देख सकते। इनकी संख्या आज की जनसंख्या के अनुसार 9 लाख 85 हजार होती है। उपाध्यक्ष महोदय, क्षय रोग

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से पीड़ित लोगों की संख्या इस राजस्थान में हिन्दुस्तान में सर्वाधिक 8 लाख है। दो लाख लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी को संक्रमण के रूप में दूसरी जगह फैला सकते हैं। पोलियो के रोगी इस एशिया के अन्दर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा और हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान में सबसे ज्यादा हैं। हमारी शिशु मृत्यु दर 86 प्रति हजार, मातृ मृत्यु दर हमारी ज्यादा जन्म दर हमारी ज्यादा,...

श्री राधेश्याम गंगानगर : चार महीनों में ही हो गया?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर हम किसी में कम हैं तो दम्पत्ति संरक्षण दर में है, उसके अन्दर मैं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : 4 महीने में कितने बढ़े हैं, पहले कितने थे, वह बताते रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप भी चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं। मैं एक कागज लेकर आया हूं कि आप जब थे तब आपने राजस्थान को किस हालत में छोड़ा था।

श्री दिग्विजय सिंह : हमें पता है कि आजकल आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर नहीं बोलने दें तो बैठ जाऊं। अगर इस प्रचण्ड बहुमत की इच्छा ही यही है कि हम लोग अपनी बात सदन में नहीं रख सकें...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बीच में व्यवधान न करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बात पर चर्चा करनी पड़ेगी कि इन सारी चीजों के पीछे समस्या क्या है। नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात बड़ी बखूबी सदन में रखी कि आज अगर राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है तो वह राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, यह वह देश है जिस देश के अन्दर डेढ़ सैकिण्ड में एक बच्चा पैदा होता है, एक मिनट में 40, एक दिन में 72 हजार। राजस्थान के अन्दर एक घंटे में 170 नये मेहमान आ रहे हैं, 24 घंटे में 4100 और एक वर्ष में लगभग 14 लाख, एक नया जिला बनता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को मैंने देखा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने 1995 में 1200 रुपये प्रति शैय्या का जो मेडिसिन का बजट था उसको दुगना करके 2400 किया। आपकी सरकार ने 2400 को 4800 किया, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। परन्तु पूरे बजट के अन्दर परिवार कल्याण और सीमित परिवार की अवधारणा की चर्चा तक नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कितनी ही डिस्पेंसरी खोल दें, कितने ही प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोल दें, परन्तु नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी उस बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर समग्र चिंतन नहीं होगा तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सीमित परिवार की अवधारणा के लिए एक वातावरण बनाना पड़ेगा और वातावरण बना भी। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि आपने क्या किया? संसदीय कार्य मंत्री जी, जनसंख्या का विस्फोट सबसे बड़ी समस्या है और आप अपने कागजों को देख लें, 1996-97 में परिवार कल्याण के क्षेत्र में राजस्थान सर्वोच्च स्थान पर आया था, राजस्थान को पुरस्कार मिला था। यह हमने किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने ऑपरेशन कराया या नहीं कराया यह बता दो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवार कल्याण और सीमित परिवार की अवधारणा की जीती-जागती मिसाल हूं। में ही नहीं मेरे नेता, प्रतिपक्ष के नेता की भी एक संतान है।

श्री शिवनाथ सिंह : यहां मत खोलिये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरी भी एक ही संतान है।

श्री परसादी लाल मीणा : खेतसिंह जी के भी एक ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राठौड़ साहब, कथनी और करनी में अन्तर नहीं रखते। हम आज के स्वास्थ्य मंत्री की तरह नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : भाई-भाई उलझ रहे थे, भाइयों से मत उलझो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिवार नियोजन को राजस्थान के अन्दर पहली बार हमने टार्गेट फ्री एप्रोच दी थी। नसबंदियों के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये और लक्ष्य निर्धारित करके अलग-अलग राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों, पटवारियों को कह दिया कि इतने-इतने केस लाएं। हमारी सरकार ने तय किया था 1994-95 में कि अब कोई टार्गेट नहीं लक्ष्यविहीन पद्धति की तरफ राजस्थान को ले गये। बड़ी आलोचना हुई कि परिवार कल्याण के पूरे कार्यक्रम को धक्का लगेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान को वही टार्गेट फ्री पद्धति अपनानी पड़ी। सही कह रहे थे नगर से आने वाले माननीय सदस्य, महिलाओं की नसबंदी की संख्या बढ़ती जाए परन्तु हमने कभी सोचा नहीं कि हमारी जन्म दर क्यों नहीं कम हो रही। 17 लाख 22 हजार 272 नसबंदिया हुई और जन्म दर के अन्दर गिरावट देखें तो बिलकुल कम। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम परिवार कल्याण के साथ इनसैन्टिव, डिसइनसैन्टिव की भी बात करें।

हमारे समय के अन्दर हम जन प्रतिनिधियों के लिए पंचायतों के अन्दर, सहकारी संस्थाओं में एक कानून लेकर आये थे कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दो से ज्यादा संतान, चुनाव लड़ लिया, तीसरी पैदा होगी तो अयोग्य। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप...

श्री रामस्वरूप : यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं और जितने भी मंत्री साहेबान बैठे हैं, सब यह घोषणा करें कि हम सब नसबंदी कराएंगे, दो से ज्यादा संतान पैदा नहीं करेंगे। करो घोषणा किसी में हिम्मत हो तो। मैं स्वयं घोषणा करता हूं कि मैं इसमें सबसे अग्रणी रहूंगा। (व्यवधान) नसबंदी करायी है। करो घोषणा। अगर आप में हिम्मत है तो करिये ना जनता को शिक्षा देते हो आप, खुद तो नसबंदी कराते नहीं। सारे माननीय सदस्य इस बात की घोषणा करें। सोचा कभी इस बात के लिए? घोषणा करनी चाहिए, घोषणा करो। शिक्षा देते हैं दूसरों को, खुद करते नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य के +++ ठीक करो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : वे तो पहले ही नसबंदी करवा चुके हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो फिर किस बात की घोषणा कर रहे है?

श्री रामस्वरूप : जनता ने आपकी तो नसबंदी कर दी, हमारी करवा दो आप तो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : जो कानून बनाया था उसका असर हुआ क्या ? कानून तो वाकई अच्छा था, ऐसा आपके पास कोई रिजल्ट आया क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठिये आप। माननीय राधेश्याम जी। क्या मतलब है इससे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को नसबंदी कार्यक्रम से बाहर निकालना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक सर्वेक्षण हुआ था, राजस्थान में 14 लाख दम्पत्ति प्रजनन योग्य ऐसे हैं जो बच्चा नहीं चाहते, 16 लाख दम्पत्ति ऐसे हैं जो एक बच्चे और दूसरे बच्चे के जन्म में अन्तर चाहते हैं। परन्तु समस्या इस बात की है, जिस तरह से साक्षरता और शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है, आज कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करता कि वह किसी दुकान पर जाकर यह कह दे कि उसे इस चीज की आवश्यकता है, मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। परिवार कल्याण मंत्रीजी, मैं आपसे कुछ उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम को आप पूरा विचार करके लागू करें तभी इसमें निश्चित रूप से सुधार होगा।

(17.31 बजे)

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, यहा बड़े जोर-शोर से कहा गया कि हमने इस बजट में एक नये दंत चिकित्सा महाविद्यालय का प्रावधान

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर दिया। सरकार अच्छा काम करें, उसकी प्रशंसा करने में दिक्कत नहीं है परन्तु, स्वास्थ्य मंत्रीजी, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस चीज का जिक्र आपने बजट में किया है, क्या आप बताएंगे कि इस दंत चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास कब हुआ? आज की तारीख में यह दंत चिकित्सा महाविद्यालय आधे से ज्यादा बन चुका है और आपने बजट में रख दिया कि हमने दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए प्रावधान किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में बड़ी वाह वाही हुई है कि विशिष्ट बीमारियों के लिए 6 मेडिकल कालेजों में प्रावधान करेंगे। प्रावधान बजट में किया 50 लाख। पहली बार राजस्थान में सुपर स्पेशलिटी डवलप करने का काम हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य को, वे एक प्रस्ताव लेकर आए थे सरकार के सामने, रचनात्मक प्रस्ताव था। इन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी डवलप होनी चाहिए। नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, सारी चीजों की सुपर स्पेशलिटी डवलप हुई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चिकित्सा मंत्री जी कि सुपर स्पेशलिटी डवलप हो रही है उसका ढांचागत विकास करो, तभी इसका कोई लाभ हो सकता है।

आज तेजी से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। रोज अखबार का पन्ना खोलो, दुर्घटनाएं सामने। दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, वहां ट्रोमा अस्पताल की उपादेयता बहुत बड़ी है। पिछली सरकार ने 14 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया था, ट्रोमा अस्पताल की बिल्डिंग तैयार हो गई, काम चल रहा है परन्तु इस बजट को मैंने देखा है, मुझे कहीं नहीं दिखा कि इस ट्रोमा अस्पताल जो बहुत बड़ी आवश्यकता है, सरकार उसको बंद करना चाहती है या चलाना चाहती है। मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था करें।

स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपको मालूम है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दबाव यदि कहीं है तो वह एस.एम.एस. अस्पताल पर है। 9 लाख से ज्यादा आउटडोर पेशेंट आते हैं, 70-80 हजार इण्डोर पेशेंट आते हैं। एक साल में 43 हजार बड़े और 68 हजार छोटे आपरेशन होते हैं। परन्तु इसके लिए आप कितना दे रहे हैं। पहले एक समिति बनी थी, समिति की रिकमण्डेशन आपके पास होंगी कि आप कुछ विभागों को एस.एम.एस. से बाहर ले जाएं ओप्थोलॉजी, ई.एन.टी., मेडिसिन विभाग। इन सारे कामों को आप करेंगे तो मैं समझता हूं, जिस तरह की आपकी भावना है, एस.एम.एस. अस्पताल पर से दबाव कम होगा।

सभापति महोदय, राजस्थान में अंधता निवारण कार्यक्रम को हाथ में लिया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विश्व बैंक की सहायता से पिछले पांच सालों में 9 लाख के लगभग मोतियाबिन्द के आपरेशन कैम्पों के माध्यम से हुए हैं। परन्तु स्वास्थ्य मंत्रीजी, जितनी बड़ी संख्या में मोतियाबिन्द से ग्रसित लोग आए, बाहर कतार बढ़ती जा रही है रफ्तार से हालांकि काम बहुत अच्छा हो रहा है। पहले सरकार ने कैम्प के लिए दो तारीखें फिक्स कर रखी थीं 10 तारीख और 24 तारीख, आप उनकी संख्या बढ़ाओं। हर पंचायत में 2-2 कैम्पों का प्रावधान हमारे समय में था, उनकी संख्या बढ़ाओ, और संख्या बढ़ाकर निश्चित रूप से इस पर चिन्ता व्यक्त करो।

मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने 15 तारीख से अभियान चलाया है, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, अंधता निवारण के लिए। मैं इसके लिए आपको साधूवाद देना चाहता हूं। परन्तु, स्वास्थ्य मंत्रीजी, इस टी.बी. की बीमारी में ड्रग रेजिस्टैंस पैदा हो गया है। एक शिड्यूल है जिसके अनुसार दवाई दी जाती है, लाइन ऑफ ट्रीटमैंट हैं। भारत सरकार हमको आधा पैसा देती है परन्तु उन दवाइयों का असर कई बार इसलिए खतम हो जाता है कि गांव का व्यक्ति इससे पीड़ित होता है, कई दिन दवाई ली, बीच में दवाई छोड़ दी, ड्रग रेजिस्टैंस पैदा हो गया। इसलिए इस पर आप सोचें और मल्टीपल ड्रग थिरपी की तरफ आप इसे लें, तभी मैं समझता हूं कि गरीब लोगों को इसका फायदा हो सकेगा।

इस बार आपके बजट की बड़ी प्रशंसा हुई कि आपने दवाइयों की आपूर्ति ठीक कर दी। परन्तु दूसरे रास्ते से इसका जो संस्थागत, ढांचागत विकास होना चाहिए, उसमें कर दिया। आप उप केन्द्र खोल रहे हैं, 70 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोल रहे हैं। यहां यह कहा गया कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने 1717 उप केन्द्र खोले, 198 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले, 42 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र प्रारम्भ किए। हमने लक्ष्य रखा था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा इकाई पहुंचाएंगे। हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया हमने लक्ष्य रखा था कि बिना राजनीतिक भेदभाव के उप खण्ड स्तर पर 50 बैडेड अस्पताल खोलेंगे। हमने 50 बैडेड अस्पताल खोले। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने घोषणा की थी कि गंगानगर में महिला अस्पताल बनाएंगे, वह नहीं खोला। वह भेदभाव नहीं था क्या?

श्री सभापति : प्लीज व्यवधान न डालें।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) **:** सभापति महोदय, सत्य बोल रहे हैं उसके लिए तो बोलिए कुछ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : महिला अस्पताल की घोषणा नहीं की थी क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब करवा लो तो। घोषणा किस ने की थी? घोषणा राजेन्द्र ने की थी।

श्री सभापति : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया कन्टीन्यू करें, इधर मुखातिब होकर बोलें।

श्री हीरालाल विश्नोई : उस राजेन्द्र और आप राजेन्द्र सिंह में बड़ा फर्क है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले गए। यह सरकार भी खोलेगीं और हमारी सरकार ने भी खोले। परन्तु प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के साथ दवाइयों की दुकान नहीं खुली। दवाइयों की दुकान इसलिए नहीं खुली कि बी. फार्मा की आवश्यकता है। बी. फार्मा के जो ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन्स हैं उसमें प्रति वर्ष जिन लोगों को हम भर्ती करते हैं, उनकी संख्या सीमित है। बी. फार्मा किया हुआ व्यक्ति दूरस्थ गांव में जाकर दवाई की दुकान खोले, यह सम्भव नहीं। अब डाक्टर के पास दवाई सीमित है, सरकारी अस्पतालों में दवाई सीमित, बीमारों की संख्या ज्यादा। अगर कोई डाक्टर दूसरी दवाई लिखता है और वह गरीब पास के शहर से जाकर दवाई लाए तो वह अपने को वहां दिखा भी देगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में जाएंगे, वहां आप इस बात को उठाएं, कोई तरीका ऐसा हो कि गांव में दवाई की दुकान खोलने की अनुमति ऐसे व्यक्ति को मिल जाए, जो गांव में बैठकर दुकान खोलकर अपनी आजीविका भी चला ले और उसके साथ-साथ गांव में दवाइयां भी उपलब्ध हो जाएं।

स्वास्थ्य मंत्रीजी, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने स्वास्थ्य सलाहकार समितियां बनाईं। अभी कई माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि स्वास्थ्य सलाहकार समितियों की बैठकें नहीं हुईं। जिन-जिन स्वास्थ्य सलाहकार समितियों के अध्यक्ष नौकरशाह रहे, चाहे एस.डी.एम. रहा हो, चाहे कलेक्टर रहा हो, चाहे डिवीजनल कमिश्नर रहा हो, उनके पास दूसरे काम हैं, आप हिम्मत करके यह तय कर दें कि हम किसी रिटायर्ड हैड मास्टर या जज को इन स्वास्थ्य सलाहकार समितियों का अध्यक्ष बनाएंगे और एक निश्चित अंतराल तय कर दें कि एक महीने में एक बार या दो बार, एक तरीख निश्चित कर दें कि पूरे राजस्थान में इतनी तारीख को डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स की सलाहकार समितियाँ मिलेंगी, इतनी तारीख को राजस्थान के सब डिवीजन हैड क्वार्टस की स्वास्थ्य सलाहकार समितियां मिलेंगी, इस तरह की व्यवस्था कर दें। वरना स्वास्थ्य सलाहकार समितियों से बचना चाहते हैं, कोई भी चिकित्सक नहीं चाहता कि स्वास्थ्य सलाहकार समितियों में सारी चीज अच्छी चले।

यहां कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की कि डाक्टर नहीं रहते। चिकित्सा मंत्री जी, सबसे बड़ा चैलेंज एक ही है। आर. पी. एस. सी. से या एडहॉक अपाइन्टमैंट आपने भी किए, हमारे समय में भी हुए, जिला स्तर पर भी अपाइन्टमैंट हुए, मेडिकल कालेज से बड़े शहर से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निकलने वाले लड़के को आप गांवों में भेजें, गांवों के अन्दर वातावरण दूसरा है, वह गांवों में रहना नहीं चाहता। शहरों के अन्दर हमारा जितने इंस्टीट्यूशन हैं वहां सैचुरेटेड स्टेज के अन्दर पूरा स्टाफ है। सभापति महोदय, नौकरी जब लेनी होती है तब तो कह देते हैं कि गांवों में चले जाएंगे, लेकिन गांवों में जाते नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ग्रामीण चिकित्सा सेवा अलग से शुरू करें। आप एडवरटाइजमैंट दें उस एडवरटाइजमैंट में यह दें कि गांवों के अन्दर चिकित्सकों की भर्ती के लिए इन-इन शर्तों पर आवेदन-पत्र आमंत्रित हैं। आप थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दें, यह मेरा सुझाव है आपको। अगर इस तरह नहीं हुआ तो इन स्वास्थ्य केन्द्रों (व्यवधान) मैंने जो अनुभव किया, सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ हमारे समय में था सब सही था। कुछ सिस्टम में ही कमजोरियां हैं, इनहैरेंट कमजोरी है सिस्टम में।

सभापति महोदय, आज इस विभाग के अन्दर 62 हजार कर्मचारी और अधिकारी हैं, वे 62 हजार कर्मचारी व अधिकारी बड़े शहरों में उस जगह रहना चाहते हैं जहां पर उनकी प्रैक्टिस ठीक चले और जहां उनको सारी सुविधाएं मिल जाएं। आज मैं कह रहा हूं, चिकित्सा मंत्री जी, आप इसके बारे में कुछ ही समझ लें कि सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यही आने वाली है। आप अपनी डिजायरों को उठाकर देखेंगे और मेरे समय में जो डिजायरें थीं वे भी भेज दूंगा, वे क्या करते थे, वही डाक्टर, इसका रहना यहां बहुत आवश्यक है, यह जनता का सेवक है। अब वो ही जनता का सेवक वापस पहुंच गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टर की उपस्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में, गांव में सुनिश्चित हो इसके लिए आप स्वास्थ्य सलाहकार समितियों को मजबूत करें तभी कोई काम हो सकता है।

श्री सभापति : प्लीज कन्क्लूड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो मिनट में करता हूं। सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन गांवों में हैं, जिला स्तर पर हैं उनमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत कम है। अभी मैंने देखा था 11.6, इसका मतलब हमारी माता-बहनें 100 में से 90 तो बाहर प्राइवेट हास्पीटलों में जाकर अपना प्रसव कराती हैं। गायनेकोलोजिस्ट है, सारी व्यवस्था है। मैंने करने का प्रयास किया था, लेकिन मैं नहीं कर पाया तो आपको सुझाव दे रहा हूं। गायनेकोलोजिस्ट के साथ-साथ आज राजस्थान के अन्दर जन्म दर किस जिले की कितनी है किस क्षेत्र की, किस गांव की कितनी होनी चाहिए और उस जन्म दर के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कितनी डिलीवरी एक्सपैक्टेड है एक साल में, एक महीने में। आप एक रजिस्टर रखिए और कहिए कि आप यहां इंस्टीटयूशनल डिलीवरी की अलग से गणना कीजिए। जहां जानबूझकर काम किया जाता है उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बहुत बड़ी संख्या में नॉन ऑपरेटिंग सर्जन्स हैं। कई बार तो चिकित्सालयों के अन्दर माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण भी हैं, परन्तु जानबूझकर भी सर्जन सर्जरी नहीं करें तो मैं समझता हूं किस तरह का काम चिकित्सालय में होगा, इसके बारे में विचार करना चाहिए।

मैं, चिकित्सा मंत्रीजी, एक निवेदन करूं कि सरकार के पास आपने एक एप्रूव्ड लिस्ट बना रखी है 70 मेडिसन की। इससे ज्यादा मेडिसिन एप्रूव्ड लिस्ट में हैं नहीं, परन्तु 70 मेडिसिन का भी ज्ञान सब लोगों को हो जाए, गरीब व्यक्ति जाए उसको पता लगे कि मुझे एनासिन कहां मिलेगी। छवि सरकार के चिकित्सालयों की खराब होती है। अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, कई बार पट्टी मंगा लेते हैं। अब इतना बड़ा गांव-गांव ढाणिया-ढाणियों में फैला हुआ जाल है, कहां-कहां निगाह रखेंगे? इसके लिए आप तय कर दें, उप केन्द्र से लेकर जिला स्तरीय चिकित्सालय तक बाहर एक पूरा पट्ट लग जाए, हिन्दी में दवाइयों के नाम लिखे हों कि यह दवाई यहां अवेलेबल है, यह दवाई यहां अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : कन्क्लूड कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री सभापति : लास्ट ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अब समय आ गया कि हम सरकार के अन्दर सारी चीजों पर निर्भर न करें। हमें निश्चित तौर पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। नीतिगत निर्णय हमारे समय में हो गया था कि मेडिकल कालेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनों को प्राइवेट हैण्ड्स में दिया जाए। आप इसमें कंजूसी न करें। मेडिकल कौंसिल ऑफ इंण्डिया ने मापदण्ड तय कर रखे हैं, नर्सिंग कौंसिल ऑफ इंडिया ने मापदण्ड तय कर रखे हैं, जो लोग खोलना चाहते हैं उनको करें। आज हो क्या रहा है, सभापति महोदय? जितने भी निजी संस्थान हैं, निजी चिकित्सालय हैं, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे, गरीब आदमी जाता है तो 50 तरह के टैस्ट लिख दें, किससे कितनी फीस लें, इसका निर्धारण नहीं। हम एक एक्ट लेकर आ रहे थे कि जो निजी चिकित्सालय हैं ये भी किसी तरह परिधि में आ जाएं। निजी चिकित्सालय में कितनी फीस किस बीमारी की ली जाएगी, कौनसे टैस्ट की कितनी फीस ली जाएगी, इसका निर्धारण हो जाए। आज यह सेवा का काम व्यवसाय में बदल गया है और व्यवसाय में बदल गया है तो बहुत महती आवश्यकता है कि सरकार का अंकुश लगे। स्वास्थ्य मंत्री जी, चैरिटेबल ट्रस्ट जिन चिकित्सालयों को चलाने की बात करते हैं, चिकित्सालयों के लिए जमीन चाहिए, चुंगी माफी चाहिए, दूसरी चीज चाहिए, उस समय तो कहते है कि हम इतने परसेंट पुअर्स के लिए बैड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आरक्षित रखेंगे, हम इस आउटडोर में दो घंटे फ्री रखेंगे, लेकिन रखते नहीं हैं। इसलिए आप इन पर भी अंकुश रखें।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए। आपका अनुभव और ज्ञान काफी अच्छा है, लेकिन प्लीज कन्क्लूड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या सरकारी चिकित्सालयों में उपकरणों के रख-रखाव की है, बड़ी संख्या में उपकरण खराब रहते हैं। हमने भी प्रयास किया था। आप इन्वेंटरी बनाएं, हर उपकरण की हर स्तर के चिकित्सालय में इन्वेंटरी हो और उस इन्वेंटरी पर पी.एम.ओ. या इंचार्ज महीने में दस्तखत करे कि कितने उपकरण हैं, कितने उपकरण काम कर रहे हैं, कितने उपकरण काम नहीं कर रहे हैं। तब कोई काम होगा, वरना नहीं होगा।

श्री सभापति : कन्क्लूड कीजिए, प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसके अलावा सभापति महोदय, यहां इस बात की चिन्ता व्यक्त की गई...(व्यवधान)सभापति महोदय, एक मिनट नहीं लगेगी।

इस बात की चिन्ता व्यक्त की गई कि सरकार बढ़ती जनसंख्या के साथ बिगड़ते प्रदूषण के साथ जो बीमारियां बढ़ रहीं हैं संसाधन उपलब्ध कराने की जगह कुछ स्टाफ को कम कर रही है। स्टाफ पैटर्न पर एक कमेटी बनी थी, बहुत पहले की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई इस तरह का काम न हो जाए जिससे यह लगे कि स्टाफ बढ़ाने की बजाय आप कम कर दें।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए निवेदन करूंगा, यहां बहुत बड़ी चर्चा हुई कि पिछली सरकार ने ब्लड बैंक पर किसी तरह का टैक्स लगा दिया, कोई कर लगा दिया। चिकित्सा मंत्री जी, आपको इस बारे में चर्चा...

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय...

श्री सभापति : नहीं, You have already taken more than twenty minutes. Please co-operate with the Chair. 20 मिनट से ज्यादा हो गया

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 31-12-98 को इन्होंने आदेश जारी किए कि रुपये सरकारी ब्लड बैंक से और 500 रुपये निजी ब्लड बैंक से ये लेंगे। परन्तु ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार करके चली गई। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। चिकित्सा मंत्री जी, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 4 जनवरी, 1998 को। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करें।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। प्लीज कोआपरेट (व्यवधान)। श्री अमरारामजी धोद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ब्लड बैंक पर शुल्क तो आपने ही चालू किया है, कृपया इसको वापस लें। निश्चित तौर पर आप यह कहेंगे कि मेरे समय में प्रस्ताव आया था। 17-7-98 को प्रस्ताव आया था, परन्तु उस वक्त हमने 100 रुपये फीस लेने का विचार किया था। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने रोक दिया। उसके बाद दुबारा जब आपके पास 18 नवम्बर को फाइल आती है, उस वक्त चुनाव के चार दिन थे। हम तो अपने क्षेत्र में थे, परन्तु मंत्री के दस्तखत नहीं हुए इसलिए आदेश जारी नहीं हुए। लेकिन आपके...

श्री सभापति : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, प्लीज कन्क्लूड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके आने से पहले, सभापति महोदय, मेरा आरोप है नये स्वास्थ्य मंत्रीजी पर, सबसे पहले अगर किसी फाइल पर इन्होंने दस्तखत किए...

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, गरीब व्यक्ति जो दुर्घटना से ग्रसित हो, उसके खून का शुल्क उससे लिया जाए, उस पर इन्होंने दस्तख्त किए। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय अमराराम जी धोद।

डा. किरोड़ी लाल : ब्लड टैक्स तो सीरियस मामला है, सभापति महोदय, इस पर तो काग्नीजेंस लें आप।

श्री सभापति : अपने रिप्लाई में दे देंगे। प्रारम्भ करें।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर आज चर्चा चल रही है उसमें अपने आपको शामिल करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह विभाग बीमार होने के बाद उसकी चिकित्सा करने की बात तो कर रहा है, लेकिन बीमारियों से बचाव का जो पक्ष है उसके बारे में विभाग ने केवल एक पोस्टर निकाल दिया। जिस राज्य में 38 प्रतिशत लोग साक्षर हैं, बाकी सब अनपढ़ हैं उस राज्य में बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों पर पोस्टर चिपकाकर या अखबार में एडवरटाइजमेंट देकर इतिश्री कर ली गयी।

मैं समझता हूं इस विभाग में सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि बीमारी के इलाज से पहले उसके बचाव के लिए उपाय किये जाएं। जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनका जितना क्षेत्र है उसमें किस तरह से उन लोगों को जो अशिक्षित हैं, जो सबसे गरीब हैं-वे ही अशिक्षित हैं जो इस प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब हैं, उनको उन बीमारियों से बचाव के लिए अवेयर नहीं करेंगे तब तक हम कितना भी बजट बढ़ा लें बजट की हालत यह है कि दवाइयों के लिए 2400 से 4800 रुपये अभी किए गए हैं, लेकिन जब 2400 रुपये प्रति बैड था इसी राज्य में सैकड़ों लोग केवल मलेरिया से जो कोई असाध्य रोग नहीं है, मौत के घाट उतर गये। जब सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर गये, पूरा प्रशासन और शासन उसके लिए लगा देते हैं। आज हालत क्या है ब्लड टैस्ट की? 1995 में लैब टेक्नीशियन के 350 लोगों ने प्रशिक्षण लिया था, लेकिन

(श्री अमराराम)

99 आ गया, आज तक उनका रिजल्ट नहीं है। पूर्व मंत्री जी के विभाग में 16 लोगों को हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिले कि लैब टैक्नीशियन के लिए प्रशिक्षण दिलवाइए, पहले जिनको दिलवाया उन्हीं के अनुसार दिलवाइए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी के काल में 16 की बजाए 350 को भर दिया गया, ट्रेनिंग भी दी गयी लेकिन रिजक्ट 4 साल हो गए नहीं आया। आज यह हालत है आप नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम ट्रेनिंग दीजिए, जैसा बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा लैब टैक्नीशियन है, ए.एन.एम. है, नर्सिंग स्टाफ है उनकी संख्या जब तक नहीं बढ़ाएंगे तो लोग गांव में बसते हैं किसी डाक्टर के पास अपना प्रैस्क्रिप्शन लिखवा कर ला सकते हैं लेकिन अगर उन्हें एक इंजेक्शन लगवाना है तो उस इंजेक्शन से 5 गुना केवल उसको लगवाने के लिए देने पड़ते हैं। एक ए.एन.एम. हर गांव में हम दे देते हैं तो प्रैस्क्रिप्शन किसी भी डाक्टर से लिखवाकर ले आए। जिसकी आवश्यकता है उनकी ओर नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से बुरा असर होगा।

आज स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालत है, मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की बात करना चाहूंगा। आपने प्रोग्राम अन्धता निवारण का किया है और आज की स्थिति में 24 तारीख को और 10 तारीख को कैम्प होते हैं लेकिन दवाई हास्पिटल से नहीं देते। बाहर से केवल बिल आता है। विकलांग अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाता है वहां हैण्डीक्राफ्ट डाक्टर एक हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। एक महीने बाद में उस हास्पिटल में जाते हैं, वहां कोई डाक्टर नहीं पी.एम.ओ. मिलता है। यह पारदर्शी सरकार है, बिलकुल है। जो रंगे हाथों पकड़ा गया वह डाक्टर ही नहीं है, हास्पिटल का इंचार्ज पी.एम.ओ. बना हुआ मिले। दवाई भी हो सकता है रिकार्ड में हो, किन्तु अन्धता निवारण की हालत यह है...

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : कचरा इकटठा कर दिया उसे साफ करने में समय तो लगेगा ही, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : ठीक है, आप सुधार लें, 50 साल लगें या 8 साल। आज, सभापति महोदय, सीकर हास्पिटल को देखें, रात को जाकर चैकिंग करें तो बिस्तरों पर पेशेंट वैसे ही...(व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : मैं जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं कि वह डाक्टर पकड़ा गया था?

श्री सभापति : मंत्रीजी से पूछिए, इनसे नहीं। अमराराम जी, प्लीज कन्टीन्यू।

श्री अमराराम (धोद) : अब क्या हालत है पता नहीं है लेकिन कुछ दिन पहले वह उसी हास्पिटल में था। आज निश्चित रूप से डाक्टर नहीं रहने की बात है।

जैसा पूर्व मंत्रीजी कहे रहे थे, एक ग्रामीण सेवा डाक्टरों की कर दें। 50 साल के बाद चाहे सरकार आपकी 40 साल रही या इनकी रही स्वास्थ्य सेवाओं का राजनीतिकरण करने की इच्छा से ट्रांसफर

(श्री अमराराम)

नीति नहीं बनी। सभापति महोदय, जो प्रैक्टिस करता है वह वहां से नहीं जाना चाहता। अगर आप दो-तीन साल के बाद डाक्टर का ट्रांसफर करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस इतनी नहीं होगी। अगर 10 साल में उसने प्रैक्टिस जमा ली तो किसी भी सूरत में वह वहां से जाने को तैयार नहीं होगा। जब तक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, कोई भी सेवा बना दें आज शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे मास्टर नहीं रूक रहे इसलिए हम आठवीं पास को लगा रहे हैं-निश्चित रूप से सरकार का यही दृष्टिकोण रहा तो ग्रामीण सेवाओं में स्वास्थ्य कर्मी नहीं रहेंगे। सरकार की जो नीति दिख रही है, एम.बी.बी.एस. की जरूरत नहीं है? जो आज लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, जो आठवीं पास नहीं है, जो राजस्थान के आर.एम.पी. के नाम से सर्टिफिकेट लाएं या नहीं लाएं, राजस्थान की ग्रामीण जनता को धोखा दे रहे हैं। मजबूर होकर उनके पास जाना पड़ता है और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, क्या कारण है कि कोई भी सरकार बदल जाए, कांग्रेस से बी.जे.पी. आ जाए, बी.जे.पी. को जनता हराए और कांग्रेस आ जाए लेकिन स्थानान्तरण नीति बनाने की इच्छाशक्ति दृढ़ नहीं है? अगर दिशा निर्देश लगा देंगे तो लागू नहीं होगा क्योंकि उनसे हम राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं तो क्यों नही पूरी स्थानान्तरण नीति होनी चाहिए? बैंक है, एल.आई.सी. है, स्थानान्तरण नीति है प्रिपेयर रहता है। तीन साल होते हैं, अपने आप में मैन्टली प्रिपेयर रहता है कि उसको दूसरी जगह जाना है। लेकिन हम इस बात को न शिक्षा में लगाना चाहते हैं न स्वास्थ्य में।

जहां आयुर्वेद का सवाल है, सभापति महोदय प्री-आयुर्वेद टैस्ट होता है। पूरा आयुर्वेद का कालेज था, लैक्चरर थे, स्टाफ था, लेकिन दो साल तक कोई टैस्ट नही हुआ दो साल में कोई भर्ती नहीं किया गया। आज हालत यह है कि डेढ़ साल से राजगढ़ के लोग संघर्षमय हैं, वहां का आयुर्वेदिक कालेज बंद कर दिया सेठजी ने। सीकर आयुर्वेदिक कालेज जो सबसे पुरानी कालेज है, जिसने बड़े-बड़े वैद्य दिये आज चलने की स्थिति में नहीं है। विभाग के सामने बार बार रिक्वैस्ट कर रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट चलाने की स्थिति में नहीं है। पूर्व सरकार ने किया भी लेकिन इनकी आपस में लड़ाई के कारण टेक ओवर नहीं हो सकता। मेरा सुझाव आयुर्वेद मंत्री से है कि राजगढ़ और सीकर दोनों को मिलाकर टेक ओवर कर लें और उनके स्टाफ को एब्जार्व करके गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बना दें जिससे उनका भी समाधान हो जाएगा। आयुर्वेदिक मंत्री जी से यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री के तो ट्रेंड नहीं हैं आपके ट्रेंड है फिर भी आप नियुक्ति नहीं दें यह सबसे बुरी बात है। जहां तक समाज कल्याण मंत्री जी का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि इनके विभाग की जो स्कॉलरशिप दी जाती है, छठी क्लास में कोई भी शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड

(श्री अमराराम)

ट्राइब का आता है वह 10वीं क्लास तक हर साल जाति का प्रमाण पत्र देगा। मैं कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि छठी में जो शिड्यूल्ड कास्ट में था, 7 वीं में शिडयूल्ड ट्राइब में हो जाएगा? जनरल में हो जाएगा हर साल? मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप बढ़ाई है, लेकिन उसको चलाने का तरीका क्या है? स्कूल जुलाई में खुलते हैं और मार्च में पूरे साल की एक साथ मिलेगी। जब तक पैसा समय पर नहीं देते हैं उसका उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए हर साल फार्म भरे जाते हैं। चाहे शिड्यूल्ड कास्ट में आए शिड्यूल्ड ट्राइब में आएं या ओ.बी.सी. में आएं उसको भी आप देते हैं जाति के आधार पर। लेकिन हर साल फार्म भरने की क्या आवश्यकता है? जो पास हो गया उसको स्कालरशिप देनी है, केवल इसलिए फाइल चक्कर काटती रहे। साल भर की स्कोलरशिप साल के आखिर में देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता ।

इसी तरह समाज कल्याण विभाग के छात्रवास केवल लोगों को पालने के लिए हैं। वहां उन विद्यार्थियों की हालत आप देखेंगे तो उनके लिए न खाना है न बिस्तर। जिस तरह स्वास्थ्य और बिजली के लिए सरकार ने कमेटी बनाई, जिला स्तर के जितने समाज कल्याण विभाग के छात्रावास हैं, अगर आप चाहते हैं कि जितना पैसा यहां सरकार से अलाट होता है उन विद्यार्थियों के काम में आए तो जब तक आप जिला स्तर पर कमेटी नहीं बनाएंगे कोई उनकी निगरानी नहीं हो सकती। पैसा यहां से करोड़ों में रिलीज होगा लेकिन एक पैसा भी वहां नहीं पहुंचेगा, लोगों के घर भरने के काम आएगा। समाज कल्याण विभाग गरीब लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए है, लेकिन सबसे बड़ा घपला किसी विभाग में है तो समाज कल्याण विभाग में है। इसलिए कह सकता हूं कि सीकर जिले से खनिज मजदूरों के बच्चों के लिए ड्राफ्ट दिये, समाज कल्याण मंत्री जांच करवा लें, एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं जिसके नाम से ड्राफ्ट गया हो। खनिज मजदूरों के बच्चों के नाम से एक भी बच्चे को नहीं मिला। जितना रुपया यहां से गया है, एक ड्राफ्ट तो मेरे पास है, अगर आप कहें तो मैं उसकी फोटोस्टेट ला सकता हूं। छुपते फिरते लोगों के पास समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जाएं कि आप इनमें से 50 प्रतिशत रख लीजिए, दस्तखत कर दीजिए।

श्री सभापति : संक्षिप्त कीजिए।

(18.00 बजे)

श्री अमराराम (धोद) : यह हालत हो रही है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 50 साल की आजादी के बाद भी पूरा उपयोग धन का नहीं होता।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में फतेहपुरा में स्वास्थ्य केन्द्र है, उसके लिए दो साल हो गये लिखते हुए, वह पड़ा हुआ है। कोटड़ा उदयपुर जिले का स्वास्थ्य केन्द्र है, उसका पूरा भवन गिर गया है और उसमें जो बबूल उगे हुए थे वे अन्दर से बाहर निकल गये लेकिन

(श्री अमराराम)

उसकी बिल्डिंग वापस बनाने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि वे लोग न संगठित हैं, न उनकी आवाज है या आवाज आप तक पहुंचा नहीं सकते और जो अधिकारी हैं पूरी तैर से उस ग्रामीण क्षेत्र के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको ठीक करावें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र जी पारीक। संक्षेप में कहिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) **:** माननीय सभापति महोदय, सुरसा की तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में सब ने चर्चा की। "जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा।" राजस्थान सरकार अपना बजट बढ़ाती जा रही है लेकिन जनसंख्या का विस्फोट उससे दुगनी गति से होता जा रहा है, यह सर्वविदित है इसलिए हमको चिन्तन ही नहीं इस पर काम करना होगा, इसे कार्य रूप में परिणत करना होगा। चिन्तन करते हुए तो सभापति महोदय, 50 वर्ष हो गये, इस पर अब तो हमें कोई ठोस निर्णय लेना होगा।

क्योंकि मुझे बड़ा सीमित समय दिया गया है, मैं संक्षेप में ही आपसे चर्चा करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह तो निश्चित है कि इस बढ़ती हुई आबादी के कारण से हमारे साधन सीमित हैं, लेकिन फिर भी जहां एक और आप सुपर स्पेशलिटी की बात करते हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्र में किसी पीड़ित को मात्र एक इंजेक्शन लगवाने के लिए गांव से 50 किलोमीटर दूर चलकर आना पड़े और वह भी पैदल चलकर आना पड़े तो उस गरीब की क्या हालत होगी? एक ओर हम सुपर स्पेशलिटी की बात करते हैं और दूसरी ओर उसकी यह हालत है, तो हमें एक तुलनात्मक अध्ययन करना होगा कि आखिर हम उसको किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं। हमने योजनाएं बनायीं, हमने जिला हैडक्वार्टर्स पर बड़े-बड़े हास्पिटल बनाये लेकिन जो पीड़ित है, जो दूर-दराज गांवों में बैठा हुआ है उसके बारे में हमने आज तक भी चिन्तन नहीं किया, आज तक भी सोच पैदा नहीं किया। तो सबसे पहले तो हमें यह चिन्तन करना होगा कि भले ही आपको जिला हैडक्वार्टर्स पर कुछ पोस्ट कर्टेल करनी पड़ें लेकिन उन क्षेत्रों के बारे में आपको सोचना होगा जहां इन्सान वास्तव में पीड़ित है।

माननीय सभापति महोदय, हम बड़ी-बड़ी मशीनों की बात करते हैं, सुपर स्पेशलिटीज की बात करते हैं, बड़े-बड़े भवनों की बात करते हैं लेकिन एक साधारण-सा बिन्दु और भी है। मैं तो पूरे हिन्दुस्तान के आम आदमी की ही बात करूंगा, कि गन्दगी के आलम में रहने का तो वह इतना आदी हो गया है, इतना रैजिस्टैंट हो गया कि वह और भले हजार तरह की बात करे, हजार तरह के खर्चे की बात करे लेकिन जहां बात सफाई की होगी वहां वह अपने आपको इतना असहाय महसूस करता है कि जैसे इसका इलाज हिन्दुस्तान में किसी के पास नहीं है। फिर राजस्थान में तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

एस.एम.एस. अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है और मैं समझता हूं कि न केवल राजस्थान बल्कि यू.पी. और हरियाणा तक के लोग सस्ते इलाज के लालच में राजस्थान के इस एस.एम.एस. अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। मैं एक आलोचना के रूप में इसको कतई नहीं लूंगा, हम आये दिन एस.एम.एस. अस्पताल की आलोचना करते रहते हैं कि वहां पर फलां मशीन खराब पड़ी है, वहां पर यह असुविधा है, वहां पर यह असुविधा है, बल्कि मैं तो सभापति महोदय, यहां यह निवेदन करना चाहूंगा और एस.एम.एस. अस्पताल के मैनेजमैंट की प्रशंसा करना चाहूंगा कि तीन-तीन स्टेट्स का भार वहन करने के बावजूद अस्पताल आपको अच्छी सेवाएं दे रहा है, हमें इस पर विचार करना होगा। हमें इस पर विचार करना होगा कि जहां सी.टी. स्कैन की मशीन 24 घंटे काम करती है, हम क्यों नहीं बाहर की प्राइवेट कम्पनी को इन्वाइट करें, उसी परिसर में हम उनको स्थान उपलब्ध करावें कि वे नो प्रोफिट नो लॉस पर आएं, वहां पर सी.टी. स्कैन मशीन लगाए, और जो लेटेस्ट मशीनें आयी हुई हैं उनको स्थापित करें ताकि सहकारिता के आधार पर वे अपनी सेवाएं दे सकें और राजस्थान का आम आदमी जो उस अस्पताल में जाकर सेवाएं लेना चाहता है वह उससे लाभान्वित हो। इसके बदले में आज यह हो रहा है कि 800 रुपये में सी.टी. स्कैन की सेवा उसे मिलनी चाहिए, वह लाइन में खड़ा रहता है तो असुविधा महसूस करता है और बाहर जाता है। बाहर अच्छी सेवा के लिए उसको 1500 रुपये देने पड़ते हैं। तो आपको इस पर विचार करना होगा कि इस अस्पताल को जो आज इतना बड़ा अस्पताल है, हम कैसे रिआर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको इसके रिआर्गेनाइजेशन की कोई नयी स्कीम बनानी होगी, आपको एक्सपर्ट्स को बुलाना होगा ओर एक्सपर्ट्स को बुलाकर आपको यह सुनिश्चित करना होगा...

श्री सभापति : प्लीज कन्क्लूड।

श्री राजेन्द्र पारीक : कि अधिक से अधिक सेवाएं कैसे दे सकें। इसके अलावा जहां चर्चा सुपर स्पेशलिटी की चल रही है तो आपको निश्चित ही इस पर विचार करना चाहिए। इन सारी बातों के अलावा आप चाहे एक रुपया उसमें नयी मशीन के लिए न लगाएं लेकिन यदि आप कुछ करना चाहते हैं दृढ़ मंशा आपकी कहीं कुछ करने की है तो इस अस्पताल को आप स्वच्छ और साफ वातावरण दें। माननीय सभापति महोदय दें। माननीय सभापति महोदय, हम कितनी ही अच्छी सुविधा उपलब्ध करा दें, साधन उपलब्ध करा दें लेकिन यदि मरीज के अगल-बगल में कुत्ते लेटे रहेंगे, मरीज के अगल-बगल में यदि गंदगी का वातावरण रहेगा और उसको यदि सांस लेने में भी तकलीफ होगी तो वह स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पाएगा। वह उसी पीड़ा में घुटता रहेगा, कुढ़ता रहेगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कुकुरमुत्ते की तरह से उग रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस

(श्री राजेन्द्र पारीक)

का जाल फैलता जा रहा है। मरीज यह जानते हुए भी कि वहां जो डाक्टर हैं वे सरकारी अस्पताल से कम स्पेशलिस्ट हैं, उनसे कम जानकार हैं लेकिन इसके बावजूद केवल सफाई की व्यवस्था को देखते हुए वह वहां पर सेवाएं लेने जाता है।

श्री सभापति : प्लीज कन्क्लूड।

श्री राजेन्द्र पारीक : अब, माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट आपके और लूंगा। सीकर अस्पताल के बारे में भी चर्चा हुई। सीकर अस्पताल 300 बैडेड अस्पताल है और चूरू, नागौर, झुन्झुनूं और सीकर इन चार जिलों का सारा भार उस पर रहता है क्योंकि बीकानेर के बाद जयपुर तक कोई भी दूसरा ए श्रेणी का अस्पताल नहीं है। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है कि इस हाई-वे पर आज एवरेज 3-4 कैजुअलटीज एक्सीडैंट्स की वजह से हो रही हैं। आपने जयपुर-दिल्ली की रोड पर तो ट्रोमा अस्पताल की बात की, आपने कोटपूतली में कुछ स्पेशल करने की बात सोची लेकिन बीकानेर से लेकर जयपुर की 500 किलोमीटर की दूरी में इतने एक्सीडैंट्स हो रहे हैं कि आप एवरेज निकलवाइये। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपका भी ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि आज इतने एक्सीडैंट्स हो रहे हैं, इतनी कैजुअलटीज हो रही हैं। सभापति महोदय, दुःखद बात तो यह है कि कई-कई बार तो एक ही परिवार के 7-7, 8-8, 10-10 सदस्य एक साथ काल के ग्रास बन जाते हैं। ऐसे में हम यदि उनको तत्काल कोई सुविधा उपलब्ध करा सकें, तत्काल मोबाइल यूनिट उपलब्ध करवा सकें, सीकर में कोई अस्पताल ट्रोमा के नाम से हो या कुछ विशेष व्यवस्था उनके लिए हम कर सकें कि एक्सीडेंट्स में पीड़ित लोग वहां पर आकर अपना इलाज करा सकें और जयपुर तक पहुंचते पहुंचते अपना दम नहीं तोड़ें, इसके लिए हमें कुछ विशेष व्यवस्था करनी होगी और सीकर के अस्पताल को आपको स्ट्रैंथन करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी के लेना चाहूंगा कि सीकर का एक आयुर्वेदिक कालेज है जो मैं समझता हूं कि न केवल सीकर का बल्कि राजस्थान में इस आयुर्वेदिक कालेज ने इतने टैलेंटस दिये हैं जो आज केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि बोम्बे में बैठकर भी अपना नाम कमाये हुए हैं। वह इंस्टीट्यूशन जो करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति का है, आज बन्द होने की स्थिति में है। उसके फाइनेंसेज की ऐसी स्थिति बन गयी है कि वह अब अधिक समय तक नहीं चल पाएगा। माननीय मंत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर का जो कालेज है, जिसमें बाह्य और बहिरंग दोनों पेशेंट्स के इलाज होते हैं, जहां पर काफी बड़ी अपनी एक भेषज शाला है, ऐसे अस्पताल को और उससे कनैक्टेड जो कालेज उसका आप अधिग्रहण करें। उसमें यदि किसी तरह की कोई आर्थिक हम पर लाइबिलिटी फिक्स करना चाहेंगे तो हम उसके लिए तत्पर हैं। लेकिन आप ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस का अधिग्रहण करके न

(श्री राजेन्द्र पारीक)

केवल सीकर को बल्कि राजस्थान की पूरी जनता को एक अच्छा लाभ देने की स्थिति में होंगे।

अब माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी के चाहूंगा। पिछड़ी हुई जो बस्तियां हैं वे गांव से दूर-दराज रहती हैं और वहां मात्र एक हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल की समस्या की इतिश्री हम मान लेते हैं। गांव से वे इतनी दूर होती हैं कि वहां पर हम उनकी कोई अलग से व्यवस्था कर नहीं पाते। ऐसे लोगों की बस्तियां पहले तो इन्दिरा आवास कालोनी के नाम से जानी जाती थीं। आजकल, माननीय सभापति महोदय, वह कंसैप्ट तो खतम हो गया। उन बस्तियों को जो आइडेंटिफाइड हैं एस.सी. के नाम से, एस.टी. के नाम से, समाज कल्याण मंत्रालय अपने स्तर पर वहां पर कोई ट्यूबवैल लगवाये, वहां पर कोई जी एल आर बनवाए। साथ-साथ में यह एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो बस्तियां वहां पर आबाद हैं, वे पक्की बस्तियां नहीं हैं, पूर्ण रूप से वहां पर कच्चे घर हैं। माननीय सभापति महोदय, ऐसी बस्तियों में जब आग लग जाती है तो पीछे से कुछ नहीं बचता। राजस्थान सरकार के सहायता के नार्म्स बने हुए हैं कि कच्चे झोंपड़े पर तो 1500 रुपये, टीनशेड पर दो हजार रुपये और पक्के मकान के 2500 रुपये। उस गरीब का पूरा झोंपड़ा जल जाता है, उसका सारा का सारा सामान जल जाता है और हम मानवीय संवेदना भी खो बैठे, हम उसको 1500-2000 रुपये देकर सांत्वना देना चाहते हैं। इसलिए हमें पुनर्विचार करना होगा कि ऐसी बस्ती में जो अग्नि पीड़ित लोग हैं उनको समाज कल्याण विभाग ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा उनको सहायता उपलब्ध कराए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय वृद्धि चन्द जी जैन साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकार की ओर से रिप्लाई का समय फरमा दें, सरकार का उत्तर आने का समय क्या है?

श्री सभापति : दो स्पीकर्स ओर हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कितने बजे?

श्री सभापति : लेटेस्ट 6.30

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, इन्दिरा आवास योजना या और भी, कांग्रेस के जमाने की जो योजना थीं उन सबके नाम ही बदल दिये। जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया, इन्दिरा आवास योजना का नाम बदल दिया। इस सारे मामले में भी सदन में एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा ताकि भारतीय जनता पार्टी की अभी जो सरकार है उसकी भर्त्सना हो। राजस्थान में एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम इन योजनाओं का नाम नहीं बदलेंगे। यह आवश्यक है।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय वृद्धिचन्द जी जैन साहब। प्लीज टाक।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 6.15 बजे सरकार का रिप्लाई? वृद्धिचन्द जी जैन के बाद में?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल ठीक हैं। (व्यवधान) बिलकुल ठीक हैं। हां, ठीक है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : राठौड़ों की थप्पी हमारे लिए, ये है। आज भाग जाग गया हमारा।

श्री सभापति : आप प्लीज, शुरू करें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उत्तर दिलवाया जाए, नहीं तो कौन बैठेगा यहां? फिर तो जिसको बोलना हो कल से वो ही बैठेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, सबसे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मांग पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। जितने भी भाषण हुए हैं, किसी ने भी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में नहीं कहा, किसी ने होम्योपैथी के बारे में नहीं कहा और किसी ने भी योगासन के बारे में नहीं कहा। मैं इस सम्बन्ध में सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, यह सब चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सुन्दर हो। बीमारी आये ही नहीं, यह उपाय होना चाहिए। इस उपाय के लिए हम आज के युग में विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो कोई भी सुबह के समय उठकर वाकिंग का कार्यक्रम रखते हैं, न कोई योगासन करते हैं, न किसी प्रकार से नियमों में अपने आपको ढाल कर अपने शरीर के निर्माण के लिए कोई प्रयास करते हैं। मैं योगासन के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि अब समय कम है, कि डिवीजनल हैड-क्वार्टर पर योगासन के केन्द्र स्थापित होने चाहिए, जिला मुख्यालयों पर प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए। महात्मा गांधी भी प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर देते थे, लेकिन हम प्राकृतिक चिकित्सा को बिलकुल भूल गये हैं, हम योगासन को भूल गये हैं और होम्योपैथी तो आजकल वैज्ञानिक पद्धति है, उस पद्धति के द्वारा भी जिस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए, वह प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। उसके बहुत अच्छे परिणाम रहे हैं। मैं परिणाम बताना चाहता हूं कि बाड़मेर नगर में एक ट्रस्ट की तरफ से एक होम्योपैथी अस्पताल स्थापित किया गया है, बिलकुल फ्री अस्पताल चला रहे हैं, उसके बहुत अच्छे परिणाम रहे हैं, बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि होम्योपैथी चिकित्सालय प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर स्थापित किये जाने चाहिए।

अब मैं राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर की जिस प्रकार की दुर्दशा है, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी मेडीकेयर सोसायटी ने क्या किया है? मरीज का प्रवेश शुल्क 10 रुपये से 22 रुपये बढ़ा दिया गया है। यह बहुत अधिक है इसके बारे में जनता पूरा विरोध करती है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह 10 से 22 रुपये बहुत ज्यादा शुल्क है। उसी तरह एक्स-रे शुल्क 50 रुपये है, ई.सी.जी. शुल्क 25 रुपये है,

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

कॉटेज के लिए भी 50 रुपये बैड है। हमारे जिले में ब्लड-बैंक ही स्थापित नहीं हुआ है, उसकी बहुत ही आवश्यकता है। यह मुख्यालय ऐसा है जिसमें आर.ए.सी. के लोग भी रहते हैं और मिलिट्री के लोग भी प्रयोग करते हैं। बाकी सभी सुविधाएं प्राप्त की हुई हैं, ब्लड बैंक भी जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाए ताकि ब्लड बैंक स्थापित हो। ब्लड बैंक के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं विद्युत के बारे में कि आल्टरनेटिव व्यवस्था के लिए जनरेटर की आवश्यकता है। मेडीकेयर सोसायटी के पास में 20 लाख रुपये डिपोजिट हैं, उनसे निवेदन करके, आठ लाख का प्रोविजन करके जनरेटर की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आल्टरनेटिव व्यवस्था हो और जो व्यवस्था बिगड़ती है उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए।

साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ एक साल से बीमार है। वह बहुत योग्य थी, योग्य है परन्तु वह तो अभी खुद इलाज करा रही है और कोई एक साल और लग सकता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए आप जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें, इसकी बहुत ही आवश्यकता है। वहां तीन लेडी डाक्टर्स हैं उनमें एक तो लेडी डाक्टर बिलकुल पागल है, उसका तो मनोचिकित्सा का इलाज किया जा रहा है। एक लेडी डाक्टर है वह बार-बार जोधपुर जाया करती है और एक लेडी डाक्टर है वह भी सीरियस नहीं है। जिला मुख्यालय मर अच्छे से अच्छे डाक्टर्स भेजे जाएं, इस सम्बन्ध में व्यवस्था करने की आवश्यकता है। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ में चर्म रोग विशेषज्ञ का नया पद स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि चर्म की बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है।

अब बाड़मेर जिला मुख्यालय के बाद में सिवाना क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहता हूं, सिवाना क्षेत्र में भी इस प्रकार की स्थिति है कि वहां जो डाक्टर्स हैं उनमें एक डाक्टर तो सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस करता है ओर दूसरा डाक्टर बिलकुल अनफिट है। बहुत अच्छा रैफरल अस्पताल बनाया हुआ है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं परिवार नियोजन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। परिवार नियोजन के बारे में पहले भा.ज.पा. की पहली बार जब सरकार बनी थी सन् 1977 में, तब इस बिन्दु पर ही उसने विरोध किया था। हमें बहुत खुशी हुई कि भैरोंसिंह जी को सद्बुद्धि आई और उन्होंने इस कार्यक्रम को अपनाया। यह भी बहुत खुशी की बात है कि पूर्व मेडिकल मिनिस्टर भी इस बारे में विशेष रूचि ले रहे थे। परन्तु मैं आपको कह रहा हूं कि इस देश में जब तक कानून को सख्त नहीं बनाएंगे, तब तक यह कार्यक्रम ज्यादा लागू नहीं हो सकेगा। हमें बहुत ठोस कानून बनाना पड़ता, केन्द्र सरकार के द्वारा बनाना पड़ेगा और राजस्थान सरकार द्वारा बनाना पड़ेगा। ठोस कानून नहीं बनाएंगे तो जनता मरने वाली है। आप भले ही कहीं से सुविधाएं देकर इस प्रकार की व्यवस्था कर लें, वे उच्च

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

सुविधाओं से नहीं मानने वाले हैं। आज उन लोगों को किसी प्रकार से सुविधाएं नहीं देकर अगर उनको दबाने की कोशिश करें तो भी वे नहीं मानने वाले हैं, कानून से ही इस देश की जनता मानेगी। चीन की जनसंख्या इतनी है लेकिन वह घट रही है और हमारी संख्या बढ़ रही है। हम चीन से भी आगे बढ़कर इस सम्बन्ध में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाएं।

इसके साथ-साथ समाज कल्याण के बारे में दो बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। समाज कल्याण विभाग के बारे में मुझे कहना यह है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 450 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 675 रुपये किये हैं लेकिन आज 675 रुपये भी बहुत कम पड़ते हैं। 30 रुपये दिन के तो हों, आज 15 रुपये में तो खाना खाएगा ही। तो 900 रुपये अवश्य ही होने चाहिए छात्रों के लिए तब छात्रावास सुचारु रूप से चल सकते हैं अन्यथा छात्रावास सुचारू रूप से नहीं चल सकते। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई है 100 रुपये से 200 रुपये। 100 रुपये कब किये थे? कितने वर्षों पहले किये थे? कितनी महंगाई बढ़ गई है? हम वृद्धों के लिए वर्ष मना रहे हैं और आप बड़ा भारी उपहार दे रहे हैं। यह 200 रुपये के उपहार से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं? करना चाहते हैं तो 500 रुपये प्रति माह करिये, तब तो वृद्धावस्था पेंशन है। उससे उनको कुछ तो सुविधा मिलेगी, अन्यथा कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। इसी भावना से जो इन्होंने मांग प्रस्तुत की है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : अत्यन्त संक्षिप्त, माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : सभापति महोदय, एक मिनट। शरीर के विकास की बात है, योगासन जरूरी है, मैं आपके मार्फत गुरुदेवजी से पूछना चाहता हूँ कि योगासन तो 84 हैं, कौन-कौन से योगासन से शरीर का विकास हो सकता है, यह दो मिनट फरमा दें।

श्री सभापति : विराजें। शार्ट प्लीज। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-33 पर हम चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण। अनुसूचित जाति, जनजाति, पराश्रित, निराश्रित, उपेक्षित, विकलांग, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का कल्याण और जो सदियों से विषमता बनी आई है उसमें समानता लाने के काम करने के लिए सरकार ने दायित्व लिया है। लगभग पचास वर्षों से समाज कल्याण का काम सरकार निरन्तर रूप से करती आई है। गांधीजी का सपना था कि समाज में जो विषमता है वह समानता में परिवर्तित हो। आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे, सभापति महोदय, कि सन् 1990 तक समाज कल्याण के नाम पर, मैं किसी की यहां पर कोई निन्दा करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं तथ्य बता रहा हूं कि सन् 1990 तक समाज कल्याण विभाग के नाम पर लगभग कुछ नहीं हुआ। यह आंकड़े बता रहे हैं...

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : महिला सदन के अन्दर गर्भवती रह गई थी वहां, जब आप मंत्री थे तब। आज समाज कल्याण की बात करते हो।

श्री सभापति : प्लीज, प्रेवोक न करें।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 68 लाख रुपये छात्रावासों पर खर्च किये गये, कुल मिलाकर, आठवीं पंचवर्षीय योजना में 677.73 लाख रुपये खर्च किये गये लगभग दस गुना और नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया था हमने 841.20 लाख का। छात्रवृत्ति को हम देखते हैं तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में 313 लाख, आठवीं पंचवर्षीय योजना में 962 लाख, जो लगभग तिगुना है और नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया 2291 लाख का। ऐसा मैं सारे का सारा बताना नहीं चाहता...

श्री राधेश्याम गंगानगर : सेन्ट्रल गवर्नमैंट ने छह करोड़ रुपये जमा कराये...

श्री सभापति : आप उधर ध्यान मत दें, प्लीज।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, ज्यादा आंकड़े नहीं गिनाना चाहता, मैंने एक बानगी बताई है। अनुसूचित जाति का उत्थान कैसे हो वह कोई चर्चा नहीं। केवल छात्रावास चला कर और 170 रुपये प्रति बालक पर खर्च करके हम उनका उत्थान करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ढाई सौ रुपये से साढ़े चार सौ रुपये प्रति माह हुए। और आगे जाएं तो 170 रुपये से साढ़े चार सौ हुए। अब उन्होंने डेढ़ गुना किया है, मैं समझता हूं, यह बहुत कम है, इसको और बढ़ाना चाहिए था। पब्लिक स्कूलों की तरह गरीब व्यक्ति का बालक शिक्षा प्राप्त करे इसलिए आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना हम लाए और हमने आवासीय विद्यालय खोले। माननीय वित्त मंत्री ने बजट में पढ़ा कि संभाग स्तर पर

(18.24 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आवासीय विद्यालय हम खोलेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जर्मन सहायता से पहले ही हम ला चुके हैं, योजनाओं पर काम होना प्रारम्भ हो गया है और बारह आवासीय विद्यालय इस राजस्थान में खोलने का पहले तय किया जा चुका है। ये अब बजट में क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा कि पचास छात्रावास नये खोलेंगे। जो हम पचास छात्रावास के आर्डर करके आये थे, उनको खुलने नहीं दिया, चालू नहीं होने दिया और इनके बजट में इन्होंने गिना दिया कि पचास छात्रावास नये खोलेंगे। यह भी कहा कि पचास छात्रावास नये बनाएंगे। यह भी गलतबयानी की है। पचास छात्रावास निर्माण की राशि तय हो गई थी, उनको बनने नहीं दिया, एजेंसी नहीं नियुक्त की कि किस को बनाना है...

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आपके पास बजट ही नहीं था तो खोले काहे को? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको भी इसमें गिना दिया। इन्होंने एक काम और किया। काम क्या किया? उस निकले हुए वित्त वर्ष में हम अनुसूचित जाति कल्याण के लिए जो लगभग 13 करोड़ का प्रावधान करके आये थे, इन्होंने बारह करोड़ कर दिया। हम विकलांग कल्याण के लिए, उनको उपकरण सहायता के लिए साढ़े तीन करोड़ का प्रावधान करके आये थे उसको डेढ़ करोड़ कर दिया। यह बहुत अच्छा काम किया। और प्रावधान करके यह कहा कि पन्द्रह हजार लोगों को लाभान्वित करेंगे। यह भी कहा कि हम पांच हजार एक व्यक्ति के ऊपर खर्च करेंगे। मैं तो गिनती पूरी जानता नहीं, इतनी गणित भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने किसी से पूछा था कि यदि पांच हजार रुपये एक व्यक्ति पर खर्च करें तो पन्द्रह हजार लोगों पर कितना खर्च होगा। एक व्यक्ति पर...

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे पढ़ तो लें पहले उस बात को। जो आप फरमा रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है, घोषणा हुई है या तो उसको सुना होता या जो हमारा प्रगति प्रसार गया है उसको पढ़ा होता आपने। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : इनके भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाएं।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आपका भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए। आप कांग्रेस ही कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और कुछ बात करो।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति निगम के माध्यम से हमने एक योजना चलाई थी कि जो अनुसूचित जाति के गरीब बालक हैं उनको पी.ई.टी., पी. एम. टी., आई.आई.टी. की कोचिंग के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता हो, हाई रैपुटेड संस्थान चुनकर सारे का सारा पैसा दिया जाए। एक बालक के ऊपर एवरेज बीस हजार रुपये प्रति वर्ष खर्च करते हैं। परन्तु इस बार कुछ छात्रों को पैसा नहीं दिया गया है, आज तक नहीं मिला है। मेरे पास छात्र आये, कहा कि अनुसूचित जाति निगम के माध्यम से जो आप दो-तीन-चार साल से देते रहे थे वह अब की बार नहीं दिया गया हैं।

श्री रामस्वरूप : पहले तो आपने निहाल नहीं किया छात्रों को और छात्र आ गये आपके पास? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधवा महिलाओं की पुत्रियों की शादी के लिए हम पैसा देते थे। यदि किसी विधवा की पुत्री हो, गरीब हो, उसकी शादी के लिए पांच हजार रुपये देते थे। कोटा जिले में यह सरकार आने के बाद लगभग बंद सा हो गया है, एक नहीं दिया है। विकलांगों के स्वरोजगार की सहायता के लिए जो पैसा था, कोटा जिले में नहीं दिया। कहा, नहीं। जबाव दे रहे थे माननीय मंत्री महोदय यहां, जब मैंने पूछा था कि कितने लोगों को दिया। जोधपुर में तो आश्चर्य करेंगे आप, तीन सौ से ज्यादा

(श्री मदन दिलावर)

विकलांगों की स्वरोजगार सहायता के लिए पैण्डिग है। उसमें क्या किया? पच्चीस लोगों को दिया। विकलांगों के ऊपर अत्याचार करने का प्रयास, उनके कल्याण की योजनाओं को रोकने का प्रयास माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत डींग हांकी बजट में, क्या हांकी कि विकलांगों के कल्याण के लिए बहुत करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, इस राजस्थान में बहुत सारे बालक विमंदित हैं। जिस घर में विमंदित बालक होता है उसके माता-पिता से पूछिए, उसकी क्या हालत होती है, वह कैसे रहता है, कितनी मानसिक वेदना रहती है। उसके लिए इसमें कुछ नहीं किया गया। हमने मानसिक विमंदित बच्चों की पढ़ाई हो इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से विमंदितों का सरकार की तरफ से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान चलाया, लोगों को ट्रेनिंग देकर शिक्षक बनाया। और आगे चाहते थे कि हम विमंदित बालकों को शिक्षा देने के लिए विद्यालय खोलें लेकिन बजट में उसके लिए कुछ नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं किया।...

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीच में एक बहुत जबरदस्त बात रुकी हुई है इसलिए...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, विकलांगों की बात गलत लगती है... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : विमंदित बालिका के साथ बलात्कार हुआ और आपने होस्टल में रहने की जगह नहीं दी आपके मंत्री कार्यकाल में, अब भाषण दे रहे हो यहां पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां वेटरिनरी कालेज...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जब सभापति जी को यहां भेजा था तो उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था चेयर से कि सवा 6 बजे या साढ़े 6 बजे तक के बीच में डिबेट बंद करा देंगे और मंत्री जी का उत्तर आ जाएगा। कृपा करके...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करा रहे हैं, जल्दी करा रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, विकलांग... (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, ये असत्य भाषण दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप और टाइम खराब कर रहे हैं तो और लेट होंगे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : नहीं-नहीं, असत्य भाषण देने से क्या फायदा, साहब?

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलने दें न इनको और देर कर रहे हो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : ये माननीय सदस्य तो असत्य भाषण देते हैं कहते हैं कि मेरे को गणित नहीं आती है। डिप्लोमा इन्होंने किया है और इन्हें गणित नहीं आती है, यह कैसे हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इनको समाप्त करने दीजिये न।

श्री रामस्वरूप : जब गणित ही नहीं जानते तो क्या भाषण देंगे?

श्री छोगाराम बाकोलिया : डिप्लोमा पास हैं और कहते हैं कि गणित नही आती है, इंजीनियरिंग कैसे की है?

श्री रामस्वरूप : मंत्री कैसे रहे ये, इनको तो भगवान ही मालिक है(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा बनाये हुए छात्रावास ऐसे ही खाली पड़े हैं, चार महीने हो गये (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प-संख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, पत्रकार बन्धु ऐसे सब लोगों को कम ब्याज दर पर लोन देने के लिए ताकि वे अपना स्वरोजगार चला सकें, सात करोड़ की गारंटी सरकार ने दी और बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री मदन दिलावर : मैं कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ किया, समाज कल्याण विभाग में सुधार के लिए बहुत प्रयत्न किये। छात्रावासों की स्थिति में इतना परिवर्तन किया है कि जहां बोर्ड की परीक्षा में रिजल्ट 30-25 प्रतिशत रहता था वह 65-70 प्रतिशत गया है। आवासीय विद्यालय का रिजल्ट आप देखेंगे तो सौ प्रतिशत प्रथम श्रेणी में बच्चे पास हुए है। प्रथम श्रेणी में आश्चर्य करेंगे आप सौ प्रतिशत। आप अटरू का रिजल्ट उठाकर देख लीजिये, आप टौंक का रिजल्ट उठाकर देख लीजिये, आप एक-एक छात्रावास का रिजल्ट उठा कर देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य माननीय चिकित्सा मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : आपका रिजल्ट क्या रहा? कितने प्रतिशत में पास हुए हो?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा चिकित्सा के बारे में बोलना चाहता हूं, दो मिनट और दें। खानपुर में पीलिया जबरदस्त सांप की तरह फन फैला चुका है। मैं हो करके आया हूं। ढाई हजार रोगी के खानपुर के आस-पास और खानपुर में हैं। गंदा पानी पिलाया जा रहा है और....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री मदन दिलावर : मांस के लोथड़े नलों के द्वारा आ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गन्दी नालियां भरी हुई हैं, पाइप लाइन बंद पड़ी हुई हैं, सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : वह आपके शासनकाल की बात है। आपके शासन की बात है वह, अभी तो उसका इलाज किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये । अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए। XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा फिर क्या फायदा?

श्री मदन दिलावर : XXX

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी, अब समाप्त कीजिये आप।

श्री मदन दिलावर : XXX

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चिकित्सा मंत्री जी ।

श्री अमीन खान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके मुख्य सचेतक ने जो लिस्ट दी है उसके अनुसार बुलाते हैं, मेरा उसमें कोई लेना-देना नहीं है।

श्री अमीन खान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री अमीन खान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपके मुख्य सचेतक जी लिस्ट देते हैं उसके अनुसार बुलाते हैं।

श्री अमीन खान : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री भंवरू खान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपके मुख्य सचेतक जो निर्देश देते हैं उसके अनुसार बुलाते हैं।

श्री अमीन खान : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री ज्ञान चन्द पारख : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए। आर्डर प्लीज। सुनिये आप।

श्री ज्ञान चन्द पारख : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप नीचे बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ज्ञान चन्द पारख : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, आप सुनिये, आपके मुख्य सचेतक जी जो लिस्ट देते हैं उसके अनुसार माननीय सदस्यों को बुलाया जाता है, उनका टाइम निर्धारित है। जिनका नाम है उनको सबको बुलाते हैं। उसके बाद माननीय सभापति जी ने साढ़े 6 बजे माननीय मंत्री जी का वक्तव्य देने की बात कही है। साढ़े 6 बजे ऊपर सात मिनट निकल गये इसलिए अब कोई नहीं बोलेगा। माननीय मंत्री जी, अब आप शुरू करें।

श्री अमीन खान (शिव) : नहीं- नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? ये बीच में जो बोलते हैं अनधिकृत उनको तो मना नहीं करते हैं। नहीं, मैं एक मिनट में अपनी बात कहूंगा। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा।

एक माननीय सदस्य : हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री अमीन खान : मैं मेरी बात कहे बिना नहीं बैठूंगा। कल भी आपने बोलने का मौका नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। (व्यवधान)...

श्री ज्ञान चन्द पारख : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य सचेतक की सूची है उसमें मेरा नाम है बोलने में ।

श्री अमीन खान : ... (व्यवधान)... हमको मत दीजिये, उनको दीजिये। आप यों तो टांग अड़ाते हो। जब दो घंटे चला दिये जाएं अनधिकृत बहस में उसको तो टाइम खराब नहीं समझते हो ओर हम एक सैकिण्ड में अपनी बात खतम करना चाहते हैं उनको आप कह रहे हो कि नहीं बोलेंगे। यह कोई तरीका है कि नहीं बोलेंगे?

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कहीं भी होम्योपैथी की कोई...

श्री ज्ञान चन्द पारख : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा भी नाम सूची में है।

श्री श्रवण कुमार :....डिस्पैंसरी है न कोई हॉस्पिटल है। आज होम्योपैथिक इलाज एक ऐसा इलाज है जिसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि एलोपैथिक दवा ले लेकर लोगों के गुर्दे खराब हो गये, हार्ट खराब हो गया और हर तरह से आदमी बीमार होता है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये-बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : नम्बर दो, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, राजस्थान में मैंने देखा कि आर.एम.पी. के हकीम खुले में बैठे हैं जिन लोगों ने अच्छे-अच्छे नौजवानों की मौत कर दी। आंखों के ऐसे आर.एम.पी. बैठे हैं जिन्होंने लोगों को अन्धा कर दिया है। आपको बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में मिलिटरी से आये हुए कम्पाउंडरों ने डाक्टरी शुरू कर दी है। इस बात से आप चिन्तित नहीं हो क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री श्रवण कुमार : आप देखिए, राजस्थान में अभी पांच हजार आर.एम.पी. बैठे हैं फर्जी सर्टीफिकेट लेकर, उन पर आपका कोई अंकुश नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन को कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए। ऐसे जो लोग पकड़े जाएं उनको दंडित किया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि झुंझुनूं जिले में न तो कोई दांतों का हास्पिटल है न कोई आंखों का अस्पताल है। झुंझुनूं जैसे महत्वपूर्ण...

श्री अमीन खान : अनधिकृत बोलते हैं उनको तो आप...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, आपको भी बुलाएंगे बैठिये।

श्री अमीन खान : मैं मेरी बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आ गई न आपकी बात।

श्री अमीन खान : नहीं, मेरी बात कहूंगा। (व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार : मेरे चिड़ावा के अन्दर मुर्दाखाना नहीं है। एक दिन रात को एक मुर्दे को कुत्ता ले गया घसीट कर। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है और कहने नहीं दे रहे हैं आप। चिड़ावा कितना बड़ा क्षेत्र है जिसके अन्दर कोई मुर्दाखाना नहीं है। एक दिन रात को एक मुर्दा कुत्ता ले गया, इससे बड़ी दु:ख की बात नहीं हो सकती। (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य अल्पसंख्यक जो बोल रहे हैं, वे मुख्य सचेतक जी से नाराज होकर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ... (व्यवधान) ... एक मैंबर तो गया नाराज होकर, आप लोग उनको रोक ही नहीं पाये।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अपनी विशेष बात कहना चाहते थे उनको आपने अलाउ नहीं किया। हमारे बाड़मेर जिले का एक ही बहुत...

श्री उपाध्यक्ष : अलाउ कर रहे हैं, वे बाहर चले गये तो मैं क्या करूं?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ... अनुभवी व्यक्ति है, उस अनुभवी व्यक्ति को आपने बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप रुकें तो अलाउ करें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जो सक्षम है जिले की बात करने के लिए, महत्वपूर्ण बात करने के लिए, वे तैयार थे...

श्री ज्ञान चन्द पारख : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा नाम भी बोलने वालों की सूची में है पर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्री ज्ञान चन्द पारख : आप मुझे दो मिनट का मौका दें। माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे दो मिनट का मौका दें आप, मेरा नाम भी बोलने वालों की सूची में है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): ... आपने अंकित नहीं करवाया, फिर बोलने का क्या फायदा हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के सर्वोच्च सदन में मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई जैसे महत्वपूर्ण ओर जनसेवा से जुड़े हुए विभाग के सम्बन्ध में करीब 13 माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किये। यह एक संयोग की बात है कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और यह पहला मौका होगा मेरी जानकारी में कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर यह सदन चिकित्सा पर चर्चा कर रहा है। वे सभी सदस्य जिन्होंने इस सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं, उनके सुझावों से निश्चित रूप से हम राजस्थान की जनता की और ज्यादा सेवा कर सकेंगे। जो कमियां उन्होंने बताई हैं उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उन कटौती प्रस्तावों के उत्तर मैं सभी के पास भिजवा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आप सभी जानते हैं, मुझे जब इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई तब मैंने बहुत ही अल्प समय में अपने विभाग की बैठक की, कुछ हास्पिटल्स का निरीक्षण किया। उसके बाद मैंने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया, वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया कि अस्पतालों की स्थिति पैसे के अभाव में बड़ी दयनीय है। हमारे अस्पतालों के भवनों की मरम्मत नहीं हो पा रही है और हमारे जो नर्सिंग और टैक्निकल स्टाफ के पद हैं वे लम्बे समय से खाली हैं। आज जो हमारी मशीनें हैं उनको चलाने के लिये हमारे पास स्टाफ नहीं है। इस बात का भी मैंने अनुरोध किया कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वह मेडिसिन गरीबों को पूरी नहीं मिल पाती, इसलिए मेडिसिन बढ़ाई जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसकी यहां लगभग सभी माननीय सदस्यों ने तारीफ की है और पूर्व चिकित्सा मंत्री जी ने भी अपने संबोधन में इस बात को कहा है। आज जब हम 2400 से 4800 रुपये का इसमें प्रस्ताव करते हैं, आज हमारे जो 20 हास्पिटल हैं उसमें थिएटर के लिए 10 लाख रुपये का प्रस्ताव करते हैं, गरीब के भोजन की व्यवस्था में 10 से 20 रुपये की वृद्धि करते हैं तो इसके पीछे हमारी भावना है। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने विभाग की बैठक ली तब मैंने यह पहला प्रश्न किया था कि गरीब आदमी को जो हम दवा देते हैं उसका आधार क्या है दवा देने का? यह कैसे आप तय करते हैं कि कौन गरीब है और कौन अमीर है? उपाध्यक्ष महोदय, जो अभिनव प्रयोग और योजना हमने प्रस्तावित की है राजस्थान में, उसमें यह कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं राजस्थान सरकार उनको

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इस बात की हमने इस बजट में भी व्यवस्था की है। इसका आधार तय करने के लिये हमने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के मेडिकल कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं इस बात को...(व्यवधान)आप तो सब जानते हैं, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य।

जिस तरह के हालात हैं, कई माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें यहां पर कही हैं। सबसे ज्यादा चिन्ता की बात बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही जो सबसे पहले हमारे स्पीकर थे यहं पर। वे चिकित्सा जगत से जुड़े हुए रहे हैं और आज इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जो महत्वपूर्ण बहस इस सदन में चली उसमें उनकी ओपनिंग स्पीच थी। उन्होंने बहुत शानदार और अच्छे सुझाव दिये। आज वास्तव में हमारे लिये यह चिन्ता का विषय है। हमारे जो 6 मेडिकल कालेज हैं उनमें एस.एम.एस. को हम राजस्थान का मस्तक कहते हैं जिसमें दूसरे प्रान्तों से भी इलाज कराने के लिये आते हैं। आज हमारे सामने यह समस्या है कि हमारा नौजवान जब मेडिकल कालेज में भर्ती होता है तो वह यह देखता है कि मुझे कौनसे विषय में पी.जी. करना है। पी.जी. करने के लिए उसका जो आधार रहता है वह रहता है कामर्शियल। आज अनॉटॉमी और फीजियोलोजी के जो पद खाली हैं उनकी बहुत लम्बी संख्या है इसमें। 11 पद अनॉटॉमी में खाली हैं, रेडियो फीजियोलोजी में 2 हैं, 14 बायोकैमिस्ट्री में हैं, फीजियोलोजी में 15 पोस्टें खाली हैं, बहुत सारे पद खाली हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को इस पर गंभीर चिंतन करना पड़ेगा, यदि हमारे मेडिकल कालेज आज डीनैकग्नाइज हो जाते हैं और हमारा स्टाफ उसमें नहीं रहेगा तो यह हमारे सब के लिये बहुत शर्म की बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, में निवेदन करना चाहता हूं कोटा मेडिकल कालेज के जो हालात हैं, वहां पर पदों की भारी कमी है। अभी खानपुर की जो दुखान्तिका हुई थी उसमें मुख्य मंत्रीजी ने हमें वहां भेजा था, तब मैंने कोटा में कोटा मेडिकल कालेज के बारे में चर्चा की थी। हम सबको मिलकर चिन्ता करनी पड़ेगी, यह किसी के ऊपर दोषारोपण और आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हम सही मन से, सही भावना से चिकित्सा सेवा में सुधार करना चाहते हैं। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात भी कही कि चिकित्सक नियुक्त हुए हैं पर वे हास्पिटल में नहीं आते हैं, वे अपने घर पर प्रैक्टिस करते हैं। मैंने इस बात को महसूस किया और निर्णय लिया कि मैं स्वयं इस स्थिति को ठीक करने का प्रयास करूंगा। मैंने पहले दिन से सडन चैकिंग प्रारम्भ की। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं 7 तारीख को अलवर गया था तो मैंने विराट नगर के हास्पिटल की सरप्राइज चैकिंग की। वहां पर मैंने दो डाक्टर्स को और दो नर्सिंग स्टाफ मैम्बर को एब्सैंट होने के कारण वहीं निलम्बित किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवाई भी गया था, 12 तारीख

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

को कोटा जा रहा था तो मैंने वहां पर भी चैक किया। जयपुर हमारी गुलाबी नगरी है, जहां पर हमारा डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल कांवटिया हास्पिटल है, जिसमें डेढ़ सौ बैड हैं, जिसमें भारी संख्या में चिकित्सकों की तैनातगी की हुई है, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं वहां पर चैक करने के लिए 8.10 बजे पहुंचा तो लगभग 25 डाक्टर्स वहां पर एब्सैंट थे। पी.एम.ओ. स्वयं वहां से एब्सैंट थीं और उसने लॉक में अपना रजिस्टर बन्द कर रखा था। मैंने उसी समय उसका ट्रांसफर किया और उसको धौलपुर भेज दिया। आप जयपुर में रहना चाहते हैं और समय पर चिकित्सा सेवा भी नहीं देना चाहते हैं तो आपको जयपुर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं मेरे दिल से कहना चाहता हूं। यहां मीट द प्रेस हुई थी, पत्रकार साथियों ने मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करना चाहता हूं, पर मेरा हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन है, विनती है कि इस सुधार कार्यक्रम में यदि मेरे सामने कोई आ जाएगा तो आप उसकी सिफारिश करने के लिये मेरे पास नहीं आएंगे। यही मदद मैं आपसे भी और सदन से भी चाहता हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि जब तक ऊपर से इस तरह की व्यवस्था शुरू नहीं होगी, नीचे से व्यवस्था ठीक नहीं होगी।

आज लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, उपाध्यक्ष महोदय। मैं उस ध्यानाकर्षण को पढ़ा तो मेरी आंखों में पानी आ गया। मुझे किसी ने नहीं देखा। किस तरह से दो डाक्टर्स ने सुनियोजित तरीके से पैसा लूटने की नीयत से एक महिला की डिलीवरी नहीं करायी और अल्टीमेटली उसकी डैथ हो गयी रात को। डैथ होने के बाद में उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई। जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह बात मेरे सामने आयी तो मैंने उसी समय यह निर्णय लिया कि ऐसे चिकित्सक को सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने निलम्बित किया उन दोनो डाक्टर्स को। यह कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां डिस्कस नहीं हो रहा है पर मैं बता रहा हूं कि मेरे सामने आया है, मैंने उसको किया है। इसमें कोई किसी के दोषारोपण की बात नहीं है, यह समाज सेवा से जुड़ा हुआ विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के हालात बने हुए हैं कि हमारे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर जाना नहीं चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वे शहर में रहना चाहते हैं। हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि किस तरह से उनको सेवा में लिया जाए तथा ग्रामीण सेवा की अवधि उनके लिए निर्धारित की जाए, अनिवार्य की जाए। उसमें भी मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि एस.एम.एस. में हमारी सी.टी. स्कैन हो जाती है 24 घंटे। बात बिलकुल ठीक कही थी। जब मैं जोधपुर मेडिकल कालेज के मथुरादास माथुर हास्पिटल में गया तो मैंने सी.टी. स्कैन के बारे में पूछा कि आप

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

कितना करते हैं। तो मुझे बताया गया कि एवरेज 15 से 18 के बीच में हमारे सी.टी. स्केन होते हैं और दो बजे के बाद बन्द हो जाते हैं। मैने कहा, इसका क्या कारण है? आप जानते हैं कितनी भारी कीमत की यह मशीन है? उसका कारण सिर्फ यह था, उपाध्यक्ष महोदय, कि उसमें पद नहीं था, हमारे पास टैक्निशियन नहीं हैं, चलाने वाला दो बजे घर चला जाता है। मैंने उसी समय प्रिंसिपल मेडिकल कालेज को निर्देश दिये, उसके बाद मेरे विभाग की मीटिंग में निर्देश दिये कि जितने पद आपको चाहिए आप मुझे दीजिये, मैं मुख्य मंत्री जी से हाथ जोड़ूंगा और निवेदन करूंगा, वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा, उन सारे पदों को लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि वे सारे पद मैंने स्वीकृत करवाये है पहली दफा इसी बार, ताकि हमारी मशीन 24 घंटे चल सके, उसका उपयोग हो सके, उसका लाभ जनता को मिल सके।

इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, आज नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी की बात है। हम मानते हैं हम इस बात को, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आज हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति बहुत ही संकट के अन्दर है। आर्थिक स्थिति पर हमारा श्वेत पत्र जारी हो चुका है, सबके सामने है, उसके बावजूद किन विपरीत परिस्थितिंयों में इस बजट को पेश किया गया है और उसमें भी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कितना ध्यान रखा गया है, कितनी संवेदनशीलता इस बजट के अन्दर दिखती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की स्थितियां हैं, एक तरफ तो हम हमारी स्पेशलिटीज को बढ़ाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमको चिन्ता उस गरीब की भी है जो बहुत दूर पैदल चलकर अस्पताल आता है फिर भी उसको एक टैबलेट नहीं मिलती है। लेकिन आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे प्रदेश के अन्दर आज चिकित्सा क्षेत्र में पदों की कमी है। जैसा मैंने मेडिकल कालेजेज के बारे में आपसे निवेदन किया उसी तरह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे स्पेशल डाक्टर्स हैं एस.एस. और जे. एस. जिनको बोलते हैं उनकी कमी है। इसी तरह से मेडिकल आफिसर्स की कमी है। अभी हमने लगभग ढाई सौ मेडिकल आफिसर्स एडहॉक के ऊपर अपाइंट करने के निर्देश दिये हैं बाड़मेर से आने वाले सदस्य की व्यथा बिलकुल सही थी। मैं स्वयं बाड़मेर गया था, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वहां देखा। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, शिव से आने वाले माननीय सदस्य और चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य भी वहीं थे। हालात इस तरह के है, उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां पर हमने 13 डाक्टर्स को एडहॉक करने की बात की थी, वहां 5 डाक्टर ही आये। उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर अवेलेबल नहीं हैं। स्पेशलिटी की बात करें तो न्यूरो सर्जरी आज सबसे इम्पोर्टेंट सब्जैक्ट हो चुका है। जिस तरह से हाई वैलोसिटी ट्रैफिक चल रहा है और जो एक्सीडैंट हो रहे हैं उससे मल्टीपल फ्रैक्चर्स बॉडी में होते हैं, आप आर्थेपैडिक वार्ड में जाकर देख लीजिये। पहले तो एक आदमी फिसल कर गिरता था, एक जगह फ्रैक्चर

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

होता था, अब बॉडी में 20 फ्रैक्चर होते हैं। आपकी हैड इंजरी कम्पलसरी है, उसमें हैड एंजरी होगी ही। डाक्टर्स की स्थिति यह है, मैं जोधपुर का आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि केवल एक डाक्टर भार्गव न्यूरो सर्जन हैं जो राउण्ड द क्लॉक आपरेशन करते हैं। एक आपरेशन में ढाई घंटे लगते हैं, लगभग ढाई-तीन घंटे हैड इंजरी के आपरेशन में लगते हैं। हमारे पास न्यूरो सर्जन नहीं हैं हम लाएं कहां से? आज इस बात की पीड़ा हमको है। हम चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे पास डाक्टर्स अवेलेबल हों। ऐसी बात नहीं है कि डाक्टर्स अवेलेबल हैं और हम उनकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। हमने उदाहरण दिया, आपने एडहॉक के लिए हमको कहा है पर हमको मिल नहीं रहे हैं। आज स्थिति को हमको समझने की जरूरत है, कोई दोषरोपण की बात नहीं है।

एक तरफ प्रमोशंस की बात है, उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला कर दिया, उच्च न्यायालय के फैसले से कन्फ्यूजन पैदा हो गया। जो हमारे 87 के रूल्स बने हुए थे उसके आधार पर हमने प्रमोशन किये थे, अब उस कंफ्यूजन के हिसाब से 83 के हिसाब से इसको शामिल कर लिया गया। हम उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अन्दर गये हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से यह परमीशन चाहते हैं। हमने अपील की है स्टेट की तरफ से। साथ साथ हम दूसरे नियम भी बना रहे हैं कि जितना जल्दी हम पदोन्नति कर सकें करें। वह अलग से कार्यवाही कर रहे हैं। इस बात को हम समझते हैं।

आज जिस तरह की बीमारियां फैलने की बात है, सभी जानते हैं कि मौसमी बीमारियां आती हैं। जिस तरह से खानपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा, वहां पर 1996 के अन्दर भी जांडिस का एपिसोड हुआ था, करीब 196 या दो सौ पेशेंट्स आये थे। जब मैंने यह विभाग सम्भाला था उसी समय मैंने निर्देश दिया था कि आप सभी सी.एम.एच.ओज. रोज तो चैक करते ही हैं, पर न्यूज पेपर्स में भी जब मेडिकल डिपार्टमैंटस से सम्बन्धित कोई भी खबर आए उसके बारे में भी अविलम्ब जांच करके कार्यवाही करें। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सारी कार्यवाही चल रही थी, 12-13 तारीख को मेडिकल डिपार्टमैंट की टीमें बनकर वहां पर चली गयीं। उसके बाद में जब मुझे जानकारी मिली, 22 तारीख को मैंने अखबार में पढ़ा जयपुर में, उसी समय मैंने हैल्थ सैक्रेटरी को टेलीफोन किया कि आप इमीजिएटली कोटा मेडिकल टीम भेजिये, जयपुर से वहां पर टीम भेजिए और पता कीजिए कि स्थिति क्या है। मुख्य मंत्रीजी ने उसी समय मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद हमको मौके पर भेजा। हम उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर गये। वहां के हालात कस्बे की बसावट, जिस तरह से बीच में से नाला निकलता है, नाले में ब्लाकेज हैं, ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम है, सारे हालात हमार सामने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल डिपार्टमैंट की जिम्मेदारी तो जब आती है जब रिपोर्ट होती है तब यह पता करते हैं कि यह बीमारी कैसे हुई।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

प्रोफेसर, मेडिकल कालेज रूपराय जी वहां पर गये हैड आफ डिपार्टमैंट, उन्होंने भी यह रिपोर्ट दी। बड़ी दुःखद बात है कि हमारे तीन पेशेंट्स को उस कारण से मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। लगभग 500 पेशेंट्स वहां पर पीलिया के आये, ढाई सौ के करीब रिकवरी हो गयी है, और रिकवरी चल रही है। मैंने उपाध्यक्ष महोदय, उसी समय निर्देश दिये कि सब को मुफ्त चिकित्सा मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने हमको कहा कि, साहब, यहां पैसे लिये जा रहे हैं, तो कुछ पढ़े-लिखे आदमी भी साथ थे और भी लोग साथ थे, मैंने एक-एक पेशेन्टस से पूछा जो बैड के ऊपर लेटा हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा, भाई आपसे पैसे लिये जा रहे हैं? आपको दवाई मुफ्त दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? आपकी केयर हो रही है कि नहीं? उन्होंने कहा कि, साहब, यह बिलकुल गलत बात है, हमको पहले दिन से ही दवाई मुफ्त दी जा रही है और हमारी पूरी केयर हो रही है।

(19.00 बजे)

किसी भी पेशेन्ट ने इस बात को लेकर के वहां कम्प्लेंट नहीं की क्योंकि छुप कर काम हमने नहीं किया था। सभी लोग मौजूद थे, सबके सामने मैंने एक-एक पेशेन्ट से पूछा। हम किसी को बचाना नहीं चाहते। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, उनको बख्शेंगे नहीं, इसमें कोई दो-राय नहीं है। परन्तु देखने की बात यह है कि बात सही होनी चाहिए। हमने मौके के ऊपर यह बात कहीं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। सभी माननीय सदस्यों के बहुत सारे सुझाव आये हैं। हास्पिटल खोलने की मांगे भी हैं। यह सुझाव भी आया है कि और खोल दिये जाएं, मापदण्ड तय नहीं हैं। मापदण्ड तय हैं। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि उनके कोई मापदण्ड हैं कि नहीं हैं। मापदण्ड तय किया हुआ है और मापदण्ड के अनुसार सारे खुल चुके हैं। पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी जानते हैं। क्योंकि हमारे रेगिस्तानी इलाकों में हमारे ट्राइबल एरिये के अन्दर बहुत दूर-दूर तक लोग बसे हुए रहते हैं। इस आधार पर इस में प्रावधान रखा हुआ है। इसके अलावा जिस तरह की चिकित्सा जगत में सुधार की आवश्यकता है, यह कोई पर्याप्त बजट नहीं है। पर यह बात जरूर है कि बिल्डिंग्स खराब थीं, उनकी रिपयेर का पैसा पहली बार मिला है। बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपनी बात कही, सभी इस पीड़ा से वाकिफ हैं। इसलिये यह किसी भी रूप में हम नहीं कह सकते हैं कि यह बजट पूरा संतुष्टि की ओर है। हम प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, और हमारे सीमित साधनों के बावजूद जिस तरह का बजट पेश किया गया है वह आपके सामने है।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य मंत्रीजी ने निर्णय लिया है, जो माननीय सदस्यों ने यहां पर चर्चा की वह चर्चा की। है एक तो ब्लाइंडनेस की, एक टी.वी. की, जो विश्व की त्रासदी बना हुआ है और

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

डब्ल्यू.एच.ओ. ने जिसे महामारी डिक्लेयर किया है। आज राजस्थान में हर साल 30 हजार व्यक्ति टीबी से मरते हैं और एक टीबी का रोगी 40 नये रोगी पैदा करता है। उपाध्यक्ष महोदय, टीबी, लैप्रोसी और ब्लाइंडनैस इन तीनों बीमारियों को लेकर मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये और इस अभियान को हमने चलाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो सबसे बैकवर्ड एरिया है, जहां पर लिट्रेसी कम है, वहां पर ये बीमारियां ज्यादा हैं। बाड़मेर जिले का मैंने चयन किया। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य और चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य, सभी वहां मौजूद थे। उस अभियान की शुरूआत हमने सरकार की ओर से इसलिए की कि हम उस ओर ध्यान देना चाहते हैं। उसमें हमारे मेडिकल डिपार्टमैंट का वर्कर एक-एक गांव में जाएगा, उसका सर्वे करेगा। जिसको टीबी होगी उसको लाल कार्ड दिया जाएगा, जिसको लैप्रोसी होगी उसको पीला कार्ड दिया जाएगा और जिसको ब्लाइंडनैस होगी उसको हरा कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद में वह सम्बन्धित पी.एच.सी. जो उसके नजदीक है, उस कार्ड को ले जाकर वहां से ट्रीटमैंट लेगा। हमने इसमें एक और विशेष व्यवस्था की है कि वह कार्ड लेकर जब वहां जाएगा, जब मेडिकल आफिसर उसकी जांच करके उसको ट्रीटमैंट देगा तो उसको मुफ्त में चिकित्सा, दवाई दी जाएगी। हमने उसमें एक और व्यवस्था की है जो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। वह व्यवस्था यह है कि जिस दिन उसकी दवाई का टाइम होगा यदि वह पेशेन्ट दवाई लेने नहीं आएगा तो उसको दवाई देने के लिये हमारा मेडिकल वर्कर उसके घर जाकर उसको मेडिसिन देगा। यह व्यवस्था भी हमने की है। हम चाहते हैं कि हम चिकित्सा सेवाएं जनता तक पहुंचाएं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय, अस्पतालों में आप तो दवाई देने की बात कर रहे हैं, पैसा लेने के बावजूद भी दवा नहीं देते हैं। यह हालत है आज वहां पर। सीकर का सांवरिया हास्पिटल जो टीबी का हास्पिटल है, उसके लिये आपने काफी पैसा दिया है। उसका मैं आपसे निवेदन करूं कि पूर्व में गवर्नमैंट की तरफ से सौ बेड की जो सहायता मिलती है उसमें भी हमेशा कम पैसा दिया है। अब आपने 50 बैड बढ़ाये हैं उसके लिये तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन आप सुनिश्चित करें। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर आपके जो हास्पिटल हैं उनमें दवा टाइम पर मिलती नहीं है और दवा आती है तो भी पूरी दवाइयां नहीं आतीं, पेशेंट उसके लिये दर-दर भटकते रहते हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, बजट के अन्दर हमारे प्रस्ताव में यही बात झलक रही है, हमने इस ओर ही ध्यान देने की बात कही है। जो बात उन्होंने कही है मैंने पहली बैठक में इसी बात के ऊपर जोर दिया था, मेडिसिन के ऊपर। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमने यह प्रयास किया, हम चाहते हैं कि वह सुविधा सबको मिले। एक बात और

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कही। वह यह कही कि मेडिसिंन्स दी जानी चाहिए और वह लिखी जानी चाहिए। मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं और इस सन्दर्भ में मैंने पहले से ही यह निर्देश दे दिये हैं कि नागरिक अधिकार पत्र मेडिकल डिपार्टमैंट जारी करेगा और हर हास्पिटल के बाहर नेम-प्लेट होगी, उसमें मेडिसिन लिखी जाएगी। उस हास्पिटल को, उस चिकित्सा केन्द्र को उन मेडिसिंस को देना पड़ेगा, यह व्यवस्था हमने की है। इस सन्दर्भ में मैंने निर्देश दे दिये हैं, जो आपने कहा है, पहले से दे दिये हैं। यह बात बिलकुल सही है कि पेशेण्ट को यह पता होना चाहिए, जो हास्पिटल में आता है, कि हास्पिटल में कौनसी मेडिसिन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि डाक्टर्स देते नहीं है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात कही कि हास्पिटल के बाहर दवाइयां बेची जाती हैं। बात सही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और हमने विचार किया। अभी तक दवाइयों की डिस्ट्रिक्ट सी.एम.एच.ओ. के स्तर पर जिस तरह से खरीद होती थी उस पर हमने विचार किया। उसमें हमने देखा है कि जिस तरह के ओ.पी.डी. के पेशेण्टस आते हैं, जिस तरह के इन्डोर पेशेण्टस हैं, उन्हें जिन मेडिसिंस की जरूरत है वह नहीं खरीदकर दूसरी मेडिसिंस भारी तादाद में खरीद ली जाती हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वे क्यों खरीदी जाती हैं या वह सामग्री क्यों खरीदी गयी, उसका उपयोग नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमने यह विचार किया कि इसके अन्दर हम परिवर्तन करना चाहते हैं। हम तमाम डिस्ट्रिक्ट से उनकी रिक्वायर-मैंटस मंगवाएंगे। उनके जो ओ.पी.डी. है उनकी जो डिमाण्ड्स हैं उसके आधार पर जो परचेज है उसके अन्दर हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उस नीति में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। उसके पीछे मकसद केवल यह है कि सही मेडिसिन जितनी जरूरत हो उतनी उस हास्पिटल में मिलनी चाहिए, वहां पहुंचनी चाहिए। नहीं तो इस तरह के हालात बन गये कि एक ओंइटमैंट खरीद लिया गया ढेर सारा या बैण्डेज खरीद ली गयी या और कोई एक ही तरह की मेडिसिन खरीद ली गयी। इस के बारे में हमने विचार किया है और यह सोचा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष का, सभी माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे। जो बहुत ही गम्भीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं उन्हें उसके अनुसार सहायता देने की बात है। उसमें ढाई करोड़ का प्रावधान किया गया है। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार से भी हमें उतनी की उतनी सहायता मिले। कल चिकित्सा मंत्रियों का सम्मेलन है, मैं उसमें इस बात को उठाऊंगा।

जिस तरह से मेडिकल रिलीफ कार्ड की बात है, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, बात बिलकुल सामने आयी है बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक बात कही है कि आज वह पैसा सरकार के पास नहीं आ रहा है। वह पैसा हास्पिटल

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

के विकास के लिये है। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि ब्लड जो लिया जाता है उसका चार्ज नहीं लिया जाए। तो जब एक नीति की हमने घोषणा कर दी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी तो उसमें ब्लड भी उनको मुफ्त दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई कण्ट्रोवर्सी की बात नहीं है, एक-दूसरे के ऊपर आरोप और दोषारोपण की बात नहीं है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बैठे-बैठे कुछ बातें कहीं। उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में जो रेट्स हैं उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, ये तो आदत से लाचार हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कोई बात नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले दिन हाउस यहां पर आहूत हुआ था तब अखबार में मैंने यह पढ़ा कि सत्ता पक्ष एक रणनीति बना रहा है। वह रणनीति बना रहा है एस.एम.एस. में जो रक्त के चार्जेज शुरू किये गये हैं उसको लेकर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिना किसी आरोप और दोषारोपण के इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां यह प्रस्ताव आया कि सौ रूपये ब्लड के टैस्ट के गवर्नमैंट हास्पिटल से लिये जाएं और दो सौ रुपये प्राइवेट हास्पिटल से लिए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था पब्लिक लिटिगेशन पर 1996 में। उसके आधार पर यह निर्णय नहीं लिया गया। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अच्छी बात है। लेकिन यह निर्णय बाद में आया। उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसिल आफ इंडिया का पत्र आया। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य जब चिकित्सा मंत्री थे, तब उन्होंने एक महीने पूर्व ही यह निर्णय ले लिया था और तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य को इसकी जानकारी थी, उन्होंने यह बताया भी था। 17.7 को निर्णय ले लिया था और 17.8 को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसिल आफ इंडिया की चिट्ठी आयी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 17.7 को यह फैसला लिया था कि 100 रूपये हास्पिटल से लिये जाएंगे?

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लिया था न? आप मेरी बात सुनिये। उसके बाद जब यह फैसला लागू नहीं करने की मंशा मुख्य मंत्रीजी ने जताई तो फाइल ड्रॉप हो गयी। उसके बाद यह फाइल वापस चलती है चुनाव के चार दिन पहले। स्वास्थ्य मंत्री मैं था, मैंने दस्तख्त किये नहीं लेकिन आपने आते ही दस्तख्त किये और 23 तारीख के आपने आदेश जारी किये। अगर आदेश हमने जारी किये हैं तो आप वापस ले लो न। करो ही मत फिर यह।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपने 16-11-98 को दस्तखत कर दिये थे और आपने जुबानी यह आदेश दे दिये कि किसी से खून की कीमत, ब्लड की यूनिट की राशि नहीं ली जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरे.... (व्यवधान .... 16-11-98 को व्यवधान)...

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने उसी दिन कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि ये काल-अटेंशन लगा रहे हैं लेकिन हम आज ही बहस कराना चाहते हैं क्योंकि सरकारी जवाब आ जाएगा तो फिर ये बहस नहीं करेंगे। मैंने जो बात कही थी, वह सत्य है। उसके बाद उस काल-अटेंशन के मामले में बी.जे.पी. ने कभी यह प्रोटेस्ट नहीं किया कि आज ही उस पर डिस्कशन कराया जाए। क्यों नहीं आप मांग उठाते? आज आपका काल-अटेंशन पड़ा हुआ है, आपने एक बार भी मांग क्यों नहीं की कि उस पर व्यवस्था दी जाए, उस पर बहस करायी जाए, जवाब दिलाया जाए? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष जी के वेश्म में तीन-तीन बार जाकर हमारी पार्टी के उप नेता ने कहा कि हमें समय दें। उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि 16.11, यानि चुनाव के सात दिन पहले मैंने दस्तखत कर दिये। माननीय सदस्य, आपने भी चुनाव लड़ा है, चुनाव से पांच-सात दिन पहले होश रहता है क्या सरकारी फाइलें निपटाने का? मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गया ...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो उन्होंने कही कि ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और चुनाव आयोग का प्रतिबन्ध। (व्यवधान) चुनाव आयोग का प्रतिबन्ध और आचार संहिता, उपाध्यक्षजी, अगर उस फाइल पर मेरे दस्तखत हों तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वरना आप तैयार हो जाओ। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपके दस्तखत नहीं हैं लेकिन शासन सचिव ने विभाग को 16-11-98 को आदेश जारी कर दिये। किसका शासन सचिव था?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप आज बताओ, वह सरकार का शासन सचिव था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असत्य बात करने के आदी हो गये हैं, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप असत्य बात...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप असत्य बोलने के आदी हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शासन सचिव ने जो ...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी बात असत्य है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : शासन सचिव ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

एक माननीय सदस्य : यह दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस तरीके का आरोप कैसे लगा रहे हैं ? उन्होंने कहा कि मैंने दस्तखत किये हैं। मैंने अब इनको चुनौती दी है कि या तो ये सदन से इस्तीफा दें या मैं सदन से इस्तीफा देता हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ये इस सदन में असत्य बयान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि ...(व्यवधान)...

श्री जगमाल सिंह यादव : शासन सचिव के हस्ताक्षर का मतलब गवर्नमैंट के हस्ताक्षर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, सुनिये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्री दस्तखत नहीं करते, शासन सचिव दस्तखत करता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : और यह विभाग को, रूल्स आफ बिजनस में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसे नहीं, बैठिये आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जो मंत्री की मंशा रही थी, क्या मुख्य मंत्री की मंशा नहीं हुई ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : वह फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी। (व्यवधान) उसमें मुख्य मंत्री की मंशा लिखी है क्या? आपकी, उनकी मंशा यह है क्या कि लागू नहीं किया जाए? (व्यवधान)...

श्री हीरासिंह चौहान : यह क्या कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :आर्डर, आर्डर।(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मुख्य मंत्रीजी की मंशा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह फाइल में है क्या मुख्य मंत्रीजी की मंशा कि लागू नहीं किया जाए ? मुख्य मंत्रीजी की मंशा

(श्री जगमाल सिंह यादव)

फाइल में है क्या ? मुख्य मंत्रीजी की मंशा नहीं है, यह फाइल में है क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह फाइल पर है क्या कि मुख्य मंत्रीजी की मंशा नहीं है ? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सदस्य ने बात कही है तो आप उसका जवाब दीजिए। (व्यवधान) अब बात कही है...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, मगर यह तरीका गलत है कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। मैं कर रहा हूं न, मैं कर रहा हूं स्पष्टीकरण। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपने एक वृत्ति बना ली है कि आप आरोप लगाकर वापस विथड्रा कर लेते हैं। अभी आपने (व्यवधान) एक मिनट, बैठिये आप। आपने यह कहा कि 16.8 को इनके दस्तखत हुए....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 16.11 को...

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह कहा कि 16.8 को इनके दस्तखत हुए। जो भी हो, आपने यह कहा कि इनके दस्तखत हैं और आपने अभी वापस कह दिया कि सैक्रेटरी के दस्तखत हैं। (व्यवधान) एक मिनट, आप बैठिए। आपको गवर्नमैंट की फंक्शनिंग का या तो मालूम नहीं है। आप गवर्नमैंट में रहे हैं। जब तक मिनिस्टर के दस्तखत नहीं होते तब तक कोई फाइल निकलती नहीं है। एक मिनट। इसलिए या तो आप स्पष्ट कीजिए कि इनके दस्तखत हैं या आप अपनी बात को विथड्रा कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पावर डैलिगेट करने के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : 17.7 को ...(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रूल्स आफ बिजनस में...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : यह पालिसी डिसीजन है इसलिए मिनिस्टर के पास फाइल किये बगैर दस्तखत होते नहीं हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सैक्रेटरी पावर्स डेलिगेट करते हैं और...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : एक मिनट, मैं उसी पर आ रहा हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डेलिगेट किये गये हों, जब है न ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं हों तो प्रोसीडिंग्स से निकाल देना। मैंने कहा कि 17-7-98 को गवर्नमैंट ने फैसला ले लिया। एक चीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप 16.11 से 17.7 पर आ गये। (व्यवधान) 16.11 से 17.7 पर आ गये, अपनी बात पर कायम रहिये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री कार्य का वितरण करता है तो स्टैंडिंग आर्डर की फाइल आती है मंत्री के पास। आप खुद अनुभवी रहे हैं, मंत्री कौनसा काम करेगा और कौनसा उसका सचिव करेगा, इस कार्य का वितरण होता है स्टैडिंण्ग आर्डर की फाइल से। उसमें शासन सचिव को काम करने के जो अधिकार दिये जाते हैं वे अधिकार डेलिगेटेड होते हैं बाई मंत्री। शासन सचिव जो काम करता है वह पावर मंत्री और सरकार उसको डेलिगेट करती है। तो शासन सचिव ने जो दस्तखत किये हैं, उसको कैसे नहीं माना जाएगा कि आपके आदेश नहीं हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह कहा कि मंत्रीजी ने दस्तखत किये हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं मैं उसमें, अगर आपके दिमाग में यह है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह है तो मैं वापस लेता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा मांगना इनकी आदत पड़ गयी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्षमा मांग ली, ठीक है, ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फालतू बात कह दें, यह फाइल में...(व्यवधान)...

श्री जगमाल सिंह यादव : यह फालतू में उठाने की क्या जरूरत है? (व्यवधान) आदत पड़ गयी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खाली जवाब, फाइल नहीं देखेंगे (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : फाइल हम देखेंगे, कैसे नहीं देखेंगे? कैसे नहीं? (व्यवधान) हमें बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जो मन में आये कह देते हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह किया है आपने। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह क्या बात हुई कि आप मुझे बात समझाएंगे और ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बस अब बात समाप्त हुई। एक मिनट। यह बात समाप्त हो गयी।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा वर्जन यह है कि स्टैण्डिंग आर्डर की फाइल पर कार्य वितरणकर्ता मंत्री हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जो अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं, रखते हैं, बाकी शासन सचिव को देते हैं। शासन सचिव जो आदेश निकालता है, वह गवर्नमैंट के आदेश माने जाते हैं। शासन सचिव के आदेश। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है...(व्यवधान)...

श्री जगमाल सिंह यादव : ये कहते हैं कि हमारी सरकार में नहीं हुआ तो क्या यह अशोक गहलोत की सरकार में हुआ है? क्या वह...(व्यवधान)....ये आज क्यों नहीं कहते गवर्नमैंट को कि उस प्रस्ताव पर चर्चा कराओ ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : यह बी. जे. पी. की सरकार में निर्णय हुआ है, बी. जे. पी. की सरकार में हुआ है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आचार-संहिता लागू थी, माननीय सदस्य चुनाव लड़ रहे थे, ये किसी भी नीतिगत फैसले पर आचार संहिता के कारण दस्तखत कर नहीं सकते थे। यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मान लिया न इन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि सातवें महीने में पत्रावली मेरे विचारार्थ आयी थी। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, सातवें महीने में 17.7 को पत्रावली विचारार्थ आयी थी। उस वक्त हमने तय किया था कि 100 रुपये ब्लड कलेक्शन पर फीस लगा दी जाए। उस पर तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि अभी इस फैसले को लागू नहीं किया जाए। उसके बाद इसमें भी कोई शक नहीं कि नेशनल कौंसिल आफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पत्र आया था। उस पर विचार चला था। यह कह रहे हैं खुद। सरकार ने आर्डर निकाला है-उपरोक्त विषय में लेख है कि सम्पूर्ण राज्य में जांच किया हुआ रक्त राजकीय चिकित्सालय एवं निजी चिकित्सालय संस्थाओं को उपलब्ध कराने के लिए कितना शुल्क लिया जाए, यह मामला काफी समय से राज्य सरकार के पास विचाराधीन था। अब नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसिल , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य में रक्त के मामले में सेवा शुल्क को निम्न प्रकार से वसूल करेंगे। यह आदेश 23.12 का है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कोई जवाब देते तब तो मेरे समझ में आता। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बड़े अनुभवी रहे हैं, नीतिगत निर्णय में रूल्स आफ बिजनस के अन्दर प्रावधान है, पावर डेलिगेट करने का प्रावधान भी है। आप उस स्टैण्डिग आर्डर की कापी मंगाकर, फाइल मंगाकर देख लें। कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा जो नीतिगत निर्णय करने का...

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नीतिगत निर्णय करने का अधिकार अपने सैक्रेटरी को दें। जब नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह नीतिगत निर्णय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह तो सारा लगा हुआ था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : वह तो 11-7-98 को हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री जगमाल सिंह यादव : बी.जे.पी. की गवर्नमैंट ने खून के पैसे वसूल करने के लिए 11-7-98 को फैसला कर दिया था तो नीतिगत सवाल कहां बीच में... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : नीतिगत निर्णय का सवाल तो बी.जे.पी. की सरकार ने...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : उनका पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : 11-7-1998 को, वह तो एग्जीक्यूट करना था, जो डिपार्टमैंट को भेजना था वह भेजा है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर पर तो...(व्यवधान)...जगमालजी, पाइंट आफ आर्डर है मेरा। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : नीतिगत फैसला तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी...

श्री जगमाल सिंह यादव : वह नीतिगत फैसला तो बी. जे. पी. की सरकार ने 11-7-98 को...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, पाइंट आफ आर्डर है।

श्री जगमाल सिंह यादव : नीतिगत तो (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री जगमाल सिंह यादव : कि क्या खून की कीमत ली जाएगी, यह तो बी.जे.पी. ...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर, पाइंट आफ आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले से खड़ा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले पाइंट आफ आर्डर है। आप बात कहिये। पाइंट आफ आर्डर है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगले दिन सभापतिजी जो मण्डावा से पधारते हैं, उन्होंने उस चेयर से रूलिंग दी थी कि जब तक मंत्रीजी का भाषण पूरा नहीं हो जाए, बीच में व्यवस्था नहीं हो। उसके बाद में जब इनके कटमोशन गये हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लें। अब भूतपूर्व चिकित्सा

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

मंत्रीजी एक भाषण टिका गये यहां पर। (व्यवधान).

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने शुरू नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : इन्होंने तो... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप क्यों क्लैरिफाई करते हैं? यह कोई क्लैरिफाई करने का टाइम है? पहले मंत्रीजी को बोलने दीजिए। और फिर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनको बोलने दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तो फिर क्यों उठते हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्होंने शुरू नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो आप आराम से ही कह दें न कि क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्होंने चालू नहीं किया। इन्होंने शुरू किया इसलिए उन्होंने जवाब दिया। आप भी बैठिये और आप भी बैठिये। जब यह चालू नहीं किया तो...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो दोनों को ही अर्ज कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। जब मंत्री पद की शपथ ली थी तो यह निश्चय किया था कि गोपनीयता को भंग नहीं करेंगे। अपने ही आर्डर की जिस तरह से इन्होंने गोपनीयता भंग की है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : फोटो स्टेट कैसे करायी? यह व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। आर्डर जारी होने के पहले जिस तरह से इन्होंने गोपनीयता भंग की है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. गवर्नमैंट ने शुरू से लेकर अब तक प्रत्येक इम्पोर्टेंट फाइल की फोटो स्टेट करायी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, एक मिनट। आप बैठिए। माननीय मंत्रीजी का जवाब पूरा हो जाने दीजिये, उसके बाद जो आपको पूछना है पूछ लीजिये। (व्यवधान) इनको समाप्त कर लेने दीजिये। (व्यवधान) इनको समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह ठीक है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह बात सही है। वह ठीक है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, बाद में पूछ लेना आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त करने दीजिये, बाद में पूछ लेना आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीक्रेसी का वायलेशन हुआ है। आखिर इस तरह से ऐसे कैसे कर सकते हैं कोई आदमी ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह विवाद का विषय नहीं है...

श्री राजेन्द्र पारीक : विवाद का विषय थोड़े ही है? व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : एक तरफ तो आप कह रहे हो कि रुलिंग को मानो। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : आदेश जारी होने के पहले फाइल में क्या हुआ? यह (व्यवधान)...क्या होगा (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कैसे बता सकते हैं? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : यह तो वायलेशन आफ सीक्रेट एक्ट है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए पहले। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सवाल इस बात का नहीं है कि हम इस पर कतई चर्चा नहीं कर सकते। (व्यवधान) सवाल इस बात का नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भी प्रस्ताव सजैक्ट किया है, सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि फोटो स्टेट कॉपी करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनका जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अब तो यह... (व्यवधान)...डाकुमैंट है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था फरमाएं आप। इस पर व्यवस्था दें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जो आदेश सर्कुलेट हो गया उसकी कॉपी पढी है, उसमें क्या आपत्ति की बात है?...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शपथ ली थी उस समय... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कौनसा कागज पढ़ रहे हैं और आप जबरदस्ती +++ चला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इसमें व्यवस्था करिये पहले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आप बैठिए पहले एक बार। आप बैठिए नीचे। आप समझ ही नहीं रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर आफिसेज सीक्रेट्स की क्या सैंक्टिटी है?

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात है? आप समझ ही नहीं रहे हो? (व्यवधान) आपसे कह रहा हूं इनके जवाब के बाद आपको जो कुछ पूछना है, वह पूछ लेना। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं-नहीं, मैंने तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इसे रिजैक्ट करें। यदि मैंने कुछ गलत कहा तो आप इसे रिजैक्ट करें।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): यह व्यवस्था बाद में कर देना। पैंडिंग कर दें इसको।

श्री राजेन्द्र पारीक : व्यवस्था पैंडिंग कैसे रहेगी? व्यवस्था तो अभी देनी पड़ेगी आपको। फिर आफिसेज सीक्रेट की क्या सेक्टिटी है?

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ लेना बाद में। आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : कांहे का पब्लिक डाकुमैंट है यह ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज का आदेश पब्लिक डाकुमैंट है, वह तो कोई भी आदमी देख सकता है। कौन इसमें ना कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कहते हुए यह पहले निवेदन किया कि आरोप-प्रत्यारोप की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने यह पहले ही निवेदन किया इसलिए इसमें उत्तेजना की और अपने बचाव की बात की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने पहले बोला उसको आप प्रोसीडिंग्स में वापस देख लें। मैंने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था 1996 में, उसमें ये डायरेक्शन दिये गये थे, उसके आधार पर राजस्थान की पूर्व सरकार जिसमें पूर्व चिकित्सा मंत्री बिराज रहे थे, उन्होंने उसके एक महीने पहले निर्णय लिया था। निर्णय यह लिया। मैं यह नहीं कहता हूं कि उन्होंने निर्णय क्यों लिया, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं निर्णय के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा। क्योंकि बात तय हुई है कि राज्य के अन्दर एक समान रक्त नीति बननी चाहिए, उसके अन्तर्गत यह बात आयी। इस बारे में बात सामने आयी कि जो ब्लड दिया जाता है बीमारियों में, उसके एड्स की बीमारी भी हो सकती है, सिफलिस की भी हो सकती हेपेटाइटिस की भी हो सकती है। इस तरह की बातें थीं तब यह विचार आया और उसके बारे में निर्णय लिया गया। और निर्णय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बीच में थोड़ा निवेदन करूं?

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह तो उपाध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं हुई। (व्यवधान) Let me complete.

उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह प्रस्ताव आया कि 100 रुपये गवर्नमैंट के हास्पिटल से लिये जाएं और 200 रुपये निजी हास्पिटलों से लिये जाएं और सभी मेडिकल कालेजेज को वसूली की इत्तला दे दी जाए। यह निर्णय उसमें हुआ। उसके एक महीने बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसिल आफ इंडिया का पत्र आया, डायरेक्शन आया। उसमें उन्होंने 250 रुपये तो गवर्नमैंट हास्पिटल के लिये कहा और 500 रुपये

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

निजी हास्पिटलों के लिये कहा। उपाध्यक्ष महोदय, उस फाइल के अन्दर पूर्व मुख्य मंत्रीजी का कहीं कोई अक्षर नहीं, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चूंकि वह निर्णय पहले 100 रुपये का हो चुका, तत्कालीन मंत्री महोदय ने यह निर्देश दे दिये थे कि सभी मेडिकल कालेजेज को इसकी वसूली के आदेश जारी कर दिये जाएं, निर्देश जारी कर दिये जाएं। इसके बाद में गवर्नमैंट आफ इण्डिया की ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसिल की चिट्ठी आयी। चूंकि उस फाइल के अन्दर मुख्य मंत्रीजी के कोई निर्देश नहीं, कहीं उसमें लिखा हुआ नहीं, सैक्रेटरी ने उसी फालो-अप में वे निर्देश जारी किये डिपार्टमैंट को और डिपार्टमैंट ने निर्देश जारी किये। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी। इसमें कोई बचाव की बात नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, उपाध्यक्ष महोदय, आज ब्लड के बारे में भिन्न हालात बन रहे हैं कि जो बीमार आदमी नहीं है, उसको आप कहीं ऐसा ब्लड न दे दें जिसके अन्दर बीस तरह की बीमारी हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इसका फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने चार बीमारियों के बारे में यह कहा है कि उनको टैस्ट किया जाए। पर हमारे यहां पर उन डायरेक्शन के आने के पहले अलग से ही रक्त नीति बनाने की बात आई, तब इन्होंने इसके ऊपर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसिल के जो डायरेक्शन आये थे वे बाद में आये थे। एक महीने बाद में आये थे। (व्यवधान) आपने अपनी बात कह दी, अब मुझे कहने दीजिये।

उसके बाद में अब किस स्तर पर क्या हुआ, लेकिन राजस्थान में दूसरी जगह वसूल किये जाते रहे, इसके आधार पर रेट्स ली जाती रहीं। उसमें हम यह नहीं कह रहे हैं कि क्यों ली जा रही थी। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। यह आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल एस.एम.एस. में बरबल डायरेक्शन से, जो कोई फाइल पर नहीं हैं, रोक लगा दी गयी। केवल एस.एम.एस. में। राजस्थान में दूसरी जगह यह वसूल किया जा रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, जब यहां पर यह वसूली शुरू हुई थी यह हाउस आहूत हुआ था उस समय इन्होंने समझा कि यह तो बहुत बड़ा मामला है और हम इसमें मीर मार लेंगे। मीर मारने के उद्देश्य से इन्होंने एडजोर्नमैंट मोशन दे दिया। प्रतिपक्ष के नेता महोदय से उसी दिन मैंने बात की। प्रतिपक्ष के नेता महोदय को मैंने कहा कि यह आपका हित का निर्णय था, हम यह नहीं कहते हैं कि निर्णय आपका गलत था। केवल यह है कि एस.एम.एस. के अन्दर बरबल डायरेक्शन किसने दिये थे, जो फाइल के ऊपर नहीं है। उसके ऑडिट पैराज बनेंगे, वह एक अलग बात है परन्तु इसके अन्दर इन्होंने वसूल नहीं किया। राजस्थान में दूसरी जगह वसूली हो रही थी। आज हालात आपके सामने हैं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की है और दूसरे कई लोगों ने भी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

इस बारे में कहा कि जो बोलेंटरी डोनर हैं, जो खून देना चाहते हैं-मैं भी बोलेंटरी डोनर था, मैंने भी बहुत बार खून दिया है-बोलेंटरी डोनर को कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है इसके अन्दर। इसके अन्दर जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग हैं, जिनको हम मेडिकेयर कार्ड अब जारी करेंगे, उनको भी कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। यह बात बहुत क्लीयर है। मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के अन्दर बकायदा सभी मुद्दे तय किये गये हैं कि किन लोगों को हम मुफ्त में देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, चिन्ता इस बात की नहीं है। ये अपने लिये जिस तरह से बचने की बात कर रहे हैं, यह कोई आरोप थोड़े है किसी बात का ? यह तो आप जो डवलपमैंट करना चाहेंगे, आपने मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी क्यों बनायी? उसकी वजह से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर कलर डोपलर मशीन का 50 लाख का बजट आबंटित था। उसमें मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का 7 लाख रुपया जुड़ा तब वह मशीन 50 लाख और 7 लाख के कारण से खरीदी जाएगी। इसलिए यह मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी गलत काम थोड़े ही कर रही है। परंतु उसके पास पैसा आया, उस पैसे का उपयोग हास्पिटल में नहीं हो रहा है, इसको देखने की बात है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है कि कोई आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। किसके बचाव की बात कर रहे हैं? हम यहां पर राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहते हैं और चिकित्सा सेवा में सुधार करना चाहते हैं। किसी पर आरोप थोड़े ही लगाना चाहते हैं? आरोप की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आगे तो बढ़ें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आगे तो बढ़ेंगे। पांच साल तक रहेंगे, राठौड़ साहब। यह तो कोई बात नहीं है। आपकी बात मैंने सुन ली पूरी। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। इसके बारे में बहुत भ्रांति थी इसलिए मैंने समझा कि मैं सदन के सामने इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मामले को स्पष्ट करूं।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य मिश्रण के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम चाहते हैं कि इसके अन्दर सुधार हो। उसके बारे में भी हम बहुत ही सख्ती से कदम उठा रहे हैं।

इसी तरह से मलेरिया के बारे में है, जिस तरह के हालात पहले एक बार बने थे, हालात इतने भयावह हो गये थे कि बहुत सारी मौतें हुई थीं। तब हम इधर प्रतिपक्ष में बैठते थे। इस बात की चिन्ता भारत सरकार ने भी की थी। उसका प्रचार इतना ज्यादा भयानक रहा कि हमारा जो ट्यूरिज्म था वह भी उससे प्रभावित हो गया। लोगों ने वहीं से अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करा दिया और स्टेट को उसका बहुत घाटा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। हर साल प्रोग्राम बनता है, इस साल भी इसका प्रोग्राम बनाया गया है और इसकी मानीटरिंग हर स्तर पर की जा रही है। मैं इसके बारे में आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

पहली मर्तबा हमारे जो 11 जिले हैं जिनको सेंसिटिव माना गया है, उनके अन्दर छिड़काव की बात है। मैलीथियन जो है यह पहली मर्तबा हम को 200 टन भारत सरकार से आबंटित हुआ है। प्रयास आपने भी अपने स्तर पर किये होंगे। जब आप शासन में थे आपने बहुत प्रयास किये, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। यह सफलता अब भारत सरकार से मिली है और 200 टन मैलीथियन मिला है, उसका छिड़काव किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमने हमारे घोषणा–पत्र के अन्दर इस बात का भी उल्लेख किया है कि प्राइमरी स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण हम करेंगे। (व्यवधान) अब आप तो पांच साल बोलते रहे, मैं तो अभी खड़ा हुआ हूं। पांच साल हमने आपको बहुत सुना है इधर बैठ कर।

इसके लिए हमने डेढ़ करोड़ का प्रावधान किया है। आपका कोई प्रावधान हो तो बता दो आप। आपने कोई प्रावधान किया नहीं, चैकिंग तो चलती थी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रीजी डेंगू के लिए किया कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पुरानी सरकार ने तय किया था कि मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कालेज और यह प्राइवेट सैक्टर के अन्दर खोलना है। मैं आप से अनुरोध करूं, तकनीकी शिक्षा का प्रभार भी मुझे मुख्य मंत्रीजी ने दे रखा है, जो निजी क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, जो हमारे यहां इंजीनियरिंग कालेज खोलना चाहते हैं हमने उनको एन.ओ.सी. दी हैं। विचार कर रहे हैं जो प्रस्ताव हमारे पास आये। हम जानते हैं कि नर्सिंग की स्थिति राजस्थान में खराब है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे पास आज 700 नर्सिंग स्टाफ की कमी है। हमारे पास 272 ही अवेलेबल हैं। निजी क्षेत्र के अन्दर नर्सिंग कालेज की हम परमिशन देंगे, हम विचार कर रहे हैं इस पर। सभी इस बात का स्वागत कर रहे हैं। हम भी जानते हैं कि हमारे पास में अवेलेबल नहीं हैं, जब हमारे हास्पिटल ही खाली रहेंगे तो हम ट्रीटमैंट कहां से कर सकेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव राजस्थान की चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए आपके माध्यम से यहां सदन के सामने रखे हैं। सब के सहयोग से राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं का हम सुधार करना चाहते हैं और जन सेवा करना चाहते हैं। यही बात कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : 3600 वेकेंसी आपके राजकीय चिकित्सालयों में हैं। राजस्थान के बाहर सभी राज्यों में दवाओं का रख–रखाव है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : आप क्या निर्णय ले रहे हैं, 3600 पोस्ट अपने यहां खाली है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पुकारा है। आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आपने सदन में अपने रिप्लाई में यह कहा है कि पूरे राजस्थान में 1997 से ब्लड की कीमत वसूल की जा रही थी और केवल एस.एम.एस. में पता नहीं किस के आदेश से यह ब्लड की कीमत वसूल नहीं की जा रही थी। जिन डाक्टर्स ने ब्लड की कीमत बिना कोई लिखित आदेश के वसूल नहीं की, और जिन्होंने यह निर्देश दिये, क्या उनके वेतन से यह ब्लड की राशि...

मंत्रीजी, आप सुन ही नहीं रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं आप से एक बात पूछ रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे।

आपने अपने रिप्लाई में एक बात कही है कि पूरे राजस्थान में तो 1997 से ब्लड की कीमत वसूल की जा रही थी और एस.एम.एस. में वसूल नहीं की जा रही थी। आपने यह कहा कि मौखिक आदेश दिये। किस के मौखिक आदेश थे ? जिन्होंने कानून बनने के बाद भी ब्लड की कीमत एस.एम.एस. में वसूल नहीं की क्या ब्लड की कीमत उनके वेतन से वसूल करोगे या जिन्होंने निर्देश दिये उनसे की ब्लड की कीमत वसूल ना करो?

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैंने अभी जो मेरा भाषण दिया है उसमें वक्तव्य में यह बात कही है। उन्होंने कहा है तो मैं इस सारे मामले की जांच कराऊंगा और जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय इन्दिरा मायारामजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : एस.एम.एस. हास्पिटल में बांगड़ का जो न्यूरो डिपार्टमैंट है उसमें आवास विकास संस्थान द्वारा भवन निर्माण करवाया जा रहा था... (व्यवधान) आवास विकास संस्थान को बन्द कर दिया तो न्यूरो डिपार्टमैंट का जो भवन बनना था आज भी वह भवन अधूरा पड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट। माननीय मंत्रीजी, आप बताइये कि न्यूरो डिपार्टमैंट का आवास विकास संस्थान द्वारा जो भवन बन रहा था तो आवास विकास संस्थान तो बन्द कर दिया गया और भवन अधूरा पड़ा हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : यह कहां से आ गया आवास विकास संस्थान का?

श्री राजेन्द्र पारीक : आवास विकास संस्थान नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : न्यूरो डिपार्टमैंट का भवन बनने वाला था...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। श्रीमती इन्दिरा मायारामजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : मतलब राजस्थान की जनता को कोई लाभ नहीं मिले?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायारामजी।

श्री रामस्वरूप : आपकी तबीयत खराब है इसलिए आपका पढ़ा हुआ मानते हैं हम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (राज्य मंत्री आयुर्वेद) : क्यों पढ़ा हुआ मानेंगे आप? मैं पढ़ कर नहीं, बोल कर बताऊंगी। आप पढ़ा हुआ क्यों मानते हो मेरा?

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदया, आप तो एक-एक किलो च्यवनप्राश भिजवाओ सब को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर चर्चा हुई है उसके बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने यहा विचार प्रकट किये हैं, उनके बारे में यहां बताना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो राज्य है उसकी भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी स्थितियों को देखते हुए जब हम उस परिप्रेक्ष्य में अपने परिवार कल्याण और जनसंख्या की भयावह बढ़ती हुई स्थिति पर ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जो विकास या समृद्धि का कार्य है वह सारा इस जनसंख्या की भयावह वृद्धि से रुक जाता है। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य, माहिर आजादजी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्रीजी ने व और सदस्यों ने भी कहा कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए परिवार कल्याण पर ध्यान देने के साथ-साथ यह जरूरी है कि चाहे हम स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाएं, चाहे हम शिक्षा बढ़ाएं हम सारी चीजें बढ़ा लें लेकिन जब तक हम इस पर पूरा ध्यान नहीं देंगे कोई भी कल्पना हमारी जो राजस्थान के विकास की है वह पूरी नहीं होगी। इसलिए मैंने सब से पहले यह विभाग संभालने के बाद जो काम किया वह यह किया कि हर जिले में जाकर परिवार कल्याण की जो जिला स्तर पर हमारे समितियां बनी हुई थीं उनकी बैठकें कीं। हर जगह जाकर यह जानकारी की कि किस प्रकार से हमारा यह कार्य अच्छी तरह से चल सकता है।

मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहती हूं। हमारी एक जनसंख्या की परिषद बनी हुई है जिसको कि दो साल पहले बनाने का निर्णय ले लिया गया था पिछली सरकार में, लेकिन मुझे खेद है कि उसकी कोई बैठक नहीं हुई। हमने आते ही हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में उसकी बैठक बुलायी। उसमें हमारे बहुत से सदस्यों ने सुझाव दिये कि जनसंख्या पर हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं।

दूसरा काम हमने यह किया कि हमारी महिलाओं में शिक्षा बहुत कम है। हमारी जो बहनें हैं आज भी आप उनसे कहें कि आप जाकर पुरूष से जापा करा लें तो वे तैयार नहीं होतीं क्योंकि शिक्षित बहुत कम हैं। इसी प्रकार से उनके बारे में पुरूष लोग चिंतित ही नहीं हैं। न उनकी बीमारी से चिंतित हैं न उनके मरने से चिंतित हैं। मुझे बड़े खेद के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि महिलाओं के लिए किसी को ज्यादा

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

चिन्ता नहीं है। यही कारण है जो अभी माहिर आजाद जी कह रहे थे, और भी लोग कह रहे थे कि यहां पर जब जनसंख्या या परिवार नियोजन का काम होता है तो पुरूष में आपरेशन का केस एक परसेंट भी सामने नहीं आता। एक प्रतिशत तो बहुत ज्यादा है। एक हजार एक में से एक भी नहीं आता है, यह स्थिति हो गयी है। इसी वजह से हमारे यहां की स्थिति और भी गम्भीर बन गयी है। पिछले पांच साल से यह स्थिति बनी हुई है कि हमारे यहां पर 1000 में से 85 बच्चे होने के बाद मर जाते हैं। हमारा राजस्थान इस मामले में सबसे पिछड़े हुए चार राज्यों में से है। मैं जब दिल्ली गयी और मैंने भारत सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सचिव से बात की...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, आप राजस्थान की बात कर रही हैं, राजस्थान के बारे में तो हम बहुत ज्यादा शर्मिन्दा हैं क्योंकि आप चार उन बीमार राज्यों में से हैं कि जहां पर बच्चों की मृत्यु दर आज भी 85 है और महिलाओं की मृत्यु दर 5 और 6 के बीच में है जबकि केरल के बच्चों की मृत्यु दर 13 है। मेरे शर्म से गर्दन नीचे हो गयी। मैंने उस दिन यह प्रण किया कि मैं राजस्थान में जाने के बाद वे सारे काम करूंगी जिसकी वजह से हम केरल के मुकाबले में आ सकें। उसके बाद हमने ये कार्यक्रम शुरू किये । हमने सबसे पहला कार्यक्रम किया (व्यवधान) मेहरबानी करके आप सुनें। भाई लोग मेरी बात सुन लें तो अच्छा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सुनिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : परिवार कल्याण का ध्यान ही करके बात कर रही हूं, आज की तारीख में हमने जो काम शुरू किया है वह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं। हमने काम शुरू किया आने के बाद कि किस तरह से हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ा सकें। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है कि या तो हमारे पी.एच.सी. हैं या जनाने अस्पताल हैं या नहीं कुछ है तो कम से कम मिड वाइफ के पास ही आ जाए जच्चा बच्चे के समय। हमने यह कोशिश की है और इसके लिए हमने सरपंचों को पांच-पांच हजार रुपये एडवांस दिये हैं जो कि आज तक नहीं दिये गये थे। हमने यह कहा कि अगर 500 रुपये तक भी लगते हों तो उस पर लगाओ लेकिन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करो ताकि हम बच्चों को बचा सकें। यह हमने पहला काम किया है...

एक माननीय सदस्य : सरपंच खा जाएंगे।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अब देखिए, खा जाएंगे तो खा जाएंगे लेकिन काम तो हमको करना पड़ेगा।

इसी तरह से ऑपरेशन के लिए जो बहिनें आएंगी, उनके ऊपर आने-जाने का खर्चा 30 रुपये तक भी होगा तो हम देंगे। इसी तरह हमने आयुर्वेद के 20 जिलों के वैद्यों को ट्रेनिंग के लिए शामिल

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

किया है, वे बच्चों की डिलीवरी के लिए या हमारे जनसंख्या के जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनमें मदद करेंगे। वैद्यों को भी इसमें शामिल किया हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में परिवार कल्याण के क्षेत्र में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : उनको पूरा कर लेने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...गलत अंकित है। रिकार्ड पर गलत बात जा रही है। 1995-96 में पहला स्थान प्राप्त किया है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : क्या कह रहे हैं, मैंने सुना नहीं?

श्री शैलेन्द्र जोशी : बीच में व्यवधान मत डालिये, बोलने दीजिए मंत्री महोदय को। आप बार-बार पहले ही व्यवधान डाल देते हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि मुख्य सचेतकजी मदनजी दिलावर को सात दिन तक बाहर ही रखते तो ये विहेव करते। आप लोग इन पर लिनिएंसी मत रखिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। माननीय मंत्रीजी। आर्डर-आर्डर।

श्री मदन दिलावर : जनता ने जिताकर भेजा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको हीरो नहीं बनाएंगे जीरो बनाएंगे जीरो (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही व्यवस्था हो चुकी है कि मंत्री महोदय के जवाब में बीच में टीका-टिप्पणी नहीं होगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित कराने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में बोल लेना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ...नहीं तो इलाज करना पड़ेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : राठौड़ साहब, करो इलाज।

श्री छोगाराम बाकोलिया : इलाज कर रहे हैं ये।

एक माननीय सदस्य : यह इलाज +++ से नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप : दिलावर जी का इलाज तो मेरे पास ही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, आर्डर-आर्डर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। मैडम खुद ही दो थप्पड़ मार देंगी तो ठीक कर देंगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डिस्टर्बेंस तो इधर से ही हुआ है न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप लोगों से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं, एक तो कल का दिन था और एक आज

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

का दिन है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण है और कल जैसा दिन मैंने कभी नहीं देखा। कल बहुत मायूसी थी, निराश थे लोग। ऐसी मायूसी जैसी सन् 1962 में जब चायनीज एग्रेशन के टाइम पर रामलीला मैदान में तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरूजी ने एक पब्लिक मीटिंग में लता मंगेशकर को बुलावाया था और उनके आने के पहले अखबार में यह खबर छप गयी थी कि उनका गला खराब हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या प्रश्न हो गया यहां? बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी जवाब दे रही थीं तो बीच में यह व्यवधान क्यों हो रहा है? उनको जवाब देने दीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरी बात सुन लें। तसल्ली रखें। तो एक तो वह वातावरण था कि लता मंगेशकर का गला खराब होने से पूरे हिन्दुस्तान में मायूसी का वातावरण हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आपका गला जो कल खराब था उससे हम लोग बहुत मायूस थे, आज आपका गला कुछ ठीक ठाक हुआ है तो प्रसन्नता का वातावरण है। मेहरबानी करके उनके गले पर ज्यादा जोर न दें आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री रामस्वरूप : ...(व्यवधान) शांति रहेगी। आप भी तो शांति हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : च्यवनप्राश भिजवा दिया जाएगा आपके घर पर।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं आपको बता रही थी, परिवार कल्याण और जनसंख्या के बारे में राजस्थान में जो कार्यक्रम चल रहे हैं वह हम तीन-चार एजेंसियों द्वारा चला रहे हैं। एक आर.सी.एच. है, प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य योजना है। आर.सी.एच. की कमेटियां बनायी हैं जिला स्तर पर। जो आर.सी.एच. की कमेटियां बनायी हैं उनको बनाने के बाद पिछले दिसम्बर माह तक इनको कोई भी पैसा नहीं दिया गया इसलिए भारत सरकार वाले इतने दु:खी थे कि कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हम रुपया देने का तैयार हैं लेकिन राजस्थान सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा था। मैंने चार्ज लिया उसके बाद रुपया मिला। पांच करोड़ रुपया वित्त विभाग ने दिया था उसके बाद सारे जिलों में आर.सी.एच. का कार्यक्रम शुरू किया गया। (व्यवधान)

इसके अलावा हमारे यहां आई.पी.डी. का कार्यक्रम अभी शुरू किया गया। यह आई. पी.डी. का कार्यक्रम हमने सात जिलों में शुरू किया है। यह संयुक्त राज्य जनसंख्या का कार्य है। यह अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर... (व्यवधान) दौसा का भी बता दूंगी। ये तीन-चार तरह से चल रहे हैं। आर.सी.एच. के 11 हैं। ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में ये आई.पी.डी. वाले हैं, ये अभी मैंने आपको बताये हैं, जिसका भरतपुर में हमने उद्घाटन किया था,

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

सम्मेलन भी किया था। उसके बाद सब जिलों में यह शामिल हो गया है। इसमें जनसंख्या कन्ट्रोल तो बताते ही हैं, उनके लिए मेले करते हैं, नाटक करते हैं, गांवों में जाकर कार्यक्रम करते हैं परन्तु उसके साथ-साथ इसी के अन्दर शिशु और माता की रक्षा कैसे की जा सकती है उसका भी कार्यक्रम है। इन सात जिलों में शुरू हो रहा है। (व्यवधान) भरतपुर में उद्घाटन सबसे पहले हुआ है। (व्यवधान)

फिर हमारा आई.पी.पी.बी. का कार्यक्रम है। इसमें कंस्ट्रक्शंस का कार्यक्रम है। इसमें हमारे अधिकतर इलाके हैं रेगिस्तानी । ये हैं जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर। इनमें हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र ये सारे बनाये हैं। मैं आपको सजेशन देकर आपका टाइम नहीं लेना चाहती हूं क्योंकि यह तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरे यह सारा कहने का मतलब है कि हम ये परिवार कल्याण के कार्यक्रम सारे कर रहे हैं।

इसी के साथ-साथ मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि जिस तरह से जनसंख्या के बारे में आप चिन्तित हैं उसी तरह से हमारे पूरे सदस्य, मंत्रिमण्डल के सदस्य और साथ में मोहम्मद माहिर आजाद जैसे माननीय सदस्य बहुत चिन्तित हैं जो मेरी मीटिंग में वहां बैठे थे। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या के लिए कुछ न कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं सुनिए, अभी तो परिवार कल्याण ही चल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अभी तो मेरा परिवार कल्याण ही चल रहा था लेकिन अब जल्दी है तो मैं जल्दी खतम करती हूं (व्यवधान)

परिवार कल्याण के लिए मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रही हूं कि हमारी महिलाओं को गांव-गांव में ट्रेन्ड दाइयां मिलें, हम चालीस हजार नर्स इस साल में ट्रेन कर रहे हैं और आठ हजार दाइयां (मिड वाइफ) ट्रेन कर रहे हैं। जो आठ हजार दाई नर्स ट्रेन करेंगे उनका नाम दाई नर्स है। वे आठवीं पास होंगी, उन्हें छह महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। उन दाई नर्सों में वे होंगी जो या तो विधवा हों या उनके पति ने छोड़ दिया हो या गरीबी की रेखा से नीचे आठवीं पास लड़कियां हों उनको हम ट्रेन करेंगे और ट्रेनिंग के बाद हम उनको हर पंचायत पर भी...

श्री जगमाल सिंह यादव : दिहाड़ी क्या देंगे?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं बता तो रही हूं आपको। जो ये चालीस हजार दाइयां हैं इनको तो हम ट्रेन इसलिए कर रहे हैं कि हम इनको ममता किट्स दे दें ताकि बच्चों की 15 दिन के अन्दर जो जल्दी से मृत्यु होती है, डायरिया, निमोनिया या इन चीजों से, इनके इलाज बता दें और फिर गांवों में अपनी प्रैक्टिस वे अपने आप करें।

श्री श्रवण कुमार : तनख्वाह क्या देंगे?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप सुन तो लीजिए पूरा। आप सुनने का मौका ही नहीं देंगे तो मैं बोलूंगी कैसे? आप पूरी बात ही

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान) मैं आपको बता रही हूं...

एक माननीय सदस्य : इनको रोको ना, मंत्री जी जवाब दे रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप सुनिये। चालीस हजार कंवेंशनल दाइयां त्रे हैं जो गांवो में दाई का आज भी काम करती हैं पर ट्रेन्ड नहीं हैं। वे अपने आप करेंगी प्रैक्टिस, पर उनको ट्रेन कर देंगे। उनको दवाइयां देंगे, जो दवाइयां बच्चों के वक्त में चाहिए। पैदा करने के बाद टिटनेस के इंजेक्शन उनके लगने चाहिए तो वो अस्पताल लेकर आएंगी। ये सब बातें सिखाएंगे।

श्री श्रवण कुमार : तनख्वाह भी बढ़ाओ ना।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : तनख्वाह का सवाल ही नहीं है। वे प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं, तनख्वाह कहां से देंगे उनको? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रवण कुमार : माननीय मंत्री जी, साढ़े बारह सौ रुपये में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अच्छा, मेरी बात तो सुनिये आप।

श्री श्रवण कुमार : क्या होता है? मास्टर भी नहीं सुने, डाक्टर भी नहीं सुने तो फिर होगा क्या, चलेगा कैसे? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय सदस्य महोदय, आप बैठकर पहले मेरी बात सुन लें फिर बोल लेना। पहले मेरी बात सुन लीजिए।

श्री श्रवण कुमार : माननीय मंत्री जी, मुझे इस बात का खेद है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर के बारह बच्चे हैं, आप ही बताओ कि कितने बच्चे हैं परिवार नियोजन के...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री परसादी लाल : माननीय श्रवण कुमार जी, बैठिये। उनका स्वास्थ्य खराब है पहले ही।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अब आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतना इन्ट्रैस्टिंग जवाब दे रही हैं आप दखल कर रहे हो बीच में ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह परिवार कल्याण के बारे में आपको बता दिया मैंने। अब जल्दी है, मुझे आज्ञा मिली है कि मुझे जल्दी खतम करना है इसलिए अब मैं आपको थोड़ा-सा आयुर्वेद के बारे में बता दूं। आयुर्वेद के बारे में मैं आपको थोड़ा यह निवेदन करना चाहती थी... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय सभापति महोदय, मैं अब आयुर्वेद के बारे में...

श्री श्रवण कुमार : सभापति नहीं हैं, उपाध्यक्ष हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अब आप बैठिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह निवेदन करना चाह रही थी, आयुर्वेद में इतनी बुरी स्थिति थी कि जब मैं यहां घर आयी तो जिस भी अस्पताल

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

में जाती थी -"ए" क्लास अस्पताल उदयपुर में गयी, दौसा में गयी वहां मैंने जाकर देखा तो महीने में तीन सौ-साढे तीन सौ पेशेंट आते थे। पांच पेशेंट से ज्यादा रोज नहीं आते थे।

श्री श्रवण कुमार : झुंझुनूं तो नहीं गयीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज महिला बोल रही हैं थोड़ा ध्यान रखो ना।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद की रसायन शालाएं बंद पड़ी थीं। आयुर्वेद में जो जिला अधिकारी लगे हुए थे वे कोई भी सीनियोरिटी से नहीं थे। हमने रसायन शालाओं के लिए यह निर्णय लिया है कि हम एक कारपोरेशन बना रहे हैं। राजस्थान में पहली बार यह निर्णय लिया गया है, हम रसायन शालाओं का कारपोरेशन बना रहे हैं।

दूसरी बात जो अभी यहां पर कुछ सदस्यों ने कही थी कि जो आयुर्वेद कालेज चल रहे हैं...

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के जितने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनको सबको वापस लेता हूं।

एक माननीय सदस्य : हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक तरफ भारत सरकार ने 33 प्रतिशत दिया, आप 33 प्रतिशत का प्रावधान रख रहे हैं... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप सुन ही नहीं रहे हैं मैं क्या जवाब दूं आपको ? (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सत्ता पक्ष के लोग ही सुनना नहीं चाह रहे हैं, हम तो शान्तिपूर्वक सुन रहे हैं। हम लोग तो कोई। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : राजस्थान का सबसे अधिक बजट है जो इस वर्ष मैंने लिया है आयुर्वेद के लिए। मैं वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आयुर्वेद के लिए इतना बड़ा बजट दिया है। 128 करोड़ रुपये का इस साल उन्होंने हमको बजट दिया है जो सबसे हाइएस्ट है राजस्थान में। राजस्थान में 100 औषधालय खोलने और यूनानी जैसा अभी बता रहे थे आजाद साहब कि एक भी नहीं खोला था, हम सारे यूनानी जो रह गये हैं चिकित्सक बनने से, सब को नौकरी देंगे, पचास औषधालय हम खोलने जा रहे हैं। आपने कहा है उनकी उम्र के बारे में, तो हमारे पास औषधालय में चिकित्सक नहीं होंगे और अगर हमें यूनानी नहीं मिलेंगे तो हम उम्र का भी ध्यान रखेंगे कि बढ़ायी जाए या घटायी जाए लेकिन हम यूनानी डाक्टरों को देंगे वहां पर।

अभी आपने होम्योपैथी की भी बात की। मैं होम्योपैथी के बारे में भी बताना चाहती हूं कि इतनी बुरी हालत में जयपुर का अस्पताल चल रहा है होम्योपैथी का...

एक माननीय सदस्य : खाली पदों के बारे में भी बताओ ना।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं अभी बोल देती हूं। हम सब जगह रिक्त पदों को भरने जा रहे हैं, बहुत जल्दी भरने जा रहे हैं। जो नये आयुर्वेद कम्पाउन्डर हैं उनको भी हम बहुत जल्दी ही मैरिट के या किसी आधार पर लगाने जा रहे हैं। वैद्यों को भी लगाने जा रहे हैं जितने रिक्त स्थान हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सालयों को भी संभाल रहे हैं। होम्योपैथी का अस्पताल जो जयपुर में बहुत खराब स्थिति में है, उसको सुधारने के लिए भी हमने योजना बना ली है। उसमें भी हम कुछ ग्रांट लेने जा रहे हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बनवारी लाल जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष...(व्यवधान)जो हमें दी है यह इसी में लिखा है कि राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम ने बहुत सफलता प्राप्त की है, 96 स्थान...(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंजूर है मंजूर है, एक महीने के अन्दर सबको मिल जाएगा। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दिल्ली जाना है मांग पारित करवा दें।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, होम्योपैथी का अस्पताल भी जयपुर में, दांतों का हास्पिटल भी जयपुर में, क्या झुंझुनूं जिला और सीकर जिला है ही नहीं, यह बताओ? आप सीकर जिले और झुंझुनूं जिले में कोई हास्पिटल नहीं कर रहे हैं। होम्योपैथी का हास्पिटल भी जयपुर में, दांतों का हास्पिटल भी जयपुर में, अन्य हास्पिटल भी जयपुर के अन्दर, सीकर और झुंझुनूं जिले के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं है, आप देखिये। बड़े दु:ख और खेद के साथ कहना पड़ता है कि हरियाणा से लगता हुआ स्टेट...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री श्रवण कुमार : जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है। होम्योपैथी का हॉस्पिटल जयपुर में खोल रहे हैं, दांतों का हास्पिटल जयपुर में, हमारे झुंझुनूं जिले का क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : बहुत अच्छा जवाब दिया है। हम सन्तुष्ट हैं इनके जवाब से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना है कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी को बाहर जाना है इसलिए समाज कल्याण की डिमांड पर मंत्री जी उत्तर दें उसके पहले स्वास्थ्य विभाग की डिमांड स्वीकृत करा ली जाए।

मांग संख्या-26 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,53,48,23,000/- (नौ अरब तिरेपन करोड़ अड़तालीस लाख, तेईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय बनवारी लालजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले यह पास करा ली थी मांग इसलिए हम बोले नहीं। एक मिनट, आयुर्वेद मंत्रीजी का इस उम्र में भी गला इतना अच्छा है वह च्यवनप्राश हमको भी तो दिलवाओ कम से कम।

डा. किरोड़ी लाल : धारीवाल जी कहां जा रहे हैं?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सबको मिलेगा। रसायनशालाएं बन गयीं, सबको मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बनवारी लाल जी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

(20.00 बजे)

मांग संख्या-33 पर विचार

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के सर्वोच्च सदन का बहुत आभारी हूं कि आज समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर इस महान सदन में चर्चा हुई, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया और अपने बहुत महत्वपूर्ण सुझावों से हमें लाभान्वित किया। मैं देख रहा हूं कि आप काफी व्याकुल हैं जाने के लिए। मैं बहुत समय आपका नहीं लूंगा, मैं और भी आभारी हो जाऊंगा यदि आप शांतिपूर्वक मेरी बात को सुनें 10 मिनट के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट के अन्दर समाज कल्याण जैसे महकमे के ऊपर पूरा ध्यान दिया और जो पिछली सरकार नहीं कर सकी थी वह इस सरकार ने करके दिखा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने 1997-98 का जो बजट प्रस्तुत किया उसमें यह शो करने की कोशिश की थी कि यह बजट समाज कल्याण को समर्पित हो रहा है, लेकिन फैक्ट यह है कि हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश में, वह बजट समाज कल्याण को समर्पित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर 80 फीसदी प्रावधान पहले वाले बजट से इसमें विशेष रूप से रखे गये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार का सोच क्या है और वह क्या करना चाहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय भारत की आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था उस समय यह सोच भी डवलप हो रहा था कि यह जो सामाजिक धरातल देश का गड़बड़ हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए। उसके ऊपर हमारे देश के महान नेताओं ने बैठ कर चर्चाएं कीं, विचार किये, विमर्श किये और उसके तहत ही हमारे संविधान के अन्दर कुछ प्रावधान किये गये। उसमें यह मान लिया गया कि जो पीछे रह गया तबका उसको बराबर लाया जाए, समाज के धरातल को बराबर किया जाना चाहिए। उसके तहत कांग्रेस सरकार ने विविध क्षेत्रों में काम किये-उनकी शिक्षा में काम किये, उनके रिजर्वेशन पर काम किये, उनकी नौकरी पर काम किये। उनको जमीनें दी गयीं, उनको मकान दिये गये और हर तरीके का उनका डवलपमैंट करके यह कोशिश की गयी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

वर्ग भी समाज के सामान्य स्तर पर आए। माननीय उपाध्यक्षजी, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ बातें कहने की कोशिश की। मैं सोचता हूं कि अगर वे अपनी पार्टी की पिछली सरकार में जिसमें वे समाज कल्याण मंत्री थे, इतने जोर के साथ में बात कहते तो शायद स्थिति काफी कुछ ठीक बना सकते थे। आज मैं विश्वास के साथ आपको यह बात कह सकता हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, कि उस सरकार के अन्दर वह सोच नहीं था, उस तरीके का उनका पोलिटिकल फील्ड नहीं था, जिसके तहत वे काम करते और नतीजे दे सकते थे। यह सौभाग्य कांग्रेस पार्टी को मिला है कि वह एक ऐसे पिछड़े वर्ग को जो बहुत पीछे रह गया था, आगे लेकर आयी। उसके अन्दर, माननीय उपाध्यक्षजी, हम एक-एक करके बात देख लें।

सबसे पहले कोशिश की गयी कि तालीम के सिलसिले में इनके ऊपर वर्क किया जाए। उसमें तालीम दी गयी, उसमें स्कालरशिप दी गयी, हॉस्टल बनाये गये। जो उससे निकल कर आये उनको नौकरी दी गयी, आरक्षण किया गया। इस तरह से विधिवत आगे बढ़ाने का एक प्रयत्न किया गया जिसका आज हम रिजल्ट भी देखते हैं। अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि जो कुछ भी किया गया वह बी.जे.पी. के शासन के अन्दर किया गया, इतना पहले कभी नहीं किया गया। मैं माननीय सदस्य को सही करना मुनासिब समझूंगा कि स्कॉलरशिप की जो बात थी उस स्कॉलरशिप में आपने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। जो भी बढ़ाया गया वह कांग्रेस शासन में बढ़ाया गया। प्री-मैट्रिक यहां बढ़ाया गया और पोस्ट मैट्रिक दिल्ली के अन्दर बढ़ाया गया। आपने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। होस्टल का जहां तक सवाल है, चूंकि हमारा 1985 में बढ़ा था पैसा, उसके बाद बी.जे.पी. शासन में बैठी थी उसको देखना था। जब देखना था तो सभी लोगों को देखना था। लेकिन उन्होंने सिर्फ बहुत ही पर्टीकुलर जगहों पर देखा और 450 रुपये उन लाभार्थियों को दिये जो हॉस्टल में रहते थे। लेकिन उस तरफ उनकी निगाह नहीं गयी जहां पर विमंदित बुद्धि वाले बच्चे भी रहते थे जहां महिलाएं जो परित्यक्ता थीं, जो विधवा थीं या किसी भी कारण से महिला सदन के अन्दर आकर रह गयी थीं। उन छोटों बच्चों के ऊपर कोई सोच नहीं किया गया, बहुत दुःखी और पीड़ित होकर जिनके मां-बाप उनको छोड़ गये या फिर उनके मां-बाप की विवशता हो... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके शासन में तो महिलाएं गर्भवती हो गयी थीं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर- ऑर्डर

श्री शैलेन्द्र जोशी : बी.जे.पी. के शासन में, क्या बात करते हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सदस्य, जब आप बोल रहे थे तब मैंने बीच में कोई व्यवधान नहीं किया था।

श्री रामस्वरूप : गर्भवती हुई थी, माननीय दिलावरजी, आपके शासन में और आज आप बात बता रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पान खाकर हाउस में बोलते नहीं हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हॉस्टल की बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। हमारे माननीय सदस्यों में से कोई भी माननीय सदस्य, चूंकि प्रत्येक माननीय सदस्य उस कमेटी के मैम्बर हैं जो हॉस्टलों की देखभाल करती है, जो हॉस्टलों में बच्चों को भर्ती करती है, कोई भी वहां जाकर देखें और चैक करें। आप जा कर आज भी देखेंगे तो उन हॉस्टलों के अन्दर बच्चों के न तो तख्ते ठीक से हैं, न उनके बिस्तर ठीक से हैं न उनके खाने के बर्तन ठीक से हैं। अगर यह बात सही नहीं हो तो आप जाकर देख लो उसको और मुझे आकर बता दो। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने उनके लिए 450 से 675 तो मैस का खर्चा कर ही दिया है। लेकिन उनकी जो रहन-सहन की स्थिति है उसके ऊपर भी सरकार विचार कर रही है कि उसको कैसे सुधारा जाए। सुधार कर किस तरह से हॉस्टल की व्यवस्था हो, उस तरफ भी हमारा प्रयास चल रहा है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस समय राजस्थान के अन्दर 604 हॉस्टल चल रहे हैं। उसमें 480 हॉस्टल तो पहले सरकारी तौर पर चल रहे थे, 74 अनुदानित थे और पिछली सरकार ने 50 हॉस्टलों की और घोषणा की थी । वह घोषणा उन्होंने उस वक्त की थी, जब स्कूल खुल चुके थे और बच्चे हॉस्टलों में या जहां-जहां रह सकते थे वहां पहुंच चुके थे। उसके बाद इन हॉस्टलों को खोलने का कोई औचित्य था नहीं। उसके बाद में चुनाव हो गया और वह सरकार अपदस्थ हो गयी, दूसरी सरकार आ गयी। अब दूसरी सरकार इन तमाम बातों को देख रही है कि कहीं कोई इन हॉस्टलों को खोलने में इम्बैलेंस न हो जाएं। अभी माननीय सदस्य ने एक इस तरीके का प्रश्न वाचक चिन्ह लगाया है कि हमारी सरकार सोचती है, आप खोल रहे हो। ऐसा नहीं, मान्यवर, 50 हॉस्टल तो वे जो उस समय घोषित हुए थे और 50 हॉस्टल नये खोले जाएंगे। तो 100 हॉस्टल हो गये। उन 100 हॉस्टल की बिल्डिंग के लिए जो संस्थागत राशि खर्च करने की बात की थी उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाये इसलिए न तो हॉस्टल बन पाये और न चालू हो पाये लेकिन इस सरकार का सोच बिलकुल सही है, हम पैसे का भी इन्तजाम करेंगे, उनके भवन निर्माण का भी इन्तजाम करेंगे और हॉस्टल भी खोलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के जमाने में एक विचार आया था कि आवासीय शालाएं खोली जाएं। यह बहुत अच्छा सोच था और वह इस तरीके का था कि 400 विद्यार्थी तक एक हॉस्टल के अन्दर रह सकते थे। उसी परिसर में उनका स्कूल होगा, उसी परिसर में उनका आवास होगा, उसी परिसर में उनके खेलकूद की व्यवस्था होगी और उसी में सब कुछ होगा, सब व्यवस्थाएं होंगी। वह एक अच्छी व्यवस्था थी। उसी के तहत यह सरकार 12 हॉस्टल के टी.एस. के माध्यम से खोलने जा रही है और इस साल के अन्दर उनके काम चालू कर दिये जाएंगे।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे वित्त मंत्रीजी ने इसके ऊपर बहुत गम्भीर रूप से विचार किया और यह तय किया जो पिछड़ा वर्ग है उस पिछड़े वर्ग के लिए भी उस तरीके के हॉस्टल का निर्माण किया जाए। वह हॉस्टल हम सम्भागीय स्तर पर पिछड़ी जाति के लिए भी खोलने जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति से ही सम्बन्ध नहीं रखता है समाज कल्याण, इसका दायरा काफी चौड़ा है। हमारी बहुत दु:खी, पीड़ित, उपेक्षित महिलाओं का सम्बन्ध भी इस महकमे से है। कभी-कभी परिस्थिति यह बनती है कि कुछ महिलाएं अपने घर में नहीं रह पाती हैं या अदालत के आर्डर से उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। उसके लिये एक महिला सदन की स्थपना यहां थी। बहुत पहले से चली आ रही थी लेकिन वह जगह उपयुक्त नहीं थी। पिछली सरकार के जमाने में भी यह विचार था कि यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि उनकी बिलपावर नहीं थी, इस तरीके का उनका सोच नहीं था इसलिये वे व्यवस्था नहीं कर पाये। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस साल के अन्दर चार मार्च को एक नये भवन का शिलान्यास किया है, उसका भूमि पूजन किया है और उस सदन का नामकरण भारत रत्न मदर टेरेसा के नाम से किया है ताकि उससे यह आभास हो सके कि जो इस तरह की दु:खी पीड़ित, उपेक्षित महिलाएं आएं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि यहां से निकलने के बाद में वे निस्सहाय नहीं दिखें, उनको अपने खाने-पीने का इन्तजाम करने के लिये कोई प्रशिक्षण दे दिया जाए।

इसी तरीके से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से यह सोच चल रहा था, कि नि:शक्त व्यक्ति चाहे वे बच्चे हों, बच्चियां हों, पुरूष हों, इनके बारे में क्या विचार किया जाए? हमारी सरकार ने आते ही उसके ऊपर सोच किया और हमारे वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की। 1992 से लेकर 98 तक पहले वाली सरकार ने 9 करोड़ की स्टेट गारन्टी दी थी, उसको बढ़ाये बिना काम नहीं चल रहा था। ये तो नहीं बढ़ा पाये, लेकिन हमारे वित्त मंत्रीजी ने उसको 27 करोड़ कर दिया जिसमें 18 करोड़ अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये, 6 करोड़ पिछड़ी जाति के लिये और 3 करोड़ माइनोरिटी के लिये। 5 करोड़ कर दिया नि:शक्त बच्चों के लिये और 1 करोड़ कर दिया है स्वच्छकारों के लिये। यह कुछ मिलाकर 27 करोड़ की बैंक गारण्टी हो गयी। इसके माध्यम से उन लोगों को कर्जे दिलाये जाएंगे, अनुदान दिलाये जाएंगे ताकि वे जिन्दगी बेहतर ढंग से जी सकें। नि:शक्त बच्चों के लिये एक प्रावधान यह भी है कि तीन फीसदी उनको हम सरकारी नौकरियों के अन्दर आरक्षण देंगे। लेकिन 3 प्रतिशत से ही काम नहीं चलेगा इसलिए जो धंधा वे पसन्द करते हैं, सीमित तरीके का धंधा होगा, जिसके अन्दर वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें, अपने घर को चला सकें, इसके भी व्यवस्था की गयी

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

है। उन नि:शक्त व्यक्तियों के लिये जिनकी उम्र ढली नहीं है, शादी-विवाह की भी व्यवस्था की है। उनकी शादी के लिये पांच-पांच हजार की व्यवस्था इस विभाग की ओर से की गयी है। (व्यवधान) आप सुझाव दीजिये, उसको देखेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी तरीके से जो विधवा बहनें हैं, उनके जो बच्चे-बच्चियां हैं, दो बच्चों तक हमारे विभाग की ओर से पांच-पांच हजार रुपये तक की राशि दी जाती है। उस राशि को भी अब के हमने बढ़ाया है।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिये एक व्यवस्था और की है कि जो पोलियो से पीड़ित हो गये हैं या अपंग हो गये हैं, उनके चार जगह हमने आपरेशन कराये। एक हजार आपरेशन हुए और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। पांच लाख रुपये उसमें खर्च हुए थे। अब की बार उस मद में हमने 50 लाख रुपये रखे हैं। विभिन्न कैम्पों के अन्दर वे आपरेशन कराएंगे और पोलियो से पीड़ित लोगों को बेहतर जिन्दगी के लिये प्रेरित करेंगे। (व्यवधान) जल्दी कर रहा हूं। बहुत जल्दी कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप लोग महाराणा प्रताप के लिये बहुत बोलते हैं। आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। उनके लिये जिन लोगों ने अपना गांव छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, वे इधर-उधर फिरते फिर रहे हैं। उसके बारे में हमारी पिछली सरकार ने एक सोच किया था कि 5,000 रुपये उनको मकान के लिय दिये जाएं। बड़ी कृपा की आपने लेकिन 5,000 रुपये में कोई मकान बनता है? हमारी सरकार ने आने के बाद में यह तय किया कि उन गाड़िया लुहारों के लिये, इंदिरा आवास जिस तरीके से हम गांवों में देते हैं, उसी पैटर्न के ऊपर उनको 17,500 रुपये देंगे मकान बनाने के लिए। उनके बच्चों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, दोनों तरह की स्कॉलरशिप देंगे ताकि हमारी मुख्य धारा के अन्दर वे ठीक से चल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अनुसूचित जाति, जनजाति निगम के माध्यम से कुछ कोचिंग आपने देने की कोशिश की थी। और कहा यह कि आपने प्रश्न...

श्री श्रवण कुमार : जो गाड़िया लुहारों को दे रहे हो, यह संख्या भी है क्या? आप कितने लोगों को देंगे?

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप कितने हैं, बताइये आप?

श्री श्रवण कुमार : हमारे तो लुहार ही लुहार हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप बताओ तो। चालू तो करो आप गाड़िया लुहारों को। (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को यह पूछना चाहता हूं जो कम्पोनैंट प्लान का पैसा है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर।

श्री निर्भय लाल : वह आप लगाते हैं उसके लिये मैं यह पूछना चाहता हूं आपसे कि...

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं आ रहा हूं उस तरफ।

कोचिंग सेण्टर की जो बात थी, बहुत अच्छे तरीके के सेण्टर हैं कोटा के अन्दर, तीन सेण्टर हैं वहां पर और एक सेण्टर नीम का थाना के अन्दर तय हुआ है। हमारी सरकार ने यह तय किया है कि तीन सौ विद्यार्थी तक उसके अन्दर एडमिट हो सकते हैं और उनका पूरा खर्चा सरकार बर्दाश्त करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी कि वे बन्द कर दिये गये हैं, बिलकुल बन्द नहीं किये हैं, उनका पूरा पैसा पहुंचा दिया गया है। वह बन्द नहीं हुआ है बल्कि हम उसमें और इजाफा कर रहे हैं।

अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कम्पोनैंट प्लान क्या है। दरअसल 1980 के अन्दर इन्दिरा गांधी जब जीवित थीं, पार्लियामैंट में उन्होंने एक कम्पोनैंट प्लान दिया था। वह प्लान इसलिये दिया था कि अनुसूचित जाति इस समाज का बहुत बड़ा पार्ट है। विकास के जो कोई भी काम हो रहे हैं सब जगह लेकिन वे बच जाते हैं। खास तौर से उन्होंने यह बात कही थी कि यह पैसा जो विकास का है, विकास की मद के ऊपर इतना पैसा उनके ऊपर लगाना चाहिये। वह 16 परसेंट के करीब था। वह पैसा आज भी है लेकिन पिछली सरकार ने उस पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे महकमा चाहता था, खर्च करते रहे। समाज कल्याण...(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पूछो इनकी समस्या क्यों नहीं मिटी, क्यों प्रारम्भ हुई थी?

श्री बनवारी लाल बैरवा : समाज कल्याण विभाग यह एनश्योर करेगा कि वह पैसा शिड्यूल कास्ट के मोहल्लों, शिड्यूल कास्ट के गांवों, शिड्यूल्ड कास्ट की ढाणियों ऊपर ही खर्च हो।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेयजल की बात कही थी, तो वह कम्पोनैंट प्लान के अन्दर ही आता है। उसके लिये हम माननीय मंत्रीजी से बात करेंगे कि जहां-जहां हमारी जरूरत हो पहले हमारी जरुरत पूरी की जाए और समाज कल्याण के विभाग से वह पूरी की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त निगम के माध्यम से हम कमजोर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करते हैं। गये साल मार्च तक 72,000 लोगों को लाभान्वित किया गया था, इस साल हमने उसका टार्गेट 85,000 रखा है, 85,000 लोगों को इस वर्ष हम इससे लाभान्वित करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, सिविल सेवाओं की मुख्य परीक्षाओं के अन्दर जो भी उम्मीदवार पास होंगे उनके इंटरव्यू की तैयारी के लिये जो भी कोचिंग होगी उसका खर्चा भी समाज कल्याण विभाग अपने वित्त निगम के माध्यम से बर्दाश्त करेगा।

स्वच्छकार समाज के बच्चों के लिये जिनके 60 परसेंट मार्क्स होंगे, वे जिस भी कालेज के अन्दर जाकर भर्ती होना चाहें उनका खर्चा, उनकी किताबों का खर्चा, उनके ट्यूशन का खर्चा, यह तमाम समाज कल्याण विभाग बर्दाश्त करेगा।

अभी माननीय विधायकों में से यह बात कही गयी थी कि एक सलाहकार बोर्ड होना चाहिए जो तमाम व्यवस्थाओं

(श्री बनबारी लाल बैरवा)

को देखे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं वह ऑलरेडी है। जिसमें क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि हैं-वे स्वयं हों या उनके प्रतिनिधि हों, क्षेत्रीय पंचायत समिति के प्रधान हैं, जिलाधीश द्वारा मनोनीत कोई प्रतिनिधि हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। यह कुल मिलाकर एक कमेटी है जो उनको भर्ती भी करती है और बाद में भी इसको अधिकार है कि वह सब काम को देख सके।

श्री अमराराम (धोद) : समाज कल्याण मंत्री जी, मेरे क्षेत्र में तो कोई समाज कल्याण छात्रावास है ही नहीं... मीटिंग कहां होगी? पूरे धोद विधान सभा क्षेत्र में एक समाज कल्याण छात्रावास नहीं है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आपकी कांस्टीट्युऐंसी में नहीं हैं...(व्यवधान) आपके भी खोल देंगे।

श्री अमराराम (धोद): कोई छात्रावास नहीं है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : धोद पंचायत समिति में नहीं है तो आप लिखकर भेज दीजिए, खोल देंगे। और कहीं है, यह आप स्वयं देखें फिर उसको।

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय मंत्री महोदय, आप यह फरमा रहे हैं कि सलाहकार समिति है, एडमीशन तक तो है, एडमीशन के बाद में कभी किसी छात्रावास में सलाहकार समिति से न तो कोई सलाह ली जाती है न मीटिंग बुलायी जाती है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय विधायकों से निवेदन है कि सलाहकार समिति परमानैन्ट है और इसको अधिकार है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस कमेटी को बदलने का विधायकों को...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : विधायकों को चेयरमैंन बनाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री निर्भय लाल : जब एडमीशन करते हैं तो वे बुलाते ही नहीं हैं। ...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : सलाहकार समिति का विधायक को चेयरमैन बनाया जाए। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने सलाहकार समिति बना रखी है लेकिन यह फंक्शन नहीं कर रही है। आपके विभाग को यह आदेश दीजिये कि सलाहकार समितियों में जो मैम्बर आप बता रहे हैं उनको नियमित रूप से सूचित करके सलाहकार मीटिंगें नियमानुसार बुलाया करें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपका सुझाव है और माननीय विधायकों की मांग है, सलाहकार समिति में मैं विशेष रूप से यह व्यवस्था करता हूं कि हमारे समाज कल्याण के अधिकारी आपको सूचित करेंगे, आप

(श्री बनबारी लाल बैरवा)

पहुंचे या प्रतिनिधि पहुंचे, जब वे एडमीशन देंगे, यह मैं आपको एश्योर कर दूंगा। बीच में जब चाहें आप तब जाएं उसका निरीक्षण करें और जो कमियां हैं उससे आप मुझे भी अवगत कराएं।

श्री रघुवीर सिंह : अगर विधायकों को चेयरमैन बना दें तो कोई नुकसान है क्या? विधायकों को अगर चेयरमैन बना दें तो स्तर थोड़े ही गिरेगा या कोई नुकसान थोड़े ही होगा?

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय विधायकों का सुझाव है कि विधायकगण उसके अन्दर से अध्यक्ष बना दिये जाएंगे। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम अध्यक्ष बना देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सदन ने मेरी बात को बड़े धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक सुना।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल शिक्षा की मांग पर जब बहस हो रही थी तो तकनीकी शिक्षा मंत्री जी भी बोले, प्राइमरी और सैकण्डरी एजुकेशन मिनिस्टर भी बोले, उच्च शिक्षा मंत्री जी भी बोले और संस्कृत शिक्षा मंत्री जी भी बोलीं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आज जो-जो मांगें थीं इसमें-श्रम और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, पोषण, फसल कृषि कर्म, पशुपालन, मछली पालन, ग्राम में विकास ग्राम में रोजगार, उसमें से मैंने मत्स्य पालन विभाग से संबंधित कटौती प्रस्ताव भी दिये थे और मैं इस पर बोला भी था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जवाब तो आना चाहिए। मंत्री यहां हैं ही नहीं। कोई भी मंत्री जिनको अधिकृत किया है वे हैं ही नहीं। जो मुद्दे यहां उठाये गये उनका जवाब दें। अगर नहीं देना चाहते हैं, समय नहीं है तो कम से कम यह तो कहें कि लिखित में जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी हाउस में नहीं हैं। जब मंत्री जी यहां थे तब यह प्रश्न उठाते। अब मंत्री जी हाउस में नहीं हैं अब क्या उठा रहे हो?

मांग सख्या-33 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3 अरब, 60 करोड़, 3 लाख, 71 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 8 अप्रेल, 1999 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही 20.25 बजे गुरुवार, 8 अप्रेल, 1999 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

भैंसखेड़ा बांध (बून्दी) का निर्माण प्रकरण

199. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भैंसखेड़ा (बून्दी) बांध निर्माण हेतु सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त बांध निर्माण से कितने राजस्व ग्रामों की कितनी भूमि सिंचित की जानी प्रस्तावित है?

(3) उक्त बांध के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या अग्रिम कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है?

(4) क्या उक्त बांध के निर्माण से मेजा, कुरल एवं उनकी सहायक नदियों से बहने वाले पानी का उपयोग हो सकेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल एक फिजीबिलिटी रिपोर्ट बनायी गयी थी।

(2) फिजीबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर चार गांवों की लगभग 3000 हैक्टेयर भूमि ही सिंचित किये जाने की सम्भावना है।

(3) परियोजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(4) जी हां।

राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन का प्रबन्धन प्रकरण

200. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन को नेशनल डेयरी डवलमेंट बोर्ड को सौंपी है? यदि हां; तो कब से तथा किन-किन शर्तों पर?

(2) क्या उक्त दोनों संस्थाओं व सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है? यदि हां, तो कब और क्या? समझौते की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड से डेयरी का प्रबन्ध सम्भालते समय कोई शर्तें रखी गई थीं? यदि हां, तो क्या-क्या और उनका पालन किस-सीमा तक किया गया और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सहकारी डेयरी फैडरेशन राजस्थान सहकारी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत है और उस पर उक्त कानून लागू है? यदि हां, तो सहकारी कानून की पालना इस मामले में कहां तक हो रही हैं और नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त डेयरी के प्रबन्धन हस्तान्तरण के समय कितना घाटा था और आज कितना है ?

उत्तर

(1) जी हां। आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों का प्रबन्धन एनडीडीबी को सौंपने संबंधी निर्णय दिनांक 9 जनवरी, 1992 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार-विमर्श के आधार पर 19 फरवरी, 1992 को सचिव, डेयरी द्वारा लिखित सहमति पत्र द्वारा दिया गया। डेयरी सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा लिखे गये सहमति पत्र जिसके द्वारा प्रबन्धन सौंपा गया की प्रति परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) दोनों संस्थाओं एवं राज्य सरकार के मध्य अभी औपचारिक अनुबन्ध होना शेष है। सहमति पत्र की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) जी हां। सहमति पत्र में ही विभिन्न शर्तों का उल्लेख है। सहमति पत्र में अंकित दो बिन्दुओं का एनडीडीबी द्वारा पूर्णतया पालन नहीं किया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

(क) डेयरी फेडरेशन के निर्वाचित संचालक मंडल के संबंध में :

राजस्थान सहकारी डेयरी फेड़रेशन द्वारा योग्य समितियों एवं संघों में प्रबन्धकारिणी के चुनाव करवा दिये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा-139 के अन्तर्गत डेयरी फेडरेशन के संचालक मंडल के स्थान पर सदस्यों को मनोनीत कर संचालक मण्डल गठित कर दिया गया है। यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है जिसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखा गया है।

(ख) एनडीडीबी द्वारा प्रबन्धन के दौरान हुए घाटे की भरपाई के सम्बन्ध में : -

सहमति पत्र के आधार पर एनडीडीबी द्वारा घाटे की भरपाई इसलिए नहीं हो पाई हैं क्योंकि राज्य सरकार एवं एनडीडीबी के मध्य औपचारिक अनुबन्ध अभी होना शेष है। इस अनुबन्ध के अभाव में एनडीडीबी द्वारा यह तय नहीं किया जा सका है कि घाटे की पूर्ति किस प्रकार से की जावे ।

(4) जी हां। आरसीडीएफ राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 एवं राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के प्रावधानों के अधीन कार्य करती हैं।

(5) एनडीडीबी की प्रबन्ध सौंपते समय दिनांक 31.03.92 तक घाटा 60.26 करोड़ रुपये था। दिनांक 31.03.98 तक कुल घाटा 107.35 करोड़ रुपये (अनुमानित) है। वर्ष 1997-98 में घाटे के स्थान पर अनअंकेक्षित आंकडों के आधार पर 74.75 लाख रुपये का लाभ हुआ है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

परिशिष्ट - "क"

Secretary to the Government,
Animal Husbandry, Sheep & Wool,
Fisheries and Dairy Development.

Dear Shri Kurien,

Kindly refer to your letter No. CDB-260/2/56 dated February 6, 1992 regarding the restructuring and rehabilitation of the Rajasthan Cooperative Dairy Federation (RCDF) and its constituent Unions. The State Government has considered the points raised by you in your letter and I am directed to convey the following response :-

1. The NDDB would undertake to manage the RCDF and its constituent unions, improve the status of milk procurement, processing and manufacturing of milk. products, marketing of milk and milk products and bring about the changes required to manage the entire set up through democratically elected, Board of Directors.

The State Government agrees with the clause.

2. Suitable notification be issue under the provisions of the State Co-operative Societies Act for postponing the process of elections to the Management Committees and Chairmen of the village level dairy cooperatives, say upto December, 1992.

Simultaneously, the Government should also agree to constitute through nomination the Board of Directors and the Chairman of the RCDF after the appointment of the new Managing Director as jointly decided by the Government of Rajasthan and the NDDB.

The State Government has directed RCDF to postpone the elections to the Dairy Cooperatives till further orders.

The decision about the constitution of the Board of Directors will be taken after the appointment of the new Managing Director.

3. The Cooperative Societies Act and the bye-laws of the RCDF and the Unions would be amended as recommended by the NDDB.

The State Government agrees to the appointment on the post of Managing Director of RCDF of a person nominated by the NDDB. Suitable amendment will be made in the bye-law of the RCDF wherein it provides at present that the Managing Director shall be appointed by the Government.

The State Government agrees in principle to exempt the RCDF from the recently introduced provisions in the Cooperative Societies Act regarding :

(a) The continuance of the Administrator for a period of two years in the absence of the elected Board in the Cooperatives; and

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(b) The appointment of Executive Officers in those cooperatives where the share capital of the State Government exceeds rupees two lacs or where the Government has given the guarantee on a loan exceeding rupees two lacs.

The Department of Cooperatives is being requested to issue necessary orders.

4. Since the NDDB would also be providing financial assistance outside the ambit of the Operation Flood project, the Board of NDDB would constitute a Management Committee to manage the Rajasthan project.

The Management Committee will keep the Board of Directors of the Federation informed about all the policy decisions and the performance of the operations at regular intervals. The Management Committee will ensure a gradual increase in the involvement of the elected Board in the management of the Rajasthan project.

The Management Committee, if any, should be set up by the Board of Directors, which can delegate powers, as and when required, to the Management Committee and not by the NDDB directly.

5. The funds/grants for ongoing programmes sanctioned by the various departments of the State Government for future implementation by the RCDF shall continue. The NDDB assures that the projects would be implemented in accordance with the terms and conditions as stated in those programmes.

The State Government agrees with the clause.

6. The NDDB would have full freedom on all operational matters including fixation of purchase and sale prices of milk and milk products, cattle feed and services related to the project while the project is being managed by the NDDB. It will also have freedom to market milk and milk products and cattle feed within and outside and the State to make the project economically viable.

The State Government agrees with the clause except that instead of the words NDDB the words "new management of the RCDF" should be substituted.

7. In order to achieve viable levels of operation, it would be necessary to merge some of the unions having low potential with the other Unions. The NDDB recommends the merger of :

(i) Sikar and Sawai Madhopur Unions with Jaipur union.

(ii) Bharatpur Union with Alwar Union.

(iii) Banswara Union with Udaipur Union; and

(iv) Churu Union with Bikaner Union.

The question of merger of weak unions with strong unions is acceptable in principle but details and the exact names of the unions and the period given for

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

the merger need to be decided with some caution and in consultation with the State Government.

8. NDDB will be free to alter/modify/add plant and machinery for efficient management of the units during the period of management. It may also obtain services/support from consultants as may be required from time to time for smooth operation of the units.

The State Government agrees with the clause, but the words NDDB may be substituted by the words "new management of the RCDF."

9. The Government would ensure strict enforcement of PFA Act and other such orders/rules/regulations in the interest of the project.

The State Government agrees, with the clause.

10. The Government of Rajasthan shall, through the Technology Mission on Dairy Development, help establish inter-se linkages between RCDF/Unions on one hand and on the other departments/agencies which are engaged in the implementation of Animal Husbandry and Dairy Development programmes in the state.

The State Government agrees with the clause.

The State Government shall provide full support and cooperation to NDDB in undertaking the task of rehabilitation. The RCDF is being directed to use utmost caution and prudence in incurring expenditure and committing liabilities and to limit their expenditure to their daily needs only. Regarding the financial losses, the State Government would like to immediately go into details with the officials of the NDDB to arrive at a mutually acceptable arrangement for the past losses. It is noted that in the event of any losses arising during the management of the RCDF by the NDDB, without taking into consideration the cost depreciation, the NDDB will be bearing such losses.

It is also noted with satisfaction that the NDDB will not charge any fee for the management of the Rajasthan Cooperative Dairy Federation and its constituent Unions.

You are requested to forward a draft deed of agreement as early as possible.

With Kind regards,

Yours sincerely,

(SUDHIR VARMA)

Dr. V. KURIEN
Chairman,
National Dairy Development Board,
ANAND-388 001.

पुलिस विभाग में मंत्रालयिक कर्मियों के स्थानान्तरण प्रकरण

201. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गृह विभाग में कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण एक रेंज से दूसरे रेंज में किया जा सकता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या पुलिस विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नियमित रूप से हो रही है?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची रेंज स्तर पर संधारित की जाती है? यदि हां, तो क्या यह राजस्थान सेवा नियमों के अनुकूल है?

उत्तर

(1) जी हां, कुछ एक विशेष परिस्थितियों में ही पुलिस विभाग में एक रेंज से दूसरी रेंज में ऐसे स्थानान्तरण विभागीय प्रशासनिक नीति के तहत किए जाते हैं।

(2) जी नहीं।

(3) पुलिस विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची रेंज स्तर पर राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियम, 1957 के नियम-27-सीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत संधारित की जाती है। राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधान इस संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के आयुर्वेदिक औषधालय

202. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कितने आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत हैं? उक्त औषधालयों में कितने-कितने पद किस श्रेणी के कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर जिले के टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में 27 विभागीय आयुर्वेदिक औषधालय वर्तमान में स्वीकृत व संचालित हैं। इन औषधालयों में चिकित्सक, नर्स-कम्पाउण्डर एवं परिचारक के स्वीकृत पदों में से कोई भी पद वर्तमान में रिक्त नहीं है। स्वीकृत व संचालित आयुर्वेद औषधालयों की सूची परिशिष्ठ-"क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में संचालित विभागीय औषधालयों में कोई भी पद रिक्त नहीं है।

परिशिष्ट - "क"

सवाईमाधोपुर जिले के टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में संचालित व स्वीकृत विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची

क्र. सं.	स्थान औषधालय
1.	मेहस्वा
2.	शेखपुरा
3.	करीरी
4.	नांगल शेरपुर
5.	भोपुर-बहादुरपुर

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

1	2
6.	पदमपुरा
7.	कमालपुरा
8.	भनकपुरा
9.	दादनपुर
10.	पहाड़ी
11.	घाटा मेहन्दीपुर
12.	गुढ़ा चन्द्र जी
13.	तिमाया
14.	नादौती
15.	जीत की पुर
16.	गढ़मोरा
17.	गढ़खेड़ा
18.	सलावद
19.	बरदाला
20.	ल्हावद
21.	बागौर
22.	शहर
23.	केमरी बुजुर्ग
24.	कुंजे ला
25.	केमला
26.	सोंप
27.	भीलापाड़ा

नियन्त्रण प्रकोष्ठ का गठन

203. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार ने आबकारी विभाग पर नियंत्रण हेतु पृथक् से प्रकोष्ठ का गठन किया है? यदि हां, तो प्रकोष्ठ में कितने सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति कब से की गई है?

उत्तर

राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं डोडा पोस्त की तस्करी की रोकथाम के लिये एक विशेष आबकारी प्रकोष्ठ का गठन राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक पं. 11(4) वित्त/आब/99 दिनांक 16.1.99 द्वारा किया गया है। श्री यादवेन्द्रसिंह (सेवानिवृत्त) अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, निरोधक दल को संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया। विशेषाधिकारी की मांगनुसार इस कार्यालय के आदेश दिनांक 1.2.99, 10.2.99, 22.2.99, 23.2.99 के द्वारा सहायक आबकारी अधिकारी-एक, शीघ्रलिपिक-एक, प्रहराधिकारी-दो, सिपाही-नौ, जमादार-एक, वाहन चालक-एक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-एक को लगाये गये हैं।

प्रश्न संख्या-204

(स्थगित)

राज्य की औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था प्रकरण

205. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वृहद्, माध्यम और लघु इकाइयों की क्या स्थिति है?

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) सरकार द्वारा उक्त इकाइयों में औद्योगिक सुरक्षा बनाये रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और क्या इनकी नियमित जांच की जाती है?

(3) औद्योगिक सुरक्षा की उपेक्षा करने वाली इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है?

(4) क्या सरकार द्वारा राज्य में ऐसी इकाइयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां?

उत्तर

(1) राज्य में वृहद्, मध्यम और लघु औद्योगिक इकाईयों में औद्योगिक सुरक्षा की स्थिति संतोषजनक है।

(2) इन इकाइयों की निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियमित रूप से निरीक्षण/जांच की जाती है। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा औद्योगिक सुरक्षा के प्रति जागरुकता लाने के लिये सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किये जा रहे हैं।

(3) कारख़ाना प्रबन्धकों को निरीक्षण की अनुपालना करने हेतु निरीक्षण रिपोर्ट भेजी जाती है। आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जाती है।

(4) जी हां, वर्तमान में 316 औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध, राज्य के विभिन्न न्यायालयों में परिवाद चल रहे हैं।

जिला महिला विकास अभिकरण चूरू का नियुक्ति प्रकरण

206. **श्री रामसिंह कस्वां** (सादुलपुर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला महिला विकास अभिकरण, चूरू में वर्ष 1992-93 से नियुक्त कनिष्ठ लिपिक, वाहन चालक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थाई कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि कर्मचारियों को स्थाई करने हेतु शासकीय परिषद् द्वारा कोई निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शासकीय परिषद् के निर्णय का अनुमोदन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त अभिकरण में वर्ष 1992 से पूर्व नियुक्त प्रचेताओं का स्थाईकरण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1992 के बाद में नियुक्त प्रचेताओं को हटाया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला महिला विकास अभिकरण, चूरू में कनिष्ठ लिपिक, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद प्रति-नियुक्ति के हैं। उक्त सभी पद अस्थाई हैं। किसी भी कर्मचारी को स्थाई नहीं किया गया है।

(2) जी हां। शासकीय परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया है किन्तु शासकीय परिषद के निर्णय का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा नहीं हुआ है। यह पद प्रतिनियुक्ति के हैं, जिन पर नियुक्त व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर प्रतिनियुक्ति समाप्त कर, उन्हें पैतृक विभाग में भेजा जाता है।

(3) जी, नहीं। प्रचेता के पद स्थाई नहीं हैं। जिला महिला विकास अभिकरण, चूरू में

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

वर्ष 1992 से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर कोई प्रचेता नियुक्त नहीं है।

(4) वर्ष 1992 के पश्चात् नियुक्त प्रचेताओं की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर विशेष चयन नियमों 1984 व संशोधित नियम, 1989 के अन्तर्गत पैतृक विभाग हेतु कार्यमुक्त किया गया है।

जिला हनुमानगढ़ के प्रस्तावित पर्यटक स्थल

207. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला हनुमानगढ़ में कोई पर्यटक स्थल बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब से तथा कहां?

(2) क्या सरकार उत्तर भारत के प्रसिद्ध लोक देवता गोगाजी के स्थल गोगामेड़ी (हनुमानगढ़) को पर्यटक स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग किसी स्थल को पर्यटक स्थल नहीं बनाता है। अपितु आकर्षण विशेष के कारण यदि किसी स्थल पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती है, तो वह स्थल स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

(2) जी नहीं, पर्यटकों की आवाजाही से प्रसिद्ध हुये स्थलों को पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित पर्यटन साहित्य में स्थान देकर उसका प्रचार-प्रसार मात्र करता है।

जयपुर शहर की कालोनियों में पेयजल व्यवस्था

208. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करतारपुरा नाले से गोपालपुरा बाई पास रोड तक आबाद कालोनी महेश नगर, बालनगर, सैनी कालोनी, प्रथम एवं द्वितीय भगवती नगर, कृष्णा नगर, टैगोर नगर आदि में सरकार की पेयजल स्कीम नहीं होने से यहां के निवासियों को निजी ठेकेदारों से मंहगे मूल्य पर पानी लेने को विवश होना पड़ रहा है?

(2) क्या सरकार के पास उक्त कालोनियों हेतु कोई पेयजल स्कीम विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। करतारपुरा नाले से गोपालपुरा बाईपास रोड तक आबाद कालोनी महेश नगर, बालनगर, सैनी कालोनी, प्रथम एवं द्वितीय भगवती नगर, कृष्णा नगर, टैगोर नगर आदि में सरकार की कोई पेयजल योजना नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त कालोनियों हेतु पेयजल योजना राज्य सरकार की पूर्व घोषित सहभागिता योजना के अन्तर्गत कालोनियों के निवासियों के आवेदन करने पर स्वीकृत की जा सकती है।

प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित प्रकरण

209. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई माधोपुर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने भारतीय प्रशासनिक एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों को आरोपों के बावजूद कितने जिलों में प्रशासनिक पदों पर लगा रखा है?

(श्रीमती यासमीन अबरार)

(3) गत दो वर्षों से उक्त पदों पर कार्यरत अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं 12 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी कार्यवाही चल रही है। (सूची संलग्न है) परिशिष्ट "अ"

(2) श्री ओंकार लाल जाट, आर.ए.एस., ए.सी.ई.एम. डूंगरपुर के पद पर एवं श्री मनोज नाग आर.ए.एस. को एस.डी.ओ. दौसा के पद पर कार्यरत हैं।

(3) (सूची संलग्न है) परिशिष्ट "ब"

परिशिष्ट "अ"

राज्य में भारतीय प्रशासनिक एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी कार्यवाही चल रही है, की सूची

भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्र.सं.	पत्रावली सं.	नाम अधिकारी
1.	प2(33)कार्मिक/क–3/90	श्री बी. के. मीणा
2.	प2(162)कार्मिक/क–3/92	श्री संजय पुरोहित (निलम्बित)

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

क्र.सं.	पत्रावली सं.	नाम अधिकारी
1.	2.	3.
1.	प2(181)कार्मिक/क–3/92 प2(199)कार्मिक/क–3/92	श्री जेठाराम सुथार (सेवानिवृत्त)
2.	प2(162)कार्मिक/क–3/92	श्रीमती अनुकृति पुरोहित (वर्तमान में भारतीय रेल सेवा में)
3.	प2(141)कार्मिक/क–3/92 प2(272)कार्मिक/क–3/93	श्री ओंकार लाल जाट
4.	प2(31)कार्मिक/क–3/93	श्री मिरजूराम (निलम्बित)
5.	प2(5)कार्मिक/क–3/93 प2(130)कार्मिक/क–3/92 प2(66)कार्मिक/क–3/92	श्री मूलाराम (विभागीय जांच के प्रकरण में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त आदेश दिनांक 17.12.98 से)
6.	प2(55)कार्मिक/क–3/93	श्री ऊदाराम कुर्डिया (सेवानिवृत्त)

1.	2.	3.
7.	प2(112)कार्मिक/क-3/93	श्री गुमानसिंह बारहठ (निलम्बित)
	प2(112)कार्मिक/क-3/93	श्री आर.एन. माथुर (निलम्बित)
8.	प2(167)कार्मिक/क-3/93	श्री जसराज सेवदा (निलम्बित)
9.	प2(154)कार्मिक/क-3/86	श्री आर. पी. जोशी (सेवानिवृत्त)
10.	प2(209)कार्मिक/क-3/85	श्री जुगलकिशोर माथुर (विभागीय जांच के प्रकरण में आदेश दिनांक 21.8.98 से सेवा से पृथक्)
11.	प2(12)कार्मिक/क-3/92	श्री मनोज नाग

परिशिष्ट "ब"

गत 2 वर्षों में कार्यरत अधिकारियों की सूची

1. श्री बी. के. मीणा, आई. ए. एस.
   - शासन उप सचिव, आयोजना विभाग - 12.11.93 से 12.8.97
   - निदेशक, मत्स्य विभाग - 16.8.97 से 23.9.98
   - विशेषाधिकारी, गृह विभाग - 26.09.98 से लगातार

2. श्री ओंकार लाल जाट, आर. ए. एस.
   - दिनांक 16.02.93 को निलम्बित किया गया एवं 06.02.97 को बहाल किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 17.03.97 को ए. सी. ई. एम. धौलपुर के पद पर कार्यग्रहण किया। इसके पश्चात् दिनांक 17.04.98 को उन्हें पुन: निलम्बित किया गया एवं दिनांक 1.12.98 द्वारा पुन: बहाल किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 3.12.98 द्वारा पुन: निलम्बित किया गया एवं दिनांक 08.02.99 द्वारा पुन: बहाल किया गया। वर्तमान में दिनांक 22.03.99 से ए.सी.ई.एम. डूंगरपुर के पद पर कार्यरत हैं।

3. श्री मनोज नाग, आर. ए. एस.
   - दिनांक 23.12.94 से ए.सी.ई.एम. रावतभाटा का कार्यग्रहण किया इसके पश्चात् दिनांक 21.6.97 को एस.डी.ओ. कपासन के पद पर कार्यभार संभाला। इसके पश्चात् दिनांक 31.06.98 को एस.डी.ओ. निम्बाहेड़ा का कार्यभार संभाला। इसके पश्चात् दिनांक 17.03.99 से एस.डी.ओ. दौसा के पद पर पदस्थापन्न किया गया।

जिला डूंगरपुर के किसानों का मुआवजा प्रकरण

210. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला डूंगरपुर में सिंचाई विभाग के कितने तालाब हैं? सूची मय नाम व पंचायत समिति के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बांधों की डूब में आई भूमि का सम्बन्धितों को मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना किस-किस काश्तकार को?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने काश्तकारों को भूमि के बदले भूमि दी है? यदि हां, तो किस हिसाब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में सिंचाई विभाग के कुल 79 बांध हैं। तालाबों की पंचायत समिति वाईज सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सिंचाई विभाग के योजना मद में निर्मित सभी बांधों के डूब क्षेत्र में आई जमीनों का मुआवजा दिया गया है। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार अब तक परियोजनावार प्रत्येक काश्तकार को मुआवजे की राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार घोडियों का नाका सिंचाई परियोजना पर नौ (9) काश्तकारों को जमीन के बदले जमीन दी गई है। इन काश्तकारों की सूची संलग्न परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला भरतपुर के प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

211. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में जिला भरतपुर में कितने नये पशु चिकित्सालय एवं उप केन्द्र खोले गये हैं?

(2) क्या सरकार उक्त जिले में इस वर्ष नये पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जिला भरतपुर में निम्नांकित पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र खोले गये हैं :-

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय	
1.	खेड़ली गरासिया	95-96
2.	ककड़ा (डीग)	98-99
3.	अद्यापुर	98-99
4.	जीवट (बयाना)	98-99
5.	बहज	98-99

उपकेन्द्र-12

मजाजपुर, घरसोनी, पेगोर, सेवर, दिर सेवली, सितारा, खोह, जटमासी, माडोनी डहरा, सीही, धोर-महुआ, उवार सोगर

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(2) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नये पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में विचार किया जाना संभव होगा।

पुलिस थाना राजगढ़ (चूरू) में दर्ज प्रकरण

212. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चूरू के पुलिस थाना राजगढ़ में दिनांक 2 मार्च, 1999 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 61 व 62 किस-किस धारा में दर्ज की गई और इसमें कितने मुलजिम बचाये गये? उक्त मुकदमों में कितनी गिरफ्तारियां कब-कब हुईं? विवरण मय प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 2 मार्च, 1999 को मुलजिमों का पिछा कर रही पुलिस की जीप से टक्कर होने पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही किस धारा में किस-किस के विरुद्ध की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 2 मार्च, 1999 को ग्राम नांगली में होली खेल रहे निर्दोष व्यक्तियों पर बर्बर लाठी चार्ज कर निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया? यदि हां, तो किस-किस को और क्यों?

उत्तर

(1) जिला चूरू के पुलिस स्टेशन राजगढ़ में दिनांक 2.3.99 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 61 धारा 304, 147, 149 भा. द. सं. में दर्ज हुई जिसमें 10 अभियुक्त नामजद हैं व अनुसंधान से भी 10 अभियुक्त ही पाये गये हैं। इनमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक 4.3.99 को व एक अभियुक्त की गिरफ्तारी 5.3.99 को की गई। 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है थाना राजगढ़ में अभियोग सं. 62 दिनांक 2.3.99 धारा 307, 332, 353, 147, 148, 149 भा. दं. सं. व 27 आर्म्स एक्ट व 3 पी डी पी पी एक्ट दर्ज हुआ जिसमें 3 अभियुक्त नामजद हैं व 15-20 अन्य हैं। अनुसंधान से कुल 19 अभियुक्त घटना में शामिल पाये गये हैं। इनमें से 17 अभियुक्तों की गिरफ्तारी दिनांक 2.3.99 को व एक की गिरफ्तारी दिनांक 3.3.99 को हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी, नहीं।

परिशिष्ट "अ"

प्रतिलिपि :- अभियोग संख्या 61/99 अन्तर्गत धारा 304, 147, 149, भा. द. सं. दिनांक 2.3.99 थाना राजगढ़, जिला चूरू

आज दिनांक 2.3.99 के वक्त 12:45 पर श्री महावीर प्रसाद कानि. नं. 510 बहवाले रपट संख्या 78 तारीख हाजाका गया हुआ वापिस आया वा एक कीता रिपोर्ट बदी मजमून सेवा में श्रीमान् एस.एच.ओ. साहब, थाना राजगढ़ विषय-मुकदमा दर्ज करवाने हेतु। महोदय निवेदन है कि आज सुबह 11:00 बजे की घटना है मैं हमारे गांव में ओमप्रकाश पुत्र महिपत जाट की दुकान प्रचुनी की दुकान है। के आगे रास्ता आम के किनारे खड़ा हुआ था मेरे पास ही

मेरे गांव के लिखमा राम पुत्र श्री खेमाराम जाट व हरिसिंह पुत्र धनसिंह जाट भी खड़े थे। हमारे गांव का गिरधारी पुत्र दाता राम जाट जो बुढ़ा आदमी है। उस समय धीरे-धीरे अपने घर की तरफ से गांव की तरफ जा रहा था। अचानक ढाणी कुम्हारान की तरफ से एक मिनी ट्रक टाटा 407 नम्बर आर. जे. 10 जी. 0223 आई जो हमारे गांव के अन्दर से होकर न्यांगली की तरफ जा रही थी। जिसको शेरसिंह पुत्र सुगनसिंह राजपूत निवासी न्यांगली चला रहा था। मिनी ट्रक के आगे की सीट पर केबिन में विरेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह, विरेन्द्र सिंह पुत्र जीतू सिंह राजपूतान निवासी न्यांगली पप्पूसिंह राजपूत निवासी सोहडी जो सतनाली (हरियाणा) के पांस के हैं बैठे थे। पीछे डाले में जयपाल पुत्र रामस्वरूप स्वामी निवासी रामस्वरूप की ढाणी रोही झमली श्यामसिंह पुत्र भागीरथ सिंह राजपूत, सूरतसिंह पुत्र सायरसिंह राजपूत नेपू सिंह पुत्र सवाईसिंह, विनोद सिंह पुत्र सायरसिंह राजपूत ईश्वरसिंह पुत्र सुगनसिंह राजपूत निवासीगण न्यांगली खड़े हुये सवार थे। गिरधारी ने टाटा 407 को धीरे चलाने के लिये पीछे की तरफ हाथ से ईशारा किया हमने भी हाथ से ईशारा कर ड्राईवर को मिनी ट्रक धीरे चलाने के लिये कहा लेकिन मिनी ट्रक में सवार अन्य लोगों ने एक साथ ड्राइवर से कहा कि चल गाड़ी को मत रोकना किसी को टक्कर लगती है तो लग जाने दे। एक दो आदमी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता तथा हमारे बार-बार गाड़ी रोकने का ईशारा करने के बावजूद गाड़ी में सवार लोगों के कहने से जानबूझ कर गिरधारी के ऊपर से टाटा 407 निकाल दी। जिससे गिरधारी की मौके पर ही मौत हो गयी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी व पीछे देख कर कहा कि मर गया साला तो पीछे सवार लोगों ने कहा कि तू गाडी चला कोई सामने मिलता है तो गाड़ी मत रोका कर मैंने लिखमाराम, हरिसिंह ने दौड़कर टाटा 407 को रोकने को कोशिश की व टाटा 407 के पीछे भागे। तो ड्राईवर गाड़ी को भगाकर ले गया। प्रार्थी एस.डी. प्रतापसिंह, प्रतापसिंह पुत्र वीरसिंह जाट निवासी लाखलाण बड़ी त. राजगढ़ दिनांक 2.3.99 पेश की जिसकी नगल सबद व सबद की गई। मजबून रिपोर्ट से जुर्म धारा 304, 147, 149, भा. द. सं. का घटित होना पाया गया।

परिशिष्ट "ब"

प्रतिलिपि : अभियोग संख्या 62/99 धारा 307, 353, 332, 147, 148, 149 भा. द. सं. व 27 आर्म्स एक्ट व 3 पीडीपीपी एक्ट दिनांक 2.3.99 थाना राजगढ़, जिला चूरू

आज दिनांक 2.3.99 के वक्त 2.30 पी.एम. पर मन सी.आई. भंवरलाल मय श्री केसाराम ए.एस.आई. मूल सिंह कानि. 158 उम्मेद सिंह कानि. 521 पैपसिंह कानि 465, ड्राईवर सूरजाराम नम्बर 400 के जरिये जीप सरकारी आर. जे. 10 सी 1823 के बहवाले रपट संख्या 98 तारीख हाजा हमरकाब श्रीमान सी.ओ. साहब के गया हुआ वापिस आया। व दर्ज रहे कि दौराने गस्त लाखमाश बडी पहुंचा बमुकाम लाखलाण बड़ी श्री प्रतापसिंह पुत्र वीरसिंह जाट गांव लाखलाण बड़ी में एक परिवाद जुर्म धारा 304, 147, 149 आई.पी.सी. का पेश किया। जो वास्ते कायमी एफ.आई.आर. बदस्त श्री महावीर प्रसाद कानि. 510 के थाना भिजवाया वा अनुसंधान हेतु श्री

बालूराम एस.आई. कानि. श्री मुकेश शक्ति सिंह को मौका पर छोड़ा गांव के श्री लिखमाराम जाट वा रेखाराम जाट ने बताया कि जानबूझकर टक्कर मार कर भगा ले जाने वाले ट्रक को ट्रक ड्राईवर शेरसिंह राजपूत निवासी न्यागली जो ट्रक को लेकर न्यागली गया है। ट्रक में 10 आदमी थे। अतः लिखमाराम रेखाराम को हमराह लिया वा हमरकाब श्रीमान सी.ओ. साहब वास्ते गिरफ्तारी मुलजिमान रवाना न्यागली को हुआ। वक्त 1.00 पी.एम. मकान मुलजिम शेरसिंह वाके मौजा न्यागली पर दबीस दी तो अक्समात् मुलजिम शेरसिंह राजपूत, वीरेन्द्र सिंह, मनोजकुमार पुत्रगण सवाईसिंह राजपूत निवासी न्यागली वा उसके साथ 15-20 आदमी और थे, ने अन्धाधुन्ध पत्थर फैंकने शुरू कर दिये। जिससे जीप सरकारी का आगे का बड़ा शीशा व साईड ग्लास टूट गये। व ड्राईवर सूरजाराम के पत्थर की चोट लगी। महेन्द्र सिंह ड्राईवर जिप्सी सी.ओ. साहब के पत्थर की चोटें लगी। व मूलसिंह कानि. के भी चोटें लगी। मुलाजमान ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो महेन्द्र सिंह व मूल सिंह के लाठियों की चोटें मारी व विरेन्द्र सिंह ने मुझ सी. आई. व पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से देशी कटटा के 3 फायर किये तब श्रीमान सी.ओ. साहब ने बचाव में अपने रिवाल्वर से एक फायर किया तब मुलजिमान मकानों की ओट लेकर भागने में सफल हुये व मुलजिमान की तलाश करता हुआ इस समय थाना पहुंचा मुलजिमान का यह फैल जुर्म धारा 307, 353, 332, 147, 148, 149, आई.पी.सी. 27 आर्म्स एक्ट वा 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट की तारीफ में आता है। अतः एफ.आई.आर. नं. 62/99 व जुर्म उपरोक्त में चाक की गई। तफतीश पूर्व से जारी है। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई। एस.आर. जारी की गई। दिनांक 2.3.99

एस.डी. भंवरलाल सिसोदिया
सी.आई., एस.एच.ओ.
थाना राजगढ़।

प्रशिक्षित आयुर्वेद कर्मियों का नियुक्ति प्रकरण

213. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रशिक्षित आयुर्वेद नर्स/कम्पाउंडर को इण्डियन मेडिसन बोर्ड से पंजीकृत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) राज्य में ऐसे कितने औषधालय हैं, जहां कम्पाउंडर के पद ही सृजित नहीं हैं? क्या सरकार उक्त औषधालयों में पदों को सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्रशिक्षित बेरोजगार आयुर्वेद कम्पाउंडरों को वरीयता क्रम से नियुक्तियां देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 में नर्स/कम्पाउण्डरों के पंजीयन का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) वर्तमान में 323 औषधालयों में नर्स/कम्पाउण्डर के पद सृजित नहीं हैं। वित्त

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् पद भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) नर्स/कम्पाउण्डर पद पर नवीन नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र

214. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार श्वेत पत्र के माध्यम से आर्थिक स्थिति का खुलासा करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) श्वेत पत्र में वर्ष 1990 से 1 दिसम्बर, 1998 तक सस्ती दर पर बिजली देने से सरकार को कितना कर्जा लेना पड़ा और मण्डल को कितना घाटा हुआ है? क्या इसमें उसका उल्लेख होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त श्वेत पत्र में वर्ष 1990 से 1998 तक किसानों के कर्ज माफ किये बारानी जमीन का लगान माफ किया उसका भी उल्लेख होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) गत 9 वर्षों में सरकार द्वारा बनाई गई परिसम्पत्तियां कितनी हैं? क्या इसका भी उल्लेख सरकार श्वेत पत्र में करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, श्वेत पत्र जारी कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। श्वेत पत्र राज्य की अर्थ व्यवस्था व वित्तीय स्थिति पर जारी किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों अथवा मण्डलों के क्रियाकलापों अथवा घाटे का विवरण देना अपेक्षित नहीं है।

(3) जी नहीं। सरकार के विभिन्न निर्णयों का श्वेत पत्र में उल्लेख करना अपेक्षित नहीं है।

(4) जी हां, श्वेत पत्र में वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक सरकार द्वारा बनाई गई 8466 करोड़ 27 लाख रुपये की परिसम्पत्तियों का उल्लेख कर दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में महाविद्यालय की स्थापना

215. डा. जसवन्त सिंह यादव (मुंडावर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में एक भी महाविद्यालय कार्यरत नहीं है?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां एवं कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में महाविद्यालय प्रारम्भ करने के निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "अ" के रूप में उपलब्ध है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र मुण्डावर महाविद्यालय प्रारम्भ करने के मानदण्ड पूरे नहीं करता है।

परिशिष्ट "अ"

महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड

(1) प्रस्तावित स्थान से 30 किमी. की परिधि में कोई महाविद्यालय संचालित न हो।

(2) प्रस्तावित स्थान से 20 किमी. की परिधि में कम से कम चार सीनियर सैकण्डरी स्कूल संचालित हों।

(3) महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन उपलब्ध हो।

(4) प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यदि कोई दानदाता, स्वयंसेवी संस्था अथवा ट्रस्ट महाविद्यालय खोलना चाहे तथा वह महाविद्यालय का भवन बनाकर तथा महिला महाविद्यालय बनाने के लिए एक वर्ष का आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथा सह शिक्षा महाविद्यालय के लिए तीन वर्ष का आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय राज्य कोष में जमा कराने का लिखित में आश्वासन दे तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रारम्भ करने पर विचार कर सकती है।

अधिकारियों/निरीक्षकों के रिक्त पद

216. श्री अमराराम (धोद) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) राज्य में श्रम विभाग के अधिकारियों/निरीक्षकों के कितने पद कब से व कहां रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि कई वर्षों से श्रम विभाग के अधिकारियों/निरीक्षकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती/पदोन्नति से भरने की कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या अधिकारियों/निरीक्षकों के पद नहीं भरे जाने के कारण बहुत से पद विगत तीन वर्षों में समाप्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो समाप्त किये गये पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार की उक्त कार्यवाही से श्रमिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में श्रम विभाग के रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, श्रम कल्याण अधिकारियों एवं श्रम निरीक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती से भरने के नियमों में संशोधन की कार्यवाही जारी है। जहां तक पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रश्न है इस संबंध में अधिकारियों की वरिष्ठता का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति नहीं हुई।

(श्रम मंत्री)

(3) जी हां, समाप्त किए गए पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) विभाग के अधिकारियों की पदोन्नति नही होने के कारण रिक्त पदों के विरुद्ध अन्य अधिकारियों को पदस्थापित करके कार्य को सम्पादित करवाया जा रहा है। इसके कारण श्रमिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया है। विभाग प्रयासरत है कि शीघ्र से शीघ्र इन पदों को भरा जाये।

परिशिष्ट "क"

श्रम विभाग में अधिकारियों के रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	पदनाम	स्थान जहां पद रिक्त है	पद रिक्त होने की तिथि
1	2	3	4
1.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	1. मुख्यालय, जयपुर	1.4.99
2.	संयुक्त श्रम आयुक्त	1. मुख्यालय, जयपुर (आई.आर.)	1.11.96
		2. मुख्यालय (विधि)	23.3.99
		3. जयपुर रीजन	8.9.97
		4. जोधपुर रीजन	18.8.96
		5. कोटा रीजन	2.5.94
		6. उदयपुर रीजन	5.4.94
		7. अजमेर रीजन	1.8.97
		8. अलवर रीजन	7.5.94
		9. बीकानेर रीजन	4.8.97
		10. निदेशक, बाल श्रमिक परि., जयपुर	20.7.95
		11. पी.एच.ई.डी., जयपुर	22.12.95
3.	उप श्रम आयुक्त	1. श्रीगंगानगर	3.4.96
		2. भीलवाड़ा	1.4.99
		3. पी.एच.ई.डी., जयपुर	3.12.97
4.	सहायक श्रम आयुक्त	1. मुख्यालय (आई.आर.) जयपुर	1.2.94
		2. मुख्यालय (लिटिगेशन) जयपुर	1.2.94
		3. जयपुर रीजन	19.8.94
		4. जोधपुर रीजन	7.5.94
		5. अजमेर रीजन	20.7.95

1	2	3	4
		6. टोंक रीजन	28.4.94
		7. सीकर रीजन	26.7.97
		8. उदयपुर रीजन	6.10.97
		9. पी.एच.ई.डी., बीकानेर	11.5.94
		10. सीचिंत विकास क्षेत्र, बीकानेर	16.1.92
		11. पी.एच.ई.डी. (विधि) जोधपुर	11.5.94
		12. ई.गा.न. परियोजना बीकानेर	1.8.95
		13. पी.एच.ई.डी. (विधि) जयपुर	11.5.94

परिशिष्ट "ख"

गत तीन वर्षों में समाप्त किए गए पदों का विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पदनाम	समाप्त किए गए पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	1996-97	श्रम निरीक्षक	6
2.	1998-99	उप श्रम आयुक्त	1
3.	1998-99	सहायक श्रम आयुक्त	3
4.	1998-99, 1999-2000	श्रम कल्याण अधिकारी	8
5.	1998-99	श्रम निरीक्षक	5
6.	1998-99	ग्रामीण श्रम निरीक्षक	3

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के आंगनवाड़ी केन्द्र

217. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कहां-कहां कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं एवं कितने केन्द्र बन्द हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में बच्चों को पोषाहार में क्या दिया जाता है?

(3) पंचायत समिति क्षेत्र बांदीकुई में और कितने केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं? गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्तमान में 160 आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। सूची

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

परिशिष्ट "अ" संलग्न है। केवल एक केन्द्र बिवाई-I बन्द है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को पोषाहार के रूप में मॉर्डन फूड इण्डस्ट्रीज, जयपुर द्वारा उत्पादित मुरमुरे एवं पंजीरी का वितरण किया जा रहा है।

(3) भारत सरकार द्वारा बाल विकास परियोजना, बांदीकुई के लिए 190 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। अत: उक्त क्षेत्र के लिए 29 और आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने हैं। क्षेत्र के व्यापक सर्वेक्षण के उपरान्त 22 केन्द्रों हेतु ग्रामों का चयन कर लिया गया है। जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। शेष 7 आंगनवाडी केन्द्रों हेतु ग्रामों का सर्वेक्षण एवं चयन सम्बन्धी प्रक्रिया चल रही है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम
1.	लौटवाड़ा-प्रथम
2.	लौटवाड़ा-द्वितीय
3.	नांगल लौटवाड़ा
4.	कोठीन
5.	झूंथाहेडा कलां
6.	झूंथाहेडा खुर्द
7.	कालाहेड़ा-प्रथम
8.	कालाहेड़ा-द्वितीय
9.	अलीपुर
10.	हिंगोटा-प्रथम
11.	हिंगोटा-द्वितीय
12.	ढिगारिया कपूर
13.	कंचनपुरा
14.	बेजूपाडा
15.	खूंटला
16.	सुमेलकलां
17.	देलाड़ी
18.	ढिगारिया टप्पा
19.	धनावड़-प्रथम
20.	धनावड़-द्वितीय

क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम
21.	धनावड़-तृतीय
22.	भोजवाड़ा
23.	द्वारापुरा
24.	श्यामसिंह पुरा
25.	मीतरवाड़ी
26.	जस्सापाड़ा
27.	हरिजन ढाणी
28.	झांज्या का वास
29.	बासड़ा
30.	झूपडीन
31.	रानापाड़ा
32.	मीनापाड़ा
33.	मूडघिस्या
34.	बैंसला का बास
35.	अनन्तवाड़ा
36.	हरिपुरा
37.	पूंदरपाड़ा
38.	अरनिया-प्रथम
39.	अरनिया-द्वितीय
40.	अरनिया-तृतीय

क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम
41.	अरनिया-चतुर्थ	71.	उनबडा गांव-तृतीय
42.	गुढलियावास	72.	पीचूपाड़ाखुर्द-प्रथम
43.	गादरवाडा ब्राह्मण	73.	पीचूपाड़ाखुर्द-द्वितीय
44.	कोलवा	74.	पीचूपाड़ा कलां-प्रथम
45.	विजयपुरा	75.	पीचूपाड़ा कलां-द्वितीय
46.	नयागांव	76.	सोमाडा
47.	भांवता-प्रथम	77.	प्रतापपुरा-प्रथम
48.	भांवता-द्वितीय	78.	प्रतापपुरा-द्वितीय
49.	भांवती	79.	राणी का वास
50.	गुढलिया-प्रथम	80.	लीलोज का गोला
51.	गुढलिया-द्वितीय	81.	लीलोज
52.	गुढलिया-तृतीय	82.	बास बिवाई-प्रथम
53.	तेली की ढाणी	83.	बास बिवाई-द्वितीय
54.	नांगवास	84.	दुब्बी
55.	बडियाल खुर्द	85.	नांगल झामरवाड़ा
56.	काटरवाड़ा	86.	सुधारनपाड़ा
57.	गुढा कटला-प्रथम	87.	गोलाड़ा-प्रथम
58.	गुढा कटला-द्वितीय	88.	गोलाड़ा-द्वितीय
59.	गुढा कटला-तृतीय	89.	गोलाड़ा-तृतीय
60.	गुढा कटला-चतुर्थ	90.	निहालपुरा
61.	गुढा कटला-पंचम	91.	महुखुर्द
62.	मुही-प्रथम	92.	महु खेड़ा
63.	मुही-द्वितीय	93.	पातर खेड़ा
64.	दिलावर पुरा	94.	गुढा आशिकपुरा
65.	ऐचेडी	95.	अन्तपुरा
66.	खूट जाटोली	96.	पाडला
67.	थेला की ढाणी	97.	गिरधरपुरा
68.	पामाडी-द्वितीय	98.	केशरी सिंह पुरा
69.	उनबडा गांव-प्रथम	99.	जयपुरा
70.	उनबडा गांव-द्वितीय	100.	गुल्लाना-प्रथम

क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम
101.	गुल्लाना-द्वितीय
102.	नारायणपुरा
103.	कोलाना-प्रथम
104.	कोलाना-द्वितीय
105.	फूलेला
106.	करनावर-प्रथम
107.	करनावर-द्वितीय
108.	बसवा-प्रथम
109.	बसवा-द्वितीय
110.	बसवा-तृतीय
111.	बसवा-चतुर्थ
112.	बसवा-पंचम
113.	बसवा-षष्ठम
114.	बसवा-सप्तम
115.	बसवा-अष्टम
116.	सबडावली
117.	नन्देरा-प्रथम
118.	नन्देरा-द्वितीय
119.	नन्देरा-तृतीय
120.	किशनपुरा
121.	बडियाल कलां-प्रथम
122.	बडियाल कलां-द्वितीय
123.	बडियाल कलां-तृतीय
124.	चौरवाड़ा
125.	मेडी
126.	धांधोलाई
127.	खेड़ा
128.	खेड़ी-प्रथम
129.	खेड़ी-द्वितीय
130.	रूपवास

क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम
131.	रलावता-प्रथम
132.	रलावता-द्वितीय
133.	मोटूका-प्रथम
134.	मोटूका-द्वितीय
135.	जागीर बांदीकुई-प्रथम
136.	जागीर बांदीकुई-द्वितीय
137.	जागीर बांदीकुई-तृतीय
138.	जागीर बांदीकुई-चतुर्थ
139.	जागीर बांदीकुई-पंचम
140.	बाढ बगीची-प्रथम
141.	बाढ बगीची-द्वितीय
142.	श्यालावास-प्रथम
143.	श्यालावास-द्वितीय
144.	श्यालावास-तृतीय
145.	श्यालावास-चतुर्थ
146.	श्यालावास-पंचम
147.	बड़ावास-प्रथम
148.	बड़ावास-द्वितीय
149.	सुनवाडी
150.	मुकुरपुरा
151.	भाण्डेडा-प्रथम
152.	भाण्डेडा-द्वितीय
153.	पंडितपुरा-प्रथम
154.	पंडितपुरा-द्वितीय
155.	पंडितपुरा-तृतीय
156.	कुटी-प्रथम
157.	कुटी-द्वितीय
158.	सोडाला
159.	आभानेरी
160.	गादरवाड़ा गूजरान

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के अन्तर्गत खोले जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	क्र. सं.	केन्द्र का नाम
1.	रामपुरा	12.	बास बिवाई-द्वितीय
2.	बावड़ी खेड़ा	13.	बगडेडा
3.	तिगड्डा	14.	कीरतपुरा
4.	चान्देरा	15.	मोराड़ी
5.	लौटवाड़ा-तृतीय	16.	रेहडिया-द्वितीय
6.	ढिगारिया भीम	17.	मूंड घिस्या
7.	रानापाड़ा-द्वितीय	18.	पामाडी-द्वितीय
8.	करनावर-तृतीय	19.	श्याम पुरा
9.	चौवडी वाला	20.	कालेड
10.	भैदाडी मीणान्	21.	पामाडी-तृतीय
11.	रेहडिया-प्रथम	22.	कोलेश्वर

जिला अलवर के ऐतिहासिक किलों का बेचान प्रकरण

218. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तिजारा/अलवर बालाजी एवं इन्दौर का किला लीज पर बेचा जा रहा है।

(2) अब तक लीज पर लेने अथवा बिक्री के कितने प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन्हें बेचने/लीज पर दिये जाने की स्थिति में खुली बोली पद्धति अपनाने/निविदा आमंत्रित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) उक्त सम्पत्तियों में मात्र तिजारा किला को लीज पर दिया जाना विचाराधीन है।

(2) उक्त सम्पत्ति के लीज पर लेने हेतु अब तक निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई हैं। अत: सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) उक्त सम्पत्ति को लीज पर दिये जाने हेतु द्विस्तरीय निविदाएं आमन्त्रित करने का विचार है।

विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के हैण्डपम्प

219. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में कुल कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्प लगा दिये गये एवं कितने शेष हैं?

(2) उक्त लगाये गये हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्प वर्तमान में चालू हालत/बन्द पड़े हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री आर. पी. शर्मा)

(3) उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों में से शेष रहे हैण्डपम्पों को अब कब तक लगा दिया जायेगा? सरकार खराब पड़े हैण्डपम्पों को कब तक चालू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में 105 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर है। उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों में से 76 हैण्ड पम्प लगा दिये गये एवं 29 हैण्डपम्प लगाने शेष हैं।

(2) उक्त लगाये गये हैण्डपम्पों में से 76 हैण्डपम्प वर्तमान में चालू हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर है।

(3) उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों में से 29 शेष रहे हैण्डपम्पों को अप्रेल अन्त तक लगाया जाना प्रस्तावित है। मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को सुधारने हेतु 25वां हैण्डपम्प मरम्मत अभियान चालू है, जिसमें खराब हैण्डपम्पों को चालू किया जाता है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में विगत 5 वर्षों में स्वीकृत हैण्डपम्पों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं.	स्वीकृत हैण्डपम्प का स्थान	स्वीकृति वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
तहसील भरतपुर					
1.	स्योराना	37	हरिजन बस्ती	94-95	स्थापित है
2.	झीलरा	39	स्कूल वाला	95-96	" "
3.	अचलपुरा	40	जाटव बस्ती	96-97	" "
4.	गुरबारा	41	भीमसिंह के पास	96-97	" "
5.	भाडोर	59	पोखर वाला	96-97	" "
6.	टौंटपुर	61	स्कूल वाला	96-97	" "
7.	जधीना	63	1. प्राथमिक शाला	95-96	" "
			2. जाटव बस्ती	98-99	" "
8.	बिलोठी	73	प्रा. स्कूल वाला	95-96	" "
9.	हरेनी	81	1. प्राथमिक स्कूल	95-96	" "
			2. हरिजन वाला	96-97	" "
10.	नोंह	86	1. मंदिर वाला	95-96	" "
			2. स्कूल वाला	94-95	" "
11.	सूती	94	जाटव बस्ती	96-97	" "

1	2	3	4	5	6
12.	नूरपुर	95	स्कूल वाला	95–96	स्थापित है
13.	घुसियारी	96	हरिजन वाला	96–97	” ”
14.	चल दौलतपुर	98	स्कूल पर	95–96	” ”
15.	चक हथकोली	101	स्कूल पर	95–96	” ”
16.	चक अंदरा	103	जाटव बस्ती	94–95	” ”
17.	डूंदरा	104	सड़क पर	94–95	” ”
18.	चारलीगंज	105	स्कूल पर	95–96	” ”
19.	बझेरा	108	हरिजन बस्ती	96–97	” ”
20.	बछाम्दी	110	1. स्कूल पर	95–96	” ”
			2. हरिजन वाला	96–97	” ”
			3. पोखर वाला	94–95	” ”
21.	जाटोली घना	112	ठाकुरों वाला	96–97	” ”
22.	घसोला	113	जाटव बस्ती	96–97	” ”
23.	सुनारी	116	1. हरिजन वाला	96–97	” ”
			2. स्कू ल वाला	95–96	” ”
			3. महेरानिया	95–96	” ”
24.	मालोनी	117	नकला में	95–96	” ”
25.	पिडियानी	118	स्कूल वाला	95–96	” ”
26.	समसापुर	118	कुआ पर (स्कूल)	95–96	” ”
27.	खेमरा	120	1. जाटव बस्ती	96–97	” ”
			2. स्कूल वाला	95–96	” ”
28.	महतोली	126	स्कूल वाला	95–96	” ”
29.	ठेहरालोढा	127	पोखर	95–96	” ”
30.	मलाह	133	1. हरिजन	96–97	” ”
			2. स्कूल	95–96	” ”
			3. स्कूल (न. मह.)	95–96	” ”
31.	खंडेरा	135	जाटव बस्ती	96–97	” ”
32.	रामनगर	136	जाटव बस्ती	94–95	” ”
33.	चक रामनगर	137	स्कूल	95–96	” ”
34.	खरेरा	143	स्कूल पर	95–96	” ”
35.	अजान	144	स्कूल वाला	95–96	” ”

1	2	3	4	5	6
36.	क्वरोला	147	हरिजन	96-97	स्थापित है
37.	ऊंचा गांव	148	हरिजन	96-97	” ”
38.	ऊधापुर	150	1. चकनाऊ	94-95	” ”
			2. बीस मोरा	95-96	” ”
39.	घेरी	156	स्कूल वाला	95-96	” ”
40.	चक काजी	162	जाटव बस्ती	96-97	” ”
41.	चक नागला टीकेता	164	सड़क वाला	96-97	” ”
42.	नगला टीकेता	165	हरिजन बस्ती	96-97	” ”
43.	दारापुर	168	1. स्कूल पर	95-96	” ”
			2. पोखर पर	96-97	” ”
44.	चकदारापुर नं. 2	172	धर्मशाला वाला	97-98	” ”
45.	चिचाना	173	1. स्कूल वाला	97-98	” ”
			2. कुंआ पर	97-98	” ”
46.	भरतपुर (शहर)		ब्रज नगर काकाजी	96-97	” ”
			बीनारायण गेट कुण्डा	96-97	” ”
			कोली बस्ती सूरजपोल	96-97	” ”
			कोलीबस्ती जधीनागेट	96-97	” ”
			मिनी सचिवालय	96-97	” ”
			सुभाष नगर कालोनी	96-97	स्थापित है।
			एन.एफ.एल. गोदाम	96-97	” ”
			कल्आ का नगला	96-97	” ”
			हरिजन बस्ती टाउनहाल	96-97	” ”
			कृष्णा नगर एन.सी.सी.	96-97	” ”
			हीरादास (स्टेडियम)	96-97	” ”
			रहमानपुरा	96-97	” ”
			ब्रज नगर	96-97	” ”
			खोह बस्ती	96-97	” ”
			गुलाल कुण्ड तालाब	96-97	” ”
			तुफानी नगला जाटव बस्ती	96-97	” ”
			कम्पनी बाग क्लब (सूरजपोल के पास)	98-99	” ”
			विजयनगर	98-99	” ”

1	2	3	4	5	6
तहसील भरतपुर					
47.	भांडोर	59	1. मिडिल स्कूल	98-99	लगाया जाना शेष है।
48.	जधीना	63	2. प्राथमिक स्वा. केन्द्र	98-99	,, ,,
			3. प्राथमिक स्वा. केन्द	98-99	,, ,,
49.	नगला हथेनी	72	4. मिडिल स्कूल	98-99	,, ,,
50.	बिलोठी	73	5. मिडिल स्कूल	98-99	,, ,,
51.	पीपला	79	6. मिडिल स्कूल	98-99	,, ,,
			7. प्रा. स्वा. केन्द्र	98-99	,, ,,
52.	गावरी	88	8. मिडिल स्कूल	98-99	,, ,,
53.	घुसयारी	96	9. मिडिल स्कूल	98-99	,, ,,
			10. प्रा. स्वा. केन्द्र	98-99	,, ,,
54.	चिकसाना	100	11. प्रा. स्वा. केन्द्र	98-99	,, ,,
			12. उच्च मा. विद्यालय	98-99	,, ,,
55.	इकरन	106	13. बस स्टेण्ड पर	98-99	,, ,,
			14. प्रा. स्वा. केन्द्र	98-99	,, ,,
56.	रुंध इकरन	107	15. मिडिल स्कूल	98-99	,, ,,
57.	बझेरा	108	16. मिडिल स्कूल	98-99	,, ,,
58.	बछामदी	110	17. प्रा. स्वा. केन्द्र	98-99	,, ,,
59.	जाटोली धना	112	18. मिडिल स्कूल	98-99	,, ,,
60.	बरसो	113	19. प्रा. स्वा. केन्द्र	98-99	,, ,,
61.	टेहरा लोधा	127	20. प्रा. स्वा. केन्द्र	98-99	,, ,,
62.	बहनेरा	131	21. मिडिल स्कूल	98-99	,, ,,
			22. प्रा. स्वा. केन्द्र	98-99	,, ,,
63.	मलाह	133	23. मिडिल स्कूल	98-99	,, ,,
			24. प्रा. स्वा. केन्द्र	98-99	,, ,,
64.	चक नगला टीकेता	164	25. बस स्टेण्ड	98-99	,, ,,
65.	चक नगला फतियार	165	26. पोखर पर	98-99	,, ,,
66.	दारापुर	168	27. मिडिल स्कूल	98-99	,, ,,
67.	चक दारापुर नं. 2	172	28. सड़क वाला	98-99	,, ,,
69.	चिचाना	173	29. प्रा. स्वा. केन्द्र	98-99	,, ,,
	कुल		29 हैण्डपम्प		

जिला जैसलमेर में व्याख्याताओं के रिक्त पद

220. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) जिला जैसलमेर में जिला शिक्षा अधिकारी/व्याख्याताओं के कितने पद रिक्त हैं?

(2) अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं 27 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नर्मदा नहर परियोजना निर्माण प्रकरण

221. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नर्मदा नहर परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? वर्ष 1999-2000 में कितनी राशि व्यय की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नहर का कार्य अभी अपूर्ण है? यदि हां, तो उक्त नहर का कार्य अब कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

(3) उक्त नहर का क्षेत्र जालौर जिला मुख्यालय से कितनी दूरी पर है? क्या यह सही है कि उक्त नहर पर कार्यरत अधिकारी जिला मुख्यालय पर रहते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों को सांचोर क्षेत्र में हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नर्मदा नहर परियोजना पर अब तक रुपये 15086 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष 1999-2000 में रुपये 4815 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त नहर का कार्य अभी अपूर्ण है। गुजरात सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार वर्ष 2004-2005 तक राजस्थान सीमा तक पानी पहुंचने की संभावना है। वर्तमान अनुमान के अनुसार नहर निर्माण का कार्य वर्ष 2007-2008 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) नर्मदा नहर का क्षेत्र जालौर मुख्यालय से 170 कि.मी. दूरी पर है। जी नहीं। कार्य जालौर जिले में चल रहा है, अत: कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुछ कार्यालय जालौर में रखे हैं। उक्त कार्य की आवश्यकतानुसार जालौर से सांचोर शिफ्ट करने का अभी विचार नहीं है। नहर निर्माण हेतु स्वीकृत एक वृत, दो खण्ड एवं तेरह उपखण्डों में से एक वृत, एक खण्ड एवं एक उपखण्ड कार्यालय ही जिला मुख्यालय पर कार्यरत है।

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के पशु चिकित्सालय

222. श्री जीतमल (बागीदौरा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जीतमल)

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में कुल कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां स्थित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(3) क्या सरकार पशु चिकित्सालय खोलने में ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में 7 पशु चिकित्सालय क्रमशः जोलाना, बागीदौरा, आनन्दपुरी, शेरगढ़, गांगड़तलाई, अरथूना एवं नाहरपुरा में कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नये पशु चिकित्सालय खोले जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी हां। वर्तमान में राज्य के 1319 पशु चिकित्सालयों में से 1111 पशु चिकित्सालय (84.24%) ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं।

प्रश्न संख्या-223

(स्थगित)

आयुर्वेदिक औषधालयों में वैद्यों के रिक्त पद

224. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रशिक्षण प्राप्त वैद्य प्रार्थी लम्बे समय से नौकरी की प्रतीक्षा में हैं? यदि हां, तो कितने और उन्हें कब तक रिक्त पदों पर नियुक्ति दे दी जायेगी?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों पर उक्त प्रार्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रोजगार सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 31.12.98 को रोजगार कार्यालयों की सजीव पंजिका पर 962 आयुर्वेद चिकित्सक पंजीकृत थे। विभाग में रिक्त 202 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी हां। प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

कर की बकाया राशि प्रकरण

225. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य सरकार को वर्ष 1997-98 व 1998-1999 में भू-राजस्व, बिक्री कर, देशी व विदेशी मदिरा तथा डोडा पोस्त से कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त मदों में कितनी बकाया राशि उक्त वर्षों में रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार को वर्ष 1997-1998 व 1998-1999 में प्राप्त व बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(वित्त मंत्री)

परिशिष्ट "अ"

(राशि करोड़ रुपये में)

मद		1997-98 में प्राप्त राशि	बकाया राशि 1997-98	1998-99 में माह फरवरी तक प्राप्त राशि	बकाया राशि 1998-99
1.	भू-राजस्व (राजस्व मण्डल के माध्यम से)	40.30	25.98	24.07	26.73
2.	बिक्री कर	1826.19	846.53	1834.03	977.09
3.	आबकारी मद (देशी व विदेशी मदिरा तथा डोडापोस्त आदि से प्राप्त राशि)	922.79	01.90	800.04	07.33

महाविद्यालयों में आपराधिक प्रकरण

226. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :** क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित महाविद्यालयों के छात्रावासों में गत पांच वर्षों में कौन-कौन-सी आपराधिक घटनाएं घटीं तथा उनमें कौन-कौन शामिल पाये गये?

(2) उक्त प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है?

(3) क्या छात्रावासों में प्रवेश के नियमों का सख्ती से पालन नहीं करने तथा वार्डनों की लापरवाही के कारण इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि होती है? यदि हां, तो इस ओर क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) राज्य के विश्वविद्यालयों से संबंधित महाविद्यालयों में गत पांच वर्षों में घटी आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट "अ" के रूप में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रत्येक विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसके अधिनियमों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रावास प्रवेश नियम बनाये गये हैं। विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता चाहने पर राज्य सरकार तत्काल उपलब्ध कराती है।

(3) जी नहीं।

(श्री शिवनाथ सिंह)

परिशिष्ट "अ"

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

(क) विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों से सम्बन्धित जे.सी. बोस छात्रावास में 5 सितम्बर, 1997 को सामुहिक बलात्कार की घटना की प्राथमिकी नं. 557/97 दर्ज हुई जिसमें निम्न नाम दिये गये हैं -

(1) संदीप दहिया	(2) राहुल चौधरी
(3) ओम बेनीवाल	(4) धर्मेन्द्र पूनिया
(5) संस्कार चौधरी	(6) ओम बिजारनियां
(7) रवि चौधरी	(8) कपिल चौधरी
(9) सुरेश चौधरी	(10) राजेश चौधरी
(11) रणवीर कड़वासरा	(12) प्रहलाद पूनिया
(13) मनोज चौटाला	(14) भारत भूषण पारीक
(15) हरीश सिहाग	

(ख) विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय से सम्बन्धित विवेकानन्द छात्रावास में 4 मार्च, 1999 को राजकुमार नाम के छात्र की हत्या की घटना घटी। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जांच करने के लिए प्रो. वी.पी. गुप्ता समिति का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय के पास विचाराधीन है।

(2) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा का स्वयं का कोई छात्रावास नहीं है। व विश्वविद्यालय का कोई संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय नहीं है।

(4) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

(क) सितम्बर, 1997 में हिरण मगरी सेक्टर, उदयपुर में हुई हत्या में विश्वविद्यालय के नेहरू छात्रावास के तीन छात्रों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हुआ। उपरोक्त छात्रों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हुआ। उपरोक्त छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यवाही करके उनको छात्रावास से तुरन्त निष्कासित कर दिया। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(ख) 1998-1999 : में विश्वविद्यालय के छात्रावास में कुछ छात्रों में झगड़े का मामला दर्ज हुआ जिसकी वर्तमान में जांच चल रही है।

(5) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर :

विश्वविद्यालय का कोई छात्रावास नहीं है। अत: सूचना शून्य समझी जाये।

(6) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर :

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के छात्रावासों में घटी आपराधिक घटनाओं का ब्योरा : –

आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा		विश्वविद्यालय द्वारा/पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही
(1)	23.8.95 को एक छात्र की पिटाई	जांच के दोषी पाये गये छात्रों पर आर्थिक दण्ड व भविष्य में इस प्रकार की घटना न करने के लिए पाबन्द।
(2)	16.12.95 को एक छात्र पर हमला होने से सिर में चोट से घायल	20 छात्रों का छात्रावास से निष्कासन व 2 वर्ष का कन्डक्ट प्रोबेशन
(3)	4.7.97 को छात्रावासों में छात्र पर हमला जिसमे एक छात्र को चोट आयी	(1) दोषी छात्र का छात्रावास से निष्कासन (2) छात्रों को कण्टक्ट प्रोबेशन पर रखा (3) पुलिस कार्यवाही हेतु एफ.आई.आर. दर्ज।

(7) निदेशालय कालेज शिक्षा के अधीन संचालित महाविद्यालयों के छात्रावासों के सम्बन्ध में :

वर्ष 1994 में राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर के फोर्ट सीनियर सैकण्ड्री स्कूल में स्थित छात्र छात्रावास के बाहर छात्रावास के छात्रों एवं बाहर के आम व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ। जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट एवं महाविद्यालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा उक्त छात्रावास बन्द कर दिया गया है।

परिशिष्ट "ब"

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

घटनावार ब्यौरा

1.	छात्रावास का नाम जिसमें घटना घटित हुई।	इंजिनियरिंग होस्टल केम्पस
2.	घटना का दिनांक	10.2.1999 रात्रि के करीब 12 बजे।

3. घटना का संक्षिप्त विवरण	आपसी रंजिश के कारण विद्यार्थियों में आपसी मारपीट रोहित चौधरी के साथ।
4. घटना के दोषी नामजद व्यक्तियों के नाम	1. अनिल झाझरिया, बी.ई. अंतिम वर्ष (इलेक्ट्रीकल) 2. अमित राड, बी.ई. द्वितीय वर्ष (कम्प्यूटर विज्ञान)
5. छात्रावास के दोषी अधिकारी/वार्डन	कोई नहीं।
6. पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा	पुलिस द्वारा चालान पेश कर दिया गया है।
7. विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही	रोहित चौधरी की फर्स्ट एड कराने के बाद सरदारपुरा थाने से पुलिस बुलाई गई. इमरजेन्सी वार्ड में स्टेचेज करायी और सरदारपुरा थाने में एफ. आई. आर. दर्ज कराई अगले दिन 11.02.99 को कालेज के डीन महोदय को चीफ के लिए चीफ प्रोक्टर को भेजा गया।
8. प्रकरण की वर्तमान अंतिम स्थिति	संकलित की जा रही है।

घटनावार ब्यौरा

1. छात्रावास का नाम जिसमें घटना घटित हुई।	इंजिनियरिंग होस्टल केम्पस
2. घटना का दिनांक	16.11.1998 सायं।
3. घटना का संक्षिप्त विवरण	आपस में कहासुनी होने से अमित कुमार गर्ग एवं निखिलेश व्यास बी.ई. प्रथम वर्ष के साथ मारपीट।
4. घटना के दोषी नामजद व्यक्तियों के नाम	1. श्री हरेन्द्र सिंह चौधरी, बी. ई. प्रथम वर्ष 2. श्री अरुण झांझरिया, बी. ई. प्रथम वर्ष 3. श्री सुनील कुमार रायल, बी.ई. प्रथम वर्ष
5. छात्रावास के दोषी अधिकारी/वार्डन	कोई नहीं।
6. पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा	पुलिस द्वारा चालान पेश कर दिया गया है।
7. विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही	पता लगने पर संबंधित छात्रों के अभिभावकों को तार और पत्रों द्वारा सूचना दी गई।

	अमित कुमार गर्ग व निखिलेश व्यास द्वारा सरदारपुरा थाने में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई, तीनों दोषी छात्रों को (कालम नं. 4 के अनुसार) होस्टल से निष्कासित किया गया।
8. प्रकरण की वर्तमान अंतिम स्थिति	संकलित की जा रही है।

घटनावार ब्यौरा

1. छात्रावास का नाम जिसमें घटना घटित हुई।	इंजिनियरिंग होस्टल केम्पस
2. घटना का दिनांक	21.9.1997 दोपहर करीब 3 बजे
3. घटना का संक्षिप्त विवरण	1. श्री प्रेमचन्द नेतड़ 2. श्री सुरेश कुमार जेवलिया 3. श्री जयप्रकाश भांभी के साथ छात्रसंघ चुनाव में विरोधी उम्मीदवार का सपोर्ट करने के कारण मारपीट।
4. घटना के दोषी नामजद व्यक्तियों के नाम	1. ओमप्रकाश जाखड़, बी.ई. अंतिम वर्ष, मैकेनिकल एवं सहयोगी छात्र।
5. छात्रावास के दोषी अधिकारी/वार्डन	कोई नहीं।
6. पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा	पुलिस द्वारा चालान पेश कर दिया गया।
7. विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही	शीघ्र ही मालूम चलने पर पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने मौके का मुआयना किया, वार्डनों से घटना का ब्यौरा बताया और श्री प्रेमचन्द नेतड़, सुरेश कुमार जेबलिया और जयप्रकाश भांभी को सरदारपुरा थाना ले जाकर एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई। ओमप्रकाश जाखड़ को होस्टल से निष्कासित किया गया जाखड़ द्वारा लिखित माफी मांगने पर और होस्टल में किसी प्रकार का भविष्य में ऐसी घटना में शामिल न होने का लिखित वादा करने पर 600/- रुपये जुर्माना अदा कर पुनः होस्टल में प्रवेश दिया गया।
8. प्रकरण की वर्तमान अंतिम स्थिति	संकलित की जा रही है।

घटनावार ब्यौरा

1.	छात्रावास का नाम जिसमें घटना घटित हुई।	इंजिनियरिंग होस्टल केम्पस
2.	घटना का दिनांक	10.2.1997 दिन में 2 बजे करीब।
3.	घटना का संक्षिप्त विवरण	आपसी रंजिश के कारण विद्यार्थी हरचरण सिंह के कमरे में न होने पर बाहर के छात्रों ने कमरे में तोड़फोड़ की।
4.	घटना के दोषी नामजद व्यक्तियों के नाम	1. श्री अमित राड़, बी.ई. द्वितीय वर्ष (सी.एम.ई.) 2. श्री अनिल झांझरिया, बी.ई. तृतीय वर्ष (इलेक्ट्रीकल)
5.	छात्रावास के दोषी अधिकारी/वार्डन	कोई नहीं।
6.	पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा	पुलिस द्वारा चालान पेश कर दिया गया।
7.	विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही	तोड़फोड़ की घटना एफ.आई.आर. सरदारपुरा पुलिस थाना, जोधपुर में दिनांक 10.2.97 को ही दर्ज करा दी गई।
8.	प्रकरण की वर्तमान अंतिम स्थिति	संकलित की जा रही है।

घटनावार ब्यौरा

1.	छात्रावास का नाम जिसमें घटना घटित हुई।	इंजिनियरिंग होस्टल केम्पस
2.	घटना का दिनांक	25.1.1997 रात्रि
3.	घटना का संक्षिप्त विवरण	छात्र श्री अमर सिंह मीना, बी. ई. प्रथम वर्ष की रैगिंग करने के सम्बन्ध में मारपीट की।
4.	घटना के दोषी नामजद व्यक्तियों के नाम	1. प्रताप सिंह मीणा, 2. बत्तीलाल मीणा 3. प्रकाशचन्द्र मीणा 4. घमण्डी राम मीणा 5. श्यामबिहारी मीणा 6. कुंजीलाल मीणा

	7. ओंकार मीणा 8. जीत राम मीणा (ये सभी बी.ई. के छात्र हैं।)
5. छात्रावास के दोषी अधिकारी/वार्डन	कोई नहीं।
6. पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा	पुलिस द्वारा चालान पेश कर दिया गया है।
7. विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही	श्री अमरसिंह मीणा द्वारा पुलिस थाना सरदारपुरा में क्रम संख्या 1 से 8 के छात्रों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने पर व होस्टल स्तर पर पूछताछ करने पर क्रम संख्या 1 से 8 के सभी छात्रों को होस्टल से निष्कासित कर दिया गया।
8. प्रकरण की वर्तमान अंतिम स्थिति	संकलित की जा रही है।

पर्यटन विकास निगम में नियुक्ति प्रकरण

227. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन कब हुआ?

(2) वर्ष 1989–90 से फरवरी, 1999 तक किस–किस पद पर किन–किन व्यक्तियों को किस–किस कार्य के लिए किस वेतन श्रृंखला में किस प्रक्रिया से नियुक्त किया गया?

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की इकाइयां वर्तमान में कहां–कहां कार्यरत हैं? इनमें से कितनी इकाइयां कितने–कितने घाटे में चल रही हैं और सरकार की इन इकाइयों को चालू रखने के विषय में क्या योजना है?

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. का गठन एक कम्पनी के रूप में दिनांक 24.11.1978 को हुआ एवं दिनांक 1.4.1979 से कार्य प्रारम्भ हुआ।

(2) वर्ष 1989–90 से फरवरी, 99 तक निगम में जिन कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई है। उनकी सूची "अ" संलग्न है। नियुक्तियां संचालक मण्डल के निर्णयानुसार प्रबन्ध निदेशक द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत की गई है। कर्मचारियों को जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है, उनसे उनके पद के अनुरूप ही कार्य लिया जाता है। (संलग्न परिशिष्ठ "अ")

(3) वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 35 होटल्स, 17 मोटल्स, 6 केफेटेरिया एवं 3 अन्य स्वतन्त्र इकाईयों सहित कुल 61 इकाईयां चलाई जा रही हैं। (सूची संलग्न है) (परिशिष्ट "ब") संचालित

(पर्यटन राज्य मंत्री)

इकाईयों में से घाटे में चल रही इकाईयों की सूचना परिशिष्ट "स" में संलग्न है। घाटे की इकाईयों को लाभ में लाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं एवं लीज/लाईसेन्स पर दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला चित्तौड़गढ़ में पेयजल पर व्यय राशि

228. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में पीने के पानी की समस्या है?

(2) गत तीन महीनों में सरकार ने पेयजल हेतु जिले के किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में नये हैण्डपम्प/गहरे हैण्डपम्प/ट्यूबबैल के लिये स्वीकृत की है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है?

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत लागत एवं मदवार नये हैण्ड पम्प, हैण्ड पम्प गहरा करना, ट्यूबवैल इत्यादि की स्वीकृत माह दिसम्बर 98 से

कार्य का नाम मद	विधान सभा क्षेत्र	लागत रुपये (लाखों में) गंगरार	बेगूं	चित्तौड़गढ़	कपासन	निम्बाहेड़ा	बड़ीसादड़ी	प्रतापगढ़	योग
नये हैण्ड पम्प	मजरा, ढाणी	–	8.55	–	–	–	–	–	8.55
	आंशिक लाभान्वित	–	9.62	–	–	–	–	4.00	13.62
	दसवां वित्त आयोग	5.60	2.40	8.80	3.20	4.80	6.00	8.80	39.60
	ग्रीष्म-99	–	14.75	–	–	1.20	3.20	16.80	35.95
	परित्यक्त	13.60	11.50	32.80	13.60	16.40	6.80	13.20	107.90
	कुल योग	19.20	46.82	41.60	16.80	22.40	16.00	42.80	205.62
हैण्डपम्प को गहरा करना	ग्रीष्म संवर्धन-99	–	10.40	–	–	3.96	22.40	3.40	40.16
नए नलकूप	ग्रीष्म संवर्धन-99	4.00	2.00	7.00	6.00	1.00	3.00	–	22.00
नलकूप गहरा कराना	ग्रीष्म संवर्धन-99	–	0.60	–	1.50	1.20	–	–	3.30
	कुल	23.20	59.82	48.60	23.30	28.56	38.20	49.40	271.08

तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की योग्यता सूची का निर्धारण

229. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या तृतीय श्रेणी शिक्षकों के चयन हेतु सरकार राज्य स्तर पर योग्यता सूची बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में बोनस अंक देने का निर्णय ले रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में गांव/शहर व जिले के अभ्यर्थियों के लिए बोनस अंकों को समाप्त कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के चयन हेतु राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के तहत नियुक्ति के अधिकार जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों में निहित है। तथा वर्तमान में राज्य स्तर पर वरियता का निर्माण कर नियुक्ति दिये जाने का कोई प्रावधान विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्ष 1998–99 के लिए नियुक्ति हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया में मूल निवासी, खेलकूद, एन.सी.सी., स्काउट–गाईड, संगीत, नृत्य प्रवृत्तियों में भाग लेने वाले आशार्थियों को जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए बोनस अंक दिये गये हैं।

(3) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पद अधिक रिक्त हैं, तथा शहर के अध्यापक जो ग्रामीण विद्यालयों में पदस्थापित हैं, शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निरन्तर दबाब बनाये रखते हैं, बोनस अंक की योजना लागू होने से विभाग के रिक्त पदों पर आशानुकूल प्रभाव पड़ा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के रिक्त पदों में कमी आई है।

बाणियावास (पाली) बांध का निर्माण प्रकरण

230. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) पंचायत समिति पाली के बाणियावास बांध का निर्माण कब पूर्ण हुआ एवं इस पर कितनी राशि व्यय हुई?

(2) वर्ष 1990 के पश्चात् यह बांध कितनी बार टूटा है?

(3) क्या सरकार ने इस बांध की स्थायी मरम्मत हेतु कोई प्रयास किया है? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या सरकार अब उक्त बांध नहीं टूटे इस बाबत कोई बन्दोबस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बाणियावास बांध का निर्माण कार्य करीब 95 वर्ष पूर्व जोधपुर स्टेट के समय हुआ था। उस समय निर्माण पर हुई व्यय की राशि की सूचना उपलब्ध नहीं है। उक्त बांध सिंचाई विभाग के अधीन होने के उपरान्त वर्ष 1964–65 से आज तक का व्यय परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1990 के पश्चात् यह बांध दो बार 1992 तथा 1994 में टूटा है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी हां। स्थायी मरम्मत हेतु बांध की डिजाईन के लिए विस्तृत अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है जिसमें बांध में प्रयुक्त मिट्टी के परीक्षण कार्य तथा बांध में पानी की आवक मात्रा (हाईड्रोलोजी) इत्यादि के आंकलन कार्य शामिल हैं जो कि प्रगति पर है।

(4) जी हां। पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् बांध को डिजाईन कर नवीनीकरण के प्रस्ताव लघु सिंचाई योजना में प्रस्तावित किये जायेगें। प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर बांध का कार्य करवाया जावेगा।

परिशिष्ट "क"

बाणियावास बांध पर वर्षवार एवं मदवार किये गये खर्चे का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. स.	वर्ष	99 केपीटल आउटले	100 लघु सिंचाई योजना	मरम्मत मद	अकाल सहायता	बाढ़	वृक्षारोपण	सुनिश्चित रोजगार योजना	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1964-65	0.29	-	-	-	-	-	-	0.29
2.	1965-66	1.49	-	-	-	-	-	-	1.49
3.	1966-67	-	2.46	-	-	-	-	-	2.46
4.	1967-68	-	1.52	-	-	-	-	-	1.52
5.	1968-69	-	0.86	-	-	-	-	-	0.86
6.	1969-70	-	1.49	-	-	-	-	-	1.49
7.	1970-71	-	0.21	-	-	-	-	-	0.21
8.	1971-72	-	-	0.34	-	-	-	-	0.34
9.	1972-73	-	-	0.21	-	-	-	-	0.21
10.	1973-74	-	-	0.08	-	-	-	-	0.08
11.	1974-75	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	1975-76	-	-	0.78	-	-	-	-	0.78
13.	1976-77	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	1977-78	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1978-79	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50
16.	1979-80	-	-	0.86	-	3.46	-	-	4.32
17.	1980-81	-	-	0.68	-	0.06	-	-	0.74
18.	1981-82	-	-	0.14	0.18	-	-	-	0.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	1982-83	-	-	1.04	1.39	-	-	-	2.43
20.	1983-84	-	-	1.21	0.84	0.24	0.10	-	2.39
21.	1984-85	-	-	1.05	-	0.83	0.04	-	1.92
22.	1985-86	-	-	2.47	-	-	0.11	-	2.58
23.	1986-87	-	-	1.23	0.28	-	0.07	-	1.58
24.	1987-88	-	-	0.72	2.54	-	0.02	-	3.28
25.	1988-89	-	-	1.21	1.10	-	-	-	2.31
26.	1989-90	-	-	0.76	-	-	-	-	0.76
27.	1990-91	-	-	1.20	-	0.64	-	-	1.84
28.	1991-92	-	-	-	-	16.40	-	-	16.40
29.	1992-93	-	-	2.90	-	0.92	-	-	3.82
30.	1993-94	-	-	2.21	-	0.77	-	-	2.98
31.	1994-95	-	-	0.39	5.53	-	-	-	5.92
32.	1995-96	-	-	0.03	0.37	0.08	-	0.71	1.19
33.	1996-97	-	-	0.40	-	0.61	-	6.56	7.57
34.	1997-98	-	-	0.04	-	1.24	-	0.29	1.57
35.	1998-99	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	1.78	6.54	20.45	12.23	25.25	0.34	7.56	74.15

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के पशु चिकित्सालय

231. श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) नये पशु चिकित्सालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? क्या सरकार प्रत्येक पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की तहसील सपोटरा में कितने पशु चिकित्सालय हैं? उक्त पशु चिकित्सालयो में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं और सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नई पशु चिकित्सा संस्था खोलते समय जनसंख्या, पशु संख्या, क्षेत्र में पूर्व से कार्यरत पशु चिकित्सा संस्था से दूरी एवं आवश्यक सुविधायें जैसे - भवन, डाक व्यवस्था, आवागमन के साधनों को ध्यान में रखा जाता है।

जी नहीं। उपलब्ध पशु संख्या, पूर्व में कार्यरत एवं भविष्य में संभावित स्थापित किये

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

जाने वाले पशु चिकित्सालय में आपसी दूरी 8 से 10 कि.मी. के अन्तर को ध्यान में रखकर नई पशु चिकित्सा संस्था खोलने पर विचार किया जाता है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नई पशु चिकित्सा संस्था खोलने के बारे में विचार किया जाना संभव होगा।

(2) विधानसभा क्षेत्र सपोटरा की तहसील सपोटरा में चार पशु चिकित्सालय क्रमशः सपोटरा, करणपुर, मंडरायल एवं लांगरा में कार्यरत हैं। उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों का पद रिक्त नहीं है।

बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रयास

232. श्री रमजान खान (पुष्कर) एवं **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत वर्ष राज्य में बाल विवाह के कितने अभियोग विभिन्न स्थानों पर दर्ज हुए और उनमें से कितने बाल विवाह रोके जा सके?

(2) इस सामाजिक कुरीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं तथा वे कितने सफल रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1998 में बाल विवाह के सम्बन्ध में कुल 69 इस्तगासे पंजीबद्ध हुये उनमें से 56 मामले अदालत में पेश किये गये तथा 13 इस्तगासे झूंठे पाये गये। राज्य में इसके अलावा 33 बाल विवाह समझाईश कर रुकवाये गये।

(2) इस सामाजिक कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया हुआ है। इसके अलावा महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न महिला संगठनों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा चेतना जागृत करने के लिए वर्ष भर जाजम शिविर, फिल्म शो, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से रोकथाम हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। अक्षय तृतीया तथा अन्य अबूझ सावों पर होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम के उद्देश्य से जन-साधारण में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित मदिरा विक्रय केन्द्र

233. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1997-98 की आबकारी नीति जो क्रमांक प. 4(620) वित्त/आब/96 दिनांक 22.2.97 से स्वीकृत हुई है उसमें राष्ट्रीय मार्ग एवं राज्य मार्ग पर शराब की दुकानें लगाने के क्या दिशा-निर्देश हैं? निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1997-98 की आबकारी नीति में विशेष परिस्थिति में ही नये स्थल राष्ट्रीय या राज्य मार्ग पर स्वीकृत करने के अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को ही प्रदत्त हैं? यदि हां, तो आबकारी आयुक्त ने राष्ट्रीय मार्ग तथा राज्य मार्ग पर नई दुकानें जो स्वीकृत की हैं की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(आबकारी मंत्री)

(3) क्या बिना अधिकार ही उक्त दुकानें स्वीकृत करने पर आबकारी आयुक्त के विरुद्ध सरकार कोई आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) आबकारी नीति वर्ष 1997-98 पैरा 2(iii) में राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्ग पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं : -

"राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गों पर दी गयी शिथिलता समाप्त कर दिया जावे। अत्यन्त विशिष्ठ परिस्थितियों में ही केवल ऐसे स्थान पर जहां शहर/कस्बा/गांव की आबादी क्षेत्रों के अन्तर्गत ऐसे उच्च मार्ग आते हैं, शिथिलता का अपवाद किया जावे। आबादी क्षेत्र में स्थित उच्च मार्गों की उपरोक्त शिथिलता के अलावा राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्ग पर कोई भी शिथिलता मदिरा दुकान की स्थिति में नहीं दी जावे।"

(2) शहर, कस्बा, गांव की आबादी क्षेत्रों के अन्तर्गत जहां ऐसे उच्च मार्ग आते हैं, शिथिलता का अपवाद किए जाने के निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्ग पर शिथिलता प्रदान करते हुए मदिरा दुकानें स्वीकृत की गयी हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) आबकारी नीति वर्ष 1997-99 के अनुरूप मदिरा दुकानें स्वीकृत की गयी है। अत: आबकारी आयुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला राजसमन्द के महाविद्यालयों में छात्रावास

234. श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

क्या सरकार के पास राजसमन्द महाविद्यालय के छात्रों के निवास हेतु कोई छात्रावास बनवाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार छात्रों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त छात्रावास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय, राजसमन्द हेतु छात्रावास का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है।

जयपुर शहर का पेयजल आपूर्ति प्रकरण

235. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : - क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना से किन-किन शहरों/कस्बों के पीने के पानी की योजना बनाई गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर को भी इसी योजना से पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना है? यदि हां, तो इसमें कुल कितनी लागत आवेगी और कुल कितनी दूरी

(श्री दिग्विजय सिंह)

से यह पानी जयपुर पहुंचेगा तथा इस पर कुल कितना व्यय होगा?

(3) क्या जयपुर हेतु पीने के पानी की कोई "वैकल्पिक योजना" "ईसरदा बांध" से भी विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई योजना तैयार करने का विचार किया है?

(4) क्या यह सही है कि करीब 2 वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग व जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा इस योजना का सर्वे किया था जिस कर करीब दस लाख रुपये व्यय हुए थे?

(5) क्या सरकार "ईसरदा बांध" से जयपुर शहर को पीने के पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना से अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी एवं सरवाड़ पीने के पानी की योजना बनाई गई है।

(2) जी हां, बीसलपुर परियोजना से आमेर व सांगानेर कस्बों को सम्मिलित करते हुए जयपुर शहर हेतु दीर्घकालीन पेयजल परियोजना की फिजीबिलिटी अध्ययन किया गया है। जिसके अनुसार योजना की लागत 1416.40 करोड़ रुपये अनुमानित है। बीसलपुर बांध से सांगानेर के निकट बालावाला छोर तक मुख्य पाईप लाईन की लम्बाई लगभग 104.75 किलोमीटर होगी। मुख्य पाईप लाईन पंप गृहों एवं जल शोधन संयंत्र इत्यादि पर कुल लगभग 777.60 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में इस तरह की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) ईसरदा बांध के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा सर्वेक्षण एवं डिजायन का कार्य वर्ष 1994-95 से किया जा रहा है। मार्च, 99 तक 16.52 लाख रुपये सिंचाई विभाग द्वारा व्यय किये जा चुके हैं।

(5) जी नहीं।

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-280 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

खारची क्षेत्र के गांवों के पानी की रसायनिक गुणवत्ता सूची

क्र. सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड सं.	पेयजल स्रोत का नाम	रयासनिक जांच परीक्षण पीपीएम फ्लोराइड	टीडीएस	क्लोराइड	नाईट्रेट
1.	मा. जं.	लोलावास	12	खुला कुआ	0.6	6846	3400	40
2.	"	भगोडा	131	हैण्ड पम्प	1.6	4510	1640	04
3.	"	सिचाणा	98	"	1.79	3410	1000	99
4.	"	गुडा सूरसिंह	100	"	0.8	4050	1090	110
5.	"	गुडा मेहकरण	96	"	1.8	3560	770	110
6.	"	कनायतों का ओडा अन्य आबादी		"	2.7	3630	1350	45
7.	"	भीमालिया	78	"	2.9	2250	760	09
8.	"	बाडसा	18	नलकूप बाडसा	0.7	400	80	04
9.	"	चवाडिया	13	"	0.7	400	80	04
10.	देसूरी	सेपटावा	4	हैण्ड पम्प	19	1000	100	04
11.	"	एलाभी	36	"	14.2	220	1000	09
12.	"	गुडा जेतावता	60	"	4.0	1340	1200	09

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-283 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

DETAILS OF VILLAGES/HABITATIONS HAVING EXCESS FLUORIDE

Based On 91-93 Survey

S. No.	Name of District	No. of Villages where F>1.5 PPM		
		Village	Hab.	Total
1	2	3	4	5
1.	Ajmer	654	371	1025
2.	Alwar	573	342	879
3.	Banswara	293	551	844
4.	Barmer	597	221	818
5.	Bharatpur	529	81	610
6.	Bhilwara	678	318	996
7.	Bikaner	84	2	86
8.	Bundi	42	9	51
9.	Chittorgarh	115	48	163
10.	Churu	240	8	248
11.	Dholpur	142	157	299
12.	Dungarpur	127	235	362
13.	G.Nagar/H.garh	426	418	844
14.	Jaipur/Dausa	1187	1985	3172
15.	Jaisalmer	300	184	484
16.	Jalore	369	107	476
17.	Jhalawar	42	5	47
18.	Jhunjhunu	96	3	99
19.	Jodhpur	314	99	413
20.	Kota/Baran	44	0	44
21.	Nagaur	778	147	925
22.	Pali	242	88	330
23.	Sikar	331	461	792
24.	Sirohi	176	5	181
25.	S.Madhopur	452	268	720
26.	Tonk	515	209	724
27.	Udaipur/Rajsamand	431	497	928
	Total	**9741**	**6819**	**16560**

परिशिष्ट "ख"

फ्लोराइड से ग्रसित ग्रामों के लिये स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

1. **अजमेर फ्लोराइड प्राजेक्ट :** - अजमेर जिले के 94 फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 20.48 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई थी जिसकी वर्ष 98-99 में पुनरीक्षित लागत 44.34 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई। माह जनवरी, 99 तक 54 ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

2. **चाकसू फ्लोराइड प्रोजेक्ट :** - चाकसू तहसील जिला जयपुर के 175 ग्रामों हेतु 5.61 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई। माह जनवरी, 99 तक 87 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

क्र.सं.	योजना का नाम	लागत करोड़ रुपये में	लाभान्वित किये जाने वाली ढाणियों की संख्या
1.	पुनर्गठित जल योजना बांका पट्टी (गच्छीपुरा) जिला नागौर	5.8806	110
2.	ब्लाक डेगाना की फ्लोराइड प्रभावित ढ़ाणियों की योजना जिला नागौर	6.7846	120
3.	क्षेत्रीय जल योजना ताउसर जिला नागौर	1.0115	6
4.	ब्लाक टोंक की फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों ढाणियों की योजना	3.6674	16
5.	ब्लाक फागी के फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों ढाणियों की योजना जिला जयपुर	2.0530	12
6.	फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों/ढाणियों हेतु क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना तह. भीनमाल एवं जालौर जिला जालौर	1.6546	23
7.	फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों/ढाणियों हेतु क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना जिला पाली	0.7017	11
8.	फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों/ढाणियों की योजना जिला सिरोही	1.2121	21
9.	ब्लाक शाहपुरा के फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों/ढाणियों की योजना जिला भीलवाड़ा	2.7976	54
10.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सालिगरामपुरा प्रहलादपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर	0.3980	6
11.	संवर्धित जल प्रदाय योजना, छपरा, तहसील बल्लभनगर जिला उदयपुर	0.0888	1

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-284 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

शहरी जल योजना अजमेर पर 1999 की गर्मी के लिये शहर की जलापूर्ति बनाये रखने हेतु स्वीकृत कार्य एवं निर्धारित लक्ष्य

क्र.सं.	स्वीकृत प्रस्ताव	निर्धारित लक्ष्य
(अ)	**अधीक्षण अभियंता वृत अजमेर**	
1.	गनेहडा एवं लीला सेवड़ी स्थित कुओं/ट्यूब वैल का विकास	अप्रेल, 1999
2.	गनेहडा एवं अजमेर शहर में 15 कुओं को चालू करने का कार्य	अप्रेल, 1999
3.	बिजली के कनेक्शन	अप्रेल, 1999
4.	15 कुओं को गनेहडा स्थित कुओं का किराया एवं बिजली का खर्च	अप्रेल, 1999
5.	अजमेर शहर में 100 हैण्डपम्प (आवश्यकतानुसार)	अप्रेल, 99 से जून, 99
(ब)	**अधीक्षण अभियंता बीसलपुर वृत्त अजमेर**	
1.	छातड़ी जल फील्ड में विकास कार्य	अप्रेल, 1999
2.	पुराने पाइपों का चेम्फ्रींग कार्य	अप्रेल, 1999
3.	बीसलपुर बांध में सिटाइल अल्कोहल छिड़काने का कार्य	अप्रेल एवं मई, 99
4.	बनास की पाइप लाइन को मजबूती देने का कार्य	अप्रेल, 1999

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-286 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र जैतारण की पेयजल योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन का विवरण

1.	हैण्डपम्प योजना डागला	रु. 4.97 लाख	(गुणवत्ता के कारण)
2.	पाइप्ड योजना बलाडा	रु. 32.60 लाख	
3.	पाइप्ड योजना लाम्बिया	रु. 19.40 लाख	(अगमन्टेशन हेतु)
4.	क्षेत्रीय जलयोजना निम्बोल सिनला	रु. 28.62 लाख	
5.	क्षेत्रीय जल योजना जुजुण्डा भाकरवास देवरिया	रु. 32.60 लाख	
6.	बुलुन्दा बानावास	रु. 23.52 लाख	(गुणवत्ता के कारण)
7.	हैण्डपम्प योजना समोखी	रु. 4.90 लाख	
	कुल	रु. 146.61 लाख	

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 293 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

जिला रोजगार कार्यालय श्रीगंगानगर में जनवरी, 1998 से मार्च, 1999 तक दर्ज बेरोजगारों की संख्या

क्र.सं.	श्रेणी	संख्या
1.	अनुसूचित जाति	1351
2.	अनुसूचित जनजाति	117
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1161
4.	अन्य	3891
	कुल	6520

परिशिष्ट "ख"

जिला रोजगार कार्यालय श्रीगंगानगर में जनवरी, 1998 से मार्च, 1999 तक नियुक्त आशार्थियों की संख्या

क्र.सं.	श्रेणी	संख्या
1.	अनुसूचित जाति	70
2.	अनुसूचित जनजाति	4
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	51
4.	अन्य	125
	कुल	250

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-294 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

सत्र	कक्षा-1		कक्षा-2		कक्षा-3		कक्षा-4		कक्षा-5		कक्षा-6		कक्षा-7		कक्षा-8	
	छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत
1989–90	अभिव्यक्ति इकाई	100	138	100	50	96	42	98	52	85	61	90	45	88	31	100
1990–91	– " –	100	146	100	45	100	42	100	40	100	75	95	57	100	39	75
1991–92	– " –	100	115	100	46	90	48	100	32	80	53	97	70	86	51	74
1992–93	17	100	09	100	20	100	32	98	37	100	38	100	61	96	58	100
1993–94	63	96	15	100	17	100	21	100	27	88	41	98	39	98	32	100
1994–95	40	97	12	100	16	100	20	100	27	84	42	90	39	90	32	100
1995–96	36	95	16	100	12	100	11	100	27	98	31	95	42	98	34	100
1996–97	75	100	23	100	14	92	09	100	12	83	28	90	28	90	38	82.25
1997–98	48	100	56	100	12	100	14	100	12	100	32	100	17	100	22	35

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-300 का विवरण)

गत 5 वर्षों में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा अजमेर क्षेत्र के विकास खण्डों की व्यय सूचना
वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक

(राशि लाखों में)

कार्यक्रम/गतिविधियां	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	योग
प्राथमिक शिक्षा	02.19	10.29	15.40	70.73	116.67	215.28
सहज शिक्षा	05.03	28.46	37.79	47.28	73.83	192.39
शिक्षा में गुणात्मक सुधार	14.18	19.81	27.18	41.41	73.62	176.20
परिचालन गतिविधियां	01.77	09.92	15.91	22.83	62.69	113.12
महिला विकास	04.71	15.30	18.99	21.62	34.39	95.01
भवन विकास	21.99	08.61	21.47	60.66	120.76	233.49
नवाचार/शहरी क्षेत्र में परिक्षणात्मक गतिविधियां	00.13	00.37	00.88	--	02.37	03.75
योग	50.00	92.76	137.62	268.53	484.33	1029.24

अजमेर क्षेत्र के विकास खण्डों की व्यय सूचना

वर्ष 1993-94 (राशि लाखों में)

कार्यक्रम/गतिविधियां	अंराई	पीसांगन	योग
प्राथमिक शिक्षा	00.97	01.22	02.19
सहज शिक्षा	02.35	02.68	05.03
शिक्षा में गुणात्मक सुधार	07.05	07.13	14.18
परिचालन गतिविधियां	00.94	00.83	01.77
महिला विकास	01.52	03.19	04.71
भवन विकास	21.99	–	21.99
नवाचार/शहरी क्षेत्र में परिक्षणात्मक गतिविधियां	00.09	00.04	00.13
योग	34.91	15.09	50.00

अजमेर क्षेत्र के विकास खण्डों की व्यय सूचना

वर्ष 1994-95 (राशि लाखों में)

कार्यक्रम/गतिविधियां	अंराई	पीसांगन	योग
प्राथमिक शिक्षा	05.63	04.66	10.29
सहज शिक्षा	16.91	11.55	28.46
शिक्षा में गुणात्मक सुधार	10.49	09.32	19.81
परिचालन गतिविधियां	04.94	04.98	09.92
महिला विकास	06.94	08.36	15.30
भवन विकास	08.60	00.01	08.61
नवाचार/शहरी क्षेत्र में परिक्षणात्मक गतिविधियां	00.28	00.09	00.37
योग	53.79	38.97	92.76

अजमेर क्षेत्र के विकास खण्डों की व्यय सूचना

वर्ष 1995-96 (राशि लाखों में)

कार्यक्रम/गतिविधियां	अंराई	पीसांगन	सिलोरा	योग
प्राथमिक शिक्षा	11.08	04.32	–	15.40
सहज शिक्षा	17.78	18.91	01.10	37.79
शिक्षा में गुणात्मक सुधार	13.56	13.62	–	27.18
परिचालन गतिविधियां	05.38	09.02	01.51	15.91
महिला विकास	07.36	08.09	03.54	18.99
भवन विकास	20.67	00.80	–	21.47
नवाचार/शहरी क्षेत्र में परिक्षणात्मक गतिविधियां	00.25	00.63	–	00.88
योग	76.08	55.39	06.15	137.62

अजमेर क्षेत्र के विकास खण्डों की व्यय सूचना

वर्ष 1996-97

(राशि लाखों में)

कार्यक्रम/गतिविधियां	अंराई	पीसांगन	सिलोरा	भिनाय	श्रीनगर	मसूदा	जवाजा	केकड़ी	डायट मसूदा	योग
प्राथमिक शिक्षा	10.36	50.67	01.22	00.22	06.84	00.61	00.06	00.75	–	70.73
सहज शिक्षा	18.89	15.97	06.43	00.44	00.02	05.53	–	–	–	47.28
शिक्षा में गुणात्मक सुधार	14.12	17.61	01.30	00.58	01.99	00.49	00.36	00.32	04.64	41.41
परिचालन गतिविधियां	04.91	05.29	05.46	00.67	02.68	03.23	00.34	00.25	–	22.83
महिला विकास	05.05	04.56	05.45	00.94	–	03.32	01.21	01.09	–	21.62
भवन विकास	39.24	21.41	–	–	00.01	–	–	–	–	60.66
नवाचार/शहरी क्षेत्र में परिक्षणात्मक गतिविधियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	92.57	115.51	19.86	02.85	11.54	13.18	01.97	02.41	04.64	264.53

अजमेर क्षेत्र के विकास खण्डों की व्यय सूचना
वर्ष 1997–98

(राशि लाखों में)

कार्यक्रम/गतिविधियां	अंराई	पीसांगन	सिलोरा	भिनाय	श्रीनगर	मसूदा	जवाजा	केकड़ी	डायट मसूदा	योग
प्राथमिक शिक्षा	08.75	74.91	04.33	06.53	06.47	07.02	04.72	03.94	–	116.67
सहज शिक्षा	24.85	22.10	06.16	01.56	08.91	08.67	01.58	–	–	73.83
शिक्षा में गुणात्मक सुधार	12.93	19.70	03.45	03.53	03.47	02.06	02.80	03.15	22.53	73.62
परिचालन गतिविधियां	10.56	11.30	12.18	03.20	07.76	09.38	03.21	05.10	–	62.69
महिला विकास	03.94	04.70	05.51	04.57	03.64	04.29	02.93	04.81	–	34.39
भवन विकास	21.71	81.96	13.39	–	00.02	03.68	–	–	–	120.76
नवाचार/शहरी क्षेत्र में परिक्षणात्मक गतिविधियां	–	00.93	–	–	00.74	–	–	00.70	–	02.37
योग	82.74	215.60	45.02	19.39	31.01	35.10	15.24	17.70	22.53	484.33

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-304 का ब्यौरा)

लोहार्गल, किरोड़ी, शाकम्भरी तीर्थ स्थलों के विकास हेतु कार्य योजना का संक्षिप्त विवरण

परिशिष्ट "क"

विभाग का नाम मय कार्य	लोहार्गल		किरोड़ी		शाकम्भरी		योग	
	कार्यों की संख्या	प्रस्तावित लागत	कार्यों की संख्या	प्रस्तावित लागत	कार्यों की संख्या	प्रस्तावित लागत	कार्यों की संख्या	प्रस्तावित लागत
सार्वजनिक निर्माण विभाग								
1. सड़क विकास कार्य	7	346.00	8	96.00	5	84.75	20	521.75
2. वन विभाग (वृक्षारोपण)	1	3.50	–	–	1	13.85	2	17.35
3. जन स्वा. अभि. विभाग (पेयजल व्यवस्था)	1	6.59	–	–	–	–	1	6..59
4. सिंचाई विभाग	5	34.00	1	1.00	–	–	6	35.00
5. भू-संरक्षण विभाग	–	--	10	42.00	–	–	10	42.00
6. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	–	--	3	4.60	–	–	3	4.60
योग	14	390.09	22	143.60	6	98.60	42	632.29

किरोड़ी में करवाये गये विकास कार्यों की सूचना

परिशिष्ट "ख"

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि	व्यय राशि	भौतिक स्थिति	कार्यकारी अभिकर्ता
1.	सम्पर्क सड़क किरोडी				
	(अ) सड़क निर्माण	35.50	35.50	चालू	सा.नि.वि.
	(ब) सी. डी. कार्य	15.50	15.50	चालू	सा.नि.वि.
2.	पर्यटन स्थल किरोडी का विद्युतीकरण	5.27	5.27	पूर्ण	रा.रा.वि.मण्डल
3.	पर्यटन स्थल किरोडी में हैण्डपम्प	0.50	0.50	चालू	जन.स्वा.अभि.वि.
4.	निमोडाघाटी एनीकट निर्माण	6.40	5.58	चालू	भू–संरक्षण
5.	भैरूजी नाला एनीकट निर्माण	4.27	3.80	चालू	भू–संरक्षण
6.	किरोडी एनीकट निर्माण	1.65	1.53	चालू	भू–संरक्षण
7.	बोण्डिया नाल एनीकट निर्माण	5.00	5.00	चालू	सिंचाई विभाग
8.	धोलाई एनीकट निर्माण	5.00	5.00	चालू	सिंचाई विभाग
9.	नम्न पहाड़ियों पर वृक्षारोपण किरोडी	3.18	3.18	चालू	वन विभाग
10.	नग्न पहाड़ियों पर वृक्षारोपण किरोडी	65.65	5.65	चालू	वन विभाग
	योग	**187.92**	**86.51**		

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या–308 की सूची)

पंचायत समिति टोडाभीम क्षेत्र में वर्ष 95 से अब तक खादी ग्रामोद्योग योजनाओं में लाभान्वित कामगारों की सूची

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	नाम कामगार मय पिता	गांव	पं.सं.	वितरण दिनांक	पूंजीगत	कार्यकारी	योग	उद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आयोग निधि मद में								
1.	श्री मगतू पुत्र नत्था धोबी	शेखपुरा	टोडाभीम	6.3.95	0.02	0.02	0.04	धोबी
2.	श्री राधेश्याम पुत्र इन्दर चमार	खेडी	टोडाभीम	6.3.95	0.07	0.02	0.09	टेलरिंग
ब्याज सहायता मद में								
3.	श्री घनश्याम गुप्ता पुत्र किस्तूरचन्द	टोडाभीम	टोडाभीम	30.3.96	0.50	0.50	1.00	आचार मुरब्बा
4.	श्री घनश्याम गुप्ता पुत्र रामचरण गुप्ता	पाटोली	टोडाभीम	31.7.96	0.50	0.50	1.00	आचार मुरब्बा
5.	श्री मुरारीलाल पुत्र मिश्रीलाल कंटक	टोडाभीम	टोडाभीम	28.1.97	0.25	0.65	0.90	लुहारी सुथारी
सी.बी.सी. योजना में								
6.	श्री अलीमोहम्मद पुत्र फेजमोहम्मद	पाटोली	टोडाभीम	4.12.96	–	0.20	0.20	लाख चूडी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	श्री अमरसिंह पुत्र नथोली जाटव	पाडली	टोडाभीम	24.9.97	0.10	0.10	0.20	चर्म जूता
8.	श्री भरतलाल पुत्र परभाती जाट	बीजलवाडा	टोडाभीम	4.12.96	0.07	0.02	0.09	टेलरिंग
9.	श्री भगवान सहाय पुत्र रामचरण गुप्ता	पाटोली	टोडाभीम	9.1.98	0.18	0.54	0.72	भारतीय मिठाई
10.	श्री कमलेश पुत्र भोरीलाल नाई	खोहरा	टोडाभीम	23.4.96	0.03	0.02	0.05	नाई की दुकान
11.	श्री प्रीतम पुत्र बुद्धा कुम्हार	पाटोली	टोडाभीम	14.12.96	0.03	0.02	0.05	कुम्हारी
12.	श्री रमेश पुत्र कल्याण नाई	खोहरा	टोडाभीम	23.4.96	0.03	0.02	0.05	नाई की दुकान
13.	श्री रूपसिंह पुत्र चिरंजी नाई	अजीतपुर	टोडाभीम	23.4.96	0.03	0.02	0.05	नाई की दुकान
14.	श्री रामचरण पुत्र रतन कोली	शहशकर	टोडाभीम	14.12.96	0.07	0.02	0.09	टेलरिंग
15.	श्री शिम्भू पुत्र कजोडया बैरवा	पाटोली	टोडाभीम	23.4.96	–	0.10	0.10	आर्टवेयर
16.	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी गोपाल	टोडाभीम	टोडाभीम	31.3.97	0.07	0.02	0.09	टेलरिंग

1	2	3	4	5	6	7	8	9 मार्जिनमनी का भुगतान	
मार्जिन मनी योजना									
17.	श्री गुमानसिंह/भूरसिंह राजपूत	दातली	टोडाभीम	4.10.97	–	–	0.33	आटाचक्की	0.08
18.	श्रीमती पप्पीदेवी/बाबुलाल गुर्जर	पाटोली	”	4.10.97	–	–	0.20	पापड मगोडी	0.06
19.	श्री जियाउर्ररहमान/अब्दुलरखा	टोडाभीम	”	10.12.97	–	–	2.08	फल प्रशोधन	0.62
20.	श्री कन्हैयालाल/चिरंजीलाल राण	रानोली	”	23.1.98	–	–	0.25	अ.दा.प्र.	0.06
21.	श्री भोलाराम/किशना नाई	माचड़ा	”	12.5.98	–	–	0.20	नाई	0.05
22.	श्री रामकिशोर/भेरथ जांगीड़	माचड़ा	”	12.5.98	–	–	0.20	सुथरी	0.05
23.	श्री महादेव/रेवडमल जांगीड़	माचड़ा	”	12.5.98	–	–	0.29	सुथरी	0.07
24.	श्री मनोजकुमार/ओमप्रकाश गुप्ता	माचड़ा	”	12.5.98	–	–	0.28	मोटरवाईंडिंग	0.07
25.	श्री रामगोपाल/रामनारायण गुप्ता	नागललाट	”	12.5.98	–	–	0.50	इलेक्ट्रोनिक	0.12
26.	श्री काडूराम मीना/किशनलाल मीना	माचड़ी	”	1.8.98	–	–	0.97	साईकिल मरम्मत	0.29
27.	श्री रामधन/रेवडमल खाती	माचड़ी	”	17.11.98	–	–	0.59	सुथरी	0.15

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-310 की सूची)

परिशिष्ट "1"

वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण

क्रम संख्या	नाम पद	रिक्तपद (संख्या)	समय (वर्ष)
1.	निजी सचिव (अध्यक्ष)	1	1995-96
2.	उपनिदेशक	3	1997-98
3.	सहायक निदेशक (खादी)	8	1997-98
4.	सहायक सचिव (विकास)	1	1996-97
5.	सहायक निदेशक (प्रशासन)	1	1997-98
6.	अंकेक्षण अधिकारी	1	1995-96
7.	जिला उद्योग अधिकारी	2	1997-98
8.	विकास अधिकारी (सहकार)	1	1998-99
9.	निरीक्षक सहायक	1	1997-98
10.	लेखाकार	1	1997-98
11.	वसूली निरीक्षक	1	1994-95
12.	निरीक्षक सह अंकेक्षक	3	1997-98
13.	जिला उद्योग निरीक्षक	9	1996-97
14.	संगठक	9	1996-97
15.	कनिष्ट लेखाकार	10	1993-94
16.	पर्यवेक्षक प्रथम	2	1997-98
17.	वरिष्ट लिपिक	3	1998-99
18.	कनिष्ट लिपिक	9	1995-96
19.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	1997-98
	कुल योग	67	

परिशिष्ट "2"

लिपिक के पद पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये गये कर्मचारियों के नाम की सूचना

क्र.सं.	नाम मय पिता	उपस्थिति दिनांक	सेवापृथक का दिनांक
1.	श्री राकेशकुमार ओझा/श्री बजरंगलाल ओझा	17.02.94	10.06.94
2.	श्री राजेश चौधरी/श्री विनयकुमार चौधरी	उपस्थित नहीं हुआ	
3.	श्री अनूपसिंह/श्री हरभान सिंह	14.02.94	10.06.94
4.	श्री राजेश शर्मा/श्री मोहनलाल	उपस्थित नहीं हुआ	
5.	श्री लाल सिंह/श्री शिवराज सिंह	24.02.94	10.06.94
6.	श्री दीपक द्विवेदी/श्री श्रीचन्द	18.02.94	10.06.94
7.	श्री रामबाबू शर्मा/श्री बद्रीनारायण जोशी	17.02.94	10.06.94
8.	श्री रागिनी गुप्ता/श्री वाई. गुप्ता	16.02.94	10.06.94
9.	श्री बृजमोहन रेगर/श्री लक्ष्मणराम रेगर	16.02.94	10.06.94
10.	श्री ललितकुमार/श्री मणिलाल परमार	21.02.94	10.06.94

नोट – राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 4(6) उद्योग/2/92 दिनांक 19.03.94 की अनुपालना में दिनांक 10.06.94 को उपरोक्त सभी कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया।

परिशिष्ट "3"

वर्ष 1995 से कार्यरत कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/स्टेनो/सुपरवाइजर के नाम, पदनाम का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद नाम	स्थाई	वेतनमान	समय
1	2	3	4	5	6
1.	श्री शैलेन्द्र जैन (मृतक राज्य कर्म. आश्रित)	कनिष्ट लिपिक	अस्थाई	3050-4000	1996 से
2.	श्री गणेश जोशी	चतुर्थश्रेणी कर्मचारी	अस्थाई	2550-3200	1996 से
3.	श्री बाबूलाल रेगर	चतुर्थश्रेणी कर्मचारी	अस्थाई	2550-3200	1996 से
4.	सुश्री रीना पाण्डे (मृतक राज्य कर्म. आश्रित)	कनिष्ठ लिपिक	अस्थाई	3050-4000	1997 से
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद व्यास	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
6.	श्री शिशुपाल सिंह	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
7.	श्री विश्राम मीणा	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
8.	श्री दामोदर खण्डेलवाल	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
9.	श्री जीवलाल राजोरिया	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
10.	श्री महेन्द्र कुमार सोनी	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
11.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
12.	श्री दिलीप कुमार पारीक	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
13.	श्री मयंक भार्गव	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
14.	श्री पंकज सिंह	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
15.	श्री सुखदेव जाट	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
16.	श्री सुनीलकुमार आसोपा	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
17.	श्री मदनचन्द्र स्वामी	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
18.	श्री अरविन्द गौतम	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
19.	श्री विनोदकुमार शर्मा	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
20.	श्री राजेश कुमार शर्मा	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
21.	श्री रामप्रसाद नामा	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
22.	श्री अनिल तिवारी	पर्यवेक्षक प्रथम	अस्थाई	5000-8000	1997 से
23.	श्रीमती रश्मि पारीक	स्टेनो	अस्थाई	5000-8000	1998 से

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-311 की सूची)

परिशिष्ट "1"

जिले के अनुसार जनसंख्या का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	जनगणना के आधार पर 1991	अनुमानित 31 मार्च, 1999
1	2	3	4
1.	गंगानगर	14025	17077
2.	हनुमानगढ़	12203	14770
3.	बीकानेर	12111	14661
4.	चूरू	15432	18720
5.	अजमेर	17292	21020
6.	टोंक	9750	11800
7.	नागौर	21448	26237
8.	भीलवाड़ा	15931	19348
9.	झुन्झुनूं	15824	19278
10.	अलवर	22966	28129
11.	भरतपुर	16516	20141
12.	धौलपुर	7495	9059
13.	जयपुर	38879	47649
14.	सीकर	18429	22491
15.	दौसा	9944	12062
16.	जैसलमेर	3445	4158
17.	जोधपुर	21535	26194
18.	पाली	14864	18042
19.	बाड़मेर	14352	17468
20.	जालौर	11426	13876
21.	सिरोही	6540	7903
22.	उदयपुर	20666	25277

1	2	3	4
23.	चित्तौड़गढ़	14842	18010
24.	डूंगरपुर	8746	10600
25.	बांसवाड़ा	11556	13990
26.	राजसमन्द	8227	9951
27.	सवाईमाधोपुर	8758	10592
28.	करौली	9277	11248
29.	बून्दी	7703	9327
30.	कोटा	12205	14831
31.	झालावाड़	9570	11581
32.	बारां	8103	9814
	राजस्थान	440060	535234

जिले के अनुसार जनसंख्या का विवरण परिशिष्ट "बी"

क्र. सं.	जिले का नाम	अनुमानित जनसंख्या (सैंकडों में) सन् 2001	सन् 2011
1.	गंगानगर	17812	22237
2.	हनुमानगढ़	15464	19290
3.	बीकानेर	15351	19150
4.	चूरू	19607	24481
5.	अजमेर	22050	27523
6.	टोंक	12354	15411
7.	नागौर	27522	34484
8.	भीलवाड़ा	20270	25321
9.	झुन्झुनूं	20208	25276
10.	अलवर	29513	36997
11.	भरतपुर	21116	26423
12.	धौलपुर	9483	11822
13.	जयपुर	49998	62695
14.	सीकर	23583	29519
15.	दौसा	12634	15774
16.	जैसलमेर	4351	5421
17.	जोधपुर	27449	34311
18.	पाली	18899	23603
19.	बाड़मेर	18306	22888
20.	जालौर	14537	18159
21.	सिरोही	8272	10311
22.	उदयपुर	26513	33218
23.	चित्तौड़गढ़	18864	23557
24.	डूंगरपुर	11101	13856
25.	बांसवाड़ा	14648	18274
26.	राजसमंद	10418	12992
27.	सवाईमाधोपुर	11088	13827
28.	करौली	11780	14705
29.	बून्दी	9766	12185
30.	कोटा	15539	19416
31.	झालावाड़	12125	15123
32.	बारां	10277	12823
	राजस्थान	560873	701072